खण्ड-411, अंक-8
बृहस्पतिवार, 1 वैशाख, शक संवत् 1916
(21 अप्रैल, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–67
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	67
जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ की शाखाओं में करोड़ों रुपये के कथित घपले की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	68
बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करौदी तथा कादीपुर में हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
नटखेड़ा रोड, आलमबाग, लखनऊ को पेकर रोड बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत तेरापुरसोली गांव में अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
उन्नाव जिले के पुरवा, विधान सभा क्षेत्र में कुओं के सूखने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
कु० कटोरी देवी, सहायक अध्यापिका, राजकीय इण्टर कालेज, महोबा, हमीरपुर को सेवा से निकाले जाने से गत 13 वर्षों से विधान सभा के सामने अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी प्रक्रियण एवं तिलहन विकास संघ लि० तथा मुख्य तकनीकी अधिकारी स० स० उ० प्र० लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70–71
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	71
जनपद लखनऊ के सहादतगंज वार्ड के मोहल्ला महमूदनगर में पुल गुलाम हुसैन के नाले की सफाई एवं निर्माण के संबंध में श्री मोहम्मद अहमद तथा खलील अहमद, निवासीगण कश्मीरी मोहल्ला, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम शहाबुद्दीनपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री जयराम सिंह तथा श्री राम नेवाज सिंह निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	72–73
नियम 311 की सूचनाओं का नियम 56 में परिवर्तित किया जाना ...	73
राज्य के 14 विश्वविद्यालयों की सभाओं में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	73–74

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थागन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	74–76
प्रश्नकाल में अल्पसूचित ता० प्र० संख्या 2 के चलते रहने के बीच अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 लिये जाने एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को पुकारने के बावजूद श्री प्रमोद तिवारी को बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न...	77–78
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	78–97
याचिका प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिये जाने की मांग	97
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	97–104
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग (स्वीकृत)	104–141
जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत साढ़ में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राम स्वरूप यादव तथा श्री कल्लू साहू निवासीगण कानपुर (देहात) तथा जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत सिन्ध नदी का पानी लिफ्ट करके घाटमपुर रजबहा में डाले जाने के संबंध में डा० देवी प्रसाद सचान तथा श्री राजीव सचान निवासीगण कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	141–142
उत्तर प्रदेश शांति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 (पारित)	142–176
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	177–181
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	182
जनपद पीलीभीत के कारागार में टाडा बन्दियों द्वारा आमरण अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	182–184
जनपद पीलीभीत के प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ...	184–185
जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस संरक्षण में फर्जी नोटों के चलन के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	185–187
आगरा जनपद के जमालपुर गांव में किसानों पर की गयी पुलिस फायरिंग में एक किसान की मृत्यु तथा दर्जनों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	187–191
लखनऊ की सभी सब्जी मण्डियों को पूर्व आदेशानुसार हरदोई रोड स्थित सब्जी मण्डी परिषद् में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक दि० 9 मार्च, 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (घ) के संबंध में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा	191–193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 21 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अजय प्रताप सिह उर्फ		तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार
अमरनाथ यादव,श्री	वाराणसी	त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
आनन्द यादव, श्री	देवरिया	नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
इरशाद, श्री	आजमगढ़	नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	पीतम सिंह, श्री	एटा
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ	बाबू खां, श्री	हरदोई
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	बाल गोविन्द राजवंशी, श्री	सीतापुर
चन्द्र विजय सिंह उर्फ		भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
चैनसुख भारती, श्री	जालौन	भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
जगदम्बा, श्री	बस्ती	मंडलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर

माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी	राम धनी, श्री	गाजीपुर
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
यश पाल सिंह चौधरी, श्री	सहारनपुर	रेखा छागला, श्रीमती	इटावा
रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ		विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़	विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
रघुवीर सिंह, श्री	एटा	वीरेश्वर सिंह उर्फ	
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़	शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़	शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल	सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली	सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर	स्वयंबर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज	हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
राम अंतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
राम कृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ	ज्ञानी हरेन्द्र सिंह, श्री	रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 21 अप्रैल, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग

**1.–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ में दिल्ली की भांति पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति शासन के सक्रिय विचार में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार दिल्ली की भांति लखनऊ में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति शासन के सक्रिय विचार में नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों जिस तरह से पुलिस पर दबाव पड़ा है, चाहे वह शांति व्यवस्था के संबंध में हो, चाहे प्रशासनिक कार्यों की वजह से हो या प्रदेश की राजधानी होने के नाते वी० आई० पी० सुरक्षा के संबंध में हो, उससे पुलिस अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है । अभी पिछले दिनों 5 किशोरों की हत्या हुई लेकिन आज तक उस रहस्य का पर्दाफाश नहीं हो सका है । प्रदेश की राजधानी में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए और जनता की कठिनाइयों को देखते हुए पुलिस को मैजिस्टीरियल पावर देने में शासन को क्या कठिनाई आ रही है, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पाल साहब ने लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के बारे में प्रश्न किया है । वैसे तो पुलिस आयोग की रिपोर्ट में यह बात थी कि जितने 5 लाख की आबादी वाले नगर हैं वहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाय ।

नोट :– † अल्पसूचित ता० प्रश्न सं०–1 अल्पसूचित ता० प्रश्न सं०–2 के उपरान्त लिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस संबंध में पहले भी विचार किया गया, सरकार ने कई बार विचार किया लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। जहां तक इस प्रणाली को लागू किये जाने का प्रश्न है, इस प्रणाली के पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें कही जा रही हैं। हमारे यहां पुलिस और मजिस्ट्रेट की जो प्रणाली है, यह दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं यह भी इसमें कहा जा रहा है कि अगर पुलिस को अकेले यह अधिकार दे देंगे, मैजिस्टीरियल पावर दे दिये जायेंगे तो कदाचित वह ज्यादा न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिये इस प्रणाली के पक्ष तथा विपक्ष दोनों को देखकर इस प्रणाली को लागू न करने का निर्णय लिया गया है। इस समय यह प्रश्न विचाराधीन भी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी को जानकारी है कि किसी स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि 5 लाख की आबादी वाले जो नगर हैं वहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाय। यदि इस तरह का निर्णय लिया गया है तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने में कौन सी व्यावहारिक कठिनाई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने यह सिफारिश की थी और उसी आधार पर पूरे देश में जो 5 लाख की आबादी वाले नगर हैं उनमें यह लागू होना था। करीब 57 शहर देश में ऐसे हैं और प्रदेश में 9 शहर ऐसे हैं जहां पर यह लागू होना था। 1978 में कानपुर में उक्त प्रणाली को लागू करने पर विचार भी किया गया लेकिन अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जो व्यवस्था है सरकार उसी को सन्तोषजनक मानती है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आई० ए० एस० के दबाव में इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं। जनता के हितों को देखते हुए तमाम राजधानियों में यह प्रणाली लागू है, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद में यह प्रणाली लागू है। प्रदेश के जो केवाल टाउन्स हैं, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। मैं सबमें यह लागू करने की बात नहीं कर रहा हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने और उन्हें मैजिस्टीरियल पावर देने में क्या दिक्कत है ? आज तमाम लोगों को अदालत जाना पड़ता है। यदि इसको लागू किया जाता है तो तत्काल फाइन होगा और छूट जायेंगे।

सरकार जनता के हित की बात करती है, आई० ए० एस० के दबाव में कि आई० पी० एस० को मैजिस्टीरियल पावर न मिल जायं यह लागू नहीं हो पा रहा है। इस प्रणाली को लागू करने में क्या दिक्कत है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस प्रणाली के पक्ष में और विपक्ष, दोनों में तर्क है। पक्ष में यह कहा जा रहा है कि यदि पुलिस को मैजिस्टीरियल पावर दे दिये जायेंगे तो विलम्ब कम होगा लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि पुलिस के हाथ में अधिकार देने से उसके मनमाने ढंग से निर्णय लेने की सम्भावना हो जायगी जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। वर्तमान प्रणाली में मैजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों मिलकर काम करते हैं। इसीलिये सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जहां पर यह प्रणाली लागू है, दिल्ली में या बम्बई में, क्या वहां पर अपने अधिकारियों को भेजकर उसका परीक्षण करायेंगे कि क्या यह हित में है या अहित में है ? मान्यवर, अगर न्याय में विलम्ब होता हैं और पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जायगी, तो निर्णय में विलम्ब नहीं होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, इसमें एक पहलू यह भी है कि निर्णय में विलम्ब होगा और दूसरा पहलू यह भी है कि जब अकेले पुलिस को अधिकार मिल जायेंगे, वही चालान करेंगे और वही निर्णय करेंगे, तो इसमें मनमानी कार्यवाही होने लगेगी। मान्यवर 1974 में इसके बारे में प्रारम्भिक विचार हुआ, लेकिन उसके बारे में कुछ प्रतिक्रियायें हुईं, इसलिये शासन में यह प्रश्न विचाराधीन भी नहीं है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न को अधूरा छोड़वा दिया, यह जनहित में नहीं है। मान्यवर, आपने दूसरा प्रश्न ले लिया और पहला प्रश्न छोड़वा दिया, जोकि नियमानुसार पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न लिया जाना चाहिए था।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं, आप बैठिये।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं। मुझे प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया गया।

(घोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इसमें चर्चा कराने में क्या परेशानी है ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता है।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, लिखकर दे दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं, आप बैठिये।

ग्रामीण किसानों को किसान बही का दिया जाना

**2–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव में किसानों को अपने खेत की मिल्कियत के कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं हैं ? क्या भा० ज० पा० शासन में किसानों को जोत बही देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या किसानों को जोत बहियां दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

यह तथ्य सही नहीं है ।

पूर्व की भांति गांवों के किसानों को उनकी आवश्यकता पर राजस्व अभिलेखों से उनके स्वामित्व संबंधी उद्धरण राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं ।

जी नहीं ।

जोत बही योजना 1970 से लागू की गयी जो सन् 1977 में स्थगित कर दी गयी थी । यह उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा 25 सितम्बर, 1992 से किसान बही योजना प्रारम्भ की गयी है ।

किसानों को जोत बहियां नहीं अपितु किसान-बहियां दी जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

* श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, यह किसानों के लिये बड़ा अहम् मसला है । मैं भी खेत और गांव से जुड़ा हूं, किसान हूं । गांवों में किसान के पास कोई ऐसे कागजात नहीं हैं, पढ़े लिखे जमींदार को छोड़कर जिससे यह पता चले कि खेत पर क़ब्जा किसका है, फसल किसकी है, कौन सी है । लेखपाल सदियों से साजिश करके जमींदारों और पूंजीपतियों से पैसा लेकर हेरा-फेरी करते रहते हैं । जमीन किसी की है और कब्जा किसी और को दे दिया जाता है । कुर्की आती है तो किसान भागा-भागा फिरता है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को ऐसे कागजात उपलब्ध कराये जायं ताकि वह अपनी जमीन पर स्वामित्व का एहसास कर सके कि यह खेत मेरे हैं ।

राजस्व अभिलेख की बात कही गई है कि उनसे संबंधित नकल उन्हें दे दी जाती है । मान्यवर, शहर क्या देहात में पटवारी बिना मोहर के फार्म जो छपे हैं, पैसा लेकर 24 साल का कब्जा उसमें दिखा देता है । रजिस्ट्री हो रही है, खेत बिक रहे हैं । क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने की कृपा करेगी ताकि उस तरह की हेरा-फेरी न की जा सके ? तीसरा सवाल यह है कि प्रत्येक वर्ष साजिश के तहत पटवारी मिलकर फर्जी अंगूठा लगवा लेते हैं । अब अंगूठा उसका है कि नहीं यह पता नहीं लगता है । इस तरह से फर्जी तरीके से कर्जा लिया हुआ दिखाया जाता है । किसान अदालत के चक्कर काटता रह जाता है उसे कोई संरक्षण नहीं मिल पाता है तो मान्यवर, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? चौथा प्रश्न यह है कि .....

श्री अध्यक्ष–

सारे प्रश्न एक साथ कर लेंगे । पहले इनका उत्तर आ जाने दीजिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बी० जे० पी० सरकार थी, उसके पहले भी किसानों को जोत बही देने की बात कही गई है । यह वह डाक्यूमेंट हैं जिसे बैंक की किताब की तरह किसान अपने पास रख सकता है क्या कर्ज लिया क्या नहीं इसका भी पता चलेगा ? तो सरकार किसानों को जोत बही देने पर विचार कर रही है ? और कब तक करेगी ?

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय शुक्ल जी ने एक लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया है । आप प्रश्न देखें, आपने पूछा है कि गांव में किसानों को अपने खेत की मिल्कियत का कोई भी कागज उपलब्ध नहीं है । मान्यवर, यदि यह मूल प्रश्न है तो इसका उत्तर हमने दे दिया है । गांव में किसानों को उनके जोत संबंधी अभिलेख समय-समय पर प्राप्त कराते रहते हैं । चाहे वह खसरा के हों चाहे खतौनी के हों यह हर किसान के पास मिलते हैं । जब-जब किसी चीज का विक्रय होता है या ऋण लेने की जो बात कही गई है उसमें प्रत्येक जोत धारक ऋण लेते हैं ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है जिस तरह से किसान बही की मांग माननीय सदस्य द्वारा की गयी है । यह अलग बात है । किसान मालिक तो कहा जाता है लेकिन मालिकाना हक उसके पास नहीं होता है सारे दस्तावेज अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ में होते हैं जब चाहे मनमाने ढंग से एक का नाम काटकर दूसरे का नाम लिख देते हैं ।

तमाम विवाद ऐसे ही खड़े होते हैं तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, कि किसान के हाथ में मालिकाना हक हो ताकि अनावश्यक विवाद खड़ा करने के लिये, अनावश्यक हेराफेरी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा न की जा सके ?

श्री बाबू राम यादव–

जहां तक हेराफेरी की बात है तो हेराफेरी करने वालों को सजा मिलती है लेकिन किसानों के पास ऐसे अभिलेख रहें यह जो कहा गया तो उसके लिये जोत बही और किसान बही, जैसा शुक्ल जी ने पूछा जोत बही का प्राविधान 1992 में किया गया है । जोत बही के संबंध में बताना चाहूंगा कि जोत बही स्थगित कर दी गई है ।

मान्यवर, दि० 27-8-92 को जोत बही को स्वीकार किया गया और जारी की गई । मुझे हिचक होती है कहने में, कोई भी शासनादेश विधिक मान्यता के लिये शासन द्वारा नहीं किया गया जबकि उसको पहले विधिक मान्यता दी जानी चाहिये थी । लेकिन शासनादेश जारी कर दिया गया । दस-बीस किताबें बांट दी गईं । किसान बहियां छपाई गईं उसकी कीमत 7 रुपये 20 पैसे और ट्रांसपोर्टेशन अलग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था । उसके बाद जो छपवाई गई उसकी कीमत 6 रुपये 68 पैसे थी यह कीमत विद ट्रान्सपोर्टेशन थी । दो करोड़ रुपया सरकारी खजाने से खर्च होना था । शासन की मंशा है कदाचित यह किसानों को और जिलों में बांटी जायें जो बांटी जा रही हैं ।

1992 से अब तक बांटी जा सकती थी लेकिन पिछली सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी दो करोड़ किसान थे दो करोड़ की बचत का मामला था सरकार चली गई घपला हो गया अब यह छापी जा रही हैं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने घपले की बात कही है । मान्यवर, दिखवा लें सभी जिलों को एक-एक तहसील ले करके बांटने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जब हमारी सरकार थी । मैं दो बातें जानना चाहता हूं किसानों को जोत बहियां नहीं किसान बहियां दी जा रही हैं । पिछले 4 महीनों में कितने जोतदारों को यह बहियां बांटी गईं ? कितने तहसीलों का आपने चयन किया या पूरे के पूरे जिले का एक तरफ से चयन किया ? आपके स्टाक में कितनी बहियां हैं और इन चार महीनों में कितनी बहियां बांटी गईं ? आपने जो विधिक मान्यता संबंधी शासनादेश की बात कही, मैं इसका प्रतिवाद करता हूं, लेकिन मैं बहस में नहीं जाना चाहता ।

मैं किसान के हित की बात करना चाहता हूं । किसानों के पास उपयोगी दस्तावेज देने संबंधी शासनादेश जारी नहीं हुआ है । हमने शासनादेश न जारी करने की अगर गलती की है, लेकिन आपको तो अपने उत्तर में यह दर्शाना चाहिये था कि किसानों को किसान बही मिलनी चाहिये । किसान बही पिछले चार महीनों में कितनी बांटी गई ? विधिक मान्यता संबंधी शासनादेश कब तक जारी करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री गुप्ता जी ने पहले की बात का खण्डन किया है, लेकिन मेरे पास इसकी सत्यता के लिये आंकड़े मौजूद हैं । जिसमें मोटे-मोटे हिसाब से एक करोड़ आठ लाख अस्सी हजार रुपये की हेराफेरी हुई है । अब इसके लिये शासनादेश जारी हो गया है । जो किताब आपने छपवाई है, वह क्वालिटी में सही नहीं है और लागत प्रति किताब 7.20 रुपये है । जबकि अब जो किताब छपवाई गई है उसकी लागत 6.68 रुपये है । यह कांस्ट ट्रांसपोर्टेशन लागत मिलाकर है ।

विधिक मान्यता हो गई है । श्री गुप्त जी तो सदन के रत्न हैं, इनको सोच समझ कर खण्डन करना चाहिये । आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । मैं अध्यक्ष के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि खण्डन शब्द आप वापस ले लें । हमारे पास सारी रिपोर्ट मौजूद है । एक करोड़ 8 लाख 60 हजार का घपला हुआ है, इसलिये यह योजना नहीं चल पाई ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त–

खण्डन शब्द वापस लेने का सवाल नहीं है । यह राजनीति से प्रेरित शब्द है किसानों की मूल समस्या से ध्यान ओझल करने के लिये यह बात आपने कही है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामदास पाल–

इन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई से दो करोड़ रुपये का घपला किया है । इस पैसे का इनसे हिसाब लिया जाय ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के ग्रामगत ग्रामों के किसानों को वन विभाग द्वारा कृषि हेतु दी गयी भूमि का स्वामित्व देने की योजना

*1–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद में विकास खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत सत्तीवाला, माधोवाला, चाण्डी प्लान्टेशन गुमानीवाला एवं बापू ग्राम आदि गांवों में किसानों को वन विभाग द्वारा लीज एवं भूदान यज्ञ समिति द्वारा भूमि कब दी गयी थी ? क्या उक्त गांवों के किसानों को भू-स्वामित्व देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

वन प्रभाग, देहरादून द्वारा वानिकी कार्यों में लगे मजदूरों को वर्ष 1935 में सत्तीवाला व माधोवाला में, वर्ष 1965 में चाण्डी प्लानटेशन, वर्ष 1992 में गुमानीवाला में, वनीकरण कार्य के साथ-साथ कृषि कार्य हेतु दी गयी । बापूग्राम में वर्ष 1968 में प्रसिद्ध समाज सेविका मीरा बहन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये वीरभद्र सामूहिक सहकारी समिति को विशिष्ट कार्यों के लिये लीज पर दिया गया था । भू-दान यज्ञ समिति द्वारा कोई भूमि नहीं दी गयी ।

वर्तमान में उपरोक्त क्षेत्रों के किसानों अथवा अन्य किसी संस्था/व्यक्ति को भू-स्वामित्व देने की योजना नहीं है । वन भूमि के स्वामित्व का हस्तान्तरण भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार बिना केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के सम्भव नहीं है ।

* श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि वन प्रभाग देहरादून द्वारा वानिकी कार्यों में लगे मजदूरों को वर्ष 1935 में सत्तोवाला व माधोवाला में, वर्ष 1965 में चाण्डी प्लान्टेशन और वर्ष 1992 में गुमानीवाला में वनीकरण कार्य के साथ-साथ कृषि कार्य हेतु भूमि दी गयी थी, तो मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि उन लोगों को अभी तक राजस्व अधिकार क्यों नहीं दिये गये और उनको राजस्व अधिकार न प्राप्त होने से न वह कर्जा ले पा रहे हैं और न किसी की जमानत ले पा रहे हैं और इसके साथ ही साथ सहकारी समितियों से खाद, बीज भी नहीं ले पा रहे हैं । अगर कोई सिंचाई योजना स्वीकार की जाती है, जिससे उनकी भूमि की सिंचाई हो सके तो वन विभाग अड़चनें पैदा करता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी प्रकार से मान्यवर, बापूग्राम में वर्ष 1968 में प्रसिद्ध समाज सेविका मीरा बहन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये वीरभद्र सामूहिक सहकारी समिति को भूमि लीज पर दी गयी थी, उस संस्था की पूरी जमीन पर किसानों के मकान बन गये हैं और आज तक उन्हें राजस्व अधिकार नहीं मिले हैं। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या प्रयास किये गये हैं कि उनको राजस्व अधिकार प्राप्त हो जाये ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, वन विभाग के द्वारा जो जमीन श्रमिकों को दी गयी थी; वह केवल वन संरक्षण के लिये दी गयी थी। पौधों की कतारों में कृषि कार्य कर सकते थे और उसकी रखवाली के लिये झोपड़ी बना सकते थे, लेकिन लीज की शर्तों का किसी ने पालन नहीं किया और इस कारण वन विभाग को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और वह वहां जीत गये, लेकिन उनके कब्जे हटाने में ला एण्ड आर्डर की स्थिति को देखते हुए उन्हें हटाया नहीं गया है और अब उसको लीज पर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यदि इनको हटाया गया तो कहीं पर इनको पुनर्वासित कर दिया जायेगा ? क्या पुनर्वासन की कोई योजना है ?

श्री बाबू राम यादव–

किसानों को तो हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन जो जमीन लीज पर दी गयी थी, उससे बेदखल कर दिया गया है सारी जमीन से नहीं किया गया है, जो पुनर्वास किया जाये।

श्री अकबर अली–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो जमीन भूदान यज्ञ समिति को दी गयी थी, क्या उसको राजस्व अधिकार दे दिये गये हैं, उस जमीन पर जो लोग काबिज चले आ रहे हैं उनको राजस्व अधिकार दे दिये गये हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

इस प्रश्न से उसका कोई संबंध ही नहीं है। आप अलग से प्रश्न पूंछ ले, तो बता देंगे।

[गुरुवार दि० 21-4-94 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में गांव पंचायत/ब्लाक प्रमुख/जिला परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानों/ब्लाक प्रमुखों/जिला परिषद् सदस्यों का कार्यकाल और बढ़ाया जायेगा ? यदि नहीं, तो इसके चुनाव कब तक व किस प्रणाली से होंगे ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

जी हां । अधिसूचना दिनांक 15-4-94 के द्वारा गांव पंचायतों/ब्लाक प्रमुखों/जिला परिषद् सदस्यों का कार्यकाल 23 अप्रैल, 1995 तक बढ़ाया गया है, तथा उक्त पंचायतों के चुनाव नई प्रणाली के आधार पर यथाशीघ्र कराये जायेंगे ।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में दो बातों की जानकारी करना चाहता हूं । एक तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न था कि इसके चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र तो साल भर भी हो सकता है और दो साल भी हो सकता है इसके कोई मायने नहीं हैं ? दूसरी चीज जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्षेत्र समितियों और ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया और अब तक कितनी बार और कितने समय तक के लिये बढ़ाया गया है और यह किस प्राविधान के तहत बढ़ाया गया है ?

* श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन्, प्रश्न के उत्तर में यह है । श्रीमन्, 23-4-1995 तक नई गांव सभाओं के गठन तक जो भी पहले होगा, आदेश जारी किये गये हैं । इसको 1995 तक जो बढ़ाया गया है उसके पहले ही, उसके अन्दर ही हम करा देंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

श्रीमन्, नियमों का उल्लेख कर दें किस प्राविधान के तहत अधिसूचना जारी कर दी गयी है अक्तूबर, 1993 में कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद किन प्राविधान और नियमों के अन्तर्गत इसे 23 अप्रैल, 1995 तक बढ़ा दिया गया है ?

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन्, यह तो साफ है कि यह अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को है और उसी के तहत इसको एक साल तक बढ़ा दिया गया है । इसमें साफ कहा गया है कि इसे अप्रैल, 1995 तक बढ़ाया गया है इसे हम अक्तूबर में भी करा सकते हैं और बाद में भी करा सकते हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अक्तूबर, 93 में क्षेत्र समितियों और ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल पूरा हो गया तो उसे बढ़ाया गया, दूसरी बार अक्तूबर, 94 तक बढ़ाया गया तो मेरा कहना है कि किस प्राविधान के तहत माननीय मंत्री जी या राज्य सरकार ने कौन से प्राविधानों के अन्तर्गत यह अधिसूचना जारी कर दी है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन्, जिला परिषदों का कार्यकाल धारा 20 जिला परिषद् अधिनियम क्षेत्र समिति तथा 12 प अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो स्पष्ट हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ब्लाक प्रमुखों और क्षेत्र समितियों का कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कोड कर दिया है जिन नियम के अन्तर्गत बढ़ाया है, उसको कोड कर दिया है। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जब तक सम्यक उत्तर न आवे तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

एक घंटे तक एक प्रश्न नहीं होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, क्षेत्र समितियों और ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल एक साल से ज्यादा बढ़ाने का अधिकार ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो समय बढ़ाने की बात की है वह उनका अधिकार है और अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह जो समय बढ़ाया गया है जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों, पंचायतों का, तो क्या इस बढ़ायी हुयी अवधि के पहले ही चुनाव कराने की सुनिश्चित घोषणा करेंगे ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, हमने प्रश्न के जवाब में ही साफ कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो समय लिया गया है, एक साल लिया गया है, उसके अन्दर ही, हमारी व्यवस्था ठीक हो जायेगी, चुनाव करा देंगे।

जनपद खीरी के विकास खण्ड निघासन एवं पलिया में कृषकों वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जबरन वसूली का प्रकरण

*2-श्री निरवेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड निघासन एवं पलिया में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जबरन वसूली की अदायगी भूमिहीन मजदूरों तथा कृषकों द्वारा न कर पाने की स्थिति में गरीब अशिक्षित जनता पर फर्जी मुकदमें कायम करा दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है ? क्या उक्त प्रकरण की महत्ता एवं जनहित की दृष्टि में कोई कमेटी गठित कर इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां,तो कब तक ?

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

* श्री निरवेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में दिया है कि ऐसे प्रकरण जानकारी में नहीं है । मंत्री जी इसी 14 फरवरी को निघासन तहसील में गये थे, उसका वीडियो कैसेट है और तमाम जगह आपके द्वारा भाषण हुए, इस प्रकार के तमाम प्रकरण प्रकाश में लाये गये और यह कहा गया कि इसकी जांच करा ली जायेगी । मान्यवर, फर्जी मुकदमें गरीबों पर लादे गये हैं । हमने 12 अप्रैल को वनकटी में जो वन माफियाओं और वन अधिकारियों के द्वारा जो लकड़ी तिकौनिया के गोदाम में स्टाक थी, उसके संबंध में वन मंत्री को बताया था । उसके बाद भी यह तरह-तरह के मुकदमें गरीबों पर लाद दिये जाते हैं.।

वन अधिकरियों की जानकारी में वन माफिया लकड़ी कटवाते हैं । अब मंत्री जी का यह उत्तर आया है कि यह जानकारी में नहीं है । यह पर्यावरण से संबंधित मसला है । वन माफिया और वन अधिकारी जंगल की लकड़ी कटवाते हैं और गरीबों पर फर्जी केस लगा दिये जाते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन करके, जनप्रतिनिधियों की, क्यों न सत्यता प्रकाश में लायी जाय । इसमें हमारी पार्टी की बदनामी कहां हैं ? नेकनामी है । एक कमेटी का गठन करके दूध का दूध और पानी का पानी करवा दिया जाय ।

श्री भगवती सिंह–

अतिक्रमित भूमि खाली कराने के संबंध में जो मुकदमें माननीय न्यायालय में है, उनके फैसले माननीय न्यायालय करेगी कि उसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है ? जहां तक कमेटी बनाने की बात है, कोई इसका औचित्य नहीं है कि इसके लिये कोई कमेटी गठित की जाये ।

श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना–

जहां गरीबों का मसला है वहां यह कहा जा रहा है कि यह जानकारी में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना जी, माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं उनका फैसला न्यायालय करेगी जो कमेटी के बारे में आपने पूछा उसके बारे में बता दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुन्ना जी ने बड़े ही गम्भीर प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । जो वन माफिया हैं उनके द्वारा लकड़ी कटवायी जाती है उसमें गरीबों के खिलाफ मुकदमें बनवाये जाते हैं । उस संबंध में माननीय मुन्ना जी की मंत्री जी से बात हुई, सारी बात उनकी जानकारी में रख दी गयी, उसका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कैसेट रखा है । जिन-जिन प्रकरणों पर माननीय मुन्ना जी से बातचीत हुई है उन प्रकरणों के लिये एक समिति बनाने से मुकर क्यों रहे हैं ?. दूसरे यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि किसी प्रकरण पर न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं सरकार निर्णय लेकर उन मुकदमों को वापस लेने की कार्यवाही कर सकती है । अगर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गयी है कि जो मुकदमें कायम किये गये थे उनका कोई औचित्य नहीं था तो क्या माननीय मंत्री जी उन मुकदमों को वापस लेने पर विचार करेंगे ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि माननीय न्यायालय के विचाराधीन जो प्रकरण है उनमें क्या सत्यता है और क्या असत्यता है इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगी और जहां तक माननीय सदस्य ने कमेटी बनाने की बात कही है तो इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दे दें ।

श्री भगवती सिंह–

जहां तक निरवेन्द्र कुमार मुन्ना वाली बात है अगर उन्होंने कोई स्पष्ट और निश्चित मामला प्रकाश में लाया होता जिसके आधार पर यह कहा जाय कि अमुक मामला झूठा है तो उस मामले की जांच की जाती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संदर्भ में जानना चाहूंगा । मान्यवर, मुकदमा तो विभाग ने दायर किया है और उसके बाद प्राग्दर्शन में मामला आया कि मुकदमा गलत दायर हो गया है तो इस बात को स्वीकार कर लेने में क्या हानि है कि एक कमेटी बना दी जाये और उस कमेटी से उसका पुनरीक्षण कराया जाये और यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसको वापस लेना चाहिये तो इसमें विभाग की हेठी नहीं होनी चाहिये । विभाग में मुकदमा दायर किया गया और उसके बाद कोई तथ्य आ गये और जनप्रतिनिधि उस पर बल दे रहा है तो शासन की क्या नीति है इस पर विचार कर लें ?

श्री भगवती सिंह–

अगर कोई निश्चित मामला, निश्चित तथ्यों के साथ प्रकाश में आये तो उस पर विचार किया जा सकता है । मगर खाली यह कह देना कि असत्य है और निराधार है उसे वापस ले लें या कमेटी गठित कर दें यह युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मानीनय मंत्री जी ने माननीय सदस्य, निरवेन्द्र कुमार मुन्ना जी द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि उन्होंने कोई विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी गये थे तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने हस्ताक्षर से दरख्वास्तें दी थीं कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उन दरख्वास्तों पर जांच

करायी और यदि जांच करायी तो जो निर्दोष पाये गये उसके संबंध में क्या कार्यवाही की ? दूसरा यह नीतिगत मामला है।

माननीय मंत्री जी के संज्ञान में कोई उल्लेख न हो तो पूरे प्रदेश में जो वन माफिया हैं, उनके जो कैरियर हैं, उन्हीं कैरियर के खिलाफ कार्यवाही होती है और वन माफियाओं के खिलाफ नहीं होती है। यह नीतिगत मामला है और पूरे प्रदेश में बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न आ गया है। मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, जहां तक वन माफियाओं का सवाल है आगर कोई भी प्रकरण प्रकाश में आता है तो वन अधिनियम जो है उसके अन्तर्गत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। जो बिन्दु उठाये गये हैं माननीय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा इनके संबंध में मैंने पहले भी कह दिया है कि अगर कोई ऐसा स्पष्ट और विशिष्ट मामला प्रकाश में आये तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरा एक सवाल है, बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। मैं अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप अनावश्यक विघ्न न डालिये और अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं सबको अनुमति नहीं देता। आप खड़े रहिये, आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जनपद लखनऊ स्थित ग्राम सभा अटेसुल इटौंजा की ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण

*3-श्री पारस नाथ यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अटेसुल, इटौंजा, लखनऊ की ग्राम समाज भूमि पर वन विभाग द्वारा टेसर योजना के अन्तर्गत 1986 में 10,000 पौधों का रोपण किया गया ? क्या अनुबन्ध के आधार पर 1989 में उक्त रोपित पौधों को ग्राम सभा को वन सहित हस्तान्तरित किया जाना था परन्तु वन विभाग द्वारा फरवरी, 1994 तक हस्तान्तरित नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

वृक्षारोपण ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर कराया गया था जिसमें हस्तान्तरण की समय सीमा निर्धारित नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

* श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की भूमि जब आवंटन के लिये ली जाती है तो अनुबंध 3 वर्ष के लिये किया जाता है, यदि हां,तो सन् 1989 में किये गये वृक्षारोपण के बाद, 5 साल बाद बीत जाने के बाद भी, अभी तक ग्राम सभा को यह वापस क्यों नहीं की गयी ।

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, सामान्यतः वृक्षारोपण क्षेत्र 3 वर्ष में ग्राम समाज को सौंप दिया जाता है, लेकिन यहां अर्जुन के पेड़ थे और प्राकृतिक कारणों से इनकी बढ़त अच्छी नहीं थी, इसलिये यह ग्राम समाज को वापस नहीं किये गये । जैसे ही यह दोहन योग्य हो जायेंगे, ग्राम समाज को वापस कर दिये जायेंगे ।

श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सीलिंग की भूमि, ग्राम समाज की जमीन, जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटन होनी थी और आवंटन हो भी चुकी थी, लेकिन ऐसे लोगों द्वारा जिनकी जमीन सीलिंग में निकली थी, वन विभाग से मिलकर, जिससे पट्टे वालों को कब्जा न मिल सके, वन विभाग में गजट कराकर कब्जा किये हुए हैं, क्या वह जमीन वन विभाग से छुड़ाकर पट्टेदारों को दी जायेगी ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के ग्राम रतसिया तप्पा बलिवन में कथित भूमि का बैनामा एवं नामान्तरण का मामला

*4–श्री विश्वनाथ (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रतसिया तप्पा बलिवन, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में खाता संख्या 292 गाटा संख्या 740 रकबा 3.92 एकड़ में से 3.20 एकड़ का बैनामा सन् 1984 में हुआ था जिसका नामान्तरण दिनांक 30-9-93 को हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह फ्रैगमेंट के विक्रय एवं नामान्तरण आदेश के संबंध में उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 168 क के उल्लंघन के कारण कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

1984 में कथित भूमि का कोई बैनामा नहीं हुआ और न ही नामान्तरण के सबंध में 30-9-93 को कोई आदेश ही हुए हैं ।

*5–श्री बालेश्वर त्यागी–

[8 वें शुक्रवार में ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड धानी, बृजमनगंज, फरेन्दा में नीलगायों द्वारा किसानों की फसल को नष्ट किया जाना

*6–श्री शिवेन्द्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड धानी, बृजमनगंज, फरेन्दा में नील गायों द्वारा किसानों की फसल चौपट की जा रही है ? यदि हां, तो फसल की हानि को रोकने हेतु क्या सरकार इन नील गायों को पकड़वाकर अभ्यारण्य में छोड़ने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां, नीलगायों (वनरोजों) द्वारा किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

जी नहीं । नील गायों (वनरोजों) को अभ्यारण्य में छाड़ने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री शिवेन्द्र–

मान्यवर, नीलगायों द्वारा की जा रही क्षति, को छिटपुट कहकर बात को टाला जा रहा है, इस संबंध में आप क्या निर्णय दे रहे हैं ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, नीलगायों और वनरोजों की समस्या बहुत जटिल हो गयी है और किसान की फसल का 75 प्रतिशत ये नीलगायें खा जाती हैं। इनका सफाया करने के लिये जो अध्यादेश वर्तमान में है, वह पर्याप्त नहीं है, क्या इनके सफाये की सम्पूर्ण व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी यदि नहीं, तो क्या इसी तरह किसानों का शोषण जारी रहेगा ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, नीलगायों के शिकार के लिये जिलाधिकारी और वन संरक्षक को अधिकार दिया गया है कि वह परमिट निर्गत करें।

श्री शिवेन्द्र–

मान्यवर, यह जो शिकार की बात कही जा रही है, लेकिन शिकार पर प्रतिबन्ध है तो उसका शिकार कैसे किया जायेगा ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, शिकार पर प्रतिबन्ध है, लेकिर परमिट लेकर मारने का प्राविधान है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह सिर्फ महराजगंज जनपद के तीन ब्लाकों के लिये प्रश्न है, वैसे नीलगायों का आतंक पूरे प्रदेश में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीन ब्लाकों के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है कि यहां कितनी नीलगाय और उसके बच्चे हैं, यदि कराया है तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भगवती सिंह–

श्रीमन्, ब्लाकों के सर्वेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश में जो सर्वेक्षण हुआ है उसके आधार पर करीब दो लाख वनरोज हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नीलगायों के वध करने के लिये परमिट की व्यवस्था की गयी है, उसके नियम क्या हैं और अब तक प्रदेश में कितने परमिट जारी किये गये हैं और उन परमिट धारकों ने कितनी नीलगायों का वध किया है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये, क्या सबको एक साथ बोलवा दूं ?

श्री भगवती सिंह–

यह तो इस समय नहीं बता सकूंगा कि कितने परमिट ईशू किये गये हैं लेकिन यह जानकारी है कि करीब तीन सौ वन रोज पिछले तीन महीनों में मारे गये हैं।

(श्री किरन पाल सिंह जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं अन्तिम प्रश्न पुछवा रहा हूं। मैं सबको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री समर पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परमिटों का मापदण्ड क्या है। मुरादाबाद जिले में इनका सबसे ज्यादा आतंक है, इन्हें नील गाय कहते हैं, वनरोज कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि यह वन, घोड़े हैं, कोई नीति है कि परमिट कैसे दिये जाते हैं, किसी के पास बन्दूक नहीं है अगर बन्दूक नहीं है तो मारेंगे कैसे ? पर्याप्त परमिट का औचित्य क्या है ? मेरी सरकार से मांग है कि इनके पूरे सफाये की व्यवस्था की जाय।

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, परमिट मिलने में कोई असुविधा नहीं है और बड़ी आसानी से जो भी लेना चाहते हैं परमिट दिया जाता है। यह संवेदनाशील मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आपने चर्चा के लिये, इस पर सब लोग बोलेंगे क्या ?

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि वैसे प्रदेश में नील गायों द्वारा किसानों की फसलों का नुकसान किया जाता है लेकिन यह बता दें कि नील गायों द्वारा जिन किसानों की फसलों का नुकसान किया जाता है तो क्या वन विभाग सर्वे कराकर उन किसानों को वन विभाग द्वारा मुआवजा दिये जाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, क्या यह सम्भव नहीं है ?

श्री भगवती सिंह–

यह असम्भव नहीं है।

(एक साथ कई सदस्य बोलने लगे)

* श्री धनराज यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। माननीय मंत्री जी ने बताया कि समस्या यह है और जानकारी में भी है कि अभ्यारण्य में छोड़ने की कोई योजना नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्हें मारने के लिये परमिट दिया जायगा। मान्यवर, जो नील गाय है, वनरोज या वन घोड़े हैं, इनसे किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं, किसान हाहाकार कर रहा है, वह इन्हें मारने के लिये मजबूर हैं। तो क्या यह सरकार की अभ्यारण्य में इन्हें पकड़वा करके डालने की योजना असम्भव है ? दूसरा प्रश्न यह है कि भले ही यह वनरोज कहे जाते हैं या जंगली घोड़े कहे जाते हैं एवं जनता में नील गाय के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनके पकड़ने एवं मारने के जो परमिट का प्राविधान है वह परमिट लोगों को देंगे और अगर उनको मारते समय कभी भी किसी समय किसी सम्प्रदाय से विवाद या झगड़ा हो जाता है तो उसके लिये कैसी व्यवस्था करेंगे, इसका उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आपने भी वही प्रश्न पूछा है जो है।

श्री भगवती सिंह–

यह सम्भव नहीं है, कि इन्हें पकड़वा करके अभ्यारण्य में छोड़ दिया जाय। मान लें किसी तरह से दो-चार, दस, बीस सौ, पचास को पकड़वा करके अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया तो वह हमारा निर्देश मानेंगे नहीं, फिर खेतों की ओर भाग जायेंगे, इसलिये मान्यवर, यह प्रयास अव्यावहारिक है।

श्री अध्यक्ष–

सब लोग नहीं बोलेंगे। उत्तर आ गया है, श्री वर्मा जी अन्तिम प्रश्न।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बहुत अच्छा सवाल है। माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि परमिट की प्रथा चालू है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परमिट की प्रणाली को सरल रूप देते हुए क्या इस बात की व्यवस्था कर देंगे कि कोई शिकारी है उनका शिकार करना चाहता है और इसकी मात्र सूचना डी० एम० को देता है, तो उसको अधिकारी मान लिया उस शिकार का ?

श्री अध्यक्ष–

क्या सम्भव नहीं है ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। अभी एक माननीय सदस्य कह भी रहे थे कि इन्हें नील गाय माना जाता है। जब कभी भी परमिट दिया जाता है तो इस पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे कहीं शांति व्यवस्था न बिगड़ जाय।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग पूंछ चुके हैं। कृपा करके आप बैठ जायं। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, बहुत ही अहम प्रश्न है । किसानों की फसल नष्ट हो रही है । इसलिये आप नियम 49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा स्वीकार कर लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या कभी किसी ने नियम 52 के बारे में सोचा ? किसी ने नियम 52 के अन्तर्गत अपनी कोई सूचना दी ?

(श्री हृदय नारायण के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री दीक्षित जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, अभी नील गाय के ऊपर यहां सवाल जवाब हो रहे थे, पहले भी इस विषय पर यहां सवाल जवाब हुए हैं । अभी भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य, जो मंत्री भी रहे हैं, ने बताया.....

(श्री किरन पाल सिंह जी के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपके दल के पांच लोगों को मैं बुलवा चुका हूं । सभी लोगों को नहीं बुलवाऊंगा । आप जिद्द करते हैं । कृपा करके आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान) लिखा नहीं जायेगा ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, माननीय सदस्य नाराज हो गये । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि अगर उनको पकड़ कर जंगलों में ले जाकर छोड़ देंगे तो वह वहां रुकेंगी नहीं । तो क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी से सलाह लेकर उनकी नशबंदी करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

क्या यह सम्भव है ? (हंसी) (कोई उत्तर नहीं आया)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी के कथन से मिलता जुलता मेरा भी सवाल था क्योंकि माननीय मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा यह संवेदनशील विषय है क्योंकि उन जानवरों को कुछ लोग हिन्दू भाई गाय समझते हैं । तो उनको मारने के बजाय जैसा कि हमारा विज्ञान प्रगति पर है इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से कोई सुझाव हो कि वह बांझ हो जायं और आगे उनकी पैदावार बंद हो जाय, यही मैं कहना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय मंत्री जी यह सम्भव है कोई वैज्ञानिक टीम बुलाकर ऐसा हो सकता है ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य व्यावहारिक सुझाव देंगे तो उस पर जरूर विचार होगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(प्रश्न संख्या–8 पुकारने पर) नहीं अब मैं इस पर नहीं सुनूंगा ।

*7–श्री बी० के० गुप्ता–

[दि० 31-3-94 को ता० प्र० सं०–12 द्वारा उत्तरित]

श्रीलंका में उत्तर प्रदेश के मृत सैनिकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

*8–श्री लल्लू सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीलंका में मारे गये शान्ति सैनिकों में उ० प्र० निवासी कितने भारतीय सैनिक थे ? उनके नाम व पते क्या हैं ? मृतक सैनिकों के परिवारों को उ० प्र० सरकार ने क्या-क्या सुविधायें दी हैं ? क्या और सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री सुन्दर सिंह बघेल)–

श्रीलंका में मारे गये भारतीय शान्ति सैनिकों में 229 सैनिक उत्तर प्रदेश के निवासी थे ।

उनके नाम व पते परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। †

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक सैनिक के आश्रितों को रु० 5,000 प्रति पात्र की दर से आवासीय सहायता और रु० 15,000 प्रतिपात्र की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लल्लू सिंह–

मान्यवर, जिन सैनिकों ने देश के लिये अपनी जान दी और अपने को शहीद कर दिया उनके परिवारजनों को जो धनराशि प्रदान की गयी है वह बहुत कम है और उनकी संख्या भी बहुत कम है तो क्या और अधिक सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मान्यवर, पूर्व में ही सहायता दी जा चुकी है इस वक्त सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें उनको सहायता दी जाय।

*9–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

[दि० 24-3-94 को ता० प्र० सं०–14 द्वारा उत्तरित]

जनपद इलाहाबाद में पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन देने की मांग

*10–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन देने का आधार क्या है ? इलाहाबाद शहर एवं जनपद में कितने लोगों को यह पेंशन दी जा रही है ? क्या सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने की निम्नलिखित पात्रतायें हैं —

अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि हीन अथवा उसके पास 2½ एकड़ तक भूमि हो। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी मासिक आय समस्त स्रोतों सेरुपये 225 तक हो। पति पत्नी दोनों में से केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन देय होगी किन्तु महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। जिन्हें अन्य स्रोतों से पेंशन मिल रही हो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। वृद्धावस्था पेंशन के लिये निराश्रित वह व्यक्ति है जिसका 20 वर्ष या उससे

नोट :– † छापी नहीं गयी।

अधिक आयु का पुत्र तथा पुत्र का पुत्र नहीं है और यदि है तो आर्थिक विपन्नता में है या सहायता करने में असमर्थ है ।

इलाहाबाद जनपद में कुल 18.740 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन की जो पात्रता की सीमायें बतायी है वह किस वर्ष से लागू की गयी हैं और कई वर्ष बीत जाने के बाद क्या पात्रता की सीमाओं को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ?

दूसरा प्रश्न है कि इलाहाबाद में वृद्धावस्था पेंशन प्राफ्त करने में कई अनियमिततायें पायी गयी हैं, दो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

*श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मान्यवर, जहां तक मासिक आय 225 रुपये की बात है तो वह पूर्व से निश्चित है और इसमें आयु सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ।

इलाहाबाद में पेंशन में अनियमितता यदि है तो उसकी निश्चित तौर पर जांच कराई जायेगी ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है ।पात्रता की शर्तों को बढ़ाने के संबंध में नहीं बताया है। दूसरे इलाहाबाद में जो अनियमितता थी उसकी जांच करायी गयी लेकिन क्या कार्यवाही की गयी उसको नहीं बताया ? तीसरा प्रश्न है इलाहाबाद में 18.740 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में ऐसे कितने पात्र व्यक्ति हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मान्यवर, मैं मा० सदस्य को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में यदि कोई जांच हुई है तो उसमें निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी ।

जहां तक नयी पेंशन पात्र लोगों की बात है तो अभी 3,300 लोगों के लिये पेंशन स्वीकृत करने पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जैसा बताया गया है कि असहाय या वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों के सैकड़ों प्रार्थना पत्र अनेक वर्षों से कार्यालयों में लम्बित पड़े हैं, इसलिये क्या शासन इसकी जांच कराएगा ? दूसरा प्रश्न यह है कि कम से कम 5 वर्षों से यह पेंशन प्राप्त करने हेतु गढ़वाल और चमोली के लोगों के जो प्रार्थना पत्र कार्यालयों में पड़े हैं उनमें पात्र लोगों का क्या तत्काल मंत्री जी पेंशन दिलाने का काम करेंगे ?

तीसरा प्रश्न यह है कि विधवाओं के विगत अनेक वर्षों से सैकड़ों प्रार्थना पत्र पेंशन प्राप्त करने हेतु पड़े हैं और पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित हैं, इसलिये क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि एक निश्चित अवधि में उनको पेंशन दे दी जाए ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है गत चार-पांच वर्षों में बहुत से प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, कुछ समय पहले आपकी पार्टी का शासन था, उस समय आपको करा देना चाहिए था । जहां तक इस सरकार की बात है, आपने पिछले समय से पेंशन बन्द कर दी थी, जैसे ही नई सरकार आई है रुकी हुई पेंशनें निर्गत कर दी गई हैं और उन्हें मिल भी गई हैं, इस एक अप्रैल से 1 लाख नए लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई हैं ।

श्री ऊदल–

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पिछले दो वर्षों और एक वर्ष में राष्ट्रपति शासन काल में बहुत सी विधवाओं को जो पेंशन मिल रही थीं, बन्द हो गई थी और वे अब भी बन्द हैं, तो क्या आप उनके सम्बन्ध में प्रत्येक जिलाधिकारी को इस तरह का आदेश निर्गत करेंगे कि जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई थीं और कुछ समय तक मिली भी, उनको पुनः पेंशन देने की व्यवस्था की जाए ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जिन विधवाओं को पहले पेंशन मिल रही थीं और जो बीच में बन्द हो गई थीं, उन सबके पेंशन इस सरकार द्वारा निर्गत हो गए हैं । फिर भी यदि किसी को नहीं मिल पा रही है तो माननीय सदस्य उसको हमें बताएं, सरकार उसको देगी ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चार माह पूर्व पूरे प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के कितने प्रार्थना पत्र लम्बित थे और इन चार माहों में उन लम्बित प्रार्थना पत्रों में कितनी वृद्धाओं को पेंशन स्वीकृत हुई और उनको पेंशन देना शुरू कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष-

क्या इस तरह की कोई सूचना मंत्री जी के पास है ? हो तो बता दें ।

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

यह प्रक्रिया चल रही है और पात्र व्यक्ति बुलाए जा रहे हैं। शासन को इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि वह तहसील और ब्लाक स्तर पर कैम्प लगाकर उन पर कार्यवाही करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मैंने संख्या पूछी थी कि कितने प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, उसका उत्तर आया नहीं है ...(व्यवधान)

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

विधवा पेंशन फार्म भरने में गरीब और असहाय व्यक्ति के लगभग सौ रुपये खर्च हो जाते हैं और जब जमा करने के बाद वह पूछने जाती हैं कि उनका फार्म जमा है या नहीं तो उनको पता चलता है कि आपका फार्म जमा नहीं है, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि जो लोग अपनी मेहनत की कमाई लगाकर अपने प्रार्थना पत्र जमा करते हैं, उसका पंजीकरण कराने की सरकार कृपा करेगी, क्योंकि उसका अभी तक कहीं, पंजीकरण नहीं होता है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मैंने शुरू ही में कहा है कि इस तरीके के जो वृद्धावस्था और विधवा फार्म हैं उनके निस्तारण के लिए ब्लाक स्तर पर कैम्प आयोजित कराये गये हैं और जो नई पेंशन स्वीकार हुई है उनके बारे में ब्लाक स्तर पर पंजीकृत कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने पंजीकरण की संख्या की बात भी कही है। संभव है कोई लिस्ट हो तो बतायें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी लाइन के कतिपय ग्रामों में धारा धारा के प्रकाशन के विवरण

*11–श्री बचनू राम पटेल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड आराजी लाइन, जिला वाराणसी में कितने गांवों की चकबन्दी प्रक्रिया स्थगित है ? कितने गांवों का धारा 52 का प्रकाशन हो गया है ? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ग्राम संजोई विकास खण्ड आराजी लाइन की चकबन्दी प्रकरण पूर्ण हो गया है अधिकारी किसानों से पैसा वसूलने के बाबत धारा 52 प्रकाशित नहीं कर रहे हैं ? क्या सरकार जिन-जिन गांवों का चकबन्दी प्रकरण पूर्ण हो गया है उनमें अविलम्ब धारा 52 लगाने का आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री बाबू राम यादव–

विकास खण्ड आराजी लाइन, जनपद वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय के भिन्न-भिन्न आदेशों में स्थगन आदेश होने के कारण केवल 6 ग्रामों में चकबन्दी क्रियाओं का कार्य रुका हुआ है।

उक्त विकास खण्ड आराजी लाइन में कुल 129 ग्रामों का जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन हो चुका है और इन ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो चुकी हैं।

जी नहीं, विकास खण्ड आराजी लाइन के अन्तर्गत ग्राम संजोई में नये चकों पर कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही सम्पन्न कराने के उपरान्त चक निगरानियों का निस्तारण किया जा चुका है। उप संचालक चकबन्दी द्वारा स्वत्व एवं चक संबंधी पारित आदेशों के विरुद्ध दायर रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किये हैं। इस ग्राम के विवाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस ग्राम का धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन नहीं कराया जा सका है।

जी हां। निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु पुनर्वासन केन्द्रों का संचालन

*12–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ऐसे पूर्ण रूप से विकलांग जो कोई कार्य नहीं कर सकते किसी के दो हाथ नहीं तो किसी के दोनों पैर नहीं क्या इन विकलांग व्यक्तियों के बारे में विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूर्ण रूप से विकलांग हेतु आश्रय स्थल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

प्रश्नगत श्रेणी के निराश्रित व्यक्तियों के लिये पूर्व से ही 100 रुपया प्रति माह भरण-पोषण अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पुर्नवासन केन्द्र पहले से ही संचालित है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में निजी उपयोग हेतु वृक्ष काटने की छूट

*13–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि पेड़ मालिक को अपने निजी प्रयोग हेतु एक पेड़ काटने की अनुमति वन अधिनियम में है फिर भी अनुमति लेने की बात अधिकारियों द्वारा कही जाती है और मालिक को एक पेड़ नहीं काटने दिया जाता है ? क्या अनुमति मिलने के बाद भी पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक पेड़ काटने की कोई सुलभ व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित प्रजातियों को छोड़कर अन्य प्रजातियों से संबंधित एक पेड़ निजी उपयोग हेतु काटने की छूट है । प्रतिबन्धित प्रजातियों के वृक्षों को निजी उपयोग हेतु काटने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ।

जी नहीं, कोई विशिष्ट प्रकरण शासन के संज्ञान में लाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के ब्लाक-तिलोई के अन्तर्गत ग्राम सभा चौरा की भूमि पर वृक्षारोपण में व्यय धनराशि एवं अवैध कटान के विरुद्ध कार्यवाही

*14–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के ब्लाक तिलोई के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा चौरा में लगभग 08 हेक्टेयर भूमि पर जंगल विभाग द्वारा प्लान्टेशन कराया गया था, जिसके 16,000 पेड़ों को जिनकी अनुमानित लागत लगभग 35 लाख रुपये होती है, को कतिपय माफिया गिरोह के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से जबरिया कटवा लिया गया है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त अवैध कटान के संबंध में संबंधित थाने मोहनगंज में नामजद सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कटान के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां । परन्तु 16,000 पेड़ों की लागत रु० 35 लाख के स्थान पर रु० 20,267.40 थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वृक्षारोपण क्षेत्र दिनांक 1-12-89 को ग्राम सभा को प्रबन्ध हेतु सौंप दिया गया था और उक्त दिनांक के पश्चात् इसकी सुरक्षा का दायित्व ग्राम सभा का था । रेंज अधिकारी, तिलोई द्वारा दिनांक

26-2-94 को परगनाधिकारी, तिलोई को अवैध कटान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया गया था।

उ० प्र० के कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में नये जनपदों के सृजन के प्रस्ताव की जानकारी

*15–श्री बची सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में जिलों का विभाजन कर छोटे जनपद बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

प्रदेश के कुमायूं मण्डल में सात व गढ़वाल मण्डल में दो नये जनपदों के सृजन के प्रस्ताव राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नई तहसीलों की सृजन नीति की जानकारी

*16–श्री रमेश चन्द्र चंचल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई तहसीलों को सृजित करने की नीति क्या है ? क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 में कुछ नई तहसीलें बनायी जा रही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? क्या यह सच है कि जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव कलक्टर एवं कमिश्नर आगरा द्वारा शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रदेश की बड़ी तहसीलों को विभाजित/पुनर्गठित करने की नीति है,, यदि प्रस्ताव निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

जी नहीं।

जी हां।

प्रकरण में वित्तीय उपाशयों एवं अन्य विकल्पों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद फर्रुखाबाद की वर्तमान अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के वित्तीय अनियमितताओं की जांच

*17–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की वर्तमान अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के विरुद्ध जनपद उन्नाव, फैजाबाद तथा लखनऊ के कार्यकाल की

गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं पर आरोप-पत्र स्वीकृत करके विभागीय अनुशासनिक जांच की कार्यवाही पूर्व में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जांच अधिकारी की आख्या में इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये थे ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध सिद्ध पाये गये आरोपों के लिए कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नगत जांच आख्या के आधार पर इनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही शीघ्र पूरी कर ली जायेगी ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है ।

विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां की कतिपय ग्राम सभाओं की आवंटन योग्य भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

*18–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां की ग्राम सभा सुन्दरपुर, ग्राम सभा पिपरियामजरा, ग्राम सभा खमरिया गढ़ियाना, ग्राम सभा गहलुइया आदि में ग्राम समाज की कितनी-कितनी भूमि आवंटन योग्य है ? उक्त भूमि का आवंटन किन कारणोंवश सम्भव नही हो पा रहा है ? क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि पर भू-माफियाओं का अनाधिकृत कब्जा है ? यदि हां, तो उन्हें बेदखल करते हुए आवंटन योग्य भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राजस्व संग्रह संघ के कर्मचारियों की मांगों का विवरण

*19–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० राजस्व संग्रह अमीन संघ ने किन-किन मांगों को लेकर 1 मार्च से 5 मार्च, 1994 तक काली पट्टी, 7 मार्च से 9 मार्च, 1994 तक धरना, 11 मार्च, 1994 को जिलाधिकारियों के माध्यम से मांग संबंधित ज्ञापन दिया है ? कौन-कौन सी मांगें थीं तथा उनमें से सरकार ने कौन-कौन सी मांगें मान ली हैं और शेष मांगें न मानने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार कर्मचारियों द्वारा प्रेषित मांगों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

राजस्व संग्रह अमीन संघ द्वारा जिन 9 मांगों को लेकर काली पट्टी धारण, धरना आदि के संबंध में ज्ञापन दिया गया है वे निम्नवत् हैं :–

(1) वेतनमान में वृद्धि ।

(2) नायब तहसीलदार पद पर संग्रह अमीन संवर्ग के 6 प्रतिशत को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना ।

(3) नायब तहसीलदार के पदोन्नत पद के साधारण वेतनमान को प्रोन्नति वेतनमान के रूप में स्वीकृत करना ।

(4) संग्रह अमीनों को भू-लेख का प्रतिवर्ष नियमित प्रशिक्षण दिलाना ।

(5) वर्मा कमेटी की रिपोर्ट दि० 13-1-94 के प्रस्ताव संख्या 5 से 12 को निरस्त करने तथा राजस्व परिषद् द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 13-1-93 तथा 11-1-94 को मूल रूप से निरस्त करना ।

(6) संग्रह अमीनों का वसूली मानक समाप्त करने तथा मानक को अधिकार मानकर उत्पीड़ित न करना ।

(7) लेखन सामग्री भत्ते को 5 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 30 रुपये प्रतिमाह करना ।

(8) नियत यात्रा भत्तों को 20–40 से 40–80 (प्रतिमाह) कर दिया जाय ।

(9) प्रदेश स्तर से राजस्व संग्रह अमीनों की ज्येष्ठता क्रम सूची को अन्तिम रूप से उ० प्र० राजस्व परिषद् द्वारा शीघ्र प्रकाशित कराना ।

उपरोक्त सभी मागें शासन के विचाराधीन हैं ।

उक्त प्रस्तर–1 में मांगों का उल्लेख किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सुल्तानपुर में देय वृद्धावस्था पेंशनभोगियों की समस्याओं का निराकरण

1–श्री तेजभान सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रमायुक्त व श्रम सचिव उ० प्र० को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर का दिनांक 10-10-91 का कोई पत्र मिला था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन दिये जाने में किन-किन बिन्दुओं पर समस्यायें दर्शायी गयी हैं ? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा किस तिथि को ? क्या उक्त आवश्यक मामले में विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित समस्याओं के निराकरण हेतु आदेश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

पत्र में निम्नलिखित दो बिन्दु दिये गये थे :–

1–30–30 की गड्डी में मनीआर्डर फार्म भेजने के लिए अतिरिक्त चेक बुकों की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि इस कार्य का एकाउण्ट तहसीलवार पृथक-पृथक रखा जा सके । अन्यथा अपने स्तर से डाक विभाग के संबंधित अधिकारियों की बैठक कर डाक विभाग के

जिला स्तर अधिकारियों को यह आदेश निर्गत कराया जाये कि वह बड़ी संख्या में मनी आर्डर फार्म एक ही साथ स्वीकार करें।

2–वृद्धावस्था पेंशन कार्य को तहसीलवार बांटने के लिए वृद्धावस्था पेंशन लिपिकों के नये पद सृजित कराने की कार्यवाही की जाये। उक्त प्रथम समस्या के समाधान हेतु श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा एक अर्ध शा० पत्र संख्या–1060/वृ०पें०यो०/पूर्व वि० के०, दिनांक 10 मई, 1988 पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमण्डल, लखनऊ को भेजा गया था इस पत्र के सन्दर्भ में पोस्ट मास्टर जनरल, उ० प्र० परिमण्डल, लखनऊ ने अपने पत्रांक प्राव०अ/जी001/87, दिनांक 24 मई, 88 से लिखा था कि धनादेश डाकघर में प्रस्तुत करने से पहले उसकी सूचना संबंधित डाक अधीक्षक को प्रेषित कर दें जिससे निश्चित तिथि पर अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त डाक कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि श्रम विभाग को पूर्ण सहयोग देने की व्यवस्था करें। पोस्ट मास्टर जनरल के आदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पूर्व में ही दिनांक 16 जून, 88 को निर्गत किये जा चुके हैं।

परीक्षणोपरान्त पदों के सृजन का औचित्य नहीं पाया गया। इस प्रकार इसमें विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में प्राइमरी/जूनियर विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति के संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

2–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1991-92 व 92-93 में कितने प्राइमरी/जूनियर विद्यालय ऐसे हैं, जिनके अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी है ? उक्त छात्रवृत्ति देने से पूर्व उनका सत्यापन किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया था ? क्या यह सही है कि फर्जी छात्र संख्या दिखाकर कर्मचारियों से साठ-गांठ करके अनुसूचित जाति के छात्रों के नाम पर फर्जी धनराशि उक्त वर्षों में ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जालौन स्थित गोहन चौराहे पर छूटी हुई भूमि का विवरण तथा अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाने की मांग

3–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन के औरैय्या रोड से रामपुरा वाया गोहन वाला मार्ग लोक निर्माण विभाग या ग्राम सभाओं में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या गोहन में चौराहे पर कुछ जगह स्थानान्तरण से वंचित रह गयी हैं ? यदि हां, तो कहां तथा उसकी लम्बाई और चौड़ाई क्या है ?

श्री राम लखन वर्मा–

जनपद जालौन के औरैय्या रोड से रामपुरा बाया गोहन जाने वाला मार्ग वर्ष 1971-72 तक जिला परिषद् जालौन के अनुरक्षण में रहा है तथा उसके उपरान्त लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण में है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क सीधा करने के फलस्वरूप जिला परिषद् सड़क की कुछ भूमि छूट गयी है, जिसका राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 284, रकबा 0.44 एकड़ अंकन है। यह छूटी हुई परिषद् सड़क की भूमि 100 फुट लम्बी 14 फुट चौड़ी है, जो गोहन चौराहा और चौराहे जालौन की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है।

4–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद जालौन के औरैय्या रोड से रामपुरा बांध गोहन जाने वाला मार्ग जिला परिषद् से स्थानान्तरित हो गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या गोहन चौराहे पर कुछ लोग सड़क की मध्य रेखा से 55 फुट तक दोनों ओर अवैध रूप से अतिक्रमण किये हुए हैं ? यदि हां, तो अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री राम लखन वर्मा–

जनपद जालौन के औरैय्या रोड से रामपुरा बाया गोहन जाने वाला मार्ग वर्ष 1971-72 तक जिला परिषद् जालौन के अनुरक्षण में रहा है तथा उसके उपरान्त लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण में है। उक्त मार्ग के दक्षिण पर्दा पर परिषद् सड़क की छूटी हुई भूमि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की सड़क की मध्य रेखा 55 फुट छोड़कर दो व्यक्तियों को 17×14 फुट की भूमि अस्थायी निर्माण (टट्टर, टीन, छप्पर से) कर दुकान खोलने हेतु 85 रु० मासिक किराये पर वर्ष 1992 में इस शर्त के साथ आवंटित की गयी थी कि परिषद् द्वारा उक्त भूमि की आवश्यकता होने पर या नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर भूमि खाली करा ली जायेगी। दिनांक 2-4-94 को जिला परिषद् की बैठक में उपरोक्त भूमि की किरायेदारी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम सभा अहिरानी बुजुर्ग तप्पा गोंठ में फर्जी दुर्गा पूजा सेवा समिति हेतु आवंटित पट्टे की निरस्तीकरण

5–श्री धर्मपाल यादव तथा श्री बालेश्वर यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्जी दुर्गा पूजा समिति अहिरानी बुजुर्ग मऊ के अनुरोध पर ग्राम सभा अहिरानी बुजुर्ग तप्पा गोंठा, तहसील घोसी, जनपद मऊ उ० प्र० को ग्राम समाज की भूमि 194 व 238 रकबा क्रमशः 267 व 550 कड़ी भूमि का पट्टा कैसे हुआ ? लगातार दस वर्षों से उक्त भूमि के दुरुपयोग के संबंध में 11-2-92 को उक्त गांव के उप प्रधान द्वारा जिलाधिकारी, मऊ को आवेदन-पत्र देने के उपरान्त क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री दुर्गा सेवा समिति, अहिरानी बुजुर्ग के मंत्री श्री कन्हैया यादव के आवेदन-पत्र पर ग्राम प्रधान, अहिरानी बुजुर्ग की अध्यक्षता में दिनांक 30-5-81 को भूमि प्रबन्धक समिति अहिरानी बुजुर्ग की सम्पन्न

हुई बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 को परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया।

श्री खरभान यादव, उप प्रधान, ग्राम सभा अहिरानी बुजुर्ग के आवेदन-पत्र पर जांच के उपरान्त पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में प्रकरण आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही के मौजा-भैरोपुर में प्रश्नगत भूमि को आबादी घोषित करने की मांग

6-श्री रंगनाथ-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद के भदोही तहसील में भैरोपुर मौजे में गाटा सं० 44, 66, 78, 49 और 78 कागजात माल में नवैयत ऊसर दर्ज है ? क्या उक्त गाटे पर पचासों साल से गरीब व किसान अपना मकान और पम्पसेट लगा रखे हैं / यदि हां, तो क्या सरकार खतौनी में बतौर भूमिधर उनका नाम दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्या उसे आबादी घोषित करेगी ? क्या उक्त गाटा के संबंध में परगनाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा चला था ? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

श्री बादू राम यादव-

वाराणसी जनपद के भदोही तहसील के ग्राम भैरोपुर की आराजी संख्या-44 रकबा 0-628 हेक्टेयर ऊसर दर्ज है। आराजी संख्या-66 रकबा 1-814 हेक्टेयर में से 0-977 हेक्टेयर ऊसर है तथा शेष रकबा भूमिधरी है। आराजी संख्या-78 रकबा 0-278 हेक्टेयर में से 0-126 हेक्टेयर ऊसर दर्ज है एवं 0-063 हेक्टेयर श्रेणी 4 दर्ज है तथा शेष का रकबा भूमिधरी है। आराजी संख्या-49 रकबा 1-897 में से 0-631 हे० ऊसर के खाते में तथा शेष रकबा भूमिधरी है। आराजी संख्या-73 रकबा 1-230 हे० में से 1-141 हे० ऊसर दर्ज है एवं 0-038 हे० श्रेणी 4 में दर्ज है तथा शेष रकबा भूमिधरी है।

जी नहीं। आराजी सं-44 में केवल एक व्यक्ति का कच्चा मकान 0-0-10 (दस विस्वांसी) रकबे पर 7 वर्ष पूर्व का बना है, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 12-3-90 को बेदखली का आदेश पारित हो चुका है। आ० सं-66 में 8 व्यक्तियों का 8 विस्वा 16 विस्वांसी रकबे पर मकान निर्मित है जो 2 से 20 वर्ष पूर्व के बने हैं। पम्पसेट 4-5 वर्ष का है। आ० सं०-78 में एक व्यक्ति 8 विस्वांसी रकबे पर पक्का दालान 15-20 वर्ष पूर्व का बनाये हुए है। आ० सं०-49 पर ऊसर भूमि पर किसी का निर्माण नहीं है। आ० सं०-73 में 12 विस्वा रकबे पर 8 व्यक्तियों का कच्चा व पक्का मकान 10-25 वर्ष पूर्व बना है। यह सभी व्यक्ति गरीबी की सीमा में नहीं आते।

जी नहीं।

ग्राम भैरोपुर परगना व तहसील भदोही जिला वाराणसी में उत्तर प्रदेश जो च० अधि० 1953 की धारा-4(2) के अन्तर्गत चकबन्दी क्रियायें प्रारम्भ हो चुकी हैं।

जी नहीं, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विधवा पेंशन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों को निस्तारित करने की मांग

7–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने विधवा पेंशन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र अनिस्तारित/लम्बित पड़े हैं ? इन्हें कब तक निस्तारित कर दिया गया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 155 निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान आवेदन-पत्र स्वीकृति हेतु लम्बित है ।

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के ग्राम सभा कोटवा स्थित तालाब के खाते की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने की मांग

8–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र बहादुर निवासी कोटवा, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद का पत्र दिनांक 30-7-92 जो परगनाधिकारी, फूलपुर एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्रामीण) इलाहाबाद, आपको सम्बोधित 28-7-92 का पत्र जिसका पत्रांक भी जी०/189/92, दिनांक 1-9-92 आबादी पर अवैध कब्जा को हटाये जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर परगनाधिकारी, फूलपुर द्वारा तहसीलदार फूलपुर, थाना अध्यक्ष सरायइनायत को तीन दिन के अन्दर अवैध कब्जा हटाये जाने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही पत्र में उल्लिखित आबादी पर से अवैध कब्जे को हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

भूमि संख्या–1138 जो ग्राम सभा के तालाब के खाते की भूमि है पर 10 व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया शेष आबादी की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है ।

उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–122 बी के अन्तर्गत तहसीलदार फूलपुर के न्यायालय से बेदखली का आदेश हो गया है । इनमें से 7 मामले अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में निगरानी हेतु लम्बित हैं । इन्हीं 7 में से एक श्री श्याम जी उर्फ बालादीन ने न्यायालय मुंसिफ शर्की इलाहाबाद के न्यायालय से स्थगन आदेश भी दिनांक 2-4-1993 को प्राप्त कर लिया है जो वर्तमान में भी प्रभावी है । शेष 3 व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्माना की वसूली एवं कब्जा हटाने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा–447 के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार, फूलपुर के स्तर से की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील खजनी के ग्राम-सई खुर्द की बंजर भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने की मांग

9-श्री बेचन राम-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के खजनी तहसील में ग्राम सई खुर्द के बंजर भूमि पर अवैधानिक रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है ? क्या कब्जा करने वाले उक्त व्यक्ति भूमिहीन हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उस भूमि को खाली करा कर गांव के भूमिहीनों को भूमि दिलाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि अवैधानिक रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी, गोरखपुर को सूचित किया है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद खीरी के विकास खण्ड पलिया के गौरी पैटा नगर में बेदखल संबंधी गजट को निरस्त करने की मांग

10-श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी के विकास खण्ड पलिया के गौरी पैटा नगर में नियमित रूप से विगत 40 से 50 वर्षों से काबिज व्यापारियों को बेदखल करने हेतु वन विभाग द्वारा नियमों के विरुद्ध शासन को सूचित किये बिना विगत वर्ष गजट (नोटिफिकेशन) करा करके बेदखल किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अन्यायपूर्ण गजट को निरस्त करने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी स्थित वन विभाग में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत अधिकारियों का विवरण

11-श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग जनपद खीरी में कुल कितने अधिकारी किन-किन श्रेणी के कितने-कितने वर्षों से कार्यरत हैं, जिन्हें एक ही स्थान पर कार्य करते पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं ? उन्हें कहीं अन्यत्र स्थान्तरित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह-

वन विभाग जनपद खीरी में श्रेणी "क" व "ख" के कुल 6 अधिकारी कार्यरत हैं । इनमें से 2 अधिकारी उप वन संरक्षक (श्रेणी "क") तथा 4 अधिकारी सहायक वन संरक्षक (श्रेणी "ख") के हैं । ये अधिकारी एक वर्ष से कम समय से कार्यरत हैं । चूंकि ये अधिकारी एक वर्ष से कम अवधि के ही हैं, अतः सेवा अवधि के आधार पर इन्हें अभी स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी की तहसील निघासन के खखरैला घाट का ठेका

12–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी की तहसील निघासन के खखरैला घाट का ठेका वर्ष 1987-88 में ठेकेदारों द्वारा लेकर उसे पूर्व वर्ष संचालित किये जाने के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सांठ-गांठ से शासन की लाखों रुपये की राजस्व हानि पहुंचाते हुए ठेका न चला हुआ दर्शाकर अपनी कुल जमा ठेका राशि को विभाग से वापस लेने का प्रयास किया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार द्वारा कोई अपील भी धनराशि वापस किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी थी, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त षडयन्त्र में वन विभाग के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी की तहसील निघासन के परगना खैरीगढ़ स्थित ग्राम पचपेड़ा मजरा शीतलापुर के कतिपय निवासियों की भूमि से सम्बन्धित प्रकरण

13–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद खीरी की तहसील निघासन, परगना खैरीगढ़ स्थित ग्राम पचपेड़ा मजरा शीतलापुर के निवासी श्री अब्दुल अहमद व श्री अब्दुल समद पुत्रगण श्री फजल अली खां, श्री बन्दा, श्री चुन्ना, श्री सियाराम पुत्रगण श्री पुत्तूलाल श्री कुंवर पुत्र श्री प्रीतम अनुसूचित जाति श्री सोहन लाल पुत्र श्री कोदी अनुसूचित जाति श्री फरजाद खाँ पुत्र श्री रहमतुल्ला की भूमि को षड़यन्त्र रचकर संबंधित लेखपाल से सांठगांठ करके भूमि से संबंधित खतौनी आदि गायब करा कर उत्तर खीरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मजगयी रेन्ज की नौनिया बीट से संबंधित वन कर्मियों द्वारा वन विभाग की भूमि के सीमांकन पत्थर को नजरअंदाज करते हुए, जबरन वन विभाग की भूमि में सम्मिलित करवा कर उसमें नाली खुदवाने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त व्यक्तियों की भूमि को वन विभाग से मुक्त करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी के वन प्रभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण नगर पलिया मझगई निघासन व बिलरायां में प्रश्नगत भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने की मांग

14–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के उत्तर खीरी वन प्रभाग के अन्तर्गत सम्पूर्णनगर पलिया मझगई निघासन व बिलरांया (नार्थ निघासन) स्थित हजारों एकड़ वन भूमि पर उक्त

क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली हथियार बन्द लोगों का जबरन कब्जा है ? यदि हां, तो वन भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करवाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त वन भूमि को कब्जेदारों से मुक्त कराये जाने की स्थिति में उक्त भूमि को वहीं के भूमिहीनों को पट्टे पर देने हेतु विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए विभिन्न न्यायालयों में 347 बेदखली वाद दायर किये गये हैं । इसके अतिरिक्त अन्य कब्जेदारों से वनभूमि मुक्त कराने के लिए जिलाप्रशासन तथा पुलिस की समय-समय पर सहायता ली जाती है ।

जी नहीं ।

भारत सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 की धारा–2 के अनुसार प्रतिबन्धित तथा वानिकी नीति के विपरीत है ।

दक्षिणी वन प्रभाग गोण्डा को प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त न होना

15–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 9-2-94 डी०एफ०ओ० दक्षिणी वन प्रभाग, गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० लखनऊ मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं नियोजन विभाग को प्रश्नकर्ता का पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाना

16–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक क–1-070508 दिनांक 27-1-94 तथा पत्रांक क–1-0705-6 दिनांक 27-1-94 तथा क–1-070508 दिनांक 27-1-94 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

प्रश्नकर्ता के पत्रांक क–1-070506 दिनांक 27-1-94 तथा क–1-070508 दिनांक 27-1-94 प्राप्त हुए हैं जिन्हें मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं नियोजन उ०प्र० लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

17–श्री राम प्रसाद टम्टा–

। दि० 7-4-94 को अता० प्र० सं० 99 द्वारा उत्तरित ।

जनपद मुरादाबाद की टाउन एरिया उझारी स्थित प्रशिक्षण केन्द्र हेतु अनुदान स्वीकृति पर विचार

18–श्री प्रीतम सिंह (मुरादाबाद)–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुश्ताक हुसैन मेमोरियल अर्नस मार्डन महिला सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र टाउन एरिया उझारी, जनपद मुरादाबाद में उक्त केन्द्र के अनुदान के लिये योजना के अन्तर्गत आवेदन किया था जिसकी स्वीकृति के लिये समस्त औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी थी और विभाग को भेज दी गयी थी ? यदि हां, तो वह अनुदान अभी तक क्या नहीं मिल पाया है ? सरकार इस अनुदान को कब तक दिलाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

संसाधन की कमी के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधन के परिप्रेक्ष में विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के ग्राम बलिवन तप्पा के स्व० श्री कपिल देव सिंह की सम्पत्ति के सम्बन्ध में पत्नी श्रीमती जमुनी बाई के शिकायती पत्र पर कार्यवाही करने की मांग

19–श्री मुक्तिनाथ–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बलिवन, तप्पा बलिवान तहसील सलेमपुर जिला देवरिया के कपिलदेव सिंह की मृत्यु दिनांक 21-8-91 को हो गयी है ? क्या उनकी जायदाद दिनांक 19-9-91 को बिहार में रजिस्ट्री करा ली गयी है ? क्या इस संबंध में श्री कपिल देव सिंह की पत्नी जमुनी बाई का शिकायती-पत्र दिनांक 6-1-94 को जिलाधिकारी देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद रामपुर में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत एवं अन्यत्र बसाने की मांग

20–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 की बाढ़ में जनपद रामपुर में कुल कितने गांवों के नागरिकों को तुरन्त राहत देने हेतु उन्हें उठाकर अन्यत्र बसाने हेतु ले जाया गया था ? क्या उस बाढ़ में कटने वाले सभी गांवों को दूसरी जगह बसा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

वर्ष 1993 में बाढ़ आने से जनपद रामपुर के 4 ग्रामों के 542 परिवारों के 2453 सदस्यों को अस्थायी रूप से अन्यत्र ले जाया गया था ।

जनपद रामपुर की तहसील सदर का ग्राम वेनजीरपुरा उर्फ घाटमपुर को रामपुर नगर के निकट बसाने तथा तहसील स्वार के ग्राम चांदपुर की तहसील सदर के ग्राम इमरता में व ग्राम पसियापुरा को ग्राम खेमपुर में बसाए जाने की कार्यवाही की जा रही है । तहसील विलासपुर के ग्राम कल्यानपुर के निवासियों को दूसरे गांव में बसाए जाने की कोई योजना नहीं है ।

जनपद बस्ती की तहसील हरैया के परगना अमोढ़ा के ग्राम नागपुर टिकइत की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को नष्ट करने की मांग

21–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम नागपुर टिकइत परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया जिला बस्ती के ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध निर्माण व चकरोडों को नष्ट करने आदि के संबंध में श्री लालजी पाण्डेय ऐडवोकेट ने दिनांक 14-1-94 को कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी बस्ती व कमिश्नर गोरखपुर को दिया है जिसकी प्रतिलिपि राजस्व मंत्री व मुख्य मंत्री को प्रेषित है ? यदि हां, तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में जांच कराकर विस्तृत जांच आख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के परगना बभनीपायर के ग्राम धरमदासपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अवैधानिक रूप से भूमि की जांच

22–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 24-12-88 को परगनाधिकारी मनकापुर जिला गोण्डा ने ग्राम धरमदासपुर करगना बभनीपायर, तहसील मनकापुर जिला गोण्डा की ग्राम समाज की लगभग 14 (चौदह) बीघा जमीन महज 3 (तीन) अनुसूचित जाति लोगों के नाम अवैधानिक रूप से आवंटित करके क्या अन्य गरीब अनुसूचित जाति लोगों के अधिकारों का हनन किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस संबंध में ग्राम के श्री नन्द लाल आदि तमाम अनुसूचित जाति के लोगों ने दिनांक 14-1-94 को शिकायती-पत्र जिलाधिकारी गोण्डा व आयुक्त फैजाबाद को संबोधित करके दिया है, जिसकी प्रतिलिपि राजस्व मंत्री को प्रेषित है ? यदि हां, तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच कराकर प्रार्थना-पत्र के अनुसार पैरावाइज जांच आख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के पूर्व तहसीलदार श्री नरसिंह पाण्डेय द्वारा अवैधानिक दाखिल खारिज के आदेशों की जांच

23–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि पूर्व तहसीलदार श्री नरसिंह पाण्डेय, तहसील मनकापुर जिला गोण्डा ने अपने कार्यकाल में तमाम फेगमेंट (मेढ़तोड़) बैनामों को अवैधानिक दाखिल खारिज का आदेश करके ज० भू० वि० अधि० की धारा 168 अ का उल्लंघन किया है। क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस संबंध में श्री विन्देश्वरी प्रसाद पाण्डेय एडवोकेट ने दिनांक 16-1-94 को जिलाधिकारी, गोण्डा व कमिश्नर, फैजाबाद को शिकायती पत्र दिया है, जिसकी प्रतिलिपि राजस्व मंत्री व मुख्य मंत्री को प्रेषित है ? यदि हां, तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष जांच कराकर विस्तृत जांच आख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

जी हां।

प्रतिलिपि राजस्व मंत्री को पृष्ठांकित है परन्तु मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

प्रकरण में परगनाधिकारी, मनकापुर से जांच कराकर उसके आधार पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–168(क) के अन्तर्गत मामला न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण के न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण उसके निस्तारण होने तक जांच आख्या सदन के पटल पर रखा जाना उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाक परशुरामपुर के ग्राम गौरा पाण्डे के विन्देश्वरी प्रसाद पाण्डे के प्रसंगत शिकायती पत्र पर कार्यवाही का विवरण

24–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम गौरापाण्डे, थाना व ब्लाक परशुरामपुर जिला बस्ती में उसी ग्राम के राममूरत पण्डा को श्री नसीर अहमद बिना सक्षम अधिकारी के अनुज्ञप्ति प्राप्त किये हुए, हरे आम के पेड़, को अवैधानिक रूप से काटने के जुर्म में मुकदमा पंजीकृत करके कार्यवाही हेतु श्री विन्देश्वरी प्रसाद पाण्डेय एडवोकेट ने दिनांक 22-11-93 को लिखित प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरैया जिला बस्ती को दिया है ? क्या यह भी सही है कि तहसील अधिवक्ता संघ, मनकापुर गोण्डा ने दिनांक 24-12-93 को अपने पत्र द्वारा सर्वसम्मति से उक्त घटना की पुष्टि करते हुए जिला वन अधिकारी बस्ती व वन मंत्री को प्रतिलिपि प्रेषित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हरे आम के पेड़ अवैध रूप से काटने की घटना की जांच कराकर कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां।

श्री विन्देश्वरी प्रसाद पान्डेय का प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 22-11-93 का न होकर 22-12-93 का है। तहसील अधिवक्ता संघ का प्रश्नगत पत्र रेंज अधिकारी हरैया के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

घटना की जांच करायी जा चुकी है। मामले में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

जनपद बस्ती की तहसील हरैया के परगना अमोढ़ा के ग्राम डेबरहिया राउत की ग्राम समाज की सम्पत्ति पर कब्जे की जांच

25–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, हरैया, जिला बस्ती ने अपने नियन्त्रण के हल्का नं० 68 ग्राम डेबरहिया राउत, परगना अमोढ़ा तहसील हरैया बस्ती के सरकारी खतौनी व खसरा में लगभग 70–80 फर्जी अमलदरामद, ग्राम समाज की जमीन पर अंकित कराकर ग्राम समाज की सम्पत्ति पर कब्जा किया है ? क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में ग्राम प्रधान ने दिनांक 8-1-94 को जिलाधिकारी बस्ती से लिखित शिकायत की है जिसकी प्रतिलिपि कमिश्नर व राजस्व मंत्री को प्रेषित है ? यदि हां, तो क्या इस पूरे प्रकरण पर जांच करवाकर विस्तृत जांच आख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में पिछड़ी जाति में पटवा जाति के समावेश का प्रकरण

26–श्री राम प्रकाश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटवा जाति मण्डल रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण में आती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रदेश में पिछड़ी जातियों विषयक जारी शासनादेश दिनांक 10-7-86 में पटवा जाति का उल्लेख नहीं है। फिर भी पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासित करने एवं तत्संबंधी शिकायतों पर सम्यक् रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। तद्नुसार इस प्रकरण को भी उक्त आयोग के द्वारा परीक्षण करने हेतु भेज दिया गया है।

जिला परिषद् हमीरपुर के लेखाकार द्वारा किये गये गबन की जांच

27–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद्, हमीरपुर के लेखाकार द्वारा 1.50 लाख रुपयों के गबन का मामला अ०शा० पत्र सं०–1402/वी/33-2-600(2)/93, दिनांक 6 अप्रैल, 1993 उ०

प्र० पंचायती राज अनुभाग–2 द्वारा प्रकाश में लाया गया है ? यदि हां, तो क्या अभी तक दिनांक 2-3-94 तक प्रश्नगत गबन के मामले से संबंधित अभिलेख जांच हेतु मंगा लिए गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक अभिलेख मंगा करके शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है तथा जांच आख्या दिनांक 30-4-94 तक उपलब्ध कराने हेतु उन्हें निर्देशित कर दिया गया है । इसके साथ ही उक्त मामले से संबंधित अभिलेख मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषदें, उ० प्र० को उपलब्ध कराने हेतु जिला परिषद्, हमीरपुर को निदेशित कर दिया गया है ।

जनपद आगरा/फिरोजाबाद में नीलगायों को नष्ट करने हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाना

28–श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि आगरा, फिरोजाबाद आदि जनपदों में नीलगायों द्वारा खड़ी फसलें नष्ट की जा रही हैं ? यदि हां, तो किसानों की खड़ी फसल की हानि को छुटकारा दिलाने हेतु नीलगायों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां, नीलगायों (वनरोजों) द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट सूचना प्राप्त हुई है ।

किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वनरोजों को नष्ट करने के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु सभी क्षेत्रीय वन संरक्षकों को अधिकृत कर दिया गया है तथा सभी जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान

29–श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वृद्धावस्था पेंशन कुल कितने वृद्धों को मिल रही है ? उसमें से कितने लाभार्थी पात्र हैं ? क्या उनको भौतिक सत्यापन कभी कराया गया है ? क्या वहां पर पात्र व्यक्तियों को ही वृद्धावस्था पेंशन दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद आगरा में 7469 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है ।

पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन दी जा रही है ।

समय-समय पर भौतिक सत्यापन कराया जाता है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में विधवा एवं विकलांगों को स्वीकृत पेंशन का भुगतान

30–श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कितनी विधवा व कितने विकलांगों को पेंशन दी जा रही है और कितने समय से दी जा रही है ? कितने व्यक्तियों को पेंशन की स्वीकृति दी जा चुकी है और उक्त व्यक्तियों को कब से पेंशन की राशि दी जा चुकी है ? उक्त व्यक्तियों को कब पेंशन भुगतान नहीं किया गया तथा क्यों ? कब तक सभी स्वीकृत पेंशन धारियों का भुगतान शासन से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

जनपद आगरा में 4611 विधवाओं एवं 675 विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान दिया जा रहा है ।

योजना के प्रारम्भ से ही दोनों योजनाओं में लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता रहा है यद्यपि विभिन्न वर्षों में लाभार्थी संख्या अलग-अलग रही है ।

वर्ष 1994-95 में माह अप्रैल, 1994 से 450 निराश्रित विधवाओं एवं 320 विकलांगों के नवीन आवेदन-पत्रों पर भरण-पोषण अनुदान स्वीकृति की कार्यवाही की गयी है । भुगतान इस प्रयोजन हेतु धनराशि के आवंटन के बाद होगा ।

उक्त नवीन लाभार्थियों को अप्रैल, 1994 से भुगतान होना है । इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1994-95 की धनराशि का आवंटन होने पर ही भुगतान कार्यवाही सम्भव है ।

जनपद में इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1994-95 के लिए धनराशि प्राप्त हो जाने पर ही सम्भव है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत ग्राम टड़वा श्रीराम में चकों पर किसानों को कब्जा देने हेतु कार्यवाही

31–डा० मोहसिन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला की तहसील गोला अन्तर्गत टड़वा श्रीराम में सरकार द्वारा किसानों को चकों पर कब्जे दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इतने लम्बे अर्से के बावजूद चकों पर कब्जा न दिये जाने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए चकबन्दी में छोड़ी गयी आबादी भूमि पर पात्रों को आवंटन व कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव-

जी नहीं ।

ग्राम टड़वा श्रीराम तप्पा चांदपार परगना-धुरियापार, तहसील-गोला, जिला-गोरखपुर में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश 3-11-81 के कारण कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही अवरुद्ध रही जो 22-2-1991 को निरस्त हो गया बताया जाता है जिसके उपरान्त विधिवत् कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । प्रकरण के माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने की अवधि में कब्जा परिवर्तन न कराये

जाने के लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त ग्राम में अभी कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है इसलिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आबादी हेतु भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद व तहसील वाराणसी के परगना पन्द्रहा के ग्राम अनेई में वर्णित नम्बरानों के प्रकरण की प्रश्नकर्ता के पत्र के आधार पर जांच की मांग

32–श्री ऊदल–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–148 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनेई जू० हा० स्कूल परगना पन्द्रहा, त० व जिला वाराणसी में मदरसा के नाम मालिकान आराजी मकबूजह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नं० 4. 195 मदरसा 443. 444. 35. 464/2 टोटल रकबा 6–31 एकइ व खतौनी 1956 फ० में मालिकान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मु० खेवट नं० 4.209 मदरसा 443. 444/3. 464/2 दर्ज है ? क्या खतौनी 1359 फ० जिमन–10.215 मदरसा 444/3. 443. 465 के बारे में बन्दोबस्त अधिकारी, वाराणसी के यहां निगरानी को बन्दोबस्ती अधिकारी (उप संचालक चकबन्दी) ने निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो मदरसा की जगह अब जूनियर हाई स्कूल है उसका नाम दर्ज किया गया ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त नम्बरान नान खेड खतौनी में दर्ज जो सरकार की जमीन थी, जिसको चकबन्दी में नहीं लिया जा सकता था ? क्या सन्दर्भित पत्र राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता ने दिया था ? क्या वह पत्र आयुक्त के यहां पहुंचा ? क्या इसकी जांच की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–148 प्रश्नगत विषय से संबंधित ही नहीं है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत वन संरक्षक वानिकी वृत्त प्रथम में श्री ओम प्रकाश लाल को दैनिक पारिश्रमिक पर रखा जाना

33–श्री ऊदल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षण वानिकी, वृत्त प्रथम, वाराणसी के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश लाल, दैनिक टंकण लिपिक के पद पर कितने दिनों से कार्य करते चले आ रहे हैं ? क्या इन्हें सेवा से विरत कर दिया गया है ? क्या इन्होंने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था, जिसका फैसला मा० उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में दिनांक 13-9-93 को किया है ? यदि हां, तो क्या इसकी प्रति वन संरक्षण सामाजिक वानिकी वाराणसी को दे दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त फैसले के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इनकी नियुक्ति टंकण लिपिक के रिक्त पदों पर की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि सन् 89 से फरवरी, 94 तक कितने पद टंकण लिपिक के रिक्त हैं ?

श्री भगवती सिंह–

श्री ओम प्रकाश लाल ने वन संरक्षक वाराणसी वृत्त–I के अन्तर्गत दैनिक पारिश्रमिक पर दिनांक 15-6-89 से 14-2-92 तक कार्य किया था । कार्य की आवश्यकता न होने के कारण इन्हें 15-2-92 से कार्य से हटा दिया गया था । मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 13-9-93 के अनुपालन में इन्हें पुनः दिनांक 11-10-93 से दैनिक पारिश्रमिक पर रख लिया गया है । वन संरक्षक वाराणसी वृत्त प्रथम के अन्तर्गत टंकण/लिपिक का कोई पद वर्ष 1989 से फरवरी, 1994 तक रिक्त नहीं है ।

जनपद व परगना उत्तरकाशी की तहसील-मटवारी के ग्राम-बाड़ाहार में प्रश्नगत गाटों के इन्द्राज की जांच की मांग

34–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि आराजी खतौनी खाता 393, गांव बाड़ाहार परगना उत्तर काशी तहसील मटवारी, जिला उत्तर काशी के नम्बर 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2559, 2562, 2551, 2761, दस गाटा का प्रबन्ध शिक्षा विभाग के हाथ में है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ए० आर० ओ० साहेब के आदेश मु० नं० 2/11/62 हाल नं० 2551, 2552 में पुलिस विभाग व रेवेन्यू विभाग व शिक्षा विभाग के भवन बन जाने का आदेश है कि मरम्मत कर इन्द्राजी की ? क्या वह इन्द्राज खतौनी पर 26-11-64 का है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह भी जांच करायेगी कि शिक्षा विभाग की जमीन को बिना सरकार के आदेश के चुपके-चुपके कैसे इन्द्राज कर दिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन को उपरोक्त लोग कब्जा करना चाहते हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

गाटा संख्या–2539 खाता खतौनी से 393 में दर्ज नहीं है और न ही यह गाटा शिक्षा विभाग के नाम है । यह कथन सही है कि भूखण्ड संख्या–2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2559, 2562 व 2557/2761 कुल 10 गाटे वर्तमान समय ग्राम बाड़ाहाट तहसील भटवाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार प्रबन्धक शिक्षा विभाग के नाम भू-अभिलेखों में दर्ज है । यह सही है कि ए० आर० ओ० द्वारा खसरा नं० 2551 व 2552 के लिये पुलिस विभाग, राजस्व विभाग व शिक्षा विभाग के भवन बन जाने के आदेश हैं, की मरम्मत कर इन्द्राजी के आदेश हैं । यह आदेश तत्समय की खतौनी में अपमार्जन हुआ तथा बन्दोबस्त जिल्द के बाद से जो खतौनियां तैयार की गई उनमें यह आदेश हटा दिया गया है । ए० आर० ओ० के आदेश में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग व शिक्षा विभाग के भवन बनने के आदेश दर्ज किया है । भूमि को इन विभागों के नाम दर्ज नहीं किया गया है । संदर्भित भूमि पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग व शिक्षा विभाग के भवन बन्दोबस्ती जिल्द बनने के समय से बने हुये हैं । राजस्व अभिलेखों में चुपके-चुपके कोई इन्द्राजी नहीं की गई है ।

गाटा संख्या–2257/2761 उत्तर प्रदेश सरकार प्रबन्धक शिक्षा विभाग के नाम भू-अभिलेखों में दर्ज है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम-अनेई स्थित जूनियर हाई स्कूल की भूमि के प्रकरण में जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश

35–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी उत्तरी वाराणसी ने एक पत्र संख्या 1714/एस० डी० ओ० का (30), दिनांक 9-5-92 के द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-5-90 के बारे में जो जूनियर हाई स्कूल अनेई की भूमि अन्य व्यक्तियों के चक मे मिलाने के संबंध में था, उसका उत्तर दिया गया कि तहसीलदार वाराणसी द्वारा जांच कराये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है और संबंधित कागजात मूल रूप से संलग्न करते हुए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी वाराणसी को भेजी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त कागजात भेजे गये ? यदि नहीं, तो

क्यों और क्या अब जूनियर हाई स्कूल अनेई बड़ागांव जिला वाराणसी के नाम जमीन कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या जिन चकबन्दी अधिकारियों व कर्मचारियों ने नान जेड खंतौनी की जमीन को दूसरे के चकों में शामिल किया था, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । परगनाधिकारी उत्तरी के पत्रांक 1713/एस० डी० ओ० वा० (30) दिनांक 25 मई, 1992 द्वारा माननीय विधायक का पत्र दिनांक 24-5-90 तहसीलदार सदर की आख्या के साथ चकबन्दी विभाग को भेज दिया गया ।

जी नहीं । विवाद उप संचालक चकबन्दी वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रकरण में जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद मथुरा के ब्लाक-फरह के अन्तर्गत ग्राम-दौलतपुर में प्रश्नगत भूमि की जांच हेतु निर्देश

36–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की तहसील मथुरा ब्लाक फरह के अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर के चकबन्दी के दौरान चक नं० 400 रकबा 263 एअर उक्त में से कैलाशी, प्रभु अनुसूचित जाति तथा जगदीश आदि सवर्ण के नाम में से प्रभु अनुसूचित जाति द्वारा निर्मित आबादी मकान आदि को चकबन्दी के लिए तैनात लेखपाल एवं कानूनगो तथा ए० सी० ओ० कर्मचारियों द्वारा जबरन सवर्ण जगदीश आदि के नाम पर्चा नं० 23 में काटा गया है तथा उसी में दर्शाया गया है ? क्या यह सत्य है कि प्रारम्भ में ही अनुसूचित जाति एवं सवर्ण के व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे के कांबिज हिस्से में से दिये जाने तथा लिए जाने वाली भूमि को लेने से इन्कार लिखित में किया गया था ? यदि हां, तो पर्चा 23 से पूर्व संशोधन क्यों नहीं किया गया है ? क्या उक्त कर्मचारियों को जोकि दोषी हैं, उन्हें सरकार द्वारा बर्खास्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मथुरा तहसील में चकबन्दी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गोपनीय जांच सी० बी० आई०, सी० आई० डी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रश्न में उल्लिखित चक संख्या–400 रकबा 263 एअर सही नहीं है वरन् गाटा सं०–400 है जिसका रकबा 263 एअर है । उक्त गाटा खाता सं०–54 में श्री जगदीश प्रसाद, परमानन्द मेघश्याम, दाऊ दयाल व हरीशंकर पुत्रगण श्री कन्हैया लाल, महेश चन्द्र वयस्क व सुनील कुमार अवयस्क पुत्र स्व० श्री त्रिलोकी नाथ संरक्षिका श्रीमती उर्मिला माता स्वयं निवासी चन्द्रभान के नाम दर्ज है तथा गाटा सं०–400 मि० 789 एअर खाता सं०–95 में श्री पूरन चन्द पुत्र सुखराम निवासी हाल रिजमन नगला काजीपाडा कलेक्ट्री आगराव दीपचन्द, विजय सिंह व त्रिलोकी पुत्रगण प्रभू व कैलाशीदत्तक पुत्र गेंदा के नाम संक्रमित भूमिधर अंकित है । इसमें से गाटा सं०–400/1 रकबा 110 एअर आबादी हेतु चकबन्दी से प्रथक करते हुए दोनों खातों में आनुपातिक फांट करके जोत चकबन्दी पत्र–5 वितरित किया गया ।

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत खाता सं०-95 के खातेदारान, जो अनुसूचित जाति के हैं, द्वारा प्रश्नगत गाटे का कुरे के आधार पर प्रस्तुत वाद सं०–2135 में पारित आदेश दिनांक 16-10-93 द्वारा गाटा सं०–400/1-110 एअर में से 083 एअर ही दर्ज किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया है । तदनुसार ही चकबन्दी के अभिलेखों में दर्ज करके जोत चकबन्दी आकार

पत्र–23 का उद्धरण वितरित किया गया है । जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा ।

चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही की गयी है । प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराने हेतु चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया है जिसके उपरान्त ही उक्त विषय पर निर्णय संभव होगा ।

जनपद मथुरा में गोवर्धन तहसील बनाने की मांग

37–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मथुरा जनपद में गोवर्धन तहसील बनाया जाना शासन से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

यह प्रकरण विचाराधीन है । जिसे अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है । अभी समिति की आख्या/संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है । प्राप्त होने पर मामले में विचार किया जायेगा ।

उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित फर्नीचर उद्योग एवं आरा मशीनों हेतु लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग

38–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित फर्नीचर उद्योगों व आरा मिलों को वन विभाग या वन निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित डिपो से लकड़ी के कच्चे माल की आपूर्ति नहीं की जाती है और उन्हें सौ-सौ कि० मी० दूर से कच्चा माल लेकर वापस पर्वतीय क्षेत्र में ले जाना पड़ता है ? क्या यह भी सही है कि कच्चा माल यानी पेड़ों का कटान कर इन्हें मैदानी क्षेत्र में लाया जाता है ? क्या सरकार फर्नीचर उद्योगों आरा मशीनों को उनके उद्योग के समीप ही लकड़ी का आवंटन करने का निर्णय लेगी जिससे कि उक्त कुटीर उद्योग समाप्त न हो सके । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर वन निगम के 76 डिपो खोले गये हैं । इनमें से पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में 71 ऐसे डिपो हैं, जहां से पर्वतीय क्षेत्र के नागरिक, संस्थायें एवं प्रकाष्ठ आधारित उद्योग आवश्यकतानुसार मांग प्रस्तुत करके उन क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रकाष्ठ प्राप्त कर सकते हैं । शेष 5 डिपो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हल्द्वानी, लालकुआं, कालाढूंगी, रामनगर, एवं पतरामपुर में इस प्रकार के हैं, जहां से पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित प्रकाष्ठ आधारित उद्योगों को वांछित प्रकाष्ठ उपलब्ध कराया जाता है ।

जी नहीं ।

नियमानुसार स्थापित फर्नीचर उद्योग तथा आरा मशीनों को वन निगम के डिपो से नियमित रूप से लकड़ी उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की सदर तहसील के ग्राम सोनूघाट में सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जों को हटाने की मांग

39–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया तहसील सदर ग्राम सोनूघाट में देवरिया नगर से सटे देवरिया बरहज रोड किनारे की सार्वजनिक भूमि गाटा सं०–425, 367, 369, 370, 369, 365, 364, 377 एवं 078 जिसकी बाजारी कीमत लगभग 10 लाख रुपये होगी भूतपूर्व प्रधान एवं उनके पट्टेदारान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में पंचायत घर की भूमि गाटा संख्या 377 एवं गोदाम की भूमि गाटा संख्या 78, जिसकी बाजारी कीमत 5 लाख रुपये है, पर अवैध कब्जा हो गया है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद रामपुर की तहसील स्वार के ग्राम धीरज नगर का मझरा का तालाब का पट्टा मत्स्य पालन हेतु दिया जाना

40–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की घोषणानुसार प्रदेश में तालाबों का पट्टा गांव के ही निवासी एवं मछली पालकों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद रामपुर की तहसील स्वार के ग्राम धीरज नगर का मझरा का तालाब का पट्टा क्या दूसरे गांव के सवर्ण अल्पसंख्यक के नाम से दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम धीरज नगर तहसील स्वार का तालाब गाटा सं०–357/0-769 हेक्टेयर व गाटा सं०–265/0-332 हेक्टेयर का पट्टा शासनादेश संख्या– 10-3-57 (9)/82–रा–2, दिनांक 24-4-1990 के अनुसार पट्टा दिनांक 27-10-92 को किया गया ग्राम धीरज नगर में कोई कंहार या मछुआ समुदाय अथवा इच्छुक अनुसूचित जाति का व्यक्ति निवास नहीं करता है इसलिये वरीयता के आधार पर इसी ग्राम के निवासी अन्य जाति के मत्स्य पालन प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिया गया ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त निगम द्वारा जनपद बस्ती में लाभार्थी को वाहन उपलब्ध कराया जाना

41–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त निगम द्वारा पूरे प्रदेश में छोटे व बड़े कितने वाहन अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये गये हैं ? बस्ती जनपद में कितने उपलब्ध कराये गये हैं ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1992-93 में बस्ती में वाहन क्रय न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उपेक्षा बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 176 वाहन उपलब्ध कराये जा चुके हैं ।

एक

वर्ष 1992-93 में जनपद बस्ती के एक अनुसूचित जाति के लाभार्थी को वाहन क्रय कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उत्तरकाशी की तहसील भटवाड़ी के ग्राम बाड़ाहाट में उल्लिखित गाटों का शिक्षा विभाग के नाम इन्द्राज

42–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नम्बर 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2559, 2562, 2551, 2761, ग्राम बाड़ाहार पट्टी परगना उत्तर काशी तहसील भटवारी जिला उत्तर काशी की खतौनी खाता नं० (393) के मालिक शिक्षा विभाग के प्रबन्धक हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि ता० 21-11-62 व 26-11-64 व 26-11-64 को ए० आर० ओ० साहेब ने दूसरे विभागों को (पुलिस शिक्षा रेवेन्यू) व रेवेन्यू विभाग के भवन व पुलिस कृषि, स्वास्थ्य व रेवेन्यू विभाग को आदेश देकर उपरोक्त विभागों में दे दिया ? क्या डिप्टी कमिश्नर नं०-2562 रकबा 13 बिस्वा भूमि पर काशी मुमुक्ष भवन समादाड़ी क्षेत्र उत्तर काशी के नाम मौरूसी म० नं० 7-1978-71 के द्वारा आदेश कर दिया है ? क्या सरकार सारे प्रकरण की जांच कमिश्नर से कराने की आज्ञा प्रदान करेगी और शिक्षा विभाग की जमीन को बचाने की आज्ञा देगी ?

श्री बाबू राम यादव–

भूखण्ड संख्या–2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2559, 2562, व 2557/2761 कुल 10 गाटे वर्तमान समय ग्राम बाड़ाहाट तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी की राजस्व खतौनी में उत्तर प्रदेश सरकार प्रबन्धक शिक्षा विभाग के नाम भू-अभिलेखों में दर्ज है ।

यह कथन सही है कि ए० आर० ओ० के आदेश मु० नं० 2/16-11-64 के द्वारा हाल खसरा नं० 2551 व 2552 में पुलिस विभाग रेवेन्यू विभाग व शिक्षा विभाग के भवन बन जाने के आदेश हैं की मरम्मत कर इन्द्राजी के आदेश हैं । यह आदेश तत्समय की खतौनी में दिनांक 26-11-64 को दर्ज किये गये हैं । इस इन्द्राजी के बाद इसका अपर्माजन हुआ तथा बन्दोबस्ती जिल्द के बाद से जो खतौनियां तैयार की गई हैं उनमें यह आदेश हटा दिया गया है । ए० आर० ओ० के आदेश में पुलिस, राजस्व व शिक्षा विभाग के भवन बने होने से खतौनी में यह आदेश दर्ज किया गया था । भूमि को इन विभागों के नाम दर्ज नहीं किया गया है । संदर्भित भूमि पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग व शिक्षा विभाग के भवन बन्दोबस्ती जिल्द बनने के समय से बने हुये हैं ।

गाटा संख्या–2761 शिक्षा विभाग के नाम दर्ज नहीं है । गाटा संख्या–2557/2761 उत्तर प्रदेश सरकार प्रबन्धक शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है । ग्राम बाड़ाहाट का खतौनी खाता नं० 393 के मालिक उत्तर प्रदेश सरकार प्रबन्धक शिक्षा विभाग भू-अभिलेखों में दर्ज है । खाता संख्या–13931 इस ग्राम में अंकित नहीं है । खसरा नं० 2562 का रकबा 13 बिस्वा नहीं है । अपुित 11 मुट्ठी (11/16 नाली) है

जिस पर दर्ज काशी मुमुक्ष भवन सभा दण्डी क्षेत्र का नाम अपमार्जन किया गया है व वर्तमान समय भू-अभिलेखों में उत्तर प्रदेश सरकार प्रबन्धक शिक्षा विभाग के नाम अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत हेतु औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना

43–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी वाराणसी ने क्या अपने पत्र संख्या 174/नाजिर दिनांक 20 फरवरी, 1983 के द्वारा आदेश दिया है कि चपरासी, माली, स्वीपर को दिनांक 1-7-79 से सेलक्शन ग्रेड में वेतन स्वीकृत करके वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या जी०–1456/दस–302/1981, दिनांक 30 अक्टूबर, 81 के अनुसार बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो क्या बढ़े हुए वेतनमान के मुताबिक उक्त सूची जिसमें 44 व्यक्ति हैं, उनकी पेंशन न बढ़ाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां। 44 चपरासियों, एक माली एवं एक स्वीपर को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त कर्मचारियों में से अब तक 43 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। उनमें से 39 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़े हुए दर से पेंशन मिल रही है। शेष 4 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़े हुए दर से देय पेंशन स्वीकृत करने हेतु पेंशन कागजात व अन्य औपचारिकतायें अतिशीघ्र पूर्ण कराकर पेंशन स्वीकृत करने के लिए राजस्व परिषद् को संदर्भित किया जायेगा तथा राजस्व परिषद् द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर देय पेंशन का मिलना प्रारम्भ होगा।

जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि आवश्यक आपैचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कराकर देय पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करें।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम रेंगा सरबाजपुर में वन भूमि का वनसंरक्षण अधिनियम के तहत उपयोग

44–श्री इश्तियाक अन्सारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील के ग्राम रेंगा सरबाजपुर में लगभग 90 बीघा उपजाऊ भूमि पर क्या सरकार का वन लगाने का प्राविधान था ? क्या सरकार उन भूमिहीनों को जो उक्त भूमि पर खेती करते थे भूमि वितरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत वन भूमि गैर वानिकी उपयोग में नहीं लाई जा सकती है।

45–श्री राम कृष्ण वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा लटठूडीह में धारा बावन का प्रकाशन तथा आरक्षित भूमि का विवरण

46–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा लटठूडीह तहसील मुहम्मदाबाद में चकबन्दी की प्रक्रिया कब से चल रही है ? क्या धारा 52 का प्रकाशन अब तक हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों इस ग्राम सभा में कौन-कौन मौजे हैं और उनमें से कितनी-कितनी भूमि ग्राम समाज हेतु बंजर परती, नवीन परती, आबादी हरिजन आबादी खलिहान पोखरी रास्ता नाली चकरोड भीठा सौर, स्थान आदि के लिए सुरक्षित की गयी है ? कितनी भूमि स्कूल हेतु सुरक्षित की गयी है ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद गाजीपुर तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम लट्ठूडीह का धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 11-9-65 को हुआ है तथा इस ग्राम में धारा–52 (1) का प्रकाशन दिनांक 24-9-88 को हो चुका है और ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गई हैं । ग्राम सभा लट्ठूडीह के अन्तर्गत 2 ग्राम आते हैं ग्राम लट्ठीहर एवं चक गरीब ये दोनों ही ग्राम पृथक-पृथक रूप से राजस्व ग्राम हैं । ग्राम चक गरीब गैर आबाद है । ग्राम के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कुछ मदों में भूमि अभिलेख में पहले से ही दर्ज थी तथा कुछ मदों में भूमि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत आरक्षित की गई है जिसका ग्रामवार विवरण नीचे दर्ज है :–

<u>ग्राम लट्ठूडीह</u>

नवीन परती	26-05-09 बीघा
सार्वजनिक आबादी	1-13-06 बीघा
हरिजन आबादी	2-15-03 बीघा
खलिहान	11-10-13 बीघा
नाली	9-18-09 बीघा
चक मार्ग	19-0-14 बीघा
फार्म प्राइमरी पा० जनार्दन	
इ० कालेज	0-06-0 बीघा
स्कूल फार्म जनता	2-02-18 बीघा

<u>ग्राम चक गरीब</u>

1–नवीन परती	0-08-06 बीघा
2–चक रोड	0-04-01 बीघा
3–रास्ता	0-08-11 बीघा

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विकलांग, विधवा वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही एवं स्वीकृति

47–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में विकलांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन धारक कितने-कितने हैं ? क्या यह सही है कि अभी कुछ आवेदन अनिस्तारित हैं ? क्या मंत्री जी उनके नियमित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में विकलांग भरण-पोषण अनुदान के 87 निराश्रित विधवा-भरण-पोषण अनुदान के 307 तथा वृद्धावस्था पेंशन के 3451 लाभार्थी हैं ।

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के विकलांग भरण-पोषण /निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान के क्रमशः 103 तथा 513 नवीन आवेदन पत्र अनिस्तारित हैं ।

वृद्धावस्था पेंशन का कोई आवेदन पत्र अनिस्तारित नहीं है ।

संसाधन की उपलब्धता पर ही इन आवेदन पत्रों पर स्वीकृति तथा नियमित भुगतान की कार्यवाही संभव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में वनरोजों की समस्या से निदान हेतु शासन की योजना की जानकारी

48–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में नील गायों द्वारा फसलों की लगातार बर्बादी की जा रही है । यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु शासन कोई प्रभावी योजना तैयार करके उक्त क्षेत्र की फसल को बर्बाद होने से बचाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां, वनरोजों (नीलगायों) द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट सूचना प्राप्त हुई है ।

किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु सभी क्षेत्रीय वन संरक्षकों को-अधिकृत कर दिया गया है, तथा सभी जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है ।

उक्त कार्यवाही पूर्व में ही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश वन विभाग में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

49–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम में वर्तमान समय में कितने कर्मचारी पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ? कितने वर्ष अस्थायी रूप से काम करने के बाद उन्हें स्थायी करने का नियम है ? कितने कर्मचारियों को उक्त अवधि पूरी करने के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है ? क्या सरकार इन्हें शीघ्र विनियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

वन निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर निगम में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी अस्थाई हैं। वन निगम एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है इसमें कर्मचारियों की संख्या कार्य की उपलब्धता के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। वन निगम में विभिन्न वर्गों के कुल 3054 पद अस्थाई रूप से स्वीकृत हैं। वन निगम की सेवा नियमावली के अन्तर्गत निगम में कार्यरत कर्मचारियों के स्थाईकरण का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में भूमि के पेड़ों के पातन संबंधी पत्रावली का लम्बित न होना

50–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई कृषक अपने नाम दर्ज भूमि के पेड़ों का पातन वन विभाग की स्वीकृति पर कर सकता है ? यदि हां, तो जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वीकृत नाप भूमि के पेड़ों के पातन की पत्रावली अब तक लम्बित क्यों पड़ी हुई है ? क्या अवैध पातन के कारण ही इन पत्रावलियों को रोका जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मौके पर तैनात वन कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं ? उक्त स्वीकृत नाप लैण्ड के पेड़ों की पत्रावली पर कब तक पेड़ों के पातन की अनुमति शासन द्वारा दे दी जायेगी ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां।

कोई पत्रावली लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त के सुदृढ़ीकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों पर निर्णय विचाराधीन

51–श्री मोहम्मद अरशद खां–

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त के सुदृढ़ीकरण संबंधी प्रश्नकर्ता के सुझाव, जो उनके कार्यालय में पंजी क्रम संख्या–916 दिनांक 22-2-94 को अंकित है, के प्रसंग में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? इसके किन-किन बिन्दुओं पर शासन सिद्धान्तः सहमत है ? किन बिन्दुओं पर शासन द्वारा अभी निर्णय लिया जाना शेष है ?

श्री भगवती सिंह–

मा० सदस्य के प्रश्नगत पत्र में दिये सुझावों पर निर्णय विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा उत्तरी वन प्रभाग में वन माफियाओं द्वारा वन सम्पदा के अवैध कटान की जांच के आदेश

52–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग में वन माफियाओं द्वारा आजकल अवैध रूप से वन सम्पदा का कटान व दोहन तेजी से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च अधिकारियों को भेजकर उक्त जंगल की कांविग कराकर, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

प्रश्नगत मामले में जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जानी संभव होगी।

जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर व भदोही में बकायेदारों से सरकारी वसूली के लम्बित मामलों का विवरण

53–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी तहसील ज्ञानपुर और भदोही में एक लाख से ऊपर की सरकारी वसूली के कितने मामले लम्बित हैं ? इन बकायेदारों में प्रत्येक तहसील में पांच-पांच व्यक्ति कौन हैं ? सरकार द्वारा धन वसूली के क्या उपाय किये गये ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ नगर में अवशेष निराश्रित विधवाओं, वृद्धों तथा विकलांगों की पेंशन के भुगतान की मांग

54–श्री सतीश भाटिया–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में वर्ष 1993-94 में जनवरी, 94 तक कुल कितने वृद्धों, विधवाओं तथा विकलांगों को पेंशन दी गयी तथा कितने शेष हैं ? क्या उन शेष लोगों को मार्च, 94 तक पेंशन भुगतान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

लखनऊ नगर में वर्ष 93-94 में जनवरी, 94 तक 3304 वृद्धों, 1383 निराश्रित विधवाओं एवं 401 विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान का भुगतान किया गया। मार्च, 94 तक 250 वृद्धों, 618 विधवाओं एवं 102 विकलांगों को इसके अतिरिक्त भरण-पोषण अनुदान प्रदान किया गया तथा शेष 340 वृद्ध 739 विधवाओं एवं 200 विकलांगों को संसाधन की कमी के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया स्थित समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार में आरोपित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

55–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि 23 मार्च, 1992 को विशेष सचिव, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के सम्बन्धी पत्र के अनुसार जनपद देवरिया के भ्रष्टाचार में आरोपित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच करवा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? क्या इन्हें सेवामुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं ।

विशेष सचिव, समाज कल्याण के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28 मार्च, 1992 के अनुसार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

जांच आख्याओं पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विभागीय जांच कार्यवाही अन्तिम होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी की तहसील रुदौली के ग्राम लोहटी सरैया इसरौलिया फिरोजपुर मखदूमी के निवासी श्री दुलारे पुत्र भिखई के नाम बैनामे का निष्पादन

56–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सब-रजिस्ट्रार रुदौली जनपद बाराबंकी ने श्री बाबा दीन पुत्र राम आधार निवासी ग्राम लोहटी सरैया, तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी से मिलकर दिनांक 28-8-93 को श्री दुलारे पुत्र भिखारी निवासी इसरौलिया, फिरोजपुर, मखदूमी तहसील रूदौली, जनपद बाराबंकी के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित हुए बिना ही उनकी भूमि गाटा सं०–1597 मि०, 1601/1 तथा 1601/2 का फर्जी बैनामा श्री राम खेलावन पुत्र भगौती व छेदी लाल पुत्र साधू निवासी गण इसरौलिया, फिरोजपुर, मखदूमी, तहसील रूदौली, जनपद बाराबंकी तथा बाबादीन पुत्र राम आधार निवासी उपरोक्त के नाम से कर दिया है ? क्या सरकार उक्त फर्जी बैनामे को निरस्त करवाकर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सही है कि उक्त भूमि का असली बैनामा दिनांक 20-8-93 को हो चुका था ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री दुलारे पुत्र भिखई निवासी इसरौलिया फिरोजपुर मखदूमी नामक व्यक्ति दिनांक 28-8-93 को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय रूदौली में उपस्थित हुए तथा इनकी पहचान करने वाले भवानी प्रसाद पुत्र श्री श्रीराम निवासी-लोहटी सरैयां व तुराब खां पुत्र श्री इम्तियाज खां, निवासी लोहटी सरैयां द्वारा किये जाने पर तथा अगूंठा निशानी लेकर, विधिक औपचारिकतायें पूरी होने पर ही बैनामा का निष्पादन किया गया है ।

यदि बैनामा फर्जी है तो पीड़ित व्यक्ति को इसके निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये ।

इस सम्पत्ति का बैनामा दिनांक 20-8-93 को हुआ था । सब-रजिस्ट्रार ने औपचारिकतायें पूर्ण करके पंजीकृत किया था । सब-रजिस्ट्रार निबन्धन नियमावली भाग–2 के, नियम–241 के अनुसार प्रत्येक लेखपत्र को निबन्धित करने के लिये बाध्य है, जिसकी अनुमति उसे निबन्धन अधिनियम व अन्य सम्पूरक अधिनियम देते हैं ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा लट्दूडीह में ग्राम समाज की भूमि को भूमिहीनों में आवंटित करने की मांग

57–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद के तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा लट्दूडीह में भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है ? क्या इस ग्राम की आबादी अथवा नवीन परती या गांव समाज की जमीनों का आवंटन किया गया है और क्या आवंटी को कब्जा दखल भी दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम समाज की भूमि पर अपात्र लोगों का कब्जा है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें बेदखल करके भूमिहीनों में जमीन बांटने और कब्जा देने की कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम बहरार में सुरक्षित भूमि के जांच हेतु चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित किया जाना

58–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद की तहसील मुहम्मदाबाद में किन-किन ग्राम सभाओं में कितने प्राइवेट स्कूलों के नाम से ग्राम समाज की भूमि चकबन्दी के मुकदमों के आधार पर या आवंटन के आधार पर दे दी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किसी प्राइवेट स्कूल के नाम से भूमि सुरक्षित करना नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत इस समय चार ग्राम करीमुद्दीन, बेलसड़ी, बहरार एवं रसूलपुर हैं । इनमें से ग्राम बहरार में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत श्री सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बहरार के लिए 0.113 हेक्टेयर भूमि सिद्धान्तों के विवरण पत्र में सार्वजनिक कटौती से सुरक्षित की गई है । शेष ग्रामों में ग्राम सभा की कोई भूमि प्राइवेट स्कूल के लिए सुरक्षित नहीं की गई है ।

जी हां ।

ग्राम बहरार में उपरोक्त भूमि किन परिस्थितियों में सुरक्षित की गई है उसकी जांच हेतु चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम महेशपुर में ग्राम समाज की भूमि को भूमिहीनों में आवंटित करने की मांग

59–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के परगना मुहम्मदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा महेशपुर में नई परती, बंजर और कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि अराजी नं०–47, 48ख, 56, 90ख, 45, 48क, 50क, 51ख, 114ख, इत्यादि की इण्टर कालेज गोड़उर जो एक प्राइवेट विद्यालय है, के नाम दर्ज कर दी गई है ? क्या इस गांव में भूमिहीनों की संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद भी गांव समांज की सारी भूमि किसी प्राइवेट विद्यालय के नाम सुरक्षित करना नीति व नियम दोनों के विरुद्ध है ? क्या उक्त इण्टर कालेज हेतु सुरक्षित गांव समाज की भूमि को पुनः गांव समाज के खाते में लेकर इस ग्राम सभा के मौजा तलखुटिया जो अम्बेडकर गांव है, को महेशपुर के भूमिहीनों में आवंटित कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर के परगना मुहम्मदाबाद के ग्राम सिपाड़ी में काबिज भूमि को ग्राम समाज में दर्ज करने की मांग

60–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के परगना मुहम्मदाबाद में ग्राम सिपाड़ी में कुल कितनी भूमि नवीन परती, बंजर, अनु० जाति आबादी, पोखरी तथा कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि के रूप में सुरक्षित की गई थी ? इसमें से कितनी भूमि गांव के भूमिहीन व्यक्तियों में आवंटित की गई तथा कितनी भूमि जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक पाठशाला के नाम दर्ज कर दी गई है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस गांव की बहुत ज्यादा जमीन गांव समाज की कुछ प्राइवेट मुकदमेबाज व्यक्तियों ने चकबन्दी की प्रक्रिया सामाप्त होने के बाद भी चकबन्दी के मुकदमों के आधार पर अनुचित व अनियमित ढंग से गांव समाज का नाम खारिज कराकर अपना नाम चढ़वा लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर ग्राम समाज की भूमि पुनः ग्राम समाज के खाते में दर्ज कराकर अनुचित कार्य में लिप्त दोषी लोगों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

61–श्री राम करन आर्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

62–श्री विश्राम सिंह यादव–

[दि० 24-3-94 को अता० प्र० सं०–16 द्वारा उत्तरित]

जनपद व तहसील झांसी के ग्राम-पिछोर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

63–श्री जसवन्त सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छोटे लाल पुत्र स्व० श्री हरू निवासी मह० नं०–208/7. डडियापुरा कैमासन की पहाड़ी, कानपुर रोड, झांसी की ग्राम पिछोर, तहसील व जिला झांसी में स्थित 59.65 एकड़ भूमि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में उपयोग हेतु तथा ग्राम तालपुरा, तहसील व जिला, झांसी में स्थित 0.32 एकड़ भूमि झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के उपयोगार्थ शासन द्वारा अधिग्रहीत की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा सम्बन्धित भूमि मालिक को भुगतान कर दिया गया है ? क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उसे पुनर्वास हेतु भूमि आवंटन एवं उसके आश्रितों को सरकारी सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या जांच कराके मुआवजे का भुगतान तथा अन्य समस्त सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ स्थित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय में प्रश्नगत नियुक्ति का मामला

64–श्री यशपाल चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में दैनिक वेतन पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उनके नाम क्या-क्या हैं ? उक्त दैनिक वेतन तृतीय श्रेणी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? क्या कार्यरत दैनिक वेतन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु माह दिसम्बर, 1990 में टंकण साक्षात्कार की परीक्षा ली गई थी ? यदि हां, तो कितने तथा कौन-कौन कर्मचारी उत्तीर्ण हुये ? क्या उत्तीर्ण कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा दिये गये ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में शासन स्तर से पत्र संख्या–482/बी० एस०/90. दिनांक 21 अक्टूबर, 1990 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां।

आठ कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके नाम और कार्यरत होने की तिथि निम्न प्रकार है :–

नाम	कार्यरत की तिथि
1. श्रीमती रजनी सक्सेना	7-5-1986
2. श्री राजेश चन्द्र सक्सेना	4-1-1988
3. श्री योगेन्द्र कुमार यादव	12-1-1988
4. श्री अजय कुमार बाजपेई	18-1-1988
5.श्री सतीश कुमार अहिरवार	30-1-1988
6. श्री लाल बिहारी	1-9-1988

नाम	कार्यरत की तिथि
7. श्री राजदेव	15-2-1989
8. श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी	1-5-1988

जी हां ।

परीक्षाफल घोषित न हो सकने के कारण कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लग जाने के फलस्वरूप परीक्षा फल रोक दिया गया । अतः नियुक्तियां नहीं की जा सकीं ।

जी हां ।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय में दैनिक वेतन चालकों को नियमित करने की मांग

65–श्री यशपाल चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में चार दैनिक वेतन चालकों की नियमित नियुक्ति आदेश संख्या–सी–146/बा० वि० परि०/90-91, दिनांक 1 सितम्बर, 1990 के द्वारा मुख्यालय पर की गई है ? यदि हां, तो क्या निदेशालय स्तर में दैनिक वेतन पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं ? यदि हां, तो कब से और कितने ? क्या इन कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी मुख्यालय के चालकों की तरह नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

जी हां ।

निदेशालय में कुल आठ कर्मचारी दैनिक वेतन पर नियुक्त हैं जिसमें एक वर्ष 1986, छः 1988 तथा एक 1989 से कार्यरत हैं ।

जी हां ।

शासन द्वारा दिनांक 28-5-93 को निदेशक को यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि भविष्य में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय के अन्तर्गत जो भी चयन किया जाये उसमें प्रश्नगत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया जाये । अतः चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर प्रश्नगत कर्मियों को नियमित करने पर विचार करना सम्भव हो पायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० समाज कल्याण निदेशालय में लिपिकों की नियुक्ति में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन

66–श्री यशपाल चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिट संख्या–5 5655/90, 1264/91, 10020/ डब्लू०/एस० एस०/93 में पारित आदेशों की प्रति निदेशालय आई० सी० डी० एस० में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब ? क्या उसमें पारित आदेशों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि

नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त याचिकाओं में पारित आदेशों का पालन किया जायेगा, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

रिट याचिका सं० 5655/90 में पारित आदेश दिनांक 24-1-94 की प्रतिलिपि दिनांक 17-2-94 को, रिट सं०–1264/91 में पारित आदेश दिनांक 5-3-91 एवं 9-4-92 की प्रतियां क्रमशः 11-3-91 एवं 13-4-92 तथा रिट सं० 10020/93 में पारित आदेश दिनांक 24-12-93 की प्रति दि० 5-1-94 को प्राप्त हुई ।

जी नहीं, क्योंकि याचिका सं० 5655/90 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-1-94 के अनुसार याचीगण के प्रत्यावेदन दिनांक 13-3-89 पर निर्णय लेने के आदेश हैं परन्तु इस निदेशालय में याचीगण के प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं थे जिन्हें निदेशालय के पत्र सं०–615254/दिनांक 11-3-94 द्वारा मांगा गया परन्तु याचीगण में से एक का ही प्रत्यावेदन दिनांक 23-3-94 को प्राप्त हुआ है । शेष दो याचीगण के प्रत्यावेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए ।

रिट याचिका 1264/91 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5-3-91 में यह आदेश हैं कि नियमित चयन के समय याचीगण की नियमित नियुक्ति पर पहले विचार किया जाय चूंकि निदेशालय में अभी तक लिपिक वर्ग की नियमित नियुक्ति नहीं हुई है इसलिए याचीगण की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सका । जब भी लिपिकों की नियुक्ति होगी तब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

याचिका सं० 10020/93 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-12-93 को आदेश दिये गये कि याची के प्रत्यावेदन दिनांक 23-1-91 पर उचित आदेश पारित किये जायें । याची का कथित प्रत्यावेदन निदेशालय में प्राप्त नहीं है, जिसे निदेशालय के पत्र सं० 138-40/8-4-94 द्वारा मांगा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

तदैव

जी हां । ऊपर स्तिाति स्पष्ट कर दी गई है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील-नौगढ़ के ग्राम पनेरा, तप्पा नेतदर के मृतक निवासी श्री सुग्रीव पुत्र हरीराम के आश्रित को दैवी आपदा सहायता न दिये जाने की शिकायत

67–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के ग्राम पनेरा, तप्पा नेतदर में गत बरसात के समय सुग्रीव पुत्र हरीराम उम्र 20 वर्ष डूबकर मर गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस तरह से डूब कर मर जाने वाले व्यक्ति के आश्रित को दैवी आपदा सहायता दी जाती है ? यदि हां,तो क्या उक्त मृतक के आश्रितों को सहायता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

तहसील नौगढ़ में ग्राम पनेरा तथा नेतदर के निवासी श्री सुग्रीव पुत्र हरीराम की मृत्यु बरसात/बाढ़ के पानी से डूबकर नहीं हुयी है बल्कि बाढ़ समाप्त होने के 15 दिन पश्चात् ग्राम जमुनिहवा स्थित सुगही नाला में डूब कर हुयी थी। इस प्रकार की घटनाओं में दैवी आपदा सहायता नहीं दी जाती है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में भूमिहीनों के आवंटित पट्टों पर कब्जा देने की मांग

68–श्री हरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में विगत 3 वर्ष में कुल कितने भूमिहीनों को पट्टे दिये गये तथा उनमें से कितने लोगों को कब्जे मिले हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में विगत 3 वर्षों में 224 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि आवंटित की गयी है। सभी आवंटियों को आवंटन के पश्चात् कब्जा दिला दिया गया है।

69–श्री राम कुमार शुक्ल–

[8वें बुध में अता० प्र० सं०–187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के चकबन्दी विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन

70–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० के पत्र सं०–18923/ई-329/91, दिनांक 25 दिसम्बर, 1992 के अनुसार बांदा जनपद के चकबन्दी विभाग में अनुसूचित जाति के रिक्त कोटा में कनिष्ठ लिपिकों के पांच रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 27-7-92 को अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या अनुमोदित सूची के क्रमांक 1 व 2 की नियुक्ति की जा चुकी है ? क्या अन्य चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चयनित सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों के अन्य विभागों में सेवारत होने के कारण (उपलब्ध न होने की दशा में) प्रतीक्षा सूची के उपलब्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके सेवा का अवसर प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

चकबन्दी आयुक्त के पत्र दिनांक 16-10-91 के अनुसार जनपद बांदा में कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर अनुसूचित जाति के 5 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 27-7-92 को किया गया था।

जी हां,

चयनित सूची के क्रमांक–3 पर उल्लिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति की गयी थी, जिसने अन्यत्र सेवा में होने के कारण कार्यभार ग्रहण करने से इन्कार कर दिया। फलस्वरूप उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गयी। इसी बीच शासनादेश दिनांक 10-12-93 द्वारा नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध (मृतक आश्रित को छोड़कर) लगे होने के कारण नियुक्ति सम्भव नहीं है। जनपद बांदा में कार्यरत एक चकबन्दी कर्त्ता की मृत्यु के फलस्वरूप उसकी पुत्री को मृतक आश्रित होने के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति किये जाने के आदेश हो चुके हैं। कनिष्ठ लिपिक का अन्य कोई पद रिक्त नहीं है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र रारी में वनरोजों को नष्ट करने हेतु अनुज्ञा पत्र का जारी किया जाना

71–श्री लालजी यादव उर्फ जोगी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रारी, जनपद जौनपुर में नीलगायों का बड़ा ही आतंक व्याप्त है जिससे कि किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं ? क्या नीलगायों के आतंक को समाप्त करने एवं फसलों को सुरक्षित रखने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नीलगायों के आतंक को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां, नीलगायों (वन रोजों) द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान किए जाने की छिटपुट सूचना प्राप्त हुई है।

जी हां।

किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिये अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु सभी क्षेत्रीय वन संरक्षकों को अधिकृत कर दिया गया है, तथा सभी जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र धुरियापार के कतिपय ग्रामों को बाढ़ से बचाने के उपाय

72– डा० मोहसिन–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र धुरियापार के संबंधित ग्राम रतनपुर, मलौली, हरिहरपुर, बनकटी हराटीकर, मठरामगीरी जिगिनिया उर्फ साहपुर बेलाब, फूलवरिया, बसही कटया, जितवारपुर, राईपुर, भमया, लक्ष्मी चक सिसवा बाबू, चपरहटा, गाय घाट, घाईपुर सिधयाना दिलावर चक, विसम्हरा मझौली भीसियां विशुनी बेरडीह आदि 50 गांव घाघरा व कुआनों नदी के बाढ़ के पानी व अतिवृष्टि से प्रतिवर्ष जल प्लावित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या इससे बचने हेतु गांव की पटाई व सड़क को ऊंचा कराने हेतु अथवा बन्धे की मरम्मत करने हेतु क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कारगर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादू राम यादव–

विधान सभा क्षेत्र धुरियापार से सम्बन्धित तहसील गोला के ग्राम-रतनपुर बलौली, हरिहरपुर, बनकटी, दिलावर चक, सिधवाना, बौरडीह, घाघरा व कुआनों नदी में अत्याधिक बाढ़ आने पर आबादी के चारों तरफ खेतों में पानी आ जाता है। ग्राम रतनपुर, दिलावर चक की आबादी में अत्यधिक बाढ़ आने पर पानी आ जाता है। तहसील खजनी के ग्राम डेहराटीकर, महरामगिरी, जिगिनिया उर्फ शाहपुर बेलाव, मझौली, भिसिया व कोटिया, विशुनी, कुआनों नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण चारों तरफ पानी से घिर जाते हैं लेकिन आबादी में पानी नहीं पहुंचा है। ग्राम कटया, जोतवारपुर, राईपुर, भमया,

लक्षीचक, सिसवा बाबू, चपरहटा, गायघाट, विसम्भरा, घाघरा नदी में बाढ़ आने पर चारों तरफ से घर जाते हैं लेकिन आबादी में पानी नहीं पहुंचा है। ग्राम नरगढ़ा, सिसवाबाबू, टाकरपुर, ग्रामों के पुरवे, जो बन्धे से दक्षिण तरफ हैं, घाघरा नदी में अत्यधिक बाढ़ आने पर आबादी में पानी घुस जाता है। लेकिन मकानों के अन्दर पानी नहीं पहुंचा है।

उक्त सभी ग्रामों की पटाई व सड़कों को ऊंचा करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। बन्धों के सामान्य मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार बाढ़ खण्ड द्वारा किया जाता है।

जनपद बांदा के वन विभाग के अन्तर्गत गृह जनपद में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनाती

73–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश के नियम के अन्तर्गत कोई भी डिप्टी रेंजर अपने ही गृह जनपद में कार्यरत रह सकता है ? यदि हां, तो बांदा नगर के मूल निवासी श्री अजीजुद्दीन खां पुत्र हिसामुद्दीन खां, उ० प्र० बांदा वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर किस नियम के तहत विगत दो वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त स्थान पर इनकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी /जूनियर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के उच्चीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन

74–श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी/जूनियर स्तर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का उच्चीकरण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासनादेश में प्रतिवर्ष एक कक्षा उच्चीकृत करके हाई स्कूल तक किये जाने का प्राविधान है ?

श्री राज बहादुर–

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के उच्चीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सैधवार जसरा बारा की श्रीमती लिलोर पत्नी स्व० गिलवा को स्वीकृत विधवा भरण-पोषणअनुदान

75–श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती लिलोर पत्नी स्व० गिलवा ग्राम-सैधवार जसरा बारा, इलाहाबाद के नाम कब से विधवा पेंशन स्वीकृत हुई हैं ? क्या उक्त पेंशन सम्बन्धित विधवा महिला को भुगतान की गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान अब तक किसे किया जाता रहा ? क्या अनियमित भुगतान धनराशि की वापसी एवं इस अनियमितता के लिये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जांच कराकर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

श्रीमती लिलोर पत्नी स्व० गिलवा ग्राम सेन्धुवार, जसरा, बारा इलाहाबाद के नाम वर्ष 1984-85 से विधवा भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत है।

वर्ष 1992-93 की धनराशि का भुगतान किया गया है। एवं शेष अवधि के भुगतान के बारे में पुष्टि के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुष्टि के बाद यदि अनियमितता पायी गयी ती आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील-बारा के ग्राम-नीबी के पोस्ट-लोहगरा बाजार के निवासी-श्री राम औतार पुत्र देवी आदिवासी के वृद्धा पेंशन पावती की जांच एवं नियमित भुगतान के आदेश

76-श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम औतार पुत्र श्री देवी आदिवासी ग्राम नीबी, पोस्ट लोहगरा बाजार, तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद को वृद्धावस्था पेंशन जिलाधिकारी कार्यालय से चेक संख्या-5355/270, दिनांक 3-4-93 द्वारा 1200/- भेजा गया ? यदि हां, तो क्या उक्त पेंशन संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या संबंधित पेंशन भोगी व्यक्ति को रेगुलर पेंशन का भुगतान किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर-

जी हां ।

डाकघर से पावती रसीद अथवा मनीआर्डर की धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई है । इस विषय में अधीक्षक डाकघर इलाहाबाद की जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

कार्यवाही जांच आख्या पर निर्भर होगी ।

नियमित भुगतान हेतु पहले से ही आदेश है ।

जनपद लखनऊ स्थित इन्द्रा नगर कालोनी के ए० ब्लाक में प्रस्तगत सड़क के निर्माण कार्य में व्यय धनराशि

77-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् ने वर्ष 1980 से 1993 तक इन्दिरानगर, लखनऊ ए० ब्लाक, 1407/11 से लेकर सेक्टर 22 भूखण्ड संख्या-604 तक क्या कोई सड़क का निर्माण कार्य कराया है ? यदि हां, तो किन-किन इंजीनियर व ठेकेदार द्वारा किस-किस दिनांक को ? सड़क की लम्बाई व चौड़ाई कितनी है और उक्त कार्य में कितना धन व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा-

जिला परिषद्, लखनऊ द्वारा वर्ष 87-88 में इन्दिरानगर लखनऊ ए० ब्लाक 1407/11 से लेकर सेक्टर 22 भूखण्ड संख्या-604 के मध्य मिट्टी भराई का कार्य करके सड़क निर्माण किया गया था । निर्माण कार्य श्री विनोद कुमार मखीजा, प्रभारी अभियन्ता व श्री जावेद हुसेन सिद्दीकी ठेकेदार द्वारा दिनांक 24-10-87 से 14-3-88 तक कराया गया था । सड़क की कुल लम्बाई 114 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर थी । इस कार्य में कुल अंकन रुपया 39353.94 व्यय हुआ ।

78-डा० राम बाबू हरित-

। 8वें बुद्धवार में अता० प्र० सं०-170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

79–श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा में वृद्ध विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण की मांग

80–श्री मदन भैया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र में विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन धारक कितने व्यक्ति हैं ? कितने आवेदन पत्र निस्तारण हेतु शेष हैं ? क्या पेंशन धारकों के नियमित भुगतान एवं लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा सड़क के दोनों ओर किसानों को पेड़ों का पट्टा देने पर रोक को हटाने की मांग

81–श्री राम अचल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव (वन अनुभाग–3) ने सड़क के किनारे वाले पेड़ों का पट्टा किसानों को देने पर जो रोक अपने गोपनीय अर्धशासकीय पत्र सं०–3445/14-3-92 द्वारा लगायी थी क्या अब भी लागू है ? यदि हां, तो क्या शासन जनहित में यह पाबन्दी उठा लेने पर विचार करेगा ?

श्री भगवती सिंह–

प्रश्नगत शासनादेश प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के प्रश्नगत विकास खण्ड में समेकित बाल विकास परियोजना लागू करने की मांग

82–श्री हृदय नारायण–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समेकित बाल विकास परियोजना किसी विकास खण्ड में लागू करते समय सरकार कौन-कौन से मानक अपनाती है ? क्या यह सच है कि उन्नाव जिले के सभी विकास खण्डों में उक्त योजना लागू है मगर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील पुरवा के 4 ब्लाक हिलौली, पुरवा, बीघापुर व सुमेरपुर को इससे वंचित रखा गया है ? क्या सरकार अवगत है कि कमजोरों व पिछड़ों की संख्या सर्वाधिक हिलौली विकास खण्ड में है ? इन सभी विकास खण्डों में उक्त योजना कब तक लागू होगी ?

श्री राज बहादुर–

समेकित बाल विकास योजना का चयन एवं स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

उन्नाव के सभी विकास खण्डों में योजना लागू नहीं है जिसमें प्रश्नगत विकास खण्ड भी सम्मिलित हैं ।

जी नहीं । अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या अन्य विकास खण्डों की तुलना में सर्वाधिक नहीं है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि समेकित बाल विकास परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा ही प्रदान की जाती है अतः प्रश्नगत विकास खण्ड में योजना भारत सरकार द्वारा ही लागू की जा सकती है ।

जनपद व तहसील उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के निवासियों को ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग

83–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद व तहसील उन्नाव के बिछिया विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम तौरा, बिछिया, दरोगा खेड़ा, पंचमखेड़ा, तारगांव, मद्दीखेड़ा आदि सैकड़ों ग्रामों में पिछले वर्ष मर्च, 93 में भीषण ओला वृष्टि हुई जिसके कारण हजारों किसानों की रबी और आलू आदि की फसल 90 से लगाकर 100 प्रतिशत तक नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो उन किसानों को सरकार के द्वारा क्या-क्या राहत दिलायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? निकट भविष्य में उनको कब तक राहत दिलायी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद उन्नाव की बिछिया विकास खण्ड के 61 ग्रामों की 225 कृषकों की ओलावृष्टि से 90 से 100 प्रतिशत तक फसलें पिछले वर्ष नष्ट हुई थी । फसलों को नष्ट होने से रबी फसल में मालगुजारी माफ कर दी गयी थी । ओले से प्रभावित किसानों के लिये राहत हेतु शासन द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को धनराशि स्वीकृत की गयी थी । परन्तु स्वीकृत धनराशि ओला प्रभावितों में वितरित नहीं किया गया। चूंकि ओला वृष्टि विगत वर्ष मार्च, 93 में हुई थी अतएव अब इतने विलम्ब से राहत दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

भूमि प्रबन्धक समिति, लखनपुर उर्फ अभयेनपुर, तहसील भदोही, जिला वाराणसी के अन्तर्गत ग्राम किटारीपुर की ऊसर भूमि की फर्जी तथा अपात्र आवंटियों की जांच

84–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के छठें गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–178 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, वाराणसी ने आराजी नं०–13/489 गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयेनपुर में भिखारीपुर परगना व तहसील भदोही, जिला वाराणसी की रक्षा हेतु ए० डी० एम०, ज्ञानपुर, वाराणसी को आदेश दिया था और उक्त आराजी का आवंटन प्रस्ताव के निरस्तीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), ज्ञानपुर के न्यायालय में आख्या प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या आवंटन प्रस्ताव रद्द किया गया कि नहीं ? क्या यह भी सही है कि लखनपुर उर्फ अभेयनपुर की आराजी नं० 63 व 13/489 व 13/493 को गलत तरीके से आवंटन किया गया था ? अब इस संबंध में क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ स्थित राजस्व विभाग में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

85–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में जनपद लखनऊ में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण का कोटा क्या राजस्व विभाग में पूरा हो गया है? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट, जनपद लखनऊ में समूह "ग" के 750 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 712 कर्मचारी कार्यरत हैं इनमें से 131 अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं जिनका आरक्षण कोटा 18 प्रतिशत है तथा समूह "घ" में 381 पद स्वीकृत हैं जिनमे से 357 कर्मचारी कार्यरत हैं इसमें से 81 अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं जिनका आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत है ।

अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी उपलब्ध न होने के कारण इस श्रेणी का कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है । शासनादेश संख्या–1/1/94–कार्मिक–1/1994, दिनांक 25 मार्च, 1994 के द्वारा लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का आरक्षण क्रमशः 21 प्रतिशत व 2 प्रतिशत कर दिया गया है जिसकी पूर्ति के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद पौड़ी तथा चमोली में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग

86–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी तथा चमोली में विगत वर्ष 24 जुलाई, 93 एवं 13, 14 सितम्बर, 93 को हुई भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि से कहां-कहां और कितनी क्षति हुई है ? क्या किसानों की सरकार द्वारा खेतों के बह जाने पर कोई विशेष योजना राहत की बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रभावित लोगों को मुआवजा मिल गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में दि० 24-7-93 एवं 13, 14 सितम्बर, 93 में ओलावृष्टि से निम्न क्षति हुई :––

तहसील का नाम	प्रभावित कृषि क्षेत्रफल (हे० मे०)	मकानों की क्षति	जीव हानि	
			मनुष्य	पशु
1–पौड़ी	6.107	340	2	49
2–लैंसडौन	22.930	320	3	91
3–कोटद्वार	2.15.816	133	2	94
4–थलीसैंण	—	259	–	24
5–धुमाकोट	8.450	143	–	9
योग =	323.303	1195	7	267

दैवी आपदा से प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने हेतु "आपदा राहत" की योजना पूर्व से है और इस योजना के तहत उक्त पांचों तहसीलों के प्रभावित व्यक्तियों को रुपया 4,81,200 अनुग्रह अनुदान, रु० 6,28,100-गृह अनुदान तथा रु० 1,55,000-अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया। नियमानुसार ओलावृष्टि से फसलों की क्षति 50% से अधिक होती है तो प्रति एकड़ 300 रु० अधिकतम रु० 1500 दिये जाने का प्राविधान है। चूंकि 50% से क्षति कम हुई थी अतएव आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चमोली में दिनांक 24-7-93 एवं 13, 14 सितम्बर, 93 को अतिवृष्टि एवं ओला से कोई क्षति नहीं हुई है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 21 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य सूचनाओं को छोड़ते हुए 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं जिनकी क्रम संख्या और विषय इस प्रकार हैं। पहली सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की है (माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे) दूसरी सूचना श्री किशन लाल दिलेर की जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ की शाखाओं में करोड़ों रुपये के कथित घपले की जांच कराने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करौदी तथा कादीपुर में हुए अग्निकांड से पीड़ित परिवारों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री राजेश कुमार की है (माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे), पांचवीं सूचना श्री सतीश भाटिया की नटखेड़ा रोड, आलमबाग लखनऊ को पेकर रोड बनवाने के संबंध में है। छठीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई से बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत तेरापुरसोली गांव में अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री हृदय नारायण की उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा में कुओं के सूखने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में है। श्री ओम प्रकाश सिंह और श्री राजेश कुमार उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनकी जगह प्रतीक्षा सूची में से सूचनाएं ले रहा हूं। पहली सूचना श्री ऊदल की कु० कटोरी देवी सहायक अध्यापिका राजकीय इण्टर कालेज, महोना, हमीरपुर को वर्ष 1971-72 से सेवा से निकाल दिये जाने से गत 13 वर्षों से विधान सभा के सामने अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री गया चरन दिनकर की प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी प्रक्रियण एवं तिलहन विकास संघ० लि० तथा मुख्य तकनीकी अधिकारी, स० स० उ० प्र०, लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में है।

शेष सूचनाएं जो शलाका में नहीं आयी हैं, अस्वीकार की जाती हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :— श्री राजेन्द्र सिंह, श्री प्रीतम सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मयंकर सिंह, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री बची सिंह रावत, श्री रमेश पोखरियाल निशंक।

(सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ की शाखाओं में करोड़ों रुपये की कथित घपले की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल दिलेर–

[महोदय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

दिनांक 30-6-93 को 62 करोड़ 35 लाख व दिनांक 30-6-92 को 9 करोड़ 63 लाख की फर्जी वसूली दिलवाकर अनियमित प्रकार से उक्त धनराशियों को ब्लाक लोन खाते में डलवाकर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाते हुए शासन को वसूली के झूठे आंकड़े भेजकर गुमराह किया गया है तथा 26 करोड़ 68 लाख कैश इनकेरी नियमों का उल्लंघन करते हुए ऋण देकर फर्जी वसूली दिखाई गई। 3 लाख बेसवां शाखा व 2 करोड़ 90 लाख हाथरस जंक्शन शाखा 20 करोड़, बैंक की अन्य शाखाओं से दिनांक 30-6-93 को विभिन्न प्रकार से लेन-देन कराते हुए फर्जी ऋण वसूली के आंकड़े शासन को भेजे गये। बैंक में लगे आडिट विभाग ने इस प्रकरण को प्रकाश में लाने हेतु कार्यवाही की तो जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, अलीगढ़ को उपरोक्त स्थिति की जानकारी होने पर बैंक में लगे हुए सीनियर आडिटर को हटा कर जूनियर आडीटर से बैंक आडिट वर्ष 1992-93 पूर्व कराकर उपरोक्त करोड़ों के घपले को दबा दिया गया।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। इससे और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न कोई और हो नहीं सकता है।]

बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करौदी तथा कादीपुर में हुए अग्निकांड से पीड़ित परिवारों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[मान्यवर, बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत भीषण अग्निकांड के ग्राम करीदी तथा कादीपुर में लगभग 50 मकानों की चल एवं अचल सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी है अग्निकांड पीड़ित परिवार के लोगों के सामने भुखमरी की भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है, इसके अतिरिक्त आवासीय संकट उत्पन्न हो गया है। प्रत्येक अग्निकांड पीड़ित परिवार को 5000/- रु० अहेतुक सहायता तथा 10,000/- रु० आवास निर्माण हेतु दिये जाने की मांग करता हूं।

इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नटखेड़ा रोड, आलमबाग, लखनऊ को पेकर रोड बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश भाटिया–

[महोदय, लखनऊ जनपद में आलमबाग सबसे पिछड़ा क्षेत्र है आज आजादी के 47 वर्ष बाद भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है वाहन के उलटने की घटनायें होती हैं। एक्सीडेन्ट बराबर हो रहे हैं आये दिन कोई न कोई घटना अवश्य हो जाती है। नटखेड़ा की सड़क मुख्य आलमबाग से जुड़ती है तथा दूसरी तरफ वी० आई० पी० मार्ग तक जाती है बीच-बीच में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, यह पता नहीं चल पाता है। इस मार्ग से दैनिक आने-जाने वाले लगभग 20 हजार लोगों की संख्या होगी और बाजार में लगभग 200 दुकानें होंगी अतः सड़क का बनना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि इस रोड को तुरन्त बनवाने की व्यवस्था की जाये अतः जानना चाहूंगा कि कब तक यह कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत तेरापुरसोली गांव में अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विश्राम सिंह यादव–

[मान्यवर, हरदोई जनपद के 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में तेरापुरसोली गांव में आग लग जाने से कई अनुसूचित जाति के मकान जलकर राख हो गये हैं। उन्हें जीवन-यापन हेतु आवश्यक जरूरत के मुताबिक सरकारी सहायता नहीं दी गयी है। जिससे यह लोग काफी दुखी हैं। बन्डारी गांव में भी आग लग जाने पर उचित मदद न मिलने के कारण लोग दुखी हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में कुओं के सूखने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण–

[मान्यवर, उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में कुओं के सूखने, पानी के लिये त्राहि-त्राहि मचने की अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवयक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कु० कटोरी देवी, सहायक अध्यापिका, राजकीय इण्टर कालेज, महोबा, हमीरपुर को सेवा से निकाले जाने से गत 13 वर्षों से विधान सभा के सामने अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ऊदल–

[मान्यवर, कु० कटोरी देवी, सहायक अध्यापिका माध्यमिक इण्टर कालेज, महोबा, जिला हमीरपुर को वर्ष 71-72 से निकाल दिया गया है । इसके पहले यह राजकीय जूनियर हाई स्कूल, बल्देव ब्लाक छाता, जिला मथुरा में कार्य कर रही थी । सन् 64–68 के बाद इसको महोबा भेजा गया । इसको न्याय नहीं मिला तो 13 वर्षों से विधान सभा के सामने अनशन कर रही हैं इसका उत्पीड़न बहुत किया गया मुकदमे भी चलाये गये ।

आज भी यह न्याय हेतु विधान सभा के सामने दारुलशफा जाने वाले मार्ग के किनारे बैठी है । अनशन तथा उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार के मुकदमों की वजह से विक्षिप्त हो गयी है । आज तक सरकार ने तथा शिक्षा विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की । इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इसे न्याय देने की मांग करता हूं ।]

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी प्रक्रियण एवं तिलहन विकास संघ लि० तथा मुख्य तकनीकी अधिकारी सह० स० उ० प्र० लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया चरन दिनकर–

[मान्यवर, सानुरोध अवगत कराना है कि प्रबन्ध निदेशक, उ० प्रदेश सह० प्रक्रियण एवं तिलहन विकास संघ लि० एवं मुख्य तकनीकी अधिकारी सह० स० उ० प्र० लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति कर्मचारियों का जातिगत आधार पर उत्पीड़न एवं शोषण किया गया है । आज तक चतुर्थ श्रेणी के अलावा अनु० जाति एवं जनजाति का कोटा किसी भी श्रेणी में पूरा नहीं है । शासनादेश सं०–255/2–बी-65 नियुक्ति (ख) अनुभाग दि० 14 मई, 1966 के विरुद्ध अनेक कर्मचारियों को लम्बे समय से कार्यरत होने के उपरान्त भी निष्कासित कर दिया गया है ।

मैंने प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गयी अनेक अनियमितताओं की जांच विषयक अनेकों पत्र लिखे हैं । लगभग 4 लाख का अधिक से वित्तीय गबन भी साबित हो चुका है । क्रय प्रभारी श्री अमरनाथ मिश्र को बचाने की नियत से झुंझुनू परियोजना राजस्थान द्वारा क्रय लगभग 2.50 लाख रुपये कीमत का सरसों का तेल ट्रक सहित गायब करके संस्था की वित्तीय क्षति उक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गयी है । जांच प्रक्रिया से अनियमितताओं के स्पष्ट होने की सम्भावना से बौखलाकर अपने रिश्तेदारों द्वारा जान से मरवा देने की धमकी भेज कर व जांच अधिकारियों को पैसे में खरीद लेने की साजिश की जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रही है । आज तक उक्त भ्रष्ट प्रबन्ध निदेशक विभिन्न जांच प्रक्रियाओं को दुष्प्रभावित करके अपनी कला में कुशलतापूर्वक भूमिका निभाता रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि भ्रष्ट एवं अनुसूचित जाति/जनजाति पि० जाति विरोधी प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध गहन जांच हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को सपष्ट आदेश पारित करने की कृपा करें । |

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से कोई भी सूचना ग्राह्य करने योग्य नहीं है, इसलिये अस्वीकार की जाती हैं ।

(व्यवधान)

जनपद लखनऊ के सहादतगंज वार्ड के मोहल्ला महमूदनगर में पुल गुलाम हुसैन के नाले की सफाई एवं निर्माण के संबंध में श्री मोहम्मद अहमद तथा खलील अहमद, निवासीगण कश्मीरी मोहल्ला, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ के सहादतगंज वार्ड के मोहल्ला महमूदनगर में पुल गुलाम हुसैन के नाले की सफाई एवं निर्माण के संबंध में श्री मोहम्मद अहमद तथा श्री खलील अहमद, निवासीगण कश्मीरी मोहल्ला, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–5 पुकारे जाने एवं श्री राकेश सचान, सदस्य, विधान सभा के उपस्थित न रहने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मुझे अनुमति दे दें मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम शहाबुद्दीनपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री जयराम सिंह तथा श्री राम नेवाज सिंह निवासीगण, जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री तेजभान सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सुल्तानपुर के ग्राम शहाबुद्दीनपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री जयराम सिंह तथा श्री राम नेवाज सिंह निवासीगण, जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

नोट :– | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

† छापी नहीं गयीं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है । मैं कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में सूचना सदन को दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 अप्रैल, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 21 अप्रैल, 1994 से दिनांक 27 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1–सदन का दिनांक 21 अप्रैल, 1994 से 27 अप्रैल, 1994 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :—

अप्रैल, 1994

21 गुरुवार	(1) वित्तीय वर्ष 1994 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–
	(क) उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 एक घन्टा
	(ख) रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 । – आधा घन्टा ।
22 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
23 शनिवार	(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	(2) जनपद गाजियाबाद के किसानों को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28-ए के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे श्री बालेश्वर त्यागी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा । – एक घंटा
24 रविवार	बैठक नहीं होगी (महावीर जयन्ती का अवकाश)
25 सोमवार	(1) निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त) ।
	(2) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

26 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

27 बुधवार — (1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2–शनिवार, दिनांक 23 अप्रैल, 1994 को नियम 51, 56, 300 तथा नियम 301 के अन्तर्गत कोई सूचना न ली जाय ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस सदन मे प्रस्तुत किया गया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 311 की सूचनाओं का नियम 56 में परिवर्तित किया जाना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियम 311 में सूचना दी गयी उसमें व्यवस्था जानना चाहता हूं । उसको आप सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

56 में उसको परिवर्तित किया है आप देख लीजियेगा ।

(व्यवधान)

राज्य के 14 विश्वविद्यालयों की सभाओं में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस राज्य के 14 विश्वविद्यालयों अर्थात् लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, कुमायूं विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं आगरा विश्वविद्यालय की सभाओं में कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के

निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 13 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालयों की सभाओं में कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा सम्यक् रूप से निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । नियम 311 के अन्तर्गत जो तमाम सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं । मेरी तरफ से इस पर सूचना मेरी और किरन पाल सिंह की है । कांग्रेस की ओर से श्री जगदम्बिका पाल की है । भाजपा की तरफ से श्री गुप्त जी और अन्य सदस्यों की सूचना है । तो इसको आप नियम 311 के अन्तर्गत सुन लें । अन्य जो सूचनायें हैं उनको आप कार्य-स्थगन में बदल दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह तय हो गया था कि जो नियम 311 के अन्तर्गत आप सूचनाएं दे रहे हैं उसको नियम 56 में परिवर्तित कर सुन लिया जायेगा ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं । इस तरह की बात हुई थी कि नियम 311 अपरिहार्य परिस्थितियों में दिये जायेंगे । जो यह गाजियाबाद में एक बच्चे के अपहरण की घटना है । इसे पाल साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने अपरिहार्य समझा । तभी इसे दिया ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सदस्यों को सुन लूंगा । जिस क्रम से सूचनाएं आयी हैं, उसी क्रम से रख दी गयी हैं ।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । अभी तक परम्परा रही है कि जिस जनपद से या जिस इलाके से, या परिक्षेत्र से घटना होती है, उस इलाके के माननीय सदस्यों को पहले सुन लेते हैं । क्योंकि उन्हें ज्यादा जानकारी होती है । श्री गुप्त जी वरिष्ठ सदस्य हैं । यह घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की है इसलिये उसी इलाके के सदस्यों को पहले सुन लिया जाये । यह मैं मा० गुप्त जी से भी आग्रह करूंगा कि वह इस व्यवस्था को मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री किरन पाल सिंह जी गाजियाबाद प्रकरण के संबंध में जिन सदस्यों ने सूचनायें दी हैं उनके नाम हैं, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल जो इस समय उपस्थित नहीं हैं । श्री राम आसरे वर्मा, श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'। अब आज बताइये कि मैं किसको पहले सुन लूं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने मेरा नाम लिया है । इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ श्री किरन पाल सिंह जी का नाम भी है । अगर वह किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचा होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री बालेश्वर त्यागी के निर्वाचन क्षेत्र का मामला है । मेरा निवेदन है कि आप श्री त्यागी जी को पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

त्यागी जी के क्षेत्र का मामला है इसलिये उनको पहले सुन लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय किरन पाल सिंह का नाम जोड़ दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, त्यागी जी के बाद मुझे सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम से चलाना है तो त्यागी जी के बाद मुझे सुन लें । चूंकि यह मामला माननीय बालेश्वर त्यागी के क्षेत्र का है और वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिये उनको पहले सुन लें । उनके बाद मुझे सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इनके बाद मुझे सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, त्यागी जी के बाद मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सबको सुनूंगा ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इस सदन में और इस सदन के बाहर सरकार के मंत्री अनेक बार प्रदेश में कानून और व्यवस्था कायम करने की बात कहते हैं लेकिन कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अभी 19 तारीख को मेरे जनपद और मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो घटना हुयी है उससे कानून और व्यवस्था की सारी पोल खुल गयी है। प्रातः 8 बजे, कविनगर में जहां से थाना आधा किलोमीटर है और जिले के अधिकारियों के आवास 700 मीटर हैं, वहां पर बंदूक की नोक पर प्रमुख उद्योगपति के 4 वर्ष के पोते को अपहरणकर्ता उठाकर गोलियां चलाते हुए ले गये और आज तक उसका पता नहीं लग सका है।

मैं कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गयी है। एक तरफ दावा होता है कि गाजियाबाद में अपराधों से निपटने की व्यवस्था की गयी है और 13 जिप्सियां लगा दी गयी हैं जो अपराधों को और यातायात को देखेंगी, चौकियां खोल दी गयीं हैं, तो अपराधियों पर नियंत्रण करेंगी लेकिन इसके बावजूद दिन दहाड़े ऐसी घटनायें हो रही हैं। यह जो घटना हुयी इसके तुरन्त बाद पुलिस को सूचना दी गयी लेकिन अपराधी निकल कर भाग गये और कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। यह बड़ा गम्भीर मामला है क्योंकि गाजियाबाद एक औद्योगिक नगर है। अभी वहां पर एक चर्म रोग विशेषज्ञ थे उनका अपहरण किया गया और फिरौती लेकर छोड़ा गया। अगर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगायी गयी तो वहां के उद्योगपति अपने उद्योगों को वहां से मजबूर होकर दूसरी जगह ले जायेंगे और वहां की औद्योगिक व्यवस्था ठप हो जायगी।

मैं कहना चाहता हूं कि या तो सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है या फिर जिनकी ड्यूटी अपराधों को रोकने में लगायी गयी है वह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और दूसरे कामों में व्यस्त हैं। वहां के दरोगाओं को जब इनकाउन्टर दिखाना होता है और अपराधी नहीं मिलते हैं, तो मुखबिर को पकड़कर इनकाउन्टर कर देते हैं एक गैंग से पैसे लेकर पुलिस वाले दूसरे गैंग के लोगों की हत्या कर रहे हैं। गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पर अपराधों को रोकने में पूर्णतः अक्षम रही है। यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका असर पूरे प्रदेश के उद्योगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर वहां पर कानून और व्यवस्था ठीक नहीं हुयी और यह धारणा बनी कि उद्योगपति और उनके परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो वह अपने उद्योग गाजियाबाद से बाहर ले जायेंगे, कई उद्योग बाहर भी जा चुके हैं इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर नियमों को स्थगित करके चर्चा करायी जाय।

(श्री प्रमोद तिवारी के पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

प्रश्नकाल में अ० सू० ता० प्रश्न संख्या–2 के चलते रहने के बीच अ० सू० ता० प्रश्न संख्या–लिये जाने एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को पुकारने के बावजूद श्री प्रमोद तिवारी को बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था नहीं ।

* श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप इस सदन के सारे सदस्यों के अधिकारों के रक्षक हैं, मैं भक्षक तो कह नहीं सकता अधिकारों का, मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं । मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 चल रहा था, उसको पूरा नहीं होने दिया और प्रश्न संख्या–1 ले लिया और अभी भी यही आपने किया, पहले श्री राजेन्द्र गुप्त जी को आपने पुकारा, उनकी सूचना भी पहले है, आपने श्री प्रमोद तिवारी जी को किस आधार पर बुला लिया ? जिस तरह से सरकार कांग्रेस के दबाव में काम कर रही है, उसी तरह से सरकार को [x x x] में काम कर रहे हैं, ये लोग तो सरकार के चमचे हैं, भांट हैं, चारण की भूमिका निभा रहे हैं, जितनी पापी सरकार है, उतने पापी ये लोग भी हैं, क्योंकि ये सरकार को समर्थन दे रहे हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपके अधिकारों को चुनौती दी जाय, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों ने दो बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया, एक तो पहला अल्पसूचित तारांकित प्रश्न माननीय पाल जी का था, वह नहीं थे, उसकी जगह मैंने प्रश्न संख्या–2 ले लिया और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का समय शेष था .....

(घोर व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय सदस्यों की जिज्ञासा यह रही कि पहले माननीय गुप्त जी बोलें, मैंने माननीय गुप्ता जी को बुला लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि माननीय बालेश्वर त्यागी जी के क्षेत्र से संबंधित मामला है, उनको पहले सुन लिया जाय, तब मैंने उनकी बात मान लिया और माननीय त्यागी जी को बुला लिया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने निर्णय दे दिया । माननीय त्यागी जी के क्षेत्र का मामला था, उनको आपने सुन लिया और माननीय किरनपाल सिंह के क्षेत्र के बगल का मामला है, अब आप माननीय किरनपाल सिंह को सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं । आप सरकार को बचाने के लिये, सरकार की रक्षा के लिये यहां नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि आप सरकार की रक्षा ज्यादा और सदस्यों की रक्षा कम करते हैं ।

(घोर व्यवधान)

| x x x |

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह आक्षेप है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, अभी डा० बहल अपहरण को बहुत दिन नहीं बीते हैं, जब सारे देश की नजरें कानून व्यवस्था की ओर उठ गयी थीं । मान्यवर, सरकार चाहे जितनी अपनी बड़ाई करे, लेकिन पुलिस उनको सुरक्षा नहीं पहुंचा सकी ।

डा० बहल के अपहरण में 50 लाख की फिरौती दी गयी, तब वह छूटे, 5 लाख और दिये गये, यह सारी बातें अखबारों में आ चुकी हैं और उस समय सरकार ने वादा किया था कि कानून व्यवस्था को मजबूती से देखेगी, लेकिन उसके बावजूद परसों 19 तारीख को एक घटना घट गयी और जिस तरह से एक उद्योगपति के परिवार के एक सदस्य को, जो एक मासूम बच्चा है, उससे निश्चित रूप से किसी की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–|xxx| यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दुश्मनी नहीं हो सकती है, उसका अपहरण किया गया और उसका अपहरण मान्यवर केवल इसीलिये किया गया है कि वह फिरौती चाहते हैं, फिरौती की रकम वसूल करने के लिये उसका अपहरण किया गया। यह सच है कि अपहरण की घटनायें गाजियाबाद में रोजमर्रा की घटनायें हो गयी हैं। अपहरण हो या न हो लेकिन धमकी जरूर दी जा रही है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

आप पापी हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर हम पापी हैं, तो आप महापापी हैं। मा० रवीन्द्र जी, मैं कुछ कहूंगा तो आपको कष्ट होगा, दिक्कत होगी। यह समझ रखियेगा। मैं स्पष्ट कहता हूं। बैठे-बैठे इस तरह से कहना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपसे में बात न करें।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

यह तो सरकार की बात बोलते हैं। इनको क्यों सुनते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे तो सभी को सुनना पड़ेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 55 लाख की फिरौती के बाद मामला शांत हुआ। सरकार चाहे जो कुछ कहे, लेकिन यह बात सर्वत्र चर्चा का विषय है कि अपहरण होने के बाद, अपहरणकर्ताओं और उसके परिवार के सदस्यों में बातचीत का दौर चल रहा है और उनसे सीधे बातचीत हो रही है, लेकिन सरकार स्वयं अपहरणकर्ताओं को नहीं खोज पा रही है। परिवार के लोगों की बात तो हो गयी है, तो सरकार क्यों नहीं बात कर पा रही है ? इस तरह की असुरक्षा के कारण वहां के उद्योगपति छोड़कर जा रहे हैं। वहां का सामान्य जनजीवन असुरक्षित हो गया है। लोगों ने मासूम बच्चों को स्कूल भेजना बन्द कर दिया है।

कानून व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण बहुत से उद्योगपति उत्तर प्रदेश को छोड़ रहे हैं और यहां कोई उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं, उन्होंने अपने इरादे बदल दिये हैं, पुलिस की पकड़ समाप्त हो गयी है और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अगर उनको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त न होता, तो इस तरह की घटनायें न होती। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा और आग्रह करूंगा और इस बात के लिये दबाव डालूंगा कि सरकार बच्चे की सुरक्षा की पूरी गारन्टी ले और 24 घंटे के अन्दर उसे बरामद करे और अगर वह बरामद नहीं कर सकती है, तो इस सरकार को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह कानून व्यवस्था बनाये हुए है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से अपहरण की घटनाओं की शुरुआत हुई और यह घटनायें भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, आतंकवाद और अपहरण यह दो उपहार यही देकर गये हैं। इनके शासन काल में खूब अपहरण हुए हैं इस बात पर बल देते हुए मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाय और सरकार यहां

पर आश्वासन दे कि कल सदन उठने के पहले वह सूचित करेगी कि अपहरणकर्ताओं के बीच से उस बच्चे को छुड़ा लिया गया है और उसके अभिभावकों को दे दिया गया है नहीं तो कानून व्यवस्था की डिरेल का मामला समझते हुए इस बात के लिये सरकार को खेद प्रकट करना चाहिये कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में पूरी तरह से अक्षम है।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक बड़ी गम्भीर घटना की ओर अभी ध्यान आकृष्ट किया श्री बालेश्वर त्यागी ने और अच्छे ढंग से इस विषय को रखा, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। उन्होंने एक बात कही थी ऐसा लगता है कि पुलिस की इच्छाशक्ति की बात कही थी पुलिस के पास इच्छाशक्ति तो है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि राजनैतिक संरक्षण के कारण गाजियाबाद की ही नहीं पूरे प्रदेश की पुलिस हतोत्साहित है। इन अपराधशील व्यक्तियों पर अपना शिकन्जा कायम कर पाने में इस सरकार ने कई बार घोषणा की, कि अब ऐसी घटना नहीं घटेगी लेकिन मेरी जानकारी है कि एक बहुत बड़ी घटना घटी है।

दि० 18 तारीख को गाजियाबाद में जब साढ़े तीन वर्ष के बालक को जो एक कार से स्कूल ले जाया गया था और वहां पर पहले से अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर लोग खड़े थे यह वही स्कूल है जहां पर पढ़ने वाले इससे पहले के दो बच्चों का अपहरण हो चुका है वहां पर धनीमनी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर पुलिस की ड्यूटी थी। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर पुलिस की ड्यूटी थी तो जब वहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस लोग खड़े थे तो उनके द्वारा उन लोगों को टोकने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? मान्यवर, उस बच्चे को आया के हाथ से छीना गया और छीनकर उस बच्चे को स्कूल की बिल्डिंग के पीछे ले जाया गया और गोलियां दगती रहीं उसके बाद भी कोई कार्यवाही न होना यह दर्शाता है कि ला एण्ड आर्डर की इससे बदत्तर हालत और क्या होगी ? जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा वह सही है कि आज इससे पूरा औद्योगीकरण प्रभावित हो रहा है। आज इससे न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह का आतंक का वातावरण है कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया है। आज हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण प्रभावित हो रहा है।

मैंने पिछले दिनों पूछा था कि कितने लोगों ने उद्योग लगाने के लिये अपने प्रार्थना-पत्र दिये हैं तो यह मालूम हुआ कि उद्योग को लगाने के लिये 4 माह से किसी ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। मान्यवर, औद्योगीकरण में पहली शर्त है ला एण्ड आर्डर की और यह स्थिति ऐसी बिगड़ गयी है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है इसको देखा जाय और यह बताया जाय कि क्या प्रयास किये जा रहे हैं उस बालक को माता पिता तक पहुंचाने के लिये यह सरकार क्या कर रही है बताये ? ऐसे में लोग सरकार का सहारा नहीं करते हैं बल्कि खुद ही प्रयास प्रारम्भ कर देते हैं। जैसा कि मा० प्रमोद तिवारी जी ने सूचना दी है कि लोग मध्यस्थता कर रहे हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सरकार अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं यह अत्यन्त दुखद है । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय बालेश्वर त्यागी की बात की ग्राह्यता पर बल देता हूं ।

माननीय प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ हैं लेकिन भाषण देते समय दांय-बांय करने की चेष्टा करते हैं उसका उत्तर देने में कोई लाभ नहीं है उसकी नोटिस लेना कोई महत्व नहीं रखता । भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ मैं उसकी चर्चा नहीं करता केवल यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो शांति व्यवस्था की स्थिति थी उसका कीर्तिमान रहा है उसकी आपको प्रशस्ति करनी चाहिये । चारो तरफ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक औद्योगीकरण का वातावरण बना था । बड़े-बड़े अपराधी किस्म के व्यक्ति बिलों में घुस गये थे । आज राजनैतिक संरक्षण के कारण बिल्ला कर ऊपर निकल गये हैं, उन्होंने आज पूरे उत्तर प्रदेश के वातावरण को नष्ट कर दिया है, औद्योगिक वातावरण नष्ट हो रहा है । आम आदमी की जिन्दगी असुरक्षित हो गयी है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वे लोग बिलों में घुसे हुए थे । इसी के साथ मैं माननीय त्यागी की प्रार्थना पर बल देता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको यहां इतनी दूर रहने वाले लोग समझ नहीं सकते हैं कि कितनी वहां की जनता दुखी है भयाक्रांत है, अपराधियों से असुरक्षित महसूस कर रही है । इतनी दूर बैठकर लोग वहां की समस्या को समझ नहीं सकते हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 महीने से अपराधों की जो बाढ़ आयी है विभिन्न अपराधों के साथ-साथ सबसे ज्यादा अपहरण की घटनायें घटी हैं । उसके बाद अपहरणकर्ता फिरौती लेकर उसको मुक्त करते रहे हैं । न कोई अपराधकर्ता पकड़ा गया और न पुलिस को सफलता मिली ।

डा० बहल का अपहरण हुआ 50-55 लाख की फिरौती से वह छूटा पुलिस के सामने ही पुलिस की नाक के नीचे यह काम हो गया । चार दिन पहले की बात है दिन दहाड़े थाने के पास डी० एम०, एस० एस० पी० की कोठी के पास, भीड़ भाड़ के इलाके, कविनगर में, मासूम बच्चे का बन्दूक की नोंक पर अपहरण हो गया, पुलिस को पता नहीं है और बिचौलिये वार्ता कर रहे हैं । मान्यवर, इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि सत्तापक्ष के संरक्षण में यह अपहरण की घटनायें हो रही हैं माननीय नेता सदन ने जवाब में यह कहा था कि क्योंकि हमने इतना जोर दिया है दिल्ली में भा० ज० पा० की सरकार बन गयी है वहां पर अपराधी जाकर छिप गये हैं । सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारी पुलिस के पास आधुनिक हथियार और सुविधायें नहीं हैं इस वजह से इफेक्टिविली चेक नहीं कर पा रहे हैं । (इस समय 12 बज कर 56 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री अखिलेश पीठासीन हुए ।) अब तो पुलिस को जिप्सी मुहैय्या करा दी गयी है ए० के० 56 ए० के० 47 दे दी गयी है फिर भी दिन दहाड़े गाजियाबाद से सरेआम भीड़ के बीच से मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया । यह सही बात है कि वह बच्चा पुलिस के द्वारा वापस नहीं होगा वार्ता द्वारा रकम जायेगी और वापस होगा तो पुलिस उसमें अपना नाम लेगी कि हमने वापस करा दिया । यह गम्भीर मामला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज

आतंक फैला हुआ है जनजीवन असुरक्षित है । मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण पर इस सदन में चर्चा करायी जाय । जो अपराध बढ़ रहे हैं राजनीतिक संरक्षण में हैं या दिल्ली की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं इस पर खुले आम चर्चा करायी जाय जिससे अपराधों पर रोक लग सके ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

आज जो मान्य विषय आया है इसके पूर्व भी अपहरण की कुछ घटनाओं पर इस सदन में चिन्ता व्यक्त की गयी थी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था, सरकार के परिवर्तन के बाद जो एक चेंजओवर का पीरियड हुआ उसमें फिरौती और अपहरण की कुछ घटनायें बढ़ी हैं लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है, इस संदंध में सदन और सदन के बाहर भी आश्वस्त किया गया था । माननीय मुख्य मंत्री जी जब मेरठ के दौरे पर गये थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर, जो अपहरण की घटनायें हो रही हैं उस सिलसिले में एक प्रतिनिधि मंडल विशिष्ट जनों को उनसे मिला था । और मानीनय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि हम सूचीबद्ध करवा रहे हैं जो इस तरह के गिरोह हैं वे योजनाबद्ध तरीके से अपहरण की वारदातें करते हैं । लेकिन सूचीबद्ध करने के बाद भी आज अपहरण की घटनायें हो रही हैं । यह अपने आप में एक निन्दनीय घटना है । मान्यवर, कविनगर, गाजियाबाद में, कविनगर एक पास लोकेलिटी है, वहां पर पुलिस स्टेंशन भी बना हुआ है और उस पुलिस स्टेशन के पास एक सेंट बेस स्कूल है जहां पर धनीमनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर दिन दहाड़े चार लोगों ने फायरिंग करके एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया ।

उस बच्चे के साथ उसकी आया भी थी और ड्राइवर भी था मगर उन्होंने सब लोगों के सामने फायरिंग करके आया की गोद से छीनकर बच्चे का अपहरण कर लिया । यह पूरे प्रदेश के लिये चुनौती है, सरकार के लिये चुनौती और कानून व्यवस्था के लिये चुनौती है । अभी कुछ दिन पहले कानून व्यवस्था के संबंध में सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया था मगर आज फिर वही स्थिति आ गयी है । इस घटना के बाद न केवल गाजियाबाद में बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के जनमानस में एक रोष और क्षोभ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और यह विस्फोटक भी हो गयी है । इस घटना से वहां के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरने लगे हैं, उन्हें अपने बच्चों का जीवन असुरक्षित महसूस होने लगा है । इससे वहां के लोगों के काम करने में गिरावट आयी है । लोग अपने कार्यालयों, फैक्टरियों में न जाकर अपने बच्चों को स्कूल भेजने और लेने जाने लगे हैं ।

दिन दहाड़े स्कूल के गेट के सामने, अगर कहीं निर्जन स्थान होता तो भी चल जाता मगर पुलिस की नाक के नीचे, वहां पर पुलिस चौकी भी पास ही में है से ले जाना यह अपने आप में एक गम्भीर घटना है । मान्यवर, अभी तक उन अपहरणकर्ताओं के बारे में कोई सुराग भी नहीं मिल पाया है और इसका उल्लेख समाचार-पत्रों में भी हुआ है कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किस गिरोह का इसमें हाथ है और यहां पर इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जमाने में स्थिति अच्छी थी और इनके जमाने में खराब है । अगर इसी तरह की दुखदायक घटनायें होंगी इस तरह की बातचीत होंगी, यहां पर मा० महेन्द्र भाटी जी विधायक थे उन्होंने अपने जीवन के संबंध में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फरियाद की थी, उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप विरोध में बैठते थे माननीय प्रमोद तिवारी जी यहां पर बैठते थे तो आपने भी उनकी जान की सुरक्षा के संबंध में कहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनके जान की हिफाजत वह नहीं कर पायी, फलस्वरूप उनकी हत्या हो गयी । इसी तरह से आतंकवाद के चलते 500 लोगों की जानें गयीं तो आज यह स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो रही है ।

वहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है हम केवल इसकी आलोचना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इस सरकार के लिये समय रहते हुए चेतावनी दे रहे हैं । अगर इस तरह की घटनायें होंगी, अपहरण होंगे, बलात्कार होंगे और निर्दोष लोगों को मारा जायेगा तो यह उनके लिये एक गम्भीर खतरा पैदा कर सकता है और इस तरह की बात को जनता बर्दास्त नहीं कर पायेगी । इसलिये सरकार इसे चुनौती मानते हुए स्वीकार करे और इस पर कार्यवाही करे और यह आश्वस्त करे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो । एक बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त कर दिया था लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हुई । सरकार यह आश्वस्त करे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी फिर डा० बहल जैसे अपहरण में पचपन लाख रुपये की फिरौती नहीं देनी पड़ेगी इस तरह के मासूम बच्चे का अपहरण नहीं होगा ।

आज यह अपहरण एक दुखदायक बन गया है । तो मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि इस दुख को समूल नष्ट करने के लिये क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाने जा रही है, वह क्या प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है ? जिससे इस तरह की घटनायें न हों । तो मान्यवर, यह मामला तात्कालिक भी है, अविलम्बनीय लोक महत्व का भी है । तो क्या माननीय मंत्री जी उस कार्यवाही और उस कार्य योजना का उल्लेख करेंगे, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो यह उद्योग के रूप में पनप रहा है और उससे लाखों करोड़ों रुपया यह अपहरणकर्ता कमा रहे हैं इसे रोकने में सरकार सक्षम होगी ।

श्रीसत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, पिछले दो महीने से सदन में प्रतिदिन बढ़ते हुए अपराधों के बारे में कोई न कोई मामला उठता है और प्रतिदिन सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि प्रदेश में अपराधों में निरन्तर गिरावट आई है, लेकिन इस सारे दावों की धज्जियां उड़ाते हुए अपराधी खुले आम दिन प्रतिदिन अपराध करते चले जा रहे हैं । अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने हिमालियन ड्रग्स के मालिक का व दूसरा डाक्टर बहल के अपहरण का मामला आया था, लेकिन अभी परसों 19 तारीख को गाजियाबाद में एक साढ़े तीन वर्षीय अबोध और मासूम बालक जो एन० के० बजाज का पोता वरुण बजाज है, का अपहरण कर लिया गया । यह बालक अपनी आया और ड्राइवर के साथ कार से स्कूल आया था, सुबह साढ़े सात बजे उसका बन्दूकों की नोक पर अपहरण हो गया ।

यह अपहरण ऐसे इलाके में हुआ, जहां पर उसका स्कूल था, पास में पुलिस की चौकी–थाना था, सैकड़ों लोग वहां थे, लेकिन उसके बावजूद भी ए० के०–47 राइफलों के बल पर, जो अपराधी थे, अपहरणकर्ता थे, खुले आम फयरिंग करते हुए उसका अपहरण करके ले गये और वहां का पुलिस

प्रशासन इस घटना को रोक नहीं सका । मान्यवर, 54 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ है कि उसके परिवार वाले जो अपने बालक के लिये आंसू बहा रहे हैं, उनको यह सूचना मिल पाती कि उनका बच्चा सुरक्षित है और वापस लाने के लिये सरकार सब तरह के प्रयास कर रही है । मान्यवर, जैसा माननीय बालेश्वर त्यागी जी ने कहा मैं भी उस पर बल देना चाहता हूं कि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर सहित पूरे मंडल में अपहरण एक उद्योग बन गया है और एक महेन्द्र फौजी मारा जाता है तो दूसरे अनेक फौजी पैदा हो जाते हैं । एक गैंग का सफाया होता है तो दूसरा गैंग पैदा हो जाता है, लगता है कि एक के हाथ से गिरी हुई ए० के०–47 दूसरे लोगों के हाथ तुरन्त पकड़ लेते हैं ।

आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस प्रकार अपराधों की गिरफ्त में है, उसी का यह परिणाम है कि गाजियाबाद, जो उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सिरमौर था, आज वहां के उद्यागपति अपने उद्योगों को समेट कर पलायन करने की स्थिति में आ गये हैं, श्रीमन यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि सरकार पूरी तौर पर अपना निकम्मापन प्रकट कर रही है, अगर इस सरकार का कुछ इकबाल है तो संसदीय कार्य मंत्री जी जब उत्तर देने के लिये खड़े हों, तो सदन को आश्वस्त करें कि कल सुबह जब सदन बैठेगा, तो वह यह घोषणा करने की स्थिति में होंगे कि वह बालक सकुशल परिवार वालों को दिला दिया गया है । अगर सरकार यह नहीं कर सकती तो इस सरकार को सरकार कहलाने का कोई हक नहीं है । मैं इस सूचना पर बल देते हुए इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर जनभावना को देखा जाय तो जनभावना एक स्वर से यही कहेगी कि इस नये बदले हुए परिवेश में अपराधों की बाढ़ आ गयी है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगता है कि अपराधों की रस्सी से हर आदमी की गर्दन कसती चली जा रही है । अपहरण तो बड़े बाप के बेटों का हो जाता है और वह प्रकाश में भी आ जाता है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम ऐसे अपहरण होते हैं जो जानकारी में नहीं आ पाते हैं, जो पुलिस के यहां दर्ज भी नहीं किये जाते हैं ।

90 फीसदी अपहरण के मामलों में फिरौती देकर ही छोड़ा जाता है, लेकिन वाहवाही लूटने के लिये पुलिस अपना हाथ बढ़ाती है । गाजियाबाद में अपहरण का जो सिलसिला चला है, वह अत्यन्त गम्भीर है । राजधानी की नाक के नीचे, गाजियाबाद जो हमारे प्रदेश में उद्योगों के विकास की दिशा में कदम माना जा रहा है, वहां पर लोग इतने आतंकित और दहशतजदा हो गये हैं कि जो लोग उद्योग लगाने का इरादा रखते थे, वह अपना इरादा छोड़ रहे हैं । वहां पर रहने वाले लोग, आज दूसरी जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरे मंडल में आतंक और दहशत का माहौल व्याप्त है, जिसको देखकर आदमी का दिल कांप उठा है । लोग वहां शाम को घर से निकलते हुए डर रहे है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो जनता के बीच यह मानसिकता बनती चली जा रही है कि जबसे यह सरकार आयी है, अपराधों की बाढ़ आ गयी है । इस मानसिकता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को काटने का प्रयास करें और अगर नहीं करते हैं तो अंजाम सभी ने झेला है इन्हें भी झेलना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर अपराधों की बाढ़ आयी हुई है, वहां पर लोग यह भी बेझिझक कहते हैं कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। वहां पर गिरोह बने हुए हैं सारे के सारे गिरोह किसी न किसी राजनैतिक लबादे की आड़ में अपना काम कर रहे हैं।

आज जो पूरे प्रदेश में अपराधों की स्थिति है, उससे सरकार को चिन्ता होनी चाहिये और मजबूती के साथ जनता के बीच उस मानसिकता को काटने की कोशिश करनी चाहिये जो इस सरकार के आने के बाद जनता में बन गयी है। इस काम को राजनीति से जोड़ने से काम नहीं चलेगा। आज का शासन अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिये विगत शासन की बात करे, यह उचित नहीं लगता है। इससे जो घटना क्रम हो रहा है उस घटना क्रम को बल मिलेगा। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि सरकार इन पर रोक लगाये और बजाय रोक लगाने के इस अपहरण उद्योग को संरक्षण देने का काम सत्तापक्ष के द्वारा किया जायेगा तो इसके लिये जनता माफ नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह एक अहम मसला है, शान्ति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिये इस पर आप चर्चा करायें।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासतौर से मेरठ, गाजियाबाद में अपराधों की कड़ी जिस तरह से बढ़ गयी है। सरकार कागजी व्यवस्था सुधारने में लगी हुई है। यह जो प्रकरण गाजियाबाद में वरुण के अपहरण का है उस पर अभी मेरे दल के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, श्री बालेश्वर त्यागी जी ने अपने विचार रखे। मान्यवर, मैं उस बात को न दोहराते हुए अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व में डा० बहल का अपहरण हुआ था, उनको मेरे निर्वाचन क्षेत्र गढ़मुक्तेवश्र (गाजियाबाद) में छोड़ा गया। जिस प्रकार से छोड़ा गया वह रात को सिम्भावली रही जिसके यहां रही उसे 8-10 दिन तक मंसूरी थाने में रखा। 8-10 दिन बाद दो-चार लाख रुपया लेकर अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण प्रदान करते हुए छोड़ दिया गया। उस व्यक्ति के नाम दो लाईसेन्स भी है। 307 का मुकदमा भी है अभी तक लाइसेन्स भी निरस्त नहीं हुए हैं। मान्यवर, मैं एक और घटना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। होली के दिन 27 मार्च 94 को सभी लोग होली मना रहे थे जनपद गढ़मुक्तेश्वर तहसील के नानपुर गांव में मात्र एक आदमी शराब पीकर अपने घर सोने जा रहा था। एक दरोगा जी दो सिपाहियों के साथ आये और उसकी कनपटी पर रिवाल्वर रख दिया, वह आदमी नशे में था, उसने रिवाल्वर छीन ली और छत के ऊपर चढ़ गया, उसने कहा कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा मैंने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस के पास कोई वारण्ट भी नहीं था, मात्र तानाशाही के आधार पर, यह घोषणा करके कि हम सुधार कर रहे हैं; उस आदमी को पकड़ना चाह रहे थे। दिन के 3 बजे से रात के 10 बजे तक जिले की सारी पुलिस वहां इकट्ठी हो गयी, एस० एस० पी०, एस० पी० देहात आदि अधिकारी भी वहां पहुंच गये। गांव वालों ने भी साहस दिखाया और 10-20 गांवों के आदमी भी उस गांव के पास आ गये और गांव को घेर लिया।

शायद इसकी सूचना आज तक सरकार को नहीं होगी, जब मुझको इसकी सूचना मिली तो मैं भी रात के 10 बजे वहां पहुंचा। वहां की स्थिति को देखकर यह लगा कि अगर स्थिति खराब हुई तो

10-20 आदमी मर सकते हैं, मैंने उस आदमी को उतार कर पुलिस के हवाले कर दिया । इस मामले में पुलिस के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । गांव के लोग भयभीत हैं और कई लोग गांव छोड़कर चले गये हैं । उस गांव के 250-300 लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई बताई गयी । वहां पर जंगलराज कायम है । इस घटना की जानकारी मेरे जनपद के और भी मा० विधायकों से की जा सकती है, सरकार इसकी जांच करा ले । आज गाजियाबाद की यह स्थिति है कि कविनगर में कोई भी अभिभावक/माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजने के लिये तैयार नहीं है । उनमें भय व डर व्याप्त है । मान्यवर, यह बात है कि वह उन बच्चों को पढ़ाये, या अपना कारोबार देखे या नौकरी पर जाय, बहुत ही विकट स्थिति हो रही है जबकि श्रीमन्, इन अपराधियों पर न कोई नियंत्रण रखते हैं और न ही कोई व्यवस्था कर रहे हैं । एक अपराधी था महेन्द्र फौजी, चूंकि कथित अपराधी मारा गया, लेकिन उसके पास से कोई शस्त्र बरामद नहीं दिखाया गया है, उसके साथ भी कई अपराधी व आधुनिक शस्त्र थे, अपराध करेंगे तो शस्त्र का इस्तेमाल भी करेंगे मारेंगे, उसे मार दिया गया लेकिन बाद में शस्त्र को बरामद नहीं किया दिखाया गया, इनसे न जाने कितनी हत्यायें हो सकती हैं । अपराधियों और राजनेताओं की मिलीभगत से यह सब होता है, इससे आम आदमी अपने को असुरक्षित समझ रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस अविलम्बनीय एवं लोक.महत्व के विषय पर चर्चा करायें और सारे नियमों को निलम्बित कर इस पर चर्चा करने की इजाजत दें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, यह जो घटना गाजियाबाद जिले में अपहरण की हुई है, यह पहली घटना नहीं है । इसके पहले भी अनेकों आपराधिक घटनायें हो चुकी हैं और इन प्रकरणों पर इस आदरणीय सदन में कई बार चर्चायें भी की जा चुकी हैं । चर्चाओं के अन्त में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े होते रहे हैं और जवाब मिलता रहा है कि यह घटना दुखद है कि सरकार पूरी तरह से अपराधियों की चुनौती को स्वीकार करती है और ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो सके ।

चाहे अप्राकृतिक यौनाचार के बाद हत्या का मामला हो चाहे डाक्टर बहल के अपहरण की घटना का मामला हो । इन सारी घटनाओं के बाद इस आदरणीय सदन में बार-बार यही उत्तर दिया जाता रहा है । आज भी मुझे विश्वास है कि जब यह चर्चा समाप्त होगी तब अन्त में इसी प्रकार का घिसा-पिटा, रटा-रटाया जवाब दिया जायगा । यह अत्यन्त ही दुःखद है । सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज अपराध करने वाला अपराधकर्मी है तो उसे न पुलिस का, न कानून का और न ही शासन का कोई भय रह गया है । निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति इस तरह के सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकता है और न तो कोई अपने को उस शासनकाल में सुरक्षित महसूस कर सकता है । इस प्रकरण में बहुत सी बातें आयी हैं, मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं दो-तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा । जहां पर यह घटना हुई, वहां पर स्कूल पास था । जो कार बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने आयी थी, उसमें उस बच्चे के साथ परिवार की आया भी बैठी हुई थी । जब कार स्कूल के पास रुकी तब बदमाशों ने उस आया से बच्चे को जबर्दस्ती छीनने की कोशिश की, आया ने इसका विरोध किया तो उन्होंने दो-तीन राउन्ड गोलियां चलायी । उस आया के साथ ड्राइवर भी था जो कार लेकर स्कूल छोड़ने आया था, वहीं पर एक रिक्शावान ने भी अपनी जान पर खेलकर बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें फिर पुनः फायरिंग की गयी और वे लोग बच्चे को छीनकर ले गये । मान्यवर, उस पिछली सीट से जहां से बच्चे को उठाया गया वहीं पर अपहर्ताओं द्वारा फिरौती के लिये एक पत्र भी छोड़ दिया गया । हम सभी को स्मरण है कि पिछले दिनों जब उद्योगपति डाक्टर बहल का अपहरण हुआ था, उनके अपहरण के संबंध में भी पुलिस उन्हें वापस लाने में बिल्कुल

अक्षम रही है । लेकिन अपहरणकर्ताओं तक रकम पहुंचाने में एक राजनेता जो इस आदरणीय सदन के विधायक भी हैं, उनके द्वारा मध्यस्थता करने पर और बहुत बड़ी रकम देकर डाक्टर बहल को अपहरणकर्ताओं से मुक्ति मिली थी ।

जो अप्राकृतिक यौनाचार कर हत्या कर दिये जाने के मामले प्रकाश में आये थे उसमें एक लाल बत्ती की गाड़ी का हवाला आया, राजनेता का हवाला आया, यह बहुत दुःखद है । जो इस समाज को संरक्षण देने वाले हैं, जनता की आवाज सुनने वाले, उनके दुःख बांटने वाले हैं और आदरणीय सदन के सदस्य होते हैं, अगर वह स्वयं चरित्र को गिरा देंगे तो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिये और अधिक दुःखद हो ही नहीं सकता ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि अभी तक पुलिस उन अपहरणकर्ताओं का सुराग तक नहीं लगा पायी है । लेकिन इस बीच में कुछ राजनेता व बिचौलिये सक्रिय हो गये हैं । चूंकि बड़े उद्योगपति का पौत्र है, इसलिये यह निश्चित है कि इन राजनेताओं व बिचौलियों की मध्यस्थता से वह छोड़ तो दिया ही जायेगा परन्तु 20–25 लाख रुपये लेकर छोड़ा जायेगा । पुलिस को इसमें सफलता मिलेगी नहीं । आज इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, जनता में आतंक है ।

जो ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, उन्हें कोई डर रह नहीं गया है, वे भयमुक्त हैं । इसलिये इस घटना पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, दुःख व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि शासन चाहे किसी का हो, उसका पहला कर्तव्य होता है अपनी जनता को भय से मुक्त बनाना, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिखाया था, दंगा रहित प्रदेश तथा भयमुक्त समाज देने का वायदा पूरा कर दिखाया था । संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े हों तो वह घोषणा करें कि आज के बाद ऐसी घटनायें नहीं होंगी और जो लोग इसमें लिप्त हैं, उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जायेगा । ताकि अपराधियों का मनोबल गिरे और जनता का मनोबल बढ़े । इसलिये आज शेष कार्य को रोक कर इस पर चर्चा करवायें ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था चरमरा गयी है । सरकार नाम की कोई चीज दिखायी नहीं दे रही है । कुछ दिन पूर्व एक कुख्यात अपराधी महेन्द्र फौजी को मारने के बाद सरकार ने इस बात का दावा किया था कि अपराधों पर नियंत्रण पा लिया गया है परन्तु इसके कुछ दिन बाद ही एक 4 वर्ष के बच्चे को गोद से छीनकर अपहरण कर लिया गया । दिन दहाड़े अपहरण किया गया, जिससे सरकार की घोषणा खोखली साबित हो चुकी है । जितने भी अपहरण काण्ड हो रहे हैं, वह ऊंची फिरौती के लिये हो रहे हैं । इसे कोई स्कूटर वाला या मोटर साइकिल वाला नहीं कर रहा है बल्कि अपहरणकर्ता मारुती कार से आ रहे हैं, अम्बेसेडर से आ रहे हैं । ये ऊंचे बदमाश हैं, जिनकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच है। सत्ता का संरक्षण प्राप्त है । इसलिये अपराध रुक नहीं रहे हैं ।

आज अपराधी भय मुक्त हो गया है और समाज भय त्रस्त हो गया है । गाजियाबाद ही नहीं अपितु सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आतंक व असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है । उत्तर प्रदेश में कोई धंधा पनपा हो या न हो, उद्योग धन्धे तो ठप्प हो गये हैं, परन्तु वर्तमान सरकार के आने के बाद अपहरण का उद्योग बहुत पनपा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और अपहरण उद्योग के माध्यम से लाखों-लाख रुपयों की फिरौती ली जा रही है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जो यह अपहरण हुआ है इस पर शख्ती के साथ कार्यवाही कर उसे बरामद करें और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये सदन में घोषणा करें कि वह क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गाजियाबाद में 19 ता० प्रातः एक बच्चे के अपहरण के संबंध में माननीय नेता विरोधी दल और कई माननीय सदस्यों ने यहां पर चिन्ता व्यक्त की है । वास्तव में यह चिन्ता का विषय है । ऐसे मामलों को कम से कम राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिये । जब राजनीति से ऐसे मामलों को जोड़ा जाता है तो फिर हमको भी मजबूर होकर राजनीतिक उत्तर देना पड़ता है । एक शासन वह था जब हमारे प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर अपराधियों को छूट दी जाती थी और निरपराधियों को सजा मिलती थी । एक प्रकार से खुली जेल बनी हुई थी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों के लिये । तो वह वातावरण समाप्त हुआ जनता ने सद्भाव कायम करने के लिये हमारी सरकार को बनाया । तो वह हताशा, निराशा प्रतिगामी शक्तियां हमारी कहीं असफलता पर तो पूरी नजर रखे हुये हैं लेकिन हमारी सफलताओं को औझल करने का प्रयास कर रही हैं ।

आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश यह सही है जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी अपराधों की संख्या बढ़ी थी । लेकिन कड़े प्रयास करने के बाद अपराधों का ग्राफ तेजी से गिर रहा है । जब गृह विभाग की अनुदानों पर बहस होगी तो पूरी तस्वीर सामने रखने का प्रयास करेंगे । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कई वर्षों से बेहतर है । यह घटना जो हुई है इसके लिये हम चिंतित हैं । हो सकता है कुछ अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मारा भी है कई ऐसे लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाग कर अन्य प्रान्तों में शरण ले रहे हैं । इतनी कड़ाई नगर पुलिस रखे हुये है और प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसी घटना हो सकती है । इस पूरी घटना के लिये हम चिंतित हैं आई० जी० जोन्स सहित सभी बड़े अधिकारी मौके का निरीक्षण करने वहां गये हैं । यह भी निर्देश दिये गये हैं कि दिल्ली और हरियाणा की पुलिस से भी इस मामले में पूरी सहायता लेकर कड़ाई से प्रयास किया जाय और उस बच्चे को सुरक्षित हालत में उसके अभिभावकों तक पहुंचाने के लिये जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सकती है की जाय । हमारी सरकार पर जो आरोप लगाया गया है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता दल का संरक्षण है । तो अपराधी का संबंध चाहे सत्ता दल से हो या विपक्ष से हो, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो और मालूम होगा कि वह सरकार से मिला हुआ था तो उसे बक्शा नहीं जायेगा ।

शान्ति व्यवस्था हमारा प्रथम उद्देश्य है उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है उस जिम्मेदारी का हम पूरी तरह से पालन करेंगे । प्रतिगामी शक्तियों को जाति और धर्म के नाम पर यदि वह अपने दल से संबंधित लोग भी हैं तो उनको सफल होने नहीं देंगे । जो हमारी जिम्मेदारी है उसका पालन करेंगे । इस बच्चे को बरामद करने के लिये पूरा प्रयास करेंगे । झूठ बोलने वाले चले गये, जनता ने उनको सजा दे दी (व्यवधान) इस तरह का कुप्रचार कर सच्चाई पर पर्दा डाल कर सद्भाव को नष्ट करते हुये, अफवाहें फैला कर जो भी घिनौनी राजनीति करते हैं उनका जनता ने मुंह काला कर दिया है ।

श्री कल्याण सिंह–

दिन दहाड़े अपहरण हो रहे हैं, यह अफवाहें नहीं हैं, यह सरकार पर घिनौना कलंक है जिससे पूरी सरकार का मुंह काला हो गया है, जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे अपराधियों की संख्या बढ़ गयी है यह मेरा निश्चित आरोप है।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर सुनने के पश्चात् यह सूचना निरस्त की जाती है।

दूसरी सूचना श्री सतीश भाटिया की है जो दूषित पेयजल के कारण पीलिया रोग फैलने के संबंध में है।

* श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, लखनऊ जनपद में दूषित पेयजल के कारण कैन्ट विधान सभा क्षेत्र, सदर बाजार में कई शिकायतें महामारी फैलने के संबंध में आयी हैं। आज से 6 दिन पहले समाचार पत्रों में इस प्रकार का उल्लेख था कि सदर में जो मोहल्ले हैं उनमें दूषित पेयजल के कारण लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं जिनकी लगभग 9 संख्या थी, उसमें से 7 को दूसरे दिन अस्पताल से वापस किया गया लेकिन दो लोग अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। पूरे क्षेत्र में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण महामारी फैलने की संभावना हो रही है। इसलिये मैंने नियम–311 के अन्तर्गत शासन से मांग की है कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। मान्यवर, 1991-92 के कार्यकाल में जो हैण्डपम्प लगे थे उन सभी में 50 प्रतिशत का जलस्तर नीचे हो गया है। इसलिये पानी न आने के कारण खराब हो गये हैं। इसी प्रकार जो ट्यूबवेल लगे हैं वे भी जलस्तर नीचे जाने के कारण आधे खराब हो गये हैं या अन्य कारणों से खराब हो गये हैं और पानी नहीं दे रहे हैं।

इसलिये मेरी मांग है कि पूरे लखनऊ के अन्दर नये ट्यूबवेल लगवाये जाएं। साथ ही यह भी मांग है कि भाजपा शासन काल में जो ट्यूबवेल या हैण्डपम्प लगवाये गये थे उनको भी ठीक कराया जाय। जल स्तर नीचे होने से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये जिसके कारण डीप बोरिंग के ट्यूबवेल और हैण्डपम्प लगवाये जायें ताकि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लखनऊ की कुल आबादी 20 लाख की है और जो व्यवस्था जल आपूर्ति की है वह 8,90,000 की है, इसलिए जब जल आपूर्ति पूरी नहीं होगी तो जनता शुद्ध पेयजल की जगह मजबूरी में कीचड़ युक्त पानी को पीना ही पड़ेगा जिससे भयंकर बीमारी फैलना स्वाभाविक है। इसलिए मांग है कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की जाये ताकि इस गर्मी में ऐसा न हो की लखनऊ महामारी के प्रकोप से ग्रस्त हो जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, मैंने श्री सतीश भाटिया जी ने अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में यहां जो प्रश्न उपस्थित किया है उसको सुना । मान्यवर, इस संबंध में काफी चर्चा इस सदन में हो चुकी है और पहले भी बता चुका हूं कि हमारी सरकार ने पेयजल संकट को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है और तीन वर्षों में पेयजल संकट दूर करने का संकल्प भी किया है । श्रीमन् पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पेयजल पर 33 प्रतिशत से ज्यादा धनराशि खर्च की जा रही है । उन्होंने एक क्षेत्र की बात की है लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो विशेष बात हो उसके संबंध में वह हमको लिखकर दे दें, हम यथासंभव उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, जो पेयजल की समस्या का समाधान के लिए उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने की बात मा० मंत्री जी ने कही उसके संबंध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की भीषण पानी की और पेयजल की समस्या से सभी लोग परिचित हैं, लोगों को 15-15 और 20-20 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है । वहां पानी है नहीं और जो है भी थोड़ा बहुत तो वह खारा पानी है । पानी के अभाव की वजह से वहां आदमी और पशु दोनों मरा करते हैं । तो वहां पर पर्याप्त और शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए कौन-कौन से साधन उपलब्ध कराए गये हैं और क्या-क्या तथा कैसी-कैसी योजनाएं वहां पर इसके लिए शुरू की गई हैं और कौन सी योजनाएं ली जाने वाली हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पता नहीं माननीय चन्देल जी सदन में रहते हैं या नहीं, बुन्देलखण्ड के बारे में तो विशेष रूप से यहां चर्चा हुई है, और उसमें मैंने कहा था कि वहां पर कई जिले क्षेत्र अति संवेदनशील हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, इस वर्ष कुछ और अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है । इसके अलावा वह कुछ और चाहते हैं, तो वह भी लिखकर भजे दें, उसको हम देख लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

चन्देल जी ने अतिरिक्त व्यवस्था के बारे में पूछा था कि अतिरिक्त व्यवस्था के नाम पर क्या-क्या कदम उठाए गये हैं, क्या-क्या काम किये गये हैं ? किन्तु उन्होंने गोलमटोल जवाब दिया है । वह उनके प्रश्नों का जवाब दे दें या हर बार अतिरिक्त व्यवस्था करते रहेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसमें व्यवस्था होती है धन से और हमने बताया है कि इसमें इस वर्ष 33 प्रतिशत अधिक खर्च किया जा रहा है । बुन्देलखण्ड के जिलों को अति संवेदनशील माना गया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मंत्री जी ने अभी कहा चन्देल जी के लिए कि पता नहीं वह हाउस में रहते हैं या नहीं, किन्तु यह चीज उनके लिए पूरी तरह लागू होती है, पता नहीं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में रहते हैं या नहीं । मैं तो मानता हूं कि वह रहते हुए भी नहीं रहते हैं, वह शारीरिक रूप से तो जरूर यहां रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं रहते हैं...

(व्यवधान)

श्री सतीश भाटिया जी की सूचना के संबंध में मा० मंत्री जी ने पीलिया रोग फैलने के संबंध में कुछ नहीं कहा है–पीलिया-जान्डिश की बीमारी फैलने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है । सरकार की तरफ से यह उत्तर आना चाहिए था कि जहां की यह समस्या है वहां पर हम स्वच्छ जल उपलब्ध करायेंगे, नई बोरिंग करायेंगे और जो जगह-जगह पर पेयजल में गन्दी नालियों का पानी मिल रहा है उसको ठीक करायेंगे । अतः मान्यवर, आपसे यह निवेदन है कि आप संसदीय कार्य मंत्री को यह निर्देश दें कि जब वह यहां बैठते हैं तब हमारी पूरी बात सुनें, सुना करें और सुनकर जवाब दिया करें । उससे समस्या का हल निकलने में सुविधा होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह वरिष्ठ साथी हैं हमारे डंग साहब, मानसिक जानकारी भी इनको ज्यादा है, लेकिन आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए, यद्यपि मैं आपको ज्ञान देने लायक नहीं हूं, कि आप जो चाहें वह उत्तर पाने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकते हैं । जो समुचित उत्तर था वह मैंने दे दिया और जो आप चाहते हैं वह उत्तर देने के लिए न नियम है न परम्परा है, उसके लिए आप हमें मजबूर नहीं कर सकते हैं ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सरकार बहुत हल्के ढंग से ले रही है, वह तनिक भी इसके प्रति गंभीर नहीं है, तो वह महामारी के बारे में बताएं कि वह इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मा० भाटिया जी की सूचना को गंभीरता से ही सुना और यह भी कहा था पीलिया और पेयजल के बारे में...

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह 'पीलिया' आप अब कह रहे हैं, पहले नहीं कहा था ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप यह इनको समझायें कि जब हम बोल रहे हों, इनको नहीं बोलना चाहिए । (व्यवधान) मैंने इसमें यह कहा है कि वह हमारे पास पूरी विस्तृत सूचना-समस्या लिखकर दे दें, उसमें जो भी होगा, हम उसको पूरी तरह दिखवा लेंगे । (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने जो हमारे यहां ग्राम छानो, जिला हमीरपुर में भीषण अग्निकांड से जनधन की भारी क्षति हुई है, उसके बारे में मैंने आपको नियम 311 में सूचना दी थी । हमारे यहां अग्निकांड से एक पूरा गांव जल गया है, 200 लोग जल गये हैं, लोग पेड़ों के नीचे वहां पड़े

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुए हैं। वह मेरी सूचना ग्राह्य है या नहीं, इसके बारे में आप बता दें। आप उसको सुनने का कष्ट करेंगे या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 और नियम–56 में कुल 10 सूचनाएं ग्राह्य की गई हैं। जिसमें से 5 सूचनाओं पर सुना जायेगा और पांच पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। आपकी सूचना 311 में प्राप्त हुई है, ग्राह्य नहीं की गई है, अस्वीकार कर दी गई है।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सब की बतला दें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, इतनी बड़ी घटना हो गयी है। दो सौ गांव जल गये हैं, करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है और वहां पर सहायता के नाम पर एक-एक हजार रुपया दिया गया है। इतना गंभीर विषय था।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रदेश में जाति विद्वेष फैल रहा है। अकबरपुर में हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री भाटिया की सूचना निरस्त की जाती है। तीसरी सूचना श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद, अयोध्या में श्री रामजी पाण्डेय नामक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिस तरह की सूचना श्री चन्देल जी ने दी है उसी तरह मैंने भी नियम–56 में सूचना दी थी, ग्राह्य हुई है कि नहीं, बता दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 21-4-94 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है, इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री प्रमोद तिवारी, श्री

जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' की जनपद गाजियाबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति के चार वर्षीय पौत्र के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री सतीश भाटिया की लखनऊ नगर के सदर बाजार क्षेत्र में पीलिया रोग फैलने के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद में अयोध्या में श्री रामजी पाण्डेय नामक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौथी सूचना श्री रमेशकान्त लावानिया तथा श्री सत्य प्रकाश विकल की आगरा में ताजमहल परिसर में पुलिस चौकी व पी० ए० सी० कैम्प होते हुए भी हुई चोरी व पुलिस की ढील से ताजमहल की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में उपभोक्ता अदालतों का काम काज ठप होने से उपभोक्ता संरक्षण का कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री शूरवीर सिंह सजवाण, श्री प्रीतम सिंह (देहरादून) की जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लाखा मण्डल में एक गिरोह द्वारा कतिपय लोगों पर प्राणघातक हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री बदन सिंह की जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। नवीं सूचना श्री महबूब अली की दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड नजीबाबाद जनपद बिजनौर में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा आत्मदाह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दसवीं सूचना डा० सरजीत सिंह डंग जी की प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा कथित रूप से विद्वेष फैलाने के प्रयत्नों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गई हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

आप सब बैठ जायं, मैंने तीसरी सूचना पर श्री लल्लू सिंह जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है तमाम जगहों पर आगजनी हो रही है घर स्वाहा हो रहे हैं। आगजनी में सशरीर लोग जले हैं जिन माननीय सदस्यों ने आगजनी से संबंधित सूचनायें दी हैं उनको भी सुन लें। शासन की ओर से सहायता की कार्यवाही किया जाना चाहिए वह नहीं की जा रही है और जो की जा रही है वह नाकाफी है। सैकड़ों जगहों पर लोग आगजनी से मरते हैं। इस अहम् मुद्दे पर सुन लें यदि न सुनें तो उन सभी माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर सरकार से वक्तव्य दिलवा दें। या फिर इसे कल सुन लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, या तो इसे कल ले लें क्योंकि तमाम जगहों पर आगजनी हो रही है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सुन लें जिससे सदन स्थगित न करना पड़े । मान्यवर, जितने माननीय सदस्यों ने सूचनायें दी हैं चाहे नियम–311 में दी हों चाहे नियम–56 में दी हों सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें महत्वपूर्ण हैं ।

माननीय सदस्यों की सूचना पर माननीय अध्यक्ष महोदय अपने विवेक के अनुसार या जो परिपाटी और नियम बने हैं उसके अनुसार सुनते हैं । पांच सूचनायें सुननी हैं मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा आपसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा जिन मा० सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई हैं उसको पहले सुन लें आपने पहले जिन पांच सूचनाओं को ग्राह्य किया है उनको सुन लें फिर जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें नहीं ली गई हैं उनको देख लें अन्यथा शोरगुल चलेगा, साजिश चलेगी फिर सदन की कार्यवाही स्थगित होगी और बजट फिर ऐसे ही पास हो जायेगा उस पर हम अपने विचार नहीं रख पायेंगे तो पहले आप उन पांच माननीय सदस्यों की सूचनाओं को सुन लें जिनको आपने ग्राह्य किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं भी अपने को मा० गुप्ता जी की बात से जोड़ना चाहता हूं मा० गुप्ता जी ने जो भावना व्यक्त की है उससे हमें एतराज नहीं है मैंने निवेदन किया था उन सूचनाओं को सुन लें तो उचित होगा यदि किन्हीं कारणों से नहीं सुन सकते हैं तो कल के लिए कह दें ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस क्रम में सूचनाएं स्वीकार की गई हैं उस क्रम में सुन लेने दें फिर उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री लल्लू सिंह–

मान्यवर, श्री रामजी पाण्डेय द्वारा फैजाबाद में नये घाट तिराहे पर जहां लाखों लोग रहते हैं वहां 12 बजे दिन में आत्मदाह कर लिया गया घटना मान्यवर इस प्रकार हुई । मान्यवर, नये घाट पर पण्डों के द्वारा चौकी लगाने का विवाद कई वर्षों से चल रहा है । एक जमींदार पक्ष है दूसरा गरीब पंडों का पक्ष है । श्री रामजी पाण्डेय अवध पंडा समिति के, गरीब पंडों के अध्यक्ष हैं यह कई वर्षों से विवाद चल रहा है वहां का जिला प्रशासन प्रतिवर्ष दोनों पक्षों की चौकियां लगवाने की व्यवस्था करता था इसके आधार पर अवध पण्डा समिति के अध्यक्ष द्वारा मांग की गई कि मुझे वहां पर चौकी लगाने दी जाये ।

लेकिन स्थानीय सपा के कार्यकर्ताओं के दबाव में जिला प्रशासन ने वहां पर जो जमीदार पंडा हैं, उनके पक्ष में उनकी चौकियां लगवा दी गई तथा उन गरीब पंडों को चौकियां नहीं लगाने दीं । जब 18 तारीख को अवधपुरी पंडा समिति के अध्यक्ष श्री रामजी पांडेय द्वारा जिला प्रशासन को अखबारों के माध्यम से सूचना दी गई कि अगर हमको वहां पर चौकियां नहीं लगाने दी गईं पूर्व वर्षों की भांति, तो दिन में 12.00 बजे कहीं न कहीं उसी तिराहे पर हम आत्मदाह कर लेंगे ।

उसके बाद भी जिला प्रशासन को इस बात की कोई चिन्ता नहीं हुई । स्थानीय सपा के कार्यकताओं के दबाव मे आकर जो जमींदार पंडा हैं, उनकी चौकियां लगवाई गईं । और गरीब पंडों की चौकियां नहीं लगवाई गईं । जिसके कारण अपने निर्धारित समय पर श्री रामजी पांडेय ने वहां पर आत्मदाह कर

लिया । और उनकी मृत्यु हो गई । मेरा आपसे अनुरोध है कि इतनी बड़ी घटना जो चैत्र की राम नवमी के दिन अयोध्या में घटित हुई है, इस लोक महत्व की घटना पर सभी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, श्री लल्लू सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं । यह गलती से उधर बैठे हैं । यह जो घटना घटित हुई है यह वहां पर दो पंडों के गुट हैं । एक बनारसी पंडा का गुट और दूसरा श्री रामजी पांडेय का गुट । दोनों गुटों में सरयू नदी पर चौकी लगाने के संबंध में विवाद कई वर्षों से चल रहा था । न्यायालय ने श्री रामजी पांडेय के विरुद्ध फैसला दिया था । यह सही है कि वहां के मजिस्ट्रेट को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें आत्मदाह की उन्होंने चेतावनी दी थी । लेकिन कहीं पता नहीं चला । भीड़-भाड़ में पेट्रोल डाल कर आग लगा ली । पुलिस के लोगों ने फिर भी पूरी तरह से इनको बचाने का प्रयास किया । उनको तत्काल अयोध्या लाया गया, फैजाबाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई । यह दुखद घटना है । इसमें जो वहां का स्थानीय प्रशासन कार्यवाही कर सकता था, उसने पूरी कोशिश की । भीड़-भाड़ में बचाने की भी कोशिश की । लेकिन पांडेय बच नहीं सके । इसमें मुकदमा भी धारा 309 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है । ऐसे इसमें सूत्र मिल रहे हैं कि लोगों ने जानबूझ कर उनको 24 घंटे पहले किसी स्थान पर बन्द कर दिया था, जिससे पुलिस के हाथ में वह नहीं लग सके । छान-बीन की जा रही है । हमें उम्मीद है कि पूरा तथ्य प्रकाश में आ जायेगा ।

* श्री लल्लू सिंह–

संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा गलत सूचना दी जा रही है । 18 तारीख को उन्होंने ज्ञापन दिया था । 19 तारीख को ए० डी० एम० श्री तिवारी व रेजीडेंट मजिस्ट्रेट को भी सूचना दी थी । आप किसी भी स्तर से यह पता लगवा लें ।

प्रशासन ने अपने बचाव के लिये यह मनगढ़न्त सूचना आपको दी है । अगर वहां का प्रशासन कार्यवाही करता तो इस आत्मदाह को रोका जा सकता था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, न्यायालय का फैसला इनके विरुद्ध हुआ था । उन्होंने धमकी दी थी आत्मदाह करने की तो पुलिस उनको तलाश कर सकती है और तलाश करने के बाद आत्मदाह न कर पायें इससे रोक सकती थी चूंकि वह छिप गये इसलिये पुलिस तलाश नहीं कर पायी । आपको मालूम होगा कि भीड़-भाड़ में उसने आग लगायी तथा पुलिस ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की । लेकिन अगर कोई अमादा हो जान देने के लिये तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, वहां पर सरकार क्या कर सकती है ? सरकार ने पूरी कोशिश की । आप स० पा० का नाम न लें, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको बन्द रखने वाले राजनीतिक लोग ही थे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जब उसने आत्मदाह करने की घोषणा की तो उस संबंध में कार्यवाही होनी चाहिए थी, एहतियात की कार्यवाही करनी चाहिये थी । मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन संसदीय कार्यमंत्री जी सहमत होंगे कि अगर कोई विवाद सुलझने में असफल रहा है तो प्रिवेंटिव मेजर अख्तियार किये जा सकते थे ।

पुलिस और सिविल प्रशासन ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया । प्रशासन की गलती है । भीड़-भाड़ में कैसे आत्मदाह उसने किया, आत्मदाह की घोषणा की थी तो वह व्यक्ति वहां पहुंच कैसे गया ? प्रशासन ने कोई प्रिवेंटिव कार्यवाही क्यों नहीं की ? जिसकी जान गयी वह तो अब लौटकर आनी नहीं है लेकिन आगे इस तरह की संवेदनशील मामले न हों, प्रशासन ने अपेक्षित कार्यवाही नहीं की इस बारे में कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरे पास जो जानकारी है, 18 तारीख को जब यह सूचना मिली कि वह आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं तो स्थानीय पुलिस ने पूरी तरह प्रयास किया उनको गिरफ्तार करने का उनके खिलाफ कार्यवाही करने का । लेकिन जो अपुष्ट समाचार है कि उसको कुछ राजनीतिक लोगों ने छिपा रखा था इसलिये पुलिस पकड़ नहीं सकी और भीड़-भाड़ में पेट्रोल डालकर उसने अपनी जान दे दी । फिर भी गुप्ता जी ने जो कहा है मैं उसको दिखवा लूंगा । मुख्यालय से किसी अधिकारी को भेजकर दिखवा लूंगा । अगर किसी तरह की गफलत है तो जो गफलत का जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी ठहरायी जायेगी ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक वाक्य का प्रयोग किया कि हमारे पास अपुष्ट समाचार है उसके अनुसार कुछ राजनीतिक दलों का इसमें कहीं न कहीं हाथ हैं । मुझे बड़ा खेद है । सरकार यह कहे सरकार में पदारूढ़ होकर उस समाचार को जिसको वह अपुष्ट मानते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी को वह बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल का बड़ा सम्मान करता हूं । भारतीय जनता पार्टी का नाम, पूरे तथ्य जब तक हमारे सामने न आ जायं, तब तक नहीं ले सकता हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

मेरा कहना है कि एक तो इसकी गहराई से जांच करवायें, जो भी दोषी हैं वह बेनकाब होना चाहिये । दूसरी बात मैं उस वाक्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, सरकार पक्ष की ओर से यह कहना कि हमारे पास अपुष्ट समाचार है, किसी राजनीतिक दल के बारे में पुष्ट समाचार है तो जरूर कहिये लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझिये, आप महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, अपुष्ट समाचार के आधार पर नहीं कहना चाहिये, केवल मैं यह सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसको निरस्त किया जाता है ।

याचिका प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिये जाने की मांग

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आज सबेरे उपस्थित नहीं था इसलिये याचिका प्रस्तुत नहीं कर सका । बड़ा महत्वपूर्ण मामला है । मैं किसी कारणवश नहीं आ सका था । मुझे याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दे दें ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, याचिका आज ही प्रस्तुत करवा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे लिखकर दे देवें ।

नियम–311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं नियम–56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

(क्रमागत)

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, ताजमहल विश्व का सातवां आश्चर्य है । ताज की सुरक्षा के लिए समय-समय पर केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार चिन्ता व्यक्त करती रहती है और यह भी आशंका व्यक्त की जाती रही है कि ताजमहल की सुरक्षा को आतंकवाद और अन्य शक्तियों से खतरा है ।

ताजमहल की चहारदीवारी 15-20 फीट ऊंची और किले की तरह मजबूत है, दरवाजे भी बहुत मजबूत हैं, पूरब दरवाजे पर पी० ए० सी० का कैम्प है, पश्चिम दरवाजे पर पी० ए० सी० का कैम्प है, उत्तर में एक तरफ यमुना नदी व पी० ए० सी० का कैम्प है, दक्षिण की तरफ 300 गज की दूरी पर थाना है, ताजमहल परिसर में पुलिस चौकी है, जहां हर समय पुलिस रहती है, पुरातत्व विभाग के कर्मचारी भी पहरा देते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, पहले रात्रि में ताजमहल दिखाया जाता था, किन्तु अब केवल दिन में दिखाते हैं, यात्रियों की तलाशी ली जाती है, सामान नहीं ले जाने दिया जाता है, मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है । इस सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हिमांचल प्रदेश की सरकारों के इम्पोरियम में चोरी होना बहुत ही गंभीर बात है । यह कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है ।

यदि रक्षक ही भक्षक हो गये, तो यह और अधिक गंभीर है, फिर तो यह रक्षक उग्रवादियों और पंचमांगी शक्तियों से मिलकर रुपये की लालच में कभी भी कोई गंभीर घटना करा सकते हैं । ताजमहल के ही कारण भारत में विदेशी पर्यटक आते हैं और आगरा में सबसे अधिक मात्रा में आते हैं । आगरा पर्यटन व्यवसाय के आधार पर देश में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करके देता है और इन पर्यटकों के कारण देश के अन्य शहर भी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 852 औद्योगिक इकाईयां ताजट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर जा रही हैं, केवल पर्यटन व्यवसाय ही बचा है और अगर ताजमहल में कोई गंभीर घटना घट गयी, तो वह व्यवसाय भी समाप्त हो जायेंगे और यह

देश के लिए कलंक होगा । पुलिस प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है । आगरा में अपराध बढ़ रहे हैं, 10 दिन में 13 हत्यायें हो चुकी हैं, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उत्तरदायी हैं, इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय व सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाय और इस अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय लवानियां जी ने उठाया है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि ताजमहल आगरा में ही नहीं पूरी दुनिया में हमारी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में माना जाता है और इसको देखने के लिये देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, लेकिन मान्यवर, पिछले कुछ समय से बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के कारण इस प्रकार की धमकियां दी जाती रही हैं कि ताजमहल को किसी भी समय उड़ाया जा सकता है और इस कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत चुस्त किया गया और वहां पर पुलिस चौकी खोली गयी व पी० ए० सी० लगाई गई है । सुरक्षा व्यवस्था के कारण पहला काम यहां पर यह किया गया कि रात्रि में जो ताजमहल देखने के लिये यात्री आते थे, उनका प्रवेश बन्द कर दिया गया और ताजमहल में अगर कोई भी व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है, तो उसे टिकट लेकर ही प्रवेश करना होगा और उसकी पूरी तरह से मेटल डिटेक्टर द्वारा जांच होगी ।

ताजमहल परिसर के अन्दर उत्तर प्रदेश के निर्यात निगम का गंगोत्री इम्पोरियम, राजस्थान का हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम और हिमांचल प्रदेश का इम्पोरियम हैं । पुलिस की कड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी इन तीनों इम्पोरियमों में चोरी हो गयी, 16 तारीख की रात्रि में चोरी हो गयी । जबकि चारों ओर से सभी फाटक बन्द थे और पुलिस व पी० ए० सी० का पहरा था और वहां का मुख्य-मुख्य सामान, ज्वेलरी, कीमती कपड़ा व नगदी चोरी हो गया और चोर उस सामान को लेकर चले गये । यह प्रश्न चिन्ता प्रकट करना है कि इस प्रकार से जब चोर चोरी कर के चले गये तो ताजमहल की सुरक्षा के लिये भी खतरा पैदा हो गया है । ताजमहल की सुरक्षा को देखते हुये ही, रात्रि में यात्रियों का आना बन्द किया गया है और जिस कारण हमारी आमदनी को व विदेशी मुद्रा की आय को काफी धक्का पहुंचा है । यह ऐसा इसलिये किया गया है कि जिससे कि आतंकवादियों से किसी प्रकार से ताजमहल को कोई खतरा न हो । इस घटना से पूरे देश में चिन्ता हो गयी है ।

इस प्रकार के राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा के बारे में यह सरकार, यह प्रशासन और यह पुलिस बिल्कुल लापरवाह हो गयी है । जब इस प्रकार के महत्व के स्थान पर चोरी हो सकती है, तो आम जनता की रक्षा कैसे हो सकती है ? मान्यवर, 5 दिन पहले यह घटना घटी है और इस घटना को सुनकर लोगों में बेचैनी है । सरकार की सारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिह्न लग गया है ताजमहल की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है इसलिये मान्यवर, मैं अपनी सूचना पर बल देते हुये, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करा दें ।

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, माननीय लवानियां जी ने और माननीय विकल जी ने आगरा की घटना के बारे में प्रश्न उठाया है और ताजमहल की सुरक्षा के संबंध मे चिन्ता व्यक्त की है, मान्यवर, दिनांक 17-4-94 को प्रातः 9 बजे चौकी ताजमहल थाना ताजगंज जनपद आगरा पर सूचना दी कि दिनांक 16/17-4-94 की

रात्रि में सायं 7 बजे के बाद तथा 8 बजे के बीच तीन इम्पोरियमों के "शो-केसों" में रखे कुर्ते, काटन धोती, नागरा चप्पल तथा लाख के कड़े कीमत रु० 8,000/- तथा नकदी रुपया 924/- ताला तोड़ कर चोरी चले गये ।

ज्ञातव्य है जिस शो केस से सामान चोरी हुआ है उसमें अन्य कीमती सामान भी रखा गया था, जिसे उठाया नहीं गया ।

घटनास्थल ताजमहल की बाहरी सुरक्षा घेरे तथा भीतरी सुरक्षा घेरे के बीच में है । इस क्षेत्र में प्रायः आते-जाते रहते हैं तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी ड्यूटी पर रहते हैं । हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने यह चोरी कर ली हो ।

उक्त मुकदमें की विवेचना श्री ए० के० खान, निरीक्षक, ताजगंज, आगरा द्वारा की जा रही है । घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 17-4-94 को श्री केवल सिंह क्षेत्राधिकारी तथा श्री आदित्य मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, नगर, आगरा तथा दिनांक 18-4-94 को श्री रिजवान अहमद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा किया गया । विवेचना तत्परतापूर्वक की जा रही है ।

श्रीमन्, चिन्ता की बात इन्होंने व्यक्त की है तो उस पर तो मैंने प्रसन्नता जाहिर की है । इस पर हम लोग चिन्तित ही नहीं बल्कि पूरी तरह से सजग भी हैं कि आगरा में स्थित ताजमहल की सुरक्षा को खतरा न होने पाये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 56 में नहीं आती हैं इसलिये निरस्त की जाती है ।

पांचवी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की प्रदेश में उपभोक्ता अदालतों का काम-काज ठप होने से उपभोक्ता संरक्षण का कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उपभोक्ताओं को अपने उपभोग के लिए जो सेवा मिलती है या सामान मिलता है वह घोषित मूल्य के हिसाब से, घोषित गुणवत्ता के हिसाब से और सही तौल के हिसाब से मिलता रहे यही शासन का दायित्व है और जो इसके विपरीत आचरण करते हैं उन्हें दंड देने के लिए राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण राज्य स्तरीय आयोग और जिला स्तर पर फोरम का गठन किया गया है । हमारे प्रदेश में बड़े प्रभावी ढंग से यह काम करती है । इसमें आयोग की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई उसको देखकर मेरे मन में यह भाव पैदा हो गया कि शासन का ध्यान आकृष्ट करूं कि शासन को गलत सूचना दी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के जिलों में यह उपभोक्ता फोरम सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं । इसमें तीन लोगों का गठन होता है एक जिला जज अवकाश प्राप्त हुए, महिला और एक पुरुष को नामित किया जाता है । मेरी जानकारी के हिसाब से 63 जिलों में से 14 जिलों में तो आपके अध्यक्ष हैं और बाकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम के रहे होंगे जैसे-जैसे जौनपुर में श्रीवास्तव जी रिटायर्ड जज थे वह इसके अध्यक्ष बनाये गये थे तो उन्होंने काम बन्द कर दिय तो वहां सिटी मैजिस्ट्रेट को प्रभारी बना दिया उसको अपने काम से छुट्टी मिलती नहीं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिलों में इनके पास न कार्यालय है, न प्रशिक्षित स्टाफ है और राज्य स्तर पर ही स्टाफ है । मैं लखनऊ की जानकारी देना चाहता हूं जिस दिन यह दिवस मनाया गया कि इंदिरा भवन में जगह दी जायेगी लेकिन नहीं दी गयी सीतापुर के बारे में मैं बता दूं कि वहां लोग मंगलवार को इकट्ठा हो जाते हैं न तो उन्हें कचेहरी में कमरा मिला है, न स्टाफ है और बैठने के लिए दो कुर्सियां भी उपलब्ध नहीं हैं । यही अनेक जिलों की स्थिति है । तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी व्यवस्था न होने से समस्त प्रदेश के उपभोक्ताओं में एक जनाक्रोश की भावना व्याप्त है ।

मान्यवर, फोरम ने अनेक फैसले दिये हैं जिससे गलत काम करने वालों पर अंकुश लग रहा है तो मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक तो इस बारे में अद्यतन स्थिति की जानकारी सरकार को मिलनी चाहिए और सरकार की ओर से इस बात का प्रयास किया जाय कि जितने भी फोरम गठित किये गये थे और इस समय डिफंग हो गये हैं उनको पुनर्गठित किया जाय अगर रिटायर जज नहीं मिलते हैं तो और किसी की व्यवस्था की जाय स्टाफ और स्टेनो दिया जाय जिससे वह अपना काम कर सकें । मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार एक वक्तव्य दे, उसकी जानकारी दें और शासन स्तर से उसकी समीक्षा की जाय और जहां-जहां डिफेक्ट हो गये हैं फोरम वहां प्रभावी काम करें ।

(व्यवधान)

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने बड़े गम्भीर प्रकरण की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है मैं कुछ हद तक अपने को गुप्त जी से सम्बद्ध करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता फोरमों का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था लेकिन आज वह उद्देश्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है । क्यों पूरा नहीं हो रहा है, इसके कारण अनेक हो सकते हैं । मेरी समझ में यह भी आ रहा है कि जो उपभोक्ता फोरमों में इससे पूर्व की सरकार के समय में सदस्य नामित किये गये थे वे एक राजनीतिक भावना के तहत नामित किये गये थे और आज वह स्थिति बरकरार है । फोरमों में इतना लम्बा समय लगने लगा है, पेशियां लगने लगी हैं कि किसी को फायदा होना भी है तो वह बेकार हो जाता है । ऐसी स्थिति आ गयी है कि उपभोक्ता फोरमों की उपयोगिता जिस प्रकार की स्थापित की गयी थी, आज वह उपयोगिता दिखायी नहीं दे रही है ।

क्या शासन की ओर से माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि सारे उपभोक्ता फोरम चाहे वह जिला स्तर के हों या राज्य के स्तर के हों, उन उपभोक्ता फोरमों को, जो इनके सदस्य हैं, इसको समाप्त करके, इनको नये सिरे से पुनर्गठित करने पर विचार करेंगे । अगर नये सिरे से पुनर्गठित नहीं करते हैं तो उपभोक्ता फोरमों की उपयोगिता जो होनी चाहिये वह नहीं हो पायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, जो उपभोक्ता फोरम जिले-जिले में बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपभोक्ता फोरमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत मिलती थी अगर कहीं उपभोक्ता का उत्पीड़न होता था, शोषण होता था, अनियमितता होती थी या कोई खराब सामान देता था तो उपभोक्ता स्वयं जाकर शिकायत करता था ताकि उसका निवारण हो । उससे उपभोक्ताओं को राहत मिलती थी । जो कमियां इसमें इधर दिख रही हैं जिसमें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि वह व्यवस्थायें पूरी की जायें ।

अभी माननीय राम आसरे वर्मा जी ने एक बात कह दी कि पिछली बार राजनीतिक आधार पर यह उपभोक्ता फोरम बनाये गये थे । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो उपभोक्ता फोरम बनाये गये थे उन्होंने पूरी क्षमता के साथ बहुत अच्छे सुचारु रूप से कार्य किया । व्यवधान तो तब उत्पन्न हुआ जब उसको कार्य करने में बाधा खड़ी की गयीं । पुनर्रचना नहीं कर सकते, कदाचित माननीय राम आसरे वर्मा जी को जानकारी नहीं है, एक बार जितनी अवधि के लिये बने हैं वह अवधि पूरी होने तक पुनर्रचना नहीं कर सकते हैं । आवश्यकता आज इस बात की है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर मुख्यालय पर जनपदों में उपभोक्ता फोरम सही तरीके से सुचारु रूप से कार्य कर सकें जो इनमें कमियां हैं या त्रुटियां रह गयी हैं, कितने साधन उपलब्ध कराना है, वह व्यवस्था शासन कर दे ।

श्री रमाशंकर कौशिक–

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपभोक्ताओं का संरक्षण प्राथमिक आधार पर शासन की नीति है और वह उसको करेगी । जिन बिन्दुओं पर माननीय गुप्त जी ने, माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने बात रखी है, यह मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन सभी बिन्दुओं पर बिन्दुवार समीक्षा करेंगे और जो भी आवश्यक होगा उपभोक्ताओं के संरक्षण के विषय में, उपभोक्ता फोरमों के गठन के संबध में, वह कार्यवाही की जायेगी ।

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने जिस विषय को रखा है वह पूरे प्रदेश के लिये इस सदन के एक-एक सदस्य के लिये चिन्ता का विषय है । मान्यवर, राजनीति करने की जो बात है, राजनीति को मैं पवित्र संस्था मानता हूं मगर राजनीति के नाम पर पूरे प्रदेश में जाति विद्वेश की स्थिति उत्पन्न हो जाय जाति संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाय...

श्री अधिष्ठाता–

अभी इस पर आगे बात आयेगी । जो गुप्त जी का विषय था उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

उपभोक्ता फोरम के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पीछे एक उद्देश्य था वह पवित्र उद्देश्य था और माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो हमारी चिन्ता थी वह चिन्ता स्वयं प्रकट कर दी। इन उपभोक्ता फोरमों को शीघ्र ही सक्रिय कर दिया जाय आज आवश्यकता इस बात की है।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

और अगर कोई समयावधि सरकार दे सके, पन्द्रह दिन, एक महीना, दो महीना तो शायद पूरे उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए संतोष की बात होंगी कि उसकी बात किसी न किसी मंच पर सुनी जा रही है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसे शीघ्र से शीघ्र करा दे।

श्री रमाशंकर कौशिक–

इसे शीघ्र करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इसे निरस्त किया जाता है। छठी सूचना श्री अजय कुमार पोइया जी की जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस संदर्भ में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये यह सूचना निरस्त की जाती है। सातवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री शूरवीर सिंह सजवाण व श्री प्रीतम सिंह जी की जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लाखा मण्डल में एक गिरोह द्वारा कतिपय लोगों पर प्राणघातक हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस संदर्भ में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह सूचना निरस्त की जाती है।

आठवीं सूचना श्री बदन सिंह जी की जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस संदर्भ में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह सूचना निरस्त की जाती है। नवीं सूचना श्री महबूब अली की दि-क़िसान सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, नजीबाबाद जनपद बिजनौर में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा आत्मदाह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस संदर्भ में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह सूचना निरस्त की जाती है। दसवीं सूचना डा० सरजीत सिंह डंग जी की प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा कथित रूप से विद्वेष फैलाने के प्रयत्नों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस संदर्भ में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह सूचना निरस्त की जाती है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं ....

(श्री हरेन्द्र सिंह मलिक के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मलिक जी, आपने जो सूचना आगजनी के सम्बन्ध में दी थी, जो व्यवस्था आपने उठायी थी, इस संदर्भ में दिनांक 19-4-94 को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया गया है और इस मामले में चर्चा स्वीकार की गयी है, जल्दी ही चर्चा करा ली जायेगी ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आपके समक्ष माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर एवं बहुत ही संवेदनशील मामला उठाया है जिससे पूरे प्रदेश में विद्वेष की आग भड़क गयी है । मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है जातीय विद्वेष की लपटें उठने लगी हैं और विशेष रूप से इस सरकार के दोहरे साझीदार बसपा के द्वारा जो वातावरण पैदा किया जा रहा है उससे जातिगत संघर्ष और विद्वेष की भावना फैल रही है और जहरीले नारे लगाकर वातावरण को विषाक्त किया जा रहा है । और धीरे-धीरे ऐसे नुक्कड़ नाटक खेले जा रहे हैं जिनके कथानक बहुत ही उत्तेजनापूर्ण हैं और इससे विद्वेष की आग भड़क सकती है । कोई भी नाटक की कथावस्तु ऐसी नही होनी चाहिए जिससे दूसरे वर्ग को अपमानित महसूस न होना पड़े । जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्र में भीटी थानान्तर्गत शैनपुर मे दो घटनाएं हुई हैं वहां पर जातीय विद्वेष फैलाकर गांव की ओर बढ़ाया गया ।

जो नाटक की कथावस्तु थी वह संविधान के विपरीत थी और संविधान यह इजाजत नहीं देता है कि ऐसी कथावस्तु को पब्लिकली दिखाया जाये मगर फिर भी ऐसे कथावस्तु को नाटक के रूप में दिखाया जा रहा है जिससे वहां के लोगों को चोट पहुंची है । किसी भी सवर्ण को यह अधिकार नहीं है कि वह अनुसूचित जाति के भाइयों के प्रति ऐसी भाषा, व्यवहार या आचरण करे जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस करें लेकिन उसी के साथ-साथ किसी अनुसूचित जाति के भाई को भी यह अधिकार नहीं है कि वह नुक्कड़ नाटक एवं नुक्कड़ सभाओं से सवर्ण या पिछड़े वर्गों के लोगों के सम्मान की भावना को ठेस पहुंचाये । लेकिन आज जानबूझकर इस प्रकार का वातावरण फैलाया जा रहा है । मैं शासन से यह जोरदार मांग करता हूं कि जो आज प्रदेश के गांव-गांव में ऐसे आपत्तिजनक कथावस्तु के नुक्कड़ नाटक खेले जा रहे हैं.....

जिससे समाज के अन्दर विद्वेष फैल रहा है, घृणा फैल रही है, जातीय संघर्षों को बढ़ावा मिल रहा है, पूरे प्रदेश में आने वाले दिनों में शान्ति व्यवस्था की स्थिति खतरे में पड़ सकती है, लोगों में आपस में लाठियां चल सकती हैं और एक हिंसक वातावरण बन सकता है, ऐसा दिन अत्यन्त दुर्भागय का दिन होगा । मान्यवर, यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह समता लाये तथा समरसता भी लाये, लेकिन इन तरह के नाटकों से समरसता नष्ट हो रही है । मान्यवर, सामाजिक समता सभी चाहते हैं, लेकिन ममता की नींव पर खड़ी की हुयी । आज जिस तरह के नाटक खेले जा रहे हैं, उससे सामाजिक समता को खतरा पैदा हो गया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह स्पष्ट घोषणा करे कि जो नुक्कड़ नाटक खेले जा रहे हैं, जिनकी कथावस्तु आपत्तिजनक है, जिनमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिनकी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उन पर सरकार प्रतिबन्ध लगा दे ।

आज केवल ऐसा नहीं है कि सवर्ण और अनुसूचित जातियों में संघर्ष हो रहा है, बल्कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों में भी झगड़ा हो रहा है, पिछड़ी जाति के लोग भी अपने को अपमानित

महसूस कर रहे हैं । मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है और मैं इस पर शासन से जरूर चाहूंगा कि शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार स्पष्ट घोषणा करे कि इस तरह के नाटकों, जिनकी कथावस्तु आपत्तिजनक है, ऐसे नाटकों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ।

श्री रमा शंकर कौशिक–

श्रीमन्, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई जातीय संघर्ष की स्थिति बन रही हो । नाटक का मामला हमारे सामने और आपके समक्ष भी नहीं है, कौन से नाटक के बारे में मा० कल्याण सिंह जी इशारा कर रहे हैं, ऐसे कैसे विचार किया जा सकता है....

श्री कल्याण सिंह–

मैंने पहले नाम लिया था, फैजाबाद के मिल्कीपुर और थाना भिट्टी का सेनपुर ।

श्री मयंकर सिंह–

जहां नाटक खेला जाता है, वहां पी० ए० सी० लगती है, यह चिन्ता का विषय है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना पहले ही निरस्त की जा चुकी है ।

श्री रमाशंकर कौशिक–

श्रीमन्, जहां भी कोई नाटक होता है, नौटंकी होती है, राम लीला होती है, वहां पुलिस का इन्तजाम तो किया ही जाता है । भाई मयंकर सिंह का यह कहना कि पुलिस का इन्तजाम था । जहां भी सामाजिक कुप्रथा पर प्रहार किया जायेगा, वहां थोड़ा बहुत बुरा तो लग ही सकता है । जैसे दहेज प्रथा का मामला है, या जाति बिरादरी के बारे में नाटक हो, इसमें तो लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा ही, यह एक ऐसा अहम प्रश्न है, जिस पर माननीय सदस्यों को जरा विचार करना चाहिये कि किन नाटकों को प्रतिबंधित करा रहे हैं । पहले नाटक को देखते, फिर बताते, तो सवाल भी उठता । लेकिन इस तरह से कह देना कि जातीय संघर्ष हो रहा है, पुलिस के जरिये नाटक हो रहे हैं, यह सब बेकार की बातें हैं । नाटक, रामलीला जहां भी होती है, वहां पुलिस की व्यवस्था की ही जाती है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

एक दर्जन घटनायें इस तरह की हुयी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें, यह सूचना पहले ही निरस्त की जा चुकी है ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आंवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,38,66,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन् जैसा कि सभी सम्मानित सदस्य अवगत हैं कि चार-पांच महीनों के दौरान ही इस सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के निदान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा । अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य श्री राकेश सचान जी की एक याचिका थी ।

श्री अधिष्ठाता–

बजट प्रस्तुत हो जाने दीजिये । इस मद के बाद देख लेंगे ।

श्री रमाशंकर कौशिक–

उत्तराखण्ड की जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं, जो कठिन और कठोर परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं और ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिंन्हित किया गया है, जिनके जरिये से उत्तराखण्ड का विकास क्रियाशीलता से और त्वरित ढंग से हो सके । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अपने ऐसे सुझाव अवश्य देंगे, जो उत्तराखण्ड के विकास में सहायक हो सकें और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनके सुझावों का अनुपालन कर सकें ।

जहां तक उत्तराखण्ड के विकास के लिये कटिबद्धता का प्रश्न है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम पूरे उत्तराखण्ड के लिये कटिबद्ध हैं । हम उसका विकास करेंगे और इसके लिये जो भी विशेष योजनायें या खर्च करने पड़ेंगे, उसके लिये हम तैयार करेंगे । इस दृष्टि से जो स्वीकृतियां पिछले दिनों से चलती रहीं, जो परिव्यय निर्धारित होते रहे, लेकिन उसकी स्वीकृतियां समय से जारी नहीं हो पायीं और अगर स्वीकृतियां समय से जारी नहीं होती हैं, अगले वर्ष की स्वीकृतियां बनती हैं तो उनमें निरन्तर कमी होती चली जाती है और स्वीकृतियों में कमी होती चली गयी । इसी को मद्देनजर रखते हुये पिछले वर्ष 375 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी कीं ताकि योजना के जरिये से हम भारत सरकार से अधिक से अधिक सहायता ले सकें । उसी का परिणाम यह है कि हम 455 करोड़ का परिव्यय निर्धारित करने में कामयाब हो पाये हैं, जो पिछले वर्ष 408 करोड़ रुपये का था । इसको सरकार पूरी तरीके से जारी करेगी ताकि आने वाले वर्षों में भी वह लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियों के आधार पर ही भारतीय योजना आयोग अगले वर्ष की विशेष केन्द्रीय सहायता जारी करते हैं । अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व ही हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड के लिये विशेष केन्द्रीयत सहायता पर्याप्त रूप में पूरी हो सके, इसके लिये ठोस कदम उठाये हैं । इस वर्ष 11.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी परिव्यय में की गयी है । इस पर्वतीय क्षेत्र के लिये हम जो भी राशि भारत सरकार की स्वीकृति के लिये होगी उसको जल्दी से जल्दी जारी कराके, उसके विकास को गतिशील बनायेंगे । यह भी बात अपने में सही है कि उत्तराखण्ड राज्य की मांग वहां के स्थानीय जनता के द्वारा बहुत दिनों से की जा रही है और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार इसके लिये कटिबद्ध है कि हम उत्तराखण्ड राज्य बनायेंगे ।

इसके लिये मुख्य सचिव तथा अन्य पांच सम्मानित सदस्यों की, जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य थे, की एक समिति गठित हुई है ।

इसके अलावा पूरे गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के क्षेत्र में विभिन्न मीटिंगें आयोजित की गयीं, वहां के बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों, वकीलों, अध्यापकों तथा विभिन्न संगठनों से विचार विमर्श किया गया ताकि अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त हो सकें । इसके अतिरिक्त एक प्रश्नावली समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके, प्रेस और रेडियो के जरिये भी सुझाव आमंत्रित किये गये । इस सम्बन्ध में उप समिति का अन्तिम फैसला 30 तारीख को प्राप्त हो जायेगा और पूरी रिपोर्ट सम्मानित सदस्यों के समक्ष रखी जायेगी ।

दूसरी समस्या जो उत्तराखण्ड की है, वह पेयजल की समस्या है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पेयजल की संकट है, लेकिन जो विशेष परिस्थितियां उस क्षेत्र की हैं, वह सर्वविदित हैं और बहुत ही कठिन और कठोर हैं । लेकिन हम लोगों का यह संकल्प है कि हम तीन वर्ष में पूरे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पूरी तरीके से कर देंगे । जो पेयजल संकट की स्थिति आजकल पूरे प्रदेश में है, उस संकट को समाप्त कर देंगे क्योंकि समस्या का समाधान एकदम तो नहीं हो पायेगा लेकिन संकट की स्थिति से छुटकारा मिल जायेगा । पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें उत्तराखण्ड भी सम्मिलित है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मानक के हिसाब से करेंगे । 51 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । 23.68 करोड़ रुपया हम आज आपसे मांग रहे हैं और जैसे-जैसे आवश्यकता होती जायेगी उसकी स्वीकृतियां दी जाती रहेंगी और 51 करोड़ रुपये तक हम उसको ले जायेंगे । इसके साथ-साथ यह भी सही है कि जल संस्थान और जल निगम के जरिये से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है । चूंकि वहां की विचित्र परिस्थितियां हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं, जो वहां की परिस्थितियां हैं उनको सुधारने के उपाय करने होंगे । इस सरकार का यह मानना है कि पेयजल समस्या को मात्र जल निगम और जल संस्थान को अधिक धन देकर नहीं निबटाया जा सकता । वर्ष 1988 में जो एक अखिल भारतीय कार्यशाला पर्वतीय क्षेत्रों की पेयजल समस्या पर विचार करने के लिये शिमला में बुलायी गयी थी, उसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे । हमारा प्रयास यह है कि उपरोक्त कार्यशाला में जो विभिन्न सुझाव दिये गये थे उसके आधार पर लिफ्ट योजनाओं के लिये "डेडीकेटेड-फीडर" सूख रहे नैसर्गिक जल स्रोतों को पुनः सक्रिय करने, जल संरक्षण की योजनायें बनाने, जहां सम्भव हो वहां हैण्ड पम्प लगाने और नगरीय क्षेत्रों के लिये दीर्घकालीन "ग्रैविटी" पर आधारित योजनायें बनायी जानी चाहिए ।

इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में बनी योजनायें विभिन्न कारणों से क्षत-विक्षत हो जाती हैं, अतः उनके अनुरक्षण के लिये भी पर्याप्त धनराशि योजनागत मद से दी जानी चाहिए । एकल गांव वाली पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण स्थानीय तौर पर भी किया जाना आवश्यक है । इन सबके साथ ही जो एजेन्सी निर्माण कार्य करती है और जो एजेन्सी अनुरक्षण कार्य करती है उनके संगठनात्मक ढांचे पर भी गौर किया जा रहा है । पिण्डर नदी पर आधारित पेयजल योजना की फीजिविलिटी का अध्ययन कराया जा रहा है ।

मैं माननीय सदस्यगणों को अवगत कराना चाहूंगा कि इन सभी बिन्दुओं पर यह सरकार गौर करके प्रत्येक बिन्दु पर व्यवस्था करायेगी, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों की पेयजल समस्या का प्राथमिकता के आधार

पर निराकरण किया जा सके । अपने पहले 100 दिनों के कार्यकाल में इस सरकार ने इनमें से कई बिन्दुओं पर योजनाओं को स्वीकृतियां दी हैं । जैसे एकल पेयजल योजना का स्थानीय महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त अनुरक्षण तथा जल संभारण की योजनायें और हैण्ड पम्पों के लिये नयी योजना, नीचे, तराई और भांवर में तो हैण्ड पम्प लग जाते हैं, परन्तु ऊपर नहीं लग पाते हैं इसलिये यह व्यवस्था की गयी है कि पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर हैण्ड पम्प लगाये जायं । श्रीनगर पौड़ी पेयजल योजना के स्वतन्त्र फीडर के लिये 2.14 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है और इसी प्रकार अल्मोड़ा शहर की निर्माणाधीन योजना के लिये भी 51.37 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है । वर्ष के दौरान पूरी पेयजल व्यवस्था पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा ।

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि उत्तराखण्ड का विकास बावजूद वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के, इसलिये भी बाधित रहा है क्योंकि कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकारी और कर्मचारी वहां कार्य करने को, बावजूद वित्तीय प्रोत्साहनों के, तत्पर नहीं रहते । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग को तत्काल गठित करने के लिये अत्यन्त प्रभावी कार्यवाही की गयी है । पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली के अन्तर्गत जिन 31 विभागों को चिन्हित किया गया उसमें से परीक्षण के उपरान्त केवल 28 विभागों में ही हिल कैडर लागू किया जाना था, क्योंकि 3 चिन्हत विभागों में या जो स्थायी राजकीय कैडर नहीं हैं या कर्मचारी उत्तराखण्ड में तैनात नहीं है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब तक 19 विभागों में पर्वतीय उपसंवर्ग लागू हो गया है और शेष विभागों में अन्तिम चरणों में है या आंशिक क्रियान्वयन हो चुका है । पर्वतीय उपसंवर्ग लागू होने के बाद इस व्यवस्था को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिये जो और कार्यवाहियां होनी आवश्यक होंगी उन्हें भी सरकार इसी कटिबद्धता से लागू करेगी ।

उत्तराखण्ड के विकास में विभिन्न सेवाओं के लिये अवस्थापनाओं (इनफ्रास्ट्रक्चर) का विकास एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है । माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि विभिन्न सरकारों द्वारा समय-समय पर जो मार्गों और सेतुओं की स्वीकृतियां दी गयीं उसके कारण स्वीकृतियां और उपलब्ध संसाधनों में लगभग 240 करोड़ रुपये की "स्पिलवोपर" आ गयी थी । राष्ट्रपति शासन कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया था कि सर्वोच्च प्राथमिकता उन भागों और सेतुओं को पूर्ण करने में दी जाय जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक और उसके बाद 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका हो । इस सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उसी नीति को चालू रखते हुये वर्ष के अन्त तक कार्य करावे जिसके फलस्वरूप कई अपूर्ण मार्ग और सेतु इस वर्ष पूरे हो जायेंगे । मार्गों और सेतुओं की स्वीकृति पर्वतीय क्षेत्र की एक प्रमुख मांग रहती है और इसे अनुभव करते हुये सरकार ने जहां वर्ष के अन्त में 19.72 करोड़ रुपये की, 28 मार्गों तथा 4 नये सेतुओं की स्वीकृति दी है, वहीं इस वर्ष जिला सेक्टर में भी इस कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया है । राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर में मिलाकर वर्ष 1994-95 में 65 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है; जिसमें से इस आय-व्ययक से 46.27 करोड़ की स्वीकृति मांगी जा रही है ।

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग, सीमा सड़क संगठन (बार्डर रोड आर्गनाइजेशन) के माध्यम से निर्मित होते हैं । अब तक इस संगठन के साथ तालमेल की ठोस व्यवस्था नहीं थी । सरकार द्वारा राज्य सरकार और सीमा सड़क संगठन के बीच तालमेल भी व्यवस्थित

किया गया है जिससे उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण मार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य निर्बाध रूप से पूरा होता रहे और यह जो लम्बी सड़कें हैं वह सीमा सड़क संगठन द्वारा ही बनायी गयी हैं। उनसे बिना तालमेल के, उनके रख-रखाव और विस्तार का काम आज तक नहीं हो पाता था, इसलिए पहली बार प्रदेश के स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष, विभाग के सचिव को बनाया गया है। यह सड़कों के रख-रखाव व उनके विस्तार के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अवस्थापना के मामले में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं व अस्पतालों का सवाल आता है। बिना विद्युत के वहां कुछ होता नहीं है। जब विद्युत नहीं होती है तो तभी वहां पर पानी की समस्या भी पैदा होती है। इसलिए विद्युत पर 54.69 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में 60.16 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, तकनीकी क्षेत्र में 7.89 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस वर्ष इन परिव्ययों के आधार पर वित्तीय स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर की जायेंगी। पहाड़ों पर सबसे बड़ी समस्या मार्गों व सेतुओं की है। इसको सभी माननीय सदस्यगण एहसास करते होंगे। परन्तु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत बहुत सी ऐसी योजनयें हैं, जिन्हें वाकई बहुत जल्दी हो जाना चाहिये था, उनमें विलम्ब हो जाता है। इसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एक अन्तर्विभागीय विशेषज्ञ समिति वन विभाग द्वारा बनाई गयी है, जो ऐसे लम्बित मामलों को देखती है। जो शासन स्तर पर लम्बित हैं, उनके प्रारूप को भारत सरकार को भेजती है। इस वर्ष 109 परियोजनाओं पर हमें अनुमति प्राप्त हो गई है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। 358 मामले अभी और हैं, हमें उम्मीद है कि उन पर भी जल्दी फैसला हो जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हर एक ज़िले में व्यवस्था की जा रही है। विश्व बैंक के जरिये दो जिले—नैनीताल व पौड़ी मण्डल में, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिए 5.24 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

इस वर्ष इन दोनों पर 20.16 करोड़ रुपए का परिव्यय वचनबद्ध है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक जो बड़ी कमी हो रही है, वह पूरी होगी। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 22.96 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अवस्थापना के मामले में जो सामुदायिक केन्द्र होते हैं, उनकी बहुत वहां पर कमी है। हर तहसील में इसे होना चाहिये था। 30 तहसील हैं, 14 तहसील ऐसी हैं, जिनमें सामुदायिक केन्द्र नहीं बने हैं, इन पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार से जो बेस अस्पताल 3 हैं श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में उनमें से श्रीनगर और अल्मोड़ा में विशेष कोशिश कर विशेष धन आवंटित कर उनको सुदृढ़ किया जा रहा है।

इसी प्रकार ग्रामीण विकास के मामले में यह बहुत सराहनीय बात है कि हमें भारत सरकार से इस वर्ष एक अच्छी रकम प्राप्त होनी वाली है। पिछले वर्ष इस मद में हमें 7.93 करोड़ रुपया दूसरी किश्त का देय है और इस वर्ष ग्रामीण विकास का बजट भी भारत सरकार का बढ़ा है और हमें 218.55 करोड़ रुपया प्राप्त होंगे। यह मामूली पैसा नहीं है इससे हम ग्रामीणों की भलाई में ग्राम्य विकास करेंगे और रोजगार दिलाने में जो व्यवस्था हो सकती है चाहे वह जवाहर रोजगार योजना हो या सघन जवाहर रोजगार योजना हो उनके जरिये रोजगार देने के पूरे प्रयास करेंगे।

लेकिन निश्चित बात यह है कि हमें भूमि पर आधारित कार्यक्रम चलाने होंगे, उसके लिये पहाड़ों में हजारों एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है उसका हमें उपयोग करना पड़ेगा और 3 लाख हैक्टेयर भूमि जो वन

पंचायतों की है उसका भी उपयोग करना पड़ेगा और वहां की परिस्थितियों के अनुसार करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ यह भी देखना है कि वहां के स्थानीय श्रमिक इसका पूरा-पूरा उपयोग कर सकें। यह बात देखने में आती है कि वहां स्थानीय श्रमिक इन कामों में कम लग पाते हैं तो उसके लिये भी उपाय हमें खोजना होगा उसका क्या कारण है यह देखना पड़ेगा उसके लिये अतिरिक्त भी व्यय करना पड़ेगा तो अतिरिक्त व्यय देकर उनको प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार हम स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मुहैय्या करायेंगे ताकि वास्तविक विकास की ओर वह जा सकें।

इसी प्रकार पहाड़ों में चाय की खेती की योजना भी बनाई गयी है उसको हम इस समय चार स्थानों पर शुरू कर रहे हैं और इसमें लगभग दो सौ हैक्टेयर भूमि में यह कार्यक्रम होगा इसमें काली कुमायूं में चंपावत पिथौरागढ़ में विजयपुर, बेरीनाग, नैनीताल में सात ताल और पौड़ी में गंगोली मालाखां यह चार योजनायें बनाई हैं और उसको इसी साल शुरू करेंगे और इसमें निजी उद्यमी भी लगें यह कोशिश करेंगे।

जो नया वैज्ञानिक क्षेत्र में टीश्यू कल्चर की बात हुई हैं उसमें भी इस टिश्यू कल्चर के माध्यम से फल और फूलों का विकास किया जा सकेगा अधिक पेड़ बनाकर, अधिक फल देने वाले पौध बनाकर काम को शुरू किया गया है कैंची में जो नैनीताल में है वहां पर अनुसंधान शाला बनाई है जो टिश्यू क्लचर का काम कर रही है।

इसमें कोई शक नहीं है कि पहाड़ों में महिला श्रमिकों की स्थिति दयनीय है उन्हें कठिन काम करना पड़ता है पानी चारे और ईधन के मामले में कठिन श्रम करना पड़ता है उनके श्रम का अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिये हमने महिला डेरी परियोजना चलाई है जो दीन दयाल परियोजना के माध्यम से संचालित की जा रही है यह काम चार जिलों देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में शुरू हो गया है और जिलों में भी इसको बढ़ायेंगे। इसी प्रकार मिनी डेरी कार्यक्रम भी चल रहे हैं उसमें भी महिलाओं के लिये 1992-93 में 1.13 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ इस वर्ष इसमें 1.24 करोड़ का बजट में प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार महिला मंगल योजना को भी सक्रिय किया जा रहा है ताकि महिलाओं का संगठन मजबूत हो सके और महिलाओं की स्थिति सुधर सके।

अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में उनके बच्चों को छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जा सके और समय से पैसा मिल सके इसके लिये हमने 25 लाख का प्रावधान किया है।

उत्तराखण्ड में, जो उत्तर प्रदेश में कुल पांच अनुसूचित जन जातियां हैं, चार अनुसूचित जन जातियां उत्तराखण्ड में रहती हैं, उनके विकास के लिए हम विशेष उपक्रम करेंगे और इस संबंध में 3.20 करोड़ रुपये का प्राविधान कर रहे हैं। इसमें नये कार्यक्रम भी लिये जायेंगे। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में 71.14 करोड़ रुपया का प्राविधान रखा गया है।

श्रीमन्, सैनिक कल्याण के मामले में भी हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इसलिए पिथौरागढ़ जनपद में शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिये हास्टल निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है। सैनिक कल्याण के क्षेत्र में समस्त योजनाओं को सक्रिय करने हेतु 40 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

श्रीमन्, औद्योगिक विकास के मामले में तराई-भाबर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो शून्यप्राय है आठों जिलों में 6 जिले शून्य जिलों में आते हैं वहां लघु एवं कुटीर उद्योग अधिक से अधिक हो सकें इसके

लिये स्वतंत्र विभागाध्यक्ष की नियुक्त की गई है जिसका श्रीनगर में आफिस बनाया गया है । जन जातियों की जो हस्तकला है उसके प्रदर्शन के लिये विभिन्न जगहों पर प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं जिसका लाभ उनको मिलेगा जो सुविधाएं पहले से चालू उद्योगों को मिली हैं और जो भारत सरकार से पुनर्वित्तीय पोषण की जाती हैं, उसके लिये गत वर्ष 240 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 160 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है । इस प्रकार लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए यह सब किया गया है ।

श्रीमन्, यह भी सही है कि इलेक्ट्रानिक उद्योग का वहां विकास करना पड़ेगा । हिल्ट्रान का टर्न ओवर 1992-93 में 120 लाख रुपये से बढ़कर गत वर्ष 150 लाख रुपये का हो चुका है । और हिल्ट्रान के माध्यम से इस वर्ष इस कार्य को और विस्तार दिया जाना प्रस्तावित है ।

श्रीमन्, सदन अवगत है कि उत्तराखण्ड का पूरा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है और सीमा जो बहुत बड़ी है दूसरे देशों से लगी है और सीमान्तिक क्षेत्रों से भी भारत तिब्बत व्यापार होता है और इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है । भारत तिब्बत व्यापार को सुदृढ़ करने के लिये गत वर्ष राज्य सरकार का व्यापार डेलीगेशन तिब्बत गया, जिसके द्वारा भारत तिब्बत व्यापार की कठिनाइयों, और कैलाश मानसरोवर यात्राओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये वहां के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया ।

श्रीमन्, वनीकरण एवं पर्यावरण सुरक्षा के मामले में उत्तराखण्ड का पर्यावरण का मामला पूरे देश से ही नहीं बल्कि दुनियां से जुड़ा हुआ है और वह हमारे प्रदेश और देश को ही नहीं बल्कि सारी दुनियां को प्रभावित करता है और उसके लिये वनीकरण की व्यवस्था होना आवश्यक है इसलिए विभिन्न वानिकी कार्यक्रमों के लिये इस वर्ष 47.35 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है तथा इसमें 33.88 करोड़ रुपये की मांग की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 4.69 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना वन विभाग के माध्यम से चलाई जायेगी जिसमें प्रमुख कार्यक्रम वन पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जायेंगे ।

श्रीमन्, वन पंचायत व्यवस्था को बदला जा रहा है और पंचायतों को आधार मानकर इन गांवों में आर्थिक कार्यक्रमों को सक्रिय किया जायेगा इस उद्देश्य से हल्द्वानी स्थित वानिकी प्रशिक्षण संस्थान के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है और उसे अब वानिकी एवं वन पंचायत प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है, जिसमें अब वन पंचायतों, वन पंचायत कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा सके कि वहां पर किस प्रकार से गांवों का विकास करना है वहां की परिस्थितियों के अनुसार । यह भी सही बात है कि फल और उनका प्रसंस्करण बहुत जरूरी है पर्वतीय क्षेत्र के लिए । हम उसकी ओर पूरी तरह से सक्रिय हैं और इसी के चलते गत वर्ष 31 टन सेव तथा 709 टन माल्टा और नीबू प्रजाति के अन्य फलों का उत्तराखण्ड के बाहर विपणन किया गया है । वहां पर और भी अधिक माल बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन उसके लिए विपणन की सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध होनी चाहिए, और उसके लिए हम बराबर प्रयासरत हैं । इसके लिए हम वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायेंगे । उन पर पूरी सक्रियता से हम अपना ध्यान लगायेंगे ।

वहां के लिए पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है, हम तो उसको उद्योग ही कहेंगे । किन्तु वहां पर पांच सितारा होटल संस्कृति ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकती है । हमें वहां के लिए इसमें वह करना है, जो वहां के लोगों के हित में अधिक हो सके, पंच सितारा संस्कृति नहीं । वहां जो खेल-कूद के विकास की

सम्भावना है, आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि इसी को दृष्टिगत रखते हुए वहां औली में छठी राष्ट्रीय शीतकालीन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और साथ ही स्की-लिफ्ट और चेयरकार को भी इस वर्ष वहां पूर्ण किया गया है। इतना बड़ा रोपवे शायद ही और कहीं होगा। पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। वहां हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है।

इसके अलावा वहां हैण्ड-ग्लाइडिंग और पैरा-ग्लाइडिंग के कुछ साहसिक और सफल प्रदर्शन वहां पर हाल ही में आयोजित किये गये हैं और इन आयोजनों को रिवर रेपटिंग जैसी परियोजनाओं के साथ सक्रिय और ठोस रूप दिया जा रहा है, ताकि देश के साथ-साथ विदेशी मेहमान भी उसमें भाग ले सकें। पर्यटन विश्राम गृहों की व्यवस्था में भी थोड़ा इस दृष्टि से परिवर्तन किया गया है कि वहां के जो बेरोजगार नवयुवक और नवयुवती हैं, वह रोजगार पा सकें। इसलिए वहां पर विश्रामगृहों में कैफटेरिया का इंतजाम किया है, उनको उन्हें लीज पर दिया गया है। 26 विश्राम गृहों में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। ये लोग प्रशिक्षण लिए हुए होते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, इससे उन्हें रोजगार भी मिल जायेगा और इनकी व्यवस्था में सुधार भी आया है। रहने की व्यवस्था विभाग ही करेगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था इनके द्वारा की जायेगी। स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून को भी सक्रिय किया गया है गत वर्ष से और यहां पर इसमें पहली बार प्रतिभाशाली बालकों को छवीं कक्षा में प्रवेश भी दिया गया है। इसके लिए इसमें 10.33 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति की गई है। दो करोड़ की स्वीकृत गत वर्ष दी जा चुकी है और शेष स्वीकृतियों का इस वर्ष दिया जाना प्रस्तावित है। वहां के लिए हम स्टेडियम की भी व्यवस्था करेंगे और 4 करोड़ रुपये का परिव्यय इसके लिए प्रस्तावित किया गया है तथा आय-व्ययक में 131 लाख की स्वीकृति इसके लिए मांगी जा रही है।

वहां पर की जो विद्युत समस्या है, वहां पर इसमें सबसे बड़ी समस्या फीडरों को लेकर है। वहां पर जब तक स्वतन्त्र फीडर्स नहीं होंगे, विद्युत व्यवस्था अच्छी तरह चल नहीं पायेगी। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र की मद में से भी पैसा खर्च करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसी दिशा में कोटद्वार में 132 के० वी० के विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति उनको दी है जो कि 6.4 करोड़ की योजना है ताकि वहां जो फ्रीक्वेन्शी और वोल्टेज की समस्या है, उसका निवारण हो सके तथा उससे संबंधित पानी की समस्या का निदान भी तभी हो सकेगा। मार्च, 95 तक इसके बन जाने की सम्भावना है। विद्युतीकरण के महत्व को देखते हुए 46.69 करोड़ रुपये का परिव्यय इसमें रखा गया है। इससे विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के अलावा पुराने जीर्ण-शीर्ण विद्युत पोलों को बदलने का भी कार्य किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी जो मिनी और लघु जल विद्युत योजनाएं हैं, उनकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसकी व्यवस्था की जा रही है। धौलीगंगा में ऊपर परियोजना द्वारा 10 मेगावाट विद्युत क्षमता का सृजन किया जा सकेगा। गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिये 8 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। मिनी और लघु जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय व्यक्तियों को सौंपा जा रहा है विशेष रूप से महिलाओं के जरिये और वहां रहने वाले लोगों के जरिये इसे चलाने की कोशिश की जा रही है। कहीं-कहीं पर इसका प्रयोग भी किया गया है और सफल भी रहा है। इससे लोगों की अपनी भागीदारी जुड़ती है और काम में गति भी आती है।

'गढ़वाल भूकम्प के संबंध में कौन नहीं जानता ? भूकम्प से वर्ष 1991 में कितनी त्रासदी हुई थी। पूरे देश में बड़ा संकट आया था और कितने लोग वहां भूकम्प की घटना में दिवंगत हुए थे, कितनों का नुकसान हुआ था। 47 करोड़ रुपये की विश्व बैंक परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। जिसमें से 12 करोड़ अवमुक्त किये गये हैं और शेष 35.09 करोड़ रुपये वहां जो स्थानीय टूट-फूट है उसके लिए अवमुक्त किये जायेंगे। उत्तराखण्ड के विकास के लिये 455 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह बढ़ा है। पहले की तुलना में यह 11.5 प्रतिशत बढ़ा है और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। स्वीकृतियां और जारी की जायेंगी। अगले साल और बढ़ेगा।

पिछले सालों तक जिस ढंग से होता रहा है कि परिव्यय तो निर्धारित होता रहा है लेकिन स्वीकृतियां जारी न होने के कारण भारत सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए, वह मदद नहीं मिली । हमारी यह कोशिश है और हमने फरवरी, मार्च और जनवरी में 375 करोड़ की स्वीकृति की है । आगे हम और करेंगे । इतना मानकर चलना चाहिए कि इतना ही पर्याप्त नहीं है । यह मान कर चलें कि यह परिव्यय सीड मनी के रूप में है । इस सीड मनी का उपयोग करना चाहिए लेकिन दूसरे भी स्रोत हैं विश्व के । उनसे भी लगातार इस बात की कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में उनका सहयोग, उनकी भागीदारी बराबर मिलती रहे । यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा पोषित दून वैली प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली में चुस्ती लायी जायेगी । इस परियोजना के माध्यम से 49 करोड़ रुपये की सहायता सात वर्षों में प्राप्त होगी । दक्षिण भगीरथी और भीमताल जलागम परियोजनाएं भी ई० ई० सी० के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं ।

विश्व बैंक के द्वारा गढ़वाल, देहरादून और नैनीताल जनपदों के लिये, नगरीय विकास के लिये सहायता दी जा रही है । यूनीसेफ के सहयोग से महिला डेरी विकास परियोजना के अतिरिक्त रोगों के प्रतिरोध के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । जल निगम द्वारा इन्डो डच योजना के अन्तर्गत उनसे मदद मांगी जा रही है । ओवरसीज डेवलपमेंट एजेन्सीज द्वारा भी वनीकरण की योजनाएं चलाई जा रही हैं । सीड मनी मांगते हुए ऐसे संस्थानों से जो बाहरी होते हुए भी ऐसे कामों में सहायता देने के लिये उद्धत रहती हैं, उनसे ठीक ढंग से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त की जायेगी ताकि समग्र रूप से विकास हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके द्वारा जो भी सुझाव आयेंगे उन पर पूरी तरह से विचार किया जायेगा ताकि विकास सही ढंग से हो सके ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० 95 उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, बजट किसी क्षेत्र के विकास की एक रूपरेखा होती है एक सरकार की सोच होती है और विकास के लिए एक वित्तीय ऐक्शन प्लान होता है यह जो बजट बना रखा है यह मुझे सुबह प्राप्त हुआ माननीय मंत्री जी ने पूरा विवरण दे दिया है कि बजट में क्या प्राविधान है ? घिसी-पिटी पुरानी लकीर पीटने वाली सब बातें आईं । मैं यह सोचकर चलता हूं कि जब तक इस बजट में यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि आपने 455 करोड़ रुपया का बजट पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए रखा है । यह 455 करोड़ रुपया पर्वतीय क्षेत्र को देने का उद्देश्य क्या है और आपकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गाइड लाइन कौन सी हैं ? जब तक मान्यवर इस बजट पुस्तिका में यह बात नहीं आ जाती मैं इस पुस्तिका को अधूरा मानता हूं । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमको पुरानी लीक से हटकर चलना चाहिए ।

पिछले 45-47 सालों से बजट बनते आये हैं । पहले पर्वतीय विकास था फिर उत्तरांचल विकास हुआ, अब उत्तराखण्ड विकास बन गया है विकास के दौड़ की गति क्या है यह आप सबको पता है । अगर एक दौड़ तेज है तो वह नामों में परिवर्तन करने की दौड़ । उत्तरांचल उत्तराखण्ड बन गया और कानपुर अकबरपुर बन गया । विकास की दौड़ में तेजी आयेगी तो उत्तराखण्ड का विकास होगा उत्तर प्रदेश का विकास होगा हर स्थान का विकास होगा । उत्तराखण्ड के लिए मान्यवर, मेरा निवेदन है इस बजट में कुछ उद्देश्यों का समावेश होना बहुत आवश्यक है । पहला उद्देश्य । मैंने बजट में कहीं पर देखा था आर्थिक असंतुलन के बारे में, बहुत सही बात है । उत्तराखण्ड में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है उसका स्पष्ट कारण है यहां पर उद्योग नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, खेती अच्छी नहीं है जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय कम होगी ही । तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में वित्तीय असंतुलन है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, इस असंतुलन को दूर करना पहला उद्देश्य होना चाहिए । इस असंतुलन के कारण पर्वतीय क्षेत्र

में बेरोजगारी है इस असंतुलन के कारण पर्वतीय क्षेत्र से युवकों का पलायन हो रहा है । लखनऊ, कानपुर आदि जगहों में पर्वतीय क्षेत्र के नौजवान ठोकरें खा रहे हैं । यह वित्तीय असंतुलन का असर है । वित्तीय असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए । पहला उद्देश्य बजट का वित्तीय असंतुलन को कम करना होना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो उद्देश्य की सूची दे रहा हूं उसको नोट करने की कृपा करें । दूसरा उद्देश्य अच्छे पड़ोसी जो होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अच्छा सबक सीख सकते हैं, अच्छी बातें सीख सकते हैं । उत्तराखण्ड का पड़ोसी हिमांचल प्रदेश है ।

हिमाचल प्रदेश के नवयुवक चण्डीगढ़ और दिल्ली की ठोकरें अब नहीं खा रहे हैं । हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा आय बढ़ गई है । हिमाचल प्रदेश में सेब के लहलहाते बगीचे दिखाई देते हैं । हिमाचल प्रदेश के हर किसान की प्रचुर मात्रा में आमदनी है । हिमाचल प्रदेश में उत्तराखण्ड की तरह की बेरोजगारी नहीं है । शिक्षा का स्तर अच्छा है । क्या फर्क है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में आर्थिक फर्क है, क्योंकि हमने अभी तक सीख नहीं स्वीकारा । जो माप दण्ड हिमाचल प्रदेश में विकास के संदर्भ में अपनाए गये हैं वही मापदण्ड उत्तराखण्ड में भी अपनाएं जाने चाहिए । एक मापदण्ड तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं बता दिया है कि उत्तराखण्ड प्रदेश का निर्माण सबसे सच्चा मापदण्ड है । उत्तरा खण्ड की व्यवस्था उत्तराखण्ड के लोग ही करें । यह सबसे बड़ा माप दण्ड है । लेकिन जब तक उत्तरा खण्ड नहीं बनता है तब तक भी हिमाचल प्रदेश के कदमों पर चलकर हम उत्तराखण्ड का विकास कर सकते हैं । वहां कैसी बागवानी करनी है, यह उत्तराखण्ड में रहने वाले आदमी से पूछा जाय । बच्चों को पढ़ाना है ।

उत्तराखण्ड में रहने वाले शिक्षित व्यक्ति ही अच्छी तरह से वहां के छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं । हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जो मापदण्ड हैं, वही मापदण्ड अगर उत्तराखण्ड के बारे में अपनायें, तो कोई कारण नहीं कि उत्तराखण्ड का विकास न हो । यह उद्देश्य इस बजट में आ जाना चाहिए था । मुझे खेद है कि वो नहीं आया । तीसरा उद्देश्य वहां पर शिक्षित बेरोजगारों की जो लम्बी कतार बन चुकी है उस कतार की बेरोजगारी को खत्म करना है उसकी दिशा मोड़ना है । रोकना है । बेरोजगारी और असंतोष ही उग्रवाद को बढ़ावा देता है । मान्यवर, अगर उग्रवाद को जन्म नहीं देना है, उग्रवाद को रोकना है, उग्रवाद का सर उठाने से पहले दबाना है, तो इन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना आपका कर्तव्य होना चाहिए । पढ़-लिखे नौजवान बेकार हैं, जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों पद विद्यालयों में खाली हैं । बेसिक स्कूलों में सैकड़ों पद खाली हैं, उन पर इन पढ़े लिखे नौजवानों की नियुक्ति की जा सकती है । बजट में यह उद्देश्य स्पष्ट वर्णित होना चाहिए था कि जितने पद वहां पर रिक्त हैं, उन पदों पर वहीं के पढ़े-लिखे नौजवानों को काम पर लगाया जाना चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । अगर ऐसा करते तो उग्रवाद की जो किंचित सम्भावना है, वह हमेशा के लिए खत्म हो सकती है । तो इन उद्देश्यों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि इस बजट में यदि अभी भी संशोधन की गुंजाइश की बात हो, तो इनका समायोजन कर दिया जाय । उद्देश्य तो मैंने बता दिए लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी ?

उद्देश्य तो बन भी जाते हैं, लेकिन पूर्ति उद्देश्यों की कैसे होगी । इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा वर्तमान सरकार से । यह बजट सरकार की सोच का प्रतिबिम्ब है । यह सरकार उत्तराखण्ड के

लिए क्या करना चाहती है। 140 दिन पूरे हो चुके हैं, या होने वाले हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी जिनके पास पर्वतीय विकास मंत्रालय है, अभी तक 140 दिनों में कितने दिन उत्तराखण्ड क्षेत्र में गए हैं। अभी तक एक दिन भी उत्तराखण्ड जाना मुख्य मंत्री जी को मंजूर नहीं हुआ।

श्री रमा शंकर कौशिक–

पिथौरागढ़ कहां है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

आप मंसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ जा सकते हैं, लेकिन जो समस्या है वह अन्तराल में है।

एक दिन आप किसी तरह त्यूनी जाकर देख लें, एक बार आप पिथौरागढ़ जाकर देख लें, बरकोट जाकर देखें, पहाड़ की अंतरवेदना पहाड़ों के अंतराल में है। आप कानपुर जा सकते हैं, आप जौनपुर जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। कानपुर से तो मुख्य मंत्री जी को बड़ा मोह है। कानपुर का नाम मोहवश मुख्य मंत्री जी ने अकबरपुर रख दिया। मैं नहीं कहता कि मुख्य मंत्री जी को उत्तराखण्ड से मोह नहीं है, मोह तो उत्तराखण्ड से भी है। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी एक दिन उत्तराखण्ड अवश्य जायेंगे और मेरा उनसे एक निवेदन है, मुझे डर भी है जिस दिन मुख्य मंत्री जी उत्तराखण्ड जायेंगे, उत्तराखण्ड का नाम कहीं बदलकर तुगलकाबाद न बन जाय। मान्यवर, मैं बात नियमों की कर रहा था, मैं बात नीतियों की कर रहा था। ये जो उद्देश्य हैं इनकी उपलब्धि कैसे हो। अगर उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो उसके लिए कुछ नियम बनाये जाने चाहिये। जहां तक नीति का प्रश्न है तो मैं यह कहूंगा कि प्रथम नीति यह बन जाय कि 1980 का जो वन अधिनियम है उसमें संशोधन किया जायेगा।

मान्यवर, आपको विदित ही होगा कि वन अधिनियम के कारण पहाड़ों पर सड़कें नहीं बन सकती हैं, बिजली के खम्भे नहीं लग सकते हैं, नहरें नहीं खोदी जा सकती हैं, पाइप नहीं बांधे जा सकते हैं और पेयजल की योजनायें लागू नहीं हो सकती हैं। जहां एक ओर तो वन माफिया हैं जिनको खुली छूट दे रखी है वह जंगल काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वन अधिनियम के कारण पहाड़ों पर विकास कार्य नहीं हो पा रहा हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और वन अधिनियम में संशोधन करे, और इस बजट में यह नीति समायोजित की जाय कि सड़कों, बिजली के खंम्भे, विकास कार्यों के निर्माण करने में वन अधिनियम की रोक नहीं लगेगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बजट में इस बात का जरूर समावेश हो जाना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि "पर्वतीय क्षेत्र में हर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष को पर्वतीय क्षेत्र के मामलों में विभागाध्यक्ष के पूरे प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार दे दिये जायं।" यह मान्यवर, बड़ी विडम्बना है। आप यह मानकर चलते हैं कि पर्वतीय विकास विभाग को उत्तराखण्ड विकास से संबंधित पूरे अधिकार दे दिये गये हैं। हर विभाग में आपका अतिरिक्त निदेशक है। ये अधिकारी या तो पौड़ी में बैठते हैं या नैनीताल में है। जब कोई नया प्रस्ताव पहाड़ों से आता है तो वह ऐडिशनल डाइरेक्टर से लखनऊ के डायरेक्टर के कार्यालय में जाता है। वहां साल दो साल तक उसको दबाये बैठे रहते हैं। जब वहां के विधायक कहते हैं तो वह प्रस्ताव निकाल कर पर्वतीय विकास विभाग में आता है, तो अतिरिक्त निदेशक को पौड़ी या नैनीताल में बैठाने से क्या लाभ है ? चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो या चाहे लघु उद्योग का मामला हो किसी भी विभाग के संबंध में पूरे अधिकार जब तक आप उत्तराखण्ड के अतिरिक्त निदेशकों को नहीं देंगे तब तक पर्वतीय क्षेत्र का विकास होना सम्भव नहीं है।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

मैं निवेदन करूंगा कि इस नीति को इस बजट में डाल दिया जाय कि अब से पर्वतीय क्षेत्र में बैठे हुए जो अतिरिक्त निदेशक हैं, वह बजाय अपने मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने के, सीधे पर्वतीय विकास विभाग को भेजें । तीसरी बात यह है कि उत्तराखण्ड में जो हिल सम्वर्ग और जिला सम्वर्ग की बात है, उसे हर विभाग में कड़ाई से पालन किया जाय और इसी सिद्धान्त के आधार पर विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाय । मेरे चमोली जिले में जिला सम्वर्ग के बेसिक अध्यापकों के पद हैं, लगभग 905 रिक्त हैं और बी० टी० सी० का भी यह सत्र शून्य सत्र समाप्त कर दिया गया । माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 400 पद रिक्त हैं, डिग्री कालेजों में लगभग 200 पद रिक्त हैं । शिक्षा को ठीक ढंग से चलाने के लिए इन पदों पर इसी साल नियुक्तियां कर दी जायं, लेकिन नियुक्तियों का नियम यही हो, जो पर्वतीय सम्वर्ग या जिला सम्वर्ग के नियम हैं, उनके अनुसार हो और नियुक्तियां इसी वर्ष हो जायं ।

पांचवां नियम यह है कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र देवी क्षेत्र है, जब कभी संकट या श्रद्धा होती है तो देवी देवताओं के दर्शन के लिए लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं । लेकिन आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को काला पानी बना दिया है, जिस अधिकारी को पनिशमेंट देना है, उसे पर्वतीय क्षेत्र में भेज दिया जाता है, इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र को काला पानी बना दिया । मेरा निवेदन है कि इसी वर्ष से यह नियम बना दिया जाय कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी पनिशमेंट के रूप में वहां पर स्थानान्तरित या नियुक्त न किया जाय । वहां पर जिम्मेदार लोगों की नियुक्ति की जाय, जो पर्वतीय क्षेत्र के दुःख और दर्द समझते हों । कुछ इंजीनियर्स लोग ऐसे भी हैं, जो अपने साथ यहां से ही ठेकेदार लेकर चलते हैं । अगला नियम और अन्तिम नियम है । सभी वित्तीय स्वीकृतियां जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने भी किया या परिव्ययों की वित्तीय स्वीकृतियां 30 जून से पहले भेज दी जायं, ताकि जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर में काम हो सकें । पर्वतीय क्षेत्र में दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये चार महीने काम करने के नहीं होते हैं और वित्तीय स्वीकृतियां आती हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, यदि इस विलम्ब से स्वीकृतियां प्राप्त होगीं तो किस तरह से उसका उपयोग किया जायेगा ? यह नियम बन जाय कि सभी स्वीकृतियां 30 जून से पहले दे दी जायं । मान्यवर, एक नियम और है, उत्तराखण्ड में 8 जिले हैं, जब बी० जे० पी० की सरकार थी, तो उत्तराखण्ड से 6-6 मंत्री थे और मान्यवर, आपकी सरकार में उत्तराखण्ड का एक भी मंत्री नहीं है ।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बी० आर० वर्मा पीठासीन हुए ।)

आपकी उत्तराखण्ड में कितनी निष्ठा है, एक भी मंत्री उत्तराखण्ड से आपकी सरकार में नहीं है । इसी से जाहिर होता है कि आपकी सरकार उत्तराखण्ड के लिए कितनी चिंतित है । अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे और सत्ता पक्ष की सारी बेंचेज खाली थीं । अब कुछ भर गयी हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि उत्तराखण्ड से कुछ मंत्री अवश्य बनाये जायें । मान्यवर, ये नीतिगत बातें थीं । ये उद्देश्य की बातें थीं और उनकी उपलब्धि के लिए नीति क्या हो, उस पर मैं बोल चुका हूं ।

मान्यवर, अब मैं कुछ भौतिक लक्ष्यों के बारे में बोलना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तरांचल का दुर्भाग्य है कि वहां पर कम्युनिकेशन की कठिनाई है और जो है वह बहुत कम है । कम्युनिकेशन चाहे सड़क का हो और चाहे टेलीफोन का हो या टेलीग्राम का हो, यह सब वहां पर क्षीण है, अपर्याप्त है । मैं निवेदन

करूंगा कि आपकी सरकार को इस बजट के माध्यम से यह सोचना चाहिए था कि पर्वतों पर सड़कों का जाल बिछाया जाये और सड़क निर्माण कार्य को ही प्राथमिकता देनी चाहिए थी । कहा जा रहा है कि यह बजट अद्वितीय है, मैं भी कहूंगा कि यह बजट अद्वितीय होता अगर वहां पर सड़कों का जाल बिछा देने का प्रस्ताव होता और सड़कों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रस्ताव होता । माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुराने कामों को जो अधूरे हैं पूरा किया जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि पुराने काम पूरे होने आवश्यक हैं लेकिन आप उनके साथ नये काम भी शुरू करें । मान्यवर, सड़कों के लिए 65 करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है, मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया जाये । अगर ऐसा कर दिया जाता है तो मैं भी यह कह सकूंगा कि बजट में कुछ नयापन आया है ।

मान्यवर, पर्यटन की बात कही गयी है । पर्यटन के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गयी है कि पर्यटन वहां का एक उद्योग है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र का एक मात्र उद्योग पर्यटन है और वहां की जनता के लिए समृद्धि का साधन है । पर्यटन उद्योग सभी का है, दूध बेचने वाले का है, टैक्सी ड्राइवर का है, मोटर वाले का है, होटल वाले का है, मेरे कहने का मतलब है कि पर्यटन जन मानस का उद्योग है और इससे उसकी रोजी-रोटी चलती है, इसलिए इसको बढ़ावा मिलना चाहिए ।

मान्यवर, आपके पर्यटन विभाग में एक ऋण उपादान योजना है । इस योजना के अन्तर्गत ढाई लाख रुपये तक का ऋण देने की व्यवस्था है और उस पर 50 हजार का अनुदान दिया जाता है । मेरा आपसे आग्रह है कि इसको ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाये, तो वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी ऐसा करने के प्रस्ताव पूर्व में बने थे लेकिन इस बजट में इसका कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है ।

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा पर्यटन विकास बैंक खोला गया है जो उद्यमियों को वित्तीय सहायता देता है और उस वित्तीय सहायता से लोग अपना पर्यटन व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय का विकास होना है । मेरा आग्रह है कि पर्यटन विकास के लिए पर्वतीय अंचल में पर्यटन विकास बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिससे पर्यटन व्यवसाय में लगे लोगों को समय-समय पर ऋण मिलता रहे और इस तरह से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा । मान्यवर, हवाई अड्डे बहुत आवश्यक हैं, पिथौरागढ़ में हवाई अड्डा बन चुका है और मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र यहां हवाई सेवा प्रारम्भ हो जायेगी । लेकिन उत्तरकाशी और गोचर में हवाई अड्डे बनाने के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । उसमें जल्दी से जल्दी भूमि का अधिग्रहण हो जाना चाहिए और हवाई अड्डे बनाये जाने चाहिए । इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के जो सुन्दर क्षेत्र यहां फिर कम्युनिकेशन वाली बात आती है, हवाई सेवा से जुड़ जायेंगे और यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मामला बन जाय ।

मान्यवर, आपके माध्यम से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है । निजी क्षेत्र को टूरिस्ट बंगले और होटल जो आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं, देने की बात तो अवश्य है लेकिन निजी क्षेत्र को किस तरह से पर्यटन व्यवसाय में बढ़ावा दिया जा सकता है इस पर इसमें कुछ नहीं है । इस पर कुछ ठोस योजना बननी चाहिए । मान्यवर, विदेशी पर्यटकों पर आज भी प्रतिबन्ध हैं ।

हमारी सरकार ने पूरे उत्तरांचल क्षेत्र में इन लाइन का पुनर्निर्धारण करने की बात कही थी जब दिल्ली में पूरे भारत वर्ष के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी तो उसमें यह बात भी उठी थी और इसे मैंने स्वयं उठाया था। कुछ क्षेत्र अवश्य खोले गये हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि इस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जो क्षेत्र बहुत सुन्दर हैं जहां विदेशी पर्यटक जाना चाहते हैं वहां उनको जाने की अनुमति मिलनी चाहिए जो प्रतिबन्ध है उन पर छूट मिलनी चाहिए यही मेरा निवेदन है। मान्यवर, पर्यटन का मौसमी व्यवहार, व्यवसाय में बाधक है। पहाड़ों पर गर्मियों में सभी जाते हैं जाड़ों में कोई नहीं जाता है। इसको बदलने और साल भर के लिए पर्यटन व्यवसाय बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है वह भी इस बजट में कुछ नहीं है।

श्री राम तेज–

अभी आपने कहा था कि मैंने देखा ही नहीं फिर क्या कहते हैं कि कुछ है ही नहीं ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, उत्तराखण्ड देव भूमि है वहां के मनुष्य भी बड़े सरल हृदय के हैं। आपके यहां से यात्रा ड्यूटी में जो पुलिस की तैनाती होती है वह पनिशमेंट वाले नहीं होने चाहिए। वहां भी अच्छे किस्म के पुलिसकर्मी भेजे जाने चाहिए जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिनकी चरित्र पंजिका अच्छी हो लेखा-जोखा अच्छा हो, ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

मान्यवर, भूमि संरक्षण की बात आयी, हम लोग भूमि संरक्षण की बात करते हैं, संरक्षण का मतलब हुआ रक्षा करना। भूमि संरक्षण की बात है तो पहाड़ों का संरक्षक तो भगवान ही है। यह भूमि क्या करेगा पहाड़ों का। गोपेश्वर में बाढ़ आयी तो मैंने इनसे कहा कि नालों को ठीक करा दो तो इन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है। जंगल में जो भूमि टूट रही है हम उसका काम करेंगे। तो जंगल में मोर नाचे किसने देखा। मेरा सुझाव है कि इस विभाग के लिए 3 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है इसको घटाकर एक करोड़ रुपया कर दिया जाय और भविष्य में अगर भूमि संरक्षण का काम पर्वतीय क्षेत्र में अच्छा नहीं पाया जाता है तो भूमि संरक्षण का पूरा परिव्यय समाप्त करके उस धन को अन्य विभागों को दे दिया जाय। विद्युत की जहां तक बात है, सारी नदियां उत्तराखण्ड से निकलती हैं, जितने भी बड़े-बड़े पावर हाउस हाइडिल के हैं वह पर्वतीय क्षेत्र में हैं मनेरी डाक पत्थर कालागढ़ आदि तमाम स्थान हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ऐसे भाग हैं जहां 40 वर्षों से बिजली अपर्याप्त है। मेरा यह कहना है कि जब तक पर्वतीय क्षेत्र को नेशनल ग्रिड से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं मिल पायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक जनपद को नेशनल ग्रिड से जोड़ा जाना चाहिए इसमें जो भी व्यय आयेगा उसका प्राविधान बजट में होना चाहिए। पिछले तीन सालों से यह कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान तभी हो पायेगा जब उसे नेशनल ग्रिड से जोड़ा जायेगा लेकिन इस बजट में कोई बात नहीं आयी है। इसी तरह से अनटाईड फण्ड के बारे में कहना चाहूंगा 160 लाख रु० का प्राविधान है जिलाधिकारियों को दे दिया जाता है इन अनटाईड फण्ड का इस्तेमाल किस तरह से हो इसकी कोई गाइड लाइन नहीं है चमोली के जिलाधिकारी जब ट्रान्सफर पर चले गये तो उनके अनटाईड फण्ड में करीब 10 लाख बाकी थे उन्होंने वह 10 लाख रु० उठाकर एक पी० डब्लू डी० के इंजीनियर

को दे दिये कि आप जिस तरह से चाहो इसे इस्तेमाल कर लो । जो यह परिव्यय है जिसके लिए हम सब त्रस्त हैं उसका उचित उपयोग हो उसकी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है ।

उत्तराखण्ड के विकास के लिए उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए यह सरकार कृतसंकल्प है ऐसा यहां कहा गया । मैं मानता हूं कि इसकी बैठकें पर्वतीय क्षेत्र में हो चुकी हैं यहां पर भी हो चुकी हैं लेकिन मेरा कहना है कि उत्तराखण्ड की यह डुगडुगी जो लखनऊ में बज रही है, दिल्ली में कब बजेगी ? जिस दिन यह डुगडुगी दिल्ली में बजनी शुरू हो जायेगी उस दिन मैं मान लूंगा कि यह सरकार उसके लिए कृत संकल्प है । मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यदि उत्तराखण्ड राज्य के लिए सचमुच कृत संकल्प है तो इस मुद्दे को जल्द से जल्द केन्द्र में पहुंचा दें और केन्द्र सरकार पर यह प्रेशर डाला जाय कि एक मात्र रास्ता जो उत्तराखण्ड के विकास के लिए हैं वह उत्तराखण्ड के निर्माण का है । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तराखण्ड विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । जिसका कि पहले पर्वतीय विकास नाम था फिर उत्तरांचल विकास किया गया अब उत्तराखण्ड कर दिया गया है । मुख्य उद्देश्य जो इसका है वह यह है कि इसके आर्थिक विकास को कैसे उबारा जा सकता है इसके लिए इसका श्रीगणेश किया गया था लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कुछ होना सम्भव नहीं हो पाया, यह किन परिस्थितियों में रह गया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मेरा आज भी यह दृष्टिकोण है कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होना है, वहां के व्यक्तियों के आर्थिक स्तर का ऊपर उठाना है तो टूरिज्म को बढ़ाना है, फल पट्टियों और सब्जी पट्टयिों की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा इन तीन बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक नहीं सोचेंगे तब तक वहां का विकास होना सम्भव नहीं है ।

1988–90 में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महानिदेशक की पोस्ट वहां पर क्रियेट की गयी उसमें यह कोशिश की कि प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थानों को विकसित किया जाना है ताकि वहां लोग सैलानी के रूप में आकृषित हो सकें और वहां के लोगों की आमदनी बढ़ सके । वहां के आम आदमी को भी आज तक इसमें कोई सुविधा या लाभ नहीं मिल पाया है ।

उनको तत्काल सुविधा उपलब्ध करायी जाये, सब्जी पट्टी, फल पट्टी जल विद्युत परियोजना को आर्थिक सुदृणता के लिए प्रमुखता से विकास किया जाना चाहिए । अभी माननीय मंत्री जी ने पीने के पानी के बारे में यह कहा कि पीने के पानी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । हम यह महसूस करते हैं कि वहां पर प्रयास किये गये हैं लेकिन और प्रयास किये जाने चाहिये सितम्बर, 1993 में आयी अतिवृष्टि ने अधिकांश पेयजल योजनाओं को क्षतिग्रस्त किया है और पीने के पानी की अधिकांश स्कीमें धनाभाव के कारण बन्द व रुकी हुई हैं मेरी सरकार से यह मांग है कि सरकार क्षतिग्रस्त योजनाओं के लिए शीघ्र ही धन उपलब्ध कराये ताकि पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके और वहां पानी की किल्लत न रहे ।

जो योजनाएं बन रही हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश ग्रेविटी सोर्सेस सूख रहे हैं अतः वहां पर पम्पिंग योजनाओं को प्रोस्साहित किया जाना चाहिये । वहां पर पम्पिंग

योजना को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त धन दिलाया जाये । हैण्ड पम्प भी पर्याप्त मात्रा में वहां पर लगाये जायें । कोटद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में नलकूपों के लिए पैसा दिया जाय । कोटद्वार में दो ट्यूबवैल और एक ओवर हैड टैंक बनवाने के लिए महामहिम श्री राज्यपाल जी ने घोषणा की थी जब वहां पर गये थे लेकिन अभी तक उसके लिए पैसा नहीं दिया गया है शीघ्र नलकूप व ओवर हेड टैंक कोटद्वार में बनाये जायें और उनके निर्माण के लिए सरकार शीघ्र धन उपलब्ध कराये । माननीय मंत्री जी ने पौढ़ी और अल्मोड़ा में जो पम्पिंग योजना चल रही है उनमें तब तक सुधार नहीं किया जा सकता है जब तक उनमें विद्युत कटौती समाप्त नहीं की जाती । क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आये दिन विद्युत कटौती होती है और इसका प्रभाव पेयजल योजनाओं पर पड़ता है । शासनादेश भी है कि पहाड़ों पर विद्युत कटौती न की जाये लेकिन इसके बावजूद विद्युत कटौती की जा रही है जिससे पीने का पानी प्रभावित हो रहा है । वहां पर पूर्व की व्यवस्था थी कि पर्वतों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाय उसको लागू किया जाना चाहिए । यहां तक कि जो इमरजेंसी विद्युत की कटौती होती है उसको भी पर्वतों से मुक्त रखा जाता रहा है । इसके साथ ही वहां पर लकड़ी के पोल लगे हुए हैं और वह बिल्कुल जीर्णशीर्ण हालत में हो गये हैं । उनकी इस हालत के कारण आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है लकड़ी के पोलों को प्राथमिकता देकर बदला जाना चाहिए । मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि वहां पर शिक्षक हजारों की संख्या में नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिये और वहां के बेरोजगार शिक्षित हैं उनको नियुक्तियों का मौका दिया जाना चाहिए । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के अर्द्धशासकीय विद्यालयों में धारा 18 (क) के अन्तर्गत वहां की प्रबन्धतंत्र को नियुक्ति के अधिकार से वंचित किया गया और प्रान्तीयकरण और अशासकीय विद्यालयों को ग्रान्ट की व्यवस्था पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाय पर्वतीय क्षेत्र में लोग नियुक्ति पर प्रतिबन्ध को हटाया जाय । जो कटौती का प्रस्ताव माननीय फोनिया जी ने रखा है, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने उत्तराखंड का बहुत नारा दिया था लेकिन वहां की सुविधाओं को घटाया था । मेरा अनुरोध है कि उन सुविधाओं को पुनः दिलाया जाना चाहिए ।

जहां तक पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड के विकास की बात आती है कोई भी योजना स्वीकृत होती है, उत्तराखंड विकास विभाग इसीलिए बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी योजना स्वीकृत हों, लेकिन जब योजना आती है और वित्त विभाग में पहुंचती है तो पूरे प्रदेश की योजनाओं में वे उलझ कर रह जाती हैं और हमारी योजनायें समय पर पास नहीं हो पाती है और विकास की गति प्रभावित हो जाती है इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध हो जाता है कि पर्वतीय विकास के लिए एक अलग से वित्त सचिव नियुक्त किया जाय ताकि योजनाओं का निस्तारण शीघ्र से शीघ्र हो सके । उत्तराखंड विकास का वर्तमान स्वरूप विकृत हो गया है और इस स्वरूप के रहते उत्तराखण्ड विकास विभाग के माध्यम से सार्थकता नहीं आ पा रही है, पहले सभी विभाग उत्तराखण्ड विकास के अन्तर्गत आते थे किन्तु अब नहीं । इस विकृत स्वरूप के कारण एजूकेशन डिपार्टमेंट में आदमी कहता है, हम एजूकेशन मिनिस्टर को जानते हैं, लोक निर्माण विभाग का आदमी कहता है, लोक निर्माण मंत्री को जानते हैं, सचिव को जानते हैं, लेकिन पूर्व में ऐसा नहीं था, सारे अधिकार पर्वतीय विकास मंत्री के अधीन होते थे, पर्वतीय विकास सचिव के अन्तर्गत होते थे मेरा सुझाव है कि पूर्व की व्यवस्था लागू की जाय । मैं बधाई देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिन्होंने यह बजट पेश किया और उम्मीद करता हूं कि जिस गम्भीरता से उन्होंने

बजट पेश करने में मदद की, और जिस गम्भीरता व ईमानदारी से वह उत्तराखण्ड की बात कर रहे हैं, उसी इमानदारी से वहां के विकास में गति देने का काम भी करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री शूरवीर सिह सजवाण–

मान्यवर, जिस पर्वतीय विकास विभाग का आज बजट है, उसकी स्थापना स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा और स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त ने इन उद्देश्यों के साथ की थी कि पर्वतीय क्षेत्र, जिसकी अलग भौगोलिक पहचान है, उसमें रोजगार के नये आयाम पैदा होंगे, उसकी प्रगति होगी और उसका सर्वांगीण होगा। पिछले लम्बे समय से जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वहां की योजनाओं का प्रारूप तैयार नहीं किया, दिल्ली और लखनऊ में वातानुकूलित कमरों में बैठे हुये अधिकारियों ने वहां की जनता के ऊपर योजनायें थोपीं, जिसके कारण वहां का विकास नहीं हो सका और इसी कारण वहां के राजनीतिक दल के लोग, वहां की जनता अलग उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए बाध्य हो गये।

कोई भी व्यक्ति भले परिवार से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ने उत्तराखण्ड राज्य के नाम पर उत्तराखण्ड राज्य देंगे, एक लाइन का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पास किया और उत्तराखण्ड के अन्दर एक तमाशा बना दिया कि हमने उत्तराखण्ड राज्य दे दिया है, अब बाकी सब केन्द्र के ऊपर है। आज की सरकार ने इसके लिये जगह-जगह बैठकें की हैं, मैं इसके लिये इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बैठकों के माध्यम से इन्होंने लोगों की भावनायें जाने की कोशिश की है, किन्तु मान्यवर, मेरा मानना यह है कि अगर बंटवारा करना है तो उत्तर प्रदेश के 64 जनपद हैं और उत्तराखण्ड में 8 जनपद हैं, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उसके हिसाब से आंठवा हिस्सा हमको चाहिये, उत्तर प्रदेश की कैपिटल का। चाहे कानपुर के अन्दर उद्योग हों, चाहे गाजियाबाद में हो उसका आठवां हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित होना चाहिये। इस सचिवालय में लखनऊ के डायरेक्ट्रेट्स में। जितना पैसा खर्च आज तक हुआ है, उसके आठवें हिस्से से वहां सचिवालय बनाया जाय, तभी किसी उत्तराखण्ड राज्य की बात कही जा सकती है अन्यथा यह सब बातें खोखली ही साबित होंगी। अगर एक भाई आज अलग हो रहा है और आप उसको अलग होने देना चाहते हैं, अपने से, क्योंकि आप मजबूर रहे हैं कि वह अलग हो जाय, तो हमको हिस्सा चाहिये। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रदेश की कैपिटल का आठवां हिस्सा देती है तो हम केन्द्र की सरकार को मजबूर करके, दबाव डालेंगे कि बाकी वित्तीय भार वह उठावे।

मान्यवर, वैसे तो कोई भी व्यक्ति अलग होना नहीं चाहता, लेकिन इस सरकारी नारे के बारे में तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लोगों ने आज तक इसका लाभ उठाया है, वहां के विकास के नाम पर। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन विकास योजनाओं की बात करते हैं, जिस धन की बात करते हैं, पिछले 10 सालों के आंकड़े निकलवा लीजिये, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की वजह से न तो वहां सड़कें वन पा रही हैं, न विजली के खम्भे लग पा रहे हैं, न पेयजल योजनायें बन पा रही हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना ही नहीं, वहां के स्कूल भवनों पर भी वन संरक्षण अधिनियम, जो काला कानून के रूप में हमारे सामने आया है, बाधक हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो बजट है, यह रिपेयरिंग बजट है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

हम तो इसकी प्रतीक्षा करते हैं जब उत्तराखण्ड का बजट आयेगा, हम उस बजट पर बोलेंगे। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रत्येक सरकार का नैतिक कर्तव्य है। माननीय मंत्री जी ने अभी पेयजल योजनाओं की बात कही है, सिंचाई की बात कही है। पहाड़ से गंगा, यमुना निकलती है। मुझे तो आश्चर्य तब होता है कि हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच गंगा और यमुना के पानी के बंटवारे के लिये झगड़ा होता है। झगड़ा होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखण्ड की जनता के बीच पेयजल के लिये आज तक कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनी, जो अतिरिक्त जलश्रोत थे, वह या तो सूख गये हैं या उनकी उपयोगिता नहीं रह गयी। अगर सरकार दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से लाभ देना चाहती है तो पम्पिंगसेट योजनायें ही इसका एक मात्र विकल्प हैं।

अब तक जो योजनायें बनायी जाती रही हैं उनके श्रोत सूख गये और करोड़ों करोड़ रुपया हर होता रहा है। लेकिन उत्तराखण्ड विकास विभाग को उसके अनुश्रवण का अधिकार नहीं कि किस कार्य में कितना पैसा खर्च किया। इसलिये नहीं क्योंकि इसमें वित्तीय अधिकार नहीं है। हमने वर्षों से मांग की है कि विभाग का एक विशेष सचिव उत्तराखण्ड विकास विभाग में बिठाया जाये और उसको तमाम अधिकार हों, अब तो आपने इसकी घोषणा कर दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की है कि उत्तराखण्ड के लिये एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सृजित किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, काफी बीत गया है।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं कभी दूसरे बजट में नहीं बोलता हूं। अभी मैं अपनी बात कह भी नहीं पाया हूं और आपने लालबत्ती जला दी। पशुपालन और हार्टीकल्चर के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। हमारा पड़ोसी प्रांत हिमांचल प्रदेश पशुपालन और हार्टीकल्चर के माध्यम से आगे बढ़ सका है। आज आवश्यकता है पशुपालन, हार्टीकल्चर और पर्यटन का उत्तराखण्ड में विकास किया जाये, इससे सम्बन्धित योजनायें बनायी जायं और वहां स्थापित की जाये। अभी माननीय सदस्य फोनिया जी ने कहा कि अगर पहाड़ों का सचमुच विकास करना है तो पर्यटन को आधार बनाना होगा और सड़कों का जाल बिछाना होगा। हम ऐसी सड़कें चाहते हैं जिससे वनों का विनाश न हो।

श्री अधिष्ठाता–

अभी और भी माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं, इसलिये समाप्त करें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

हमने वनों की रक्षा की है और सचमुच वनों की रक्षा करना चाहते हैं तो वहां पर जो पेड़ लगाये जाते हैं वह सरकार विभाग द्वारा न लगवाये जायें बल्कि वहां की महिलाओं से लगवायें जायें जिससे उनको रोजगार मिल सके । मान्यवर, एक मिनट, यह सरकार कितनी गंभीर है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एल०टी० ग्रेड में पोस्टिंग होने वाली थी, आदेश जारी होने वाले थे, परन्तु यहां से जारी हो गये कि उन पर तब तक नियुक्तियां न की जायं जब तक यहां से पुनः आदेश जारी न हों, जबकि वहां पर नियुक्तियां हो जानी चाहिए । बी०टी०सी० के हजारों-हजारों बेरोजगार बचे है । मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति हुयी जांच करवाने की कृपा करें, जो अशासकीय तथाकथित नियुक्तियां मिली हैं, क्या उन लोगों ने सचमुच काम किया, जो छः माह से एक दिन भी ज्यादा काम कर रहे हैं । 241 अंशकालिक अध्यापक छूट गये हैं, इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना था तो उन्होंने आश्वासन दिया । माननीय शिक्षा मंत्री जी का पत्र पढ़ा तो ताज्जुब हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, काफी समय हो गया है, तेरह मिनट आपने लिया, दूसरे सदस्यों को मौका दें ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विकास मानव के सामने और देश के सामने एक बड़ी चुनौती है । यह बात ठीक है कि विकास को विकासशील देशों, विकसित देशों और अविकसित देशों ने अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया गया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को स्वस्थ विकास नहीं कहा जा सकता है । स्वस्थ विकास का मतलब है उसके सामजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को जाना चाहिए ।

उत्तरांचल की धरती की केवल धरती ही नहीं बल्कि देवभूमि के रूप में जानी है और वह देवभूमि दृष्टि से, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से त्रिवेणी है और इस भू-भाग का विकास इस आधार पर किया जाना चाहिए । यह दुर्भाग्य की बात है कि लखनऊ में बैठी सरकारों ने इस भू-भाग की उपेक्षा की । यह देवभूमि देश के अन्दर ही नहीं बल्कि बाहर भी ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थालों के लिये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इस भूमि ने दुनियां व देश को दर्शन, चिन्तन, विचार ही नहीं वरन् इस देश की जलवायु को बनाये रखने में अहम भूमिका निभायी है, लेकिन लखनऊ में बैठी सरकारों ने केवल बिना आत्मीयता के लम्बे चौड़े आंकड़े देखकर यहां के विकास की इतिश्री कर दी है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकारों की उपेक्षा के कारण उत्तराखण्ड की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि सरकार की जो योजनायें हैं उनसे, विकास नहीं हो पायेगा । उसके प्रतिफल में उत्तरांचल को पृथक राज्य बनाने की मांग की गयी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 अगस्त, 1991 को इस सम्पूर्ण प्रकरण में विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार को पृथक राज्य बनाये जाने के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया ।

उत्तराखण्ड का विकास एक विस्तृत सर्वेक्षण, आधारभूत आंकड़ों के बल पर दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए, बिना मास्टर प्लान के उत्तरांचल का विकास नहीं हो पायेगा, वास्तविक स्थिति यह है कि पर्वतीय में एक ही कार्य को कई विभाग देख रहे हैं जिससे ओवर लेपिंग व भ्रम जैसी स्थिति बनी हुयी है, मैं मांग करता हूं कि ओवर लेपिंग की स्थिति को समाप्त किया जाय और एक कार्य को एक ही विभाग देखे । उत्तराखण्ड का विकास और उत्तरांचल की जनता की समस्या का समाधान करने के लिये सरकार को अपेक्षित सहयोग देना चाहिए । उत्तराखण्ड विकास विभाग की स्थापना पर्वतीय क्षेत्र के विकास को तीव्र करने के उद्देश्य से किया गया होगा, पहले हम सरकार में थे आज विपक्ष में हैं । मैं यह महसूस कर रहा हूं कि उत्तराखण्ड विकास विभाग सिर्फ पोस्ट आफिस की भूमिका को निभा रहा है । इससे हमारे विकास के कार्यक्रमों में विलम्ब हो रहा है । विकास की जो योजनायें मैदान क्षेत्रों में होती है, उन्हें केवल दो विभागों से गुजर कर जाना होता है परन्तु हमारे यहां से उसे तीन विभागों से गुजर के जाना होता है, जिससे विकास के कार्यक्रमों में विलम्ब हो रहा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्ति करने की घोषणा की है परन्तु मेरा यह भी कहना है कि इसके साथ ही साथ तीन अन्य सचिवों की नियुक्ति भी की जानी चाहिये ।

एक सचिव, वित्त विभाग को देखे, एक सचिव योजना के कार्यक्रम को देखे और एक सचिव, विकास से संबंधित विवादों को देखे और उनका अनुरक्षण करे । यदि उत्तरांचल विकास को विभाग को पर्वतीय क्षेत्र का विकास और उसकी योजनाओं को अनुरक्षण करने योजनाओं को स्वीकृत तथा निरीक्षण करने का अधिकार होगा तो तभी यह समझा जायेगा कि इस विभाग की अपनी सार्थकता है । भारतीय जनता पार्टी ने 31 विभागों में हिल कैडर लागू किया था । आप भी उसे कार्य रूप देने का प्रयास कर रहे हैं । मेरी मांग है कि इस हिल कैडर को प्रथम श्रेणी पर लागू किया जाना चाहिए । तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पर्वतीय क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं, उन्हीं, को रोजगार दिया जाना चाहिये । यदि ऐसा नहीं हुआ तो यहां से (मैदानी क्षेत्र) जो ग्राम सेवक प्राइमरी अध्यापक व अन्य कर्मचारी वहां पर नियुक्ति होते हैं, वह वहां की बोली नहीं जानते हैं, इसलिये बोली की भिन्नता होने के कारण, विकास तथा शिक्षा के कार्यों पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है । वन के संबंध में सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं ।

उत्तराखण्ड की धरती पर 67 प्रतिशत वन हैं परन्तु अन्तरिक्ष से जो चित्र लिये गये हैं, उसके अनुसार 28.7 प्रतिशत भूमि पर ही बन हैं और 71.3 प्रतिशत भूमि वन विहीन है । यदि इसी प्रकार वहां वनों का कटान होता रहा तो आने वाले 10-15 सालों में 100 प्रतिशत भूमि वन विहीन हो जायेगी । पर्वतीय क्षेत्र में वन काटने व लगाने का जो अनुपात है वह 4:1 है । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर वनों का दोहन हो रहा है ? इसको रोका जाना चाहिये । इसके लिए योजनायें बनाई जानी चाहिये । सरकार के जो वनीकरण की योजना है, वे सभी नाकाम है । भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । जलागम योजना की बात की गई । मेरी जलागम अधिकारियों से बात हुई । मैंने कहा कि आपकी सारी योजनायें नाकाम हो गई हैं । अधिकारी मुझसे कहता है कि रावत जी आप परेशान क्यों होते हो ? विश्व बैंक का पैसा है । विश्व बैंक के पैसे को अधिकारी अपने ठाट-बाट में खर्च कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक के धन के कारण देश पर कर्ज नहीं बढ़ रहा

है । हिमांचल का उदाहरण देना चाहता हूं । गढ़वाल विश्वविद्यालय में अभी एक सेमिनार हुआ था । अगर वनीकरण करना है तो हिमाचल प्रदेश की तरह करिये । मैंने वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शांता कुमार जी का भाषण सुना था जिसको सुन कर बड़ा संतोष हुआ । पर्वतीय क्षेत्रों में वनीकरण के लिये ठोस योजना बने वनों की सुरक्षा कानून बना कर नहीं कर सकते हैं उसके लिए लोगों की साझीदारी करनी होगी, उनके मनों को जीतना होगा । गांवों के लोगों की जिन्दगी में दखलअंदाजी करेंगे तो वनों को अपना दुश्मनों समझ कर उनको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे । उसके लिये लोगों का लगाव पैदा करना होगा, आत्मीयता से जोड़ना होगा । यह तभी सम्भव है जब वनों से लाभ मिलेगा ।

उनके लाभ के लिये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह किया है एक हजार पेड़ गांव के एक व्यक्ति को दे दिये और उसके साथ 5 हजार रुपये दे दिये और कहा तुम पेड़ लगाओ तो वह व्यक्ति जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है उसने सोचा कि दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की अपेक्षा अपने खेतों में पेड़ लगाये और तीन वर्ष में अगर 80 प्रतिशत पेड़ रह गये तो उसे 3 हजार रुपये और मिलेंगे । तो उस 3 हजार के लालच में पेड़ों की उसने सुरक्षा की और उससे कहा कि 8 वर्ष में तीन हजार रुपये और देंगे यदि तुम 60 प्रतिशत से अधिक पेड़ बचाओगें, तो उस तीन हजार के लालच में उसने पेड़ों की सेवा की । उसके बाद उससे कहा कि यह जंगल तुम्हारा है तुम सदुपयोग करें । तो इस तरह से पेड़ों की सुरक्षा होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरक सिह रावत–

ऊर्जा के बारे में बड़ी दयनीय स्थिति पहाड़ों की है । पूरे पर्वतीय क्षेत्र में 15117 ग्राम हैं सरकार का लक्ष्य है कि 1995 तक प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कर देंगे । लेकिन आंकड़े क्या है अभी तक 10921 गांवों का विद्युतीकरण किया जा सका है । मैं जानना चाहता हूं कि कैसे इस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे । यह तो नजर आता है । खाली गंगा और यमुना नदियों से 12 हजार कि०वा० बिजली उत्पन्न हो सकती है अन्य छोटी-मोटी नदियों और नालों से 400 सौ कि०वा० बिजली पैदा की जा सकती है । अभी इन नदियों से 1700 कि०वा० बिजली पैदा हो रही है । वहां पर छोटी-छोटी विद्युत परियोजनायें चलाई जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरक सिंह रावत–

मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं ट्रैकिंग, रीवर राइडिंग, माऊंटेनियरिंग, हैंड ग्लडिंग आदि योजनाओं को चला कर वहां पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है इसके लिये स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन देकर योजनायें चलाई जा सकती हैं ।

जड़ी बूटी के अनुसंधान से वहां रोजगार लोगों को मिल सकता है । वहां जड़ी बूटियों का अपार भंडार है उसके लिये कोई योजना नहीं है । गोपेश्वर में अनुसंधान संस्थान बनाया है लेकिन उसके पास

कोई कार्यक्रम नहीं है । वहां अपार वन संपदा है जिसने जड़ी बूटियां मिलती हैं । उसके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

सड़कों के लिये केवल 65 करोड़ का प्राविधान किया गया है, यही पहाड़ों में आवागमन के लिये एक मात्र साधन हैं । इतनी कम धनराशि से पुराने अधूरे काम ही पूरे होंगे । तो इस धनराशि को बढ़ाने की आवश्यकता है । आप समय नहीं दे रहे हैं मुझे अन्य विभागों के बारे में भी कहना था इसलिये मैं समाप्त करता हूं और माननीय फोनिया जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

मान्यवर, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी जो प्रतिपक्ष के लोगों ने बातें कहीं उनको मैंने ध्यान से सुना । उनके पास कहने के लिये कुछ है ही नहीं वास्तव में इतना अच्छा बजट आज तक पर्वतीय क्षेत्र के लिये कभी नहीं रखा गया बजट इतना संतुलित है कि किसी भी क्षेत्र को तथा विभाग को नहीं छोड़ा गया । (व्यवधान) मैं इसका प्रमाण दूंगा । वास्तविकता क्या है क्या नहीं है आप जरा शांति से सुनें ? जिस प्रकार से फोनिया जी ने जो बातें कहीं उनकी एक एक बात का उत्तर दूंगा तो आप स्वयं समझ जायेंगे वास्तविकता बजट में क्या है और किस प्रकार कार्य आपके समय में हुआ । आज जो सुझाव आप दे रहे हैं उनको अगर आपने अपने समय में कर लिया होता तो आज आपको मौका नहीं मिलता । लेकिन आप उस समय देखते रहे और उत्तरकाशी में तबाही हुई । मुझे दुख होता है कि 1977 में भाजपा का साथ दिया तो उस समय उत्तरकाशी में बाढ़ आ गई थी और 1991 में जब भाजपा की सरकार आई तो उत्तरकाशी भूकम्प से तहत-नहस हो गया और हुडको ऋण से ग्रसित करवा दिया, जिससे लोगों को राहत देने की आवश्यकता है । तो मान्यवर, इस प्रकार के लोगों का साथ हो तो पर्वतीय क्षेत्रों का कैसे विकास हो सकता है ?

मान्यवर, जिस प्रकार से श्री फोनिया जी ने पर्यटन के संबंध में जो बातें कहीं मैं उनसे जानना चाहता हूं जब वह स्वयं पर्यटन के मंत्री थे, पिछली बार जब मा० मुलायम सिह यादव की सरकार थी तो उस समय पर्यटक ग्रिड बनायी गयी थी तो जब यह मंत्री थे तो वह ग्रिड कहीं चली गयी थी क्या उस पर आपने विचार किया था, नहीं किया था ? पिछली बार श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पर्यटक ग्रिड के विकास के लिये 66 करोड़ रुपये स्वीकृत किया था लेकिन उनके समय में पता नहीं वह पैसा कहां यह लोग डकार गये ? इसलिये इस पर आज सोच की बात है । इस ग्रिड में चांगसिल हरकी दून से बूढ़ा केदार तक लिया गया था और दयारा को स्कीइंग सेन्टर बनाने के लिये भी पैसा दिया गया था ।

मान्यवर, वर्ष 1989 और 1990-91 में जितनी भी स्वीकृतियां हुई थीं वह सब श्री कल्याण सिंह के समय में समाप्त कर दी गयी । मान्यवर, उत्तराखंड का उदाहरण देना चाहता हूं , आज वहां देखें तो जितनी सड़कें मंजूर हुई थी और जिन पर काम चालू हुआ था उनमें सभी पर सारे काम ठप्प कर दिये गये थे । उत्तरकाशी और टिहरी में एक भी सड़क की स्वीकृति नहीं दी गयी थी और आज यह लोग बड़े-बड़े राग अलाप रहे हैं कि हमने तमाम काम किये । तो यह सब बेकार की बातें हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि भाजपा के शासन में उत्तरकाशी, टिहरी हो या देहरादून वहां की जनता के साथ घोर अन्याय किया गया है जिसके कारण हमारा मस्तक शर्म से झुक जाता है है कि हम जनता के सामनें कैसे जायें । चूंकि वहां की पेयजल, बिजली और सड़क के विकास

में कोई भी कार्य पूरे नहीं हो सके हैं इसलिए शासन से मांग करता हूं कि जो-जो कार्य चाहे किसी भी विभाग से सम्बन्धित हो उस समय आप के शासन काल में मंजूर हुये थे और वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी थीं और जो भी ठप्प पड़े हैं उन्हें पुनः गति देकर सारे कार्य पूरे कराये जायं जिससे वहां के लोगों में जागृति व राजनैतिक चेतना पैदा हो सके साथ ही विचाराधीन कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की जाय । मान्यवर, मैं श्री कल्याण सिंह जी से जानना चाहता हूं कि वह उत्तरकाशी में, पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी बार वहां के लोगों की समस्या को जानने के लिये और कहां-कहां गये क्या उन्हें मोरी, चिन्याली सोड़, हुण्डा, जौनपुर पुरोला, नौगाट तथा भरवाडी का पता है ? वह उत्तरकाशी में आये भूकंप में कितनी बार वहां गये ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय विकास के बारे में सोचें । जैसा कि इस समय मा० मुलायम सिंह यादव जी पहाड़ों के विकास के बारे में चिंतित हैं ।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछली बार जब मा० मुलायम सिंह यादव की सरकार थी । तो उस समय पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से एक विशेष वित्त सचिव की नियुक्ति की गयी थी, वहां के कार्यों को पूरी तरह से देखने के लिए । तब वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने में कोई कठिनाई नहीं हुई । किन्तु भाजपा सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया, जिसके कारण से वित्तीय स्वीकृतियों में अति विलम्ब होता है तथा वहां के विकास में दूसरी बाधायें पैदा हो गयी हैं । आप उस समय उस पद को समाप्त न किये होते तो आपको आज विकास कार्यों में रुकावट न आती और विशेष सचिव का पद वित्त सचिव के रूप में परिवर्तित हो जाता जहां तक आपने अध्यापकों की कमी और उसके कारण स्कूलों के ठप पड़े होने की बात कही है, वह इस कारण है कि आपने अपने समय में कहा था कि कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जायेगी । साथ ही अंशकालिक अध्यापकों के बारे में भी आपने विचार नहीं किया था और यही स्थिति चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों की रही जिसके कारण से आज यह परिस्थिति वहां पैदा हुई हैं ।

यदि आप लोग उस समय नियुक्तियां कर दिये होते, तो शायद यह समस्या न आती । श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार उस समस्या के निदान के लिए जोरों से अग्रसर है और वह स्कूलों चिकित्सालयों एवं अन्य विकास कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए लड़ रही है । उनके उत्तराखण्ड के विकास की नीति की ओर ध्यान देने के कारण मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही उत्तराखण्ड का बहुत बड़ा विकास होगा और जिसका नाम उत्तराखण्ड है आपको लगेगा कि वह अखण्ड है और वह मुलायम सिंह यादव जी । वह इस देश और प्रदेश को इस तरह बनायेंगे कि किसी को किसी भी बात के लिए उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलेगा । व्यवधान अब मैं अपनी बात बजट का समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

* श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल:–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड के लिए 455 करोड़ के परिव्यय का बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि पूर्व में जो परिपाटी रही है, उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

परिपाटी की लाइन पर ही चलते हुए विभाग या तो किसी को कुछ घटा दिया गया है या किसी को कुछ बढ़ा दिया गया है । इस बजट में कोई ऐसी विशेष योजना देखने को नहीं मिलती है, जिससे लगे कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जो भयंकर बेरोजगारी है, उस पर हम काबू पा सकेंगे । और जो वहां पर अव्यवस्था से विकास लम्बित है उसको भी पूरा कर सकेंगे । आज सबसे भयंकर अगर कोई समस्या पर्वतीय क्षेत्र में है तो वह पेयजल की है । जिसके बारे में माननीय नगर विकास मंत्री जी ने कहा भी है और दर्शाया भी है कि हम तीन साल के अन्दर सम्पूर्ण प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा देंगे और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि दो साल में भयंकर जल संकट के स्थानों पर पानी उपलब्ध करायेंगे । किन्तु बजट देखने से हमें तो यह लगता नहीं है कि उनकी यह घोषणायें पूरी हो पायेंगी । शायद मंत्री जी को यह जानकारी नहीं है कि वर्तमान में वहां पर पेयजल की स्थिति कितनी गम्भीर और विकट है ।

आज वहां या तो पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश जलस्रोत ग्रेवटी की वजह से सूख चुके हैं या पिछली अतिवृष्टि के कारण वहां की पानी की तमाम योजनायें समाप्त हो चुकी हैं, जिनको सही ढंग से मरम्मत करके पानी नहीं उपलब्ध कराया गया है । विशेष रूप से जो हमारी वनीकरण की नीति है, उसी के कारण पानी का गम्भीर संकट हो गया है । आज हर व्यक्ति और हर विभाग यही कहता है कि पर्यावरण बहुत आवश्यक है और उसके लिए वन बहुत उपयोगी हैं, इस बात पर बल दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार के वन हों, इस पर न तो सरकार सोच रही है और न उस पर विभाग के वन लगाने वाले अधिकारी सोच रहे हैं ।

| समय 4 बजकर 20 मिनट |

जिसका यह परिणाम है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जितना भी वनीकरण हुआ है, उसमें चीड़ का रोपण सबसे ज्यादा हुआ है । इसी के दुष्परिणामस्वरूप हमारे पानी के सारे स्रोत सूखते जा रहे हैं । अगर आगे आने वाले समय में उस नीति को नहीं बदलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत गम्भीर स्थिति पहाड़ों में होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का भी कहना है । दूसरा सबसे अहम मुद्दा पहाड़ों के लिए सड़कें हैं । इसके बारे में पूर्व में भी कहा गया है लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पर्वतीय क्षेत्रों का कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के विकास की बात आयी ठीक उसी समय वन अधिनियम लागू कर दिया गया । इसी की वजह से आज स्वीकृत योजनायें दस वर्षों से लम्बित पड़ी हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सका है । नई सड़कें स्वीकृत कर दी जाती हैं, उनका परिव्यय स्वीकृत कर दिया जाता है लेकिन जब निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो ऐसा कोई पैसा नहीं लगता है, वह पैसा कहां खर्च कर दिया जाता है ।

उस योजना को कटवाकर सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? इसको भी सरकार गम्भीरता से नहीं देखती है । दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि जो विद्यालय हैं, उनकी दुदर्शा भी वर्तमान समय में भयंकर रूप ले चुकी है । प्राइमरी से लेकर इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा में हजारों अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं । जब अध्यापक नहीं होंगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा कैसे पढ़ाई हो सकेगी ? इसी तरह से पर्यटन की बात है, इस संबंध में यहां पर कहा गया है लेकिन वहां पर विकास किस तरह से होगा इस संबंध में भी बजट में कोई बात नहीं रखी गयी है । मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से कि यदि पर्वतीय क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास करने की इच्छा है तो हमारे नेताओं ने

में जो पर्वतीय सुधार विभाग का गठन किया है, उसको इतना मजबूत बनायें । जैसा कि बताया गया है कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेट्री का पद सरकार द्वारा स्वीकृत होने जा रहा है । मुझे तो शंका है कि कहीं उस पद का भी अधिकारी जो वर्तमान में हमारे पर्वतीय विकास विभाग के अधिकारी हैं, उन्हीं की तरह न हो जिससे कि विकास में रुकावट आये । मेरा तो यह सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में काम करने वाले जितने विभाग के अधिकारी हैं, उनको पर्वतीय विकास के अधीन कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से द्रुत गति से काम होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने मुझे उत्तराखण्ड विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया, शुक्रिया अदा करता हूं । मैं एक सूत्रीय कार्यक्रम आपके माध्यम से सरकार की ओर पेश करना चाहता हूं । वह है कि आज दो, अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो, बिना उत्तराखण्ड के हमारा विकास सम्भव नहीं । हमने बजट देखा । इसमें न तो कोई नई दिशा है, न कोई नई सोच है । बहुत सारे सुझाव आये । में सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ सुझाव पेश कर रहा हूं उचित लगें तो उन पर कार्यवाही करें । मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि उत्तरांचल में जो माइक्रो हाइडिल पहले से लगाये गये हैं, वे सारे बन्द पड़े हैं ।

इन योजनाओं से एक महीने में एक लाख रुपये की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन सरकार इन्हें चालू नहीं करने जा रही है । इसलिए मेरा सबसे पहला सुझाव यही है कि जो आमदनी का जरिया है, उन परियोजना को, इन माइको हाइडिल योजनाओं को चालू करा दिया जाय । उत्तरांचल में जड़ी-बूटियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर आधारित उद्योग लगाये जायं । माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि यह आठ जिले उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हैं । चूने पर आधारित उद्योग लगाये जा सकते हैं । कितना अच्छा होगा कि वहां उद्योग स्थापित किये जायं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके । मैं एक ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं उत्तरांचल में पहले तो डाक्टर नहीं हैं और यदि हैं तो जिले के मुख्यालय पर बैठे रहते हैं जहां पर उनकी ड्यूटी तैनात होती है वहां नहीं जाते हैं तो जो इस तरह की अव्यवस्था है वह नहीं होनी चाहिए । जो डाक्टर जिस अस्पताल के नियुक्त हों वह उसी अस्पताल में जाना चाहिए । हिमांचल प्रदेश का अनुसरण करते हुए उत्तरांचल का विकास किया जाना चाहिए । मान्यवर, एक टीम अधिकारियों की हिमांचल प्रदेश में भेजी जाय और जिस तरह से हिमांचल प्रदेश ने उन्नति की है वैसे ही उत्तरांचल में भी की जाय । आप फल-पट्टी के माध्यम से भी उत्तरांचल का विकास कर सकते हैं । फल-पट्टी योजना लागू कर दी जाय तो यहां का विकास हो सकता है । वनीकरण के रूप में फलदार पौधों को लगाया जाय । ताकि यहां के लोगों को आर्थिक सम्पन्नता मिल सके । वनीकरण से यहां का विकास हो सके । मत्स्य पालन भी यहां बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है ।

* श्री विश्राम सिंह यादव-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है इसको नहीं रखना चाहिए था । हमारी नीति हमारी मंशा साफ थी । हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में उत्तरांचल बनाने की बात कही गयी और उसी के अनुरूप बजट पेश किया गया

---

* वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इतना ऐतिहासिक बजट पहले कभी पेश नहीं हुआ इस पर कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा जाना चाहिए था जो बजट रखा गया है उसको पास करना चाहिए था । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया ।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मुख्य मंत्री जी जिनके पास उत्तरांचल के विकास का विभाग है वह उपस्थित हैं मैं उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि पर्वतीय राज्य के लिए एक कमेटी का गठन किया गया प्रश्नावली में जिला, तहसील के प्रस्ताव के बारे में लोगों से पूछा गया । पूरे उत्तरांचल प्रदेश में जिलों की मांग को लेकर आन्दोलन हो रहा है इस संबंध में बागेश्वर के बारे में एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मंत्री जी से मिला है । रानीखेत को जिला बनाने के लिए कचहरी को घेरो आन्दोलन चल रहा है । रानीखेत जिले के लिए अनशन अलग से चल रहा है । नीति अपनी स्पष्ट कर दें क्या कोई कमेटी का गठन आप कर रहे हैं ।

नीतिगत निर्णय आप ले रहे हैं । इससे पर्वतीय क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो रहा है । एक जनपद की बात सुनी जा रही है अन्य की नहीं सुनी जा रही है जबकि रानीखेत जनपद की मांग न्यायोचित व सबसे पुरानी है । इसी 31 मार्च को एक जानकारी मिली कई सड़कों का वितरण हुआ । त्रुटिवश या दुर्भाग्यवश कहिये, हमारे पिथौरागढ़, रानीखेत में एक सड़क मिली है और कहीं पर चार सड़कें मिली हैं जिससे क्षेत्री असन्तुलन पैदा हो रहा है मैं शिकायत के रूप में नहीं कह रहा हूं आपकी पार्टी के क्षेत्र में अध्यक्ष हैं उनके कहने पर सड़क मंजूर कर दें । आप भा०ज०पा० के किसी प्रतिनिधि की बात नहीं मान सकते हैं तो अपनी पार्टी के सदस्य के कहने पर सड़क की घोषणा कर दें । जनता को तो न्याय मिलना चाहिए । वन संरक्षण अधिनियम है । 1980 में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी तरह के पेड़ नहीं कटेंगे तथा वन भूमि खोदी नहीं जायेगी, व्यवस्था यह की गयी थी कि बेनाम भूमि जो पर्वतीय क्षेत्र में उ० प्र० सरकार के नाम दर्ज है, उसको उत्तराखण्ड में 1893 के शासनादेश में बेनाम भूमि को संरक्षित भूमि कहा गया है, संशोधन करके इसको ओमिट कर दिया जाय तो सड़कें अधिकांश रूप से आसानी से बनायी जा सकती हैं । स्कूलों के मानकों के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं । शासन की ओर से यह जानकारी मिली है कि प्राइमरी स्कूलों व अन्य निर्माण के भवन निर्माण के लिए जो 90 हजार रुपये पर्वतीय क्षेत्र में मिलते थे, उसको दोगुना या बढ़ा दिया जायेगा । इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । क्योंकि इससे भवन सही बनेंगे और लोगों को सन्तोष प्राप्त होगा । उत्तरांचल का प्रस्ताव जो यहां पर 12 अगस्त, 1991 को पारित हुआ था वह अभी भी केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।

यह बात स्वयं मेरे विधान सभा के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने बतायी है । इसके लिए अगर हम सदन की भावना से केन्द्र सरकार को अवगत कराते हैं तथा केन्द्र पर सामूहिक दबाव बनाते हैं, तभी इस संबंध में कुछ प्रगति हो सकती है । नया प्रस्ताव करके कुछ होने वाला नहीं है । भारतीय जनता पार्टी की पर्वतीय राज्य के बारे में मान्यता रही है, और पूरी ईमानदारी से उसने इस दिशा में काम किया है । उसने इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है कि पृथक राज्य के स्थापना की वह पक्षधर है और रहेगी । एक निवेदन न्यायपालिका के क्षेत्र में करना चाहता हूं । न्यायपालिका के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित रहा है । कौशिक कमेटी छोटे-छोटे जिलों और छोटी-छोटी तहसीलों की

पक्षधर है, लेकिन न्यायपालिका के क्षेत्र के बारे में इसमें कोई बात नहीं है । पर्वतीय क्षेत्र के लिए अगर मुख्य मंत्री जी उच्च न्यायालय, न्यायिक अभिकरण, प्रशासनिक अभिकरण, राजस्व परिषद्, कर अभिकरण व श्रम न्यायालयों की स्थापना करेंगे, तो जो वहां के निवासियों को जो इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर न्याय पाने के लिए लगाने पड़ते हैं, वह इन परेशानियों से मुक्ति पा सकेंगे । इन शब्दों के साथ श्री केदार सिंह फोनिया ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूं ।

* श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । जैसा कि सबको मालूम है कि उत्तराखण्ड में दो मण्डल हैं । एक गढ़वाल मण्डल और दूसरा कुमायूं मण्डल और इसमें ही बजट का लाभ वहां की जनता को दिया जाता है । यहां पर कई बातें पैदा हुई हैं बजट को लेकर । उत्तराखण्ड की बात को लेकर श्री फोनिया जी ने कहा कि उत्तराखण्ड की बात को लेकर अगर यह डुगडुगी दिल्ली में बजायी जाती तो शायद इसका असर कुछ केन्द्र सरकार पर पड़ता । इस आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब यह लोग सत्ता में थे शहरो-शहरों यह डुगडुगी बजायी थी कि उत्तराखण्ड बनायेंगे । अगर इनको डुगडुगी बजानी थी तो मैं कहना चाहता हूं कि यह डुगडुगी वह दिल्ली में बजाते । यह जो उन्होंने खुनखुना बजाया उसमें पर्वतीय अंचल के लोग नहीं थे । कानपुर के एक सांसद ने यह खुनखुना बजाया था और 119 सांसद जो वहां पर मौजूद होने चाहिए उसमें केवल 70 मौजूद थे । मुझे शंका है कि यह खुनखुना और यह घंटी जो आज उत्तराखण्ड का नारा देने वाले लोग बजा रहे हैं उसे आज जो पर्वतीय अंचल में रोष व्याप्त है वह पूरा नहीं होगा । आज पर्वतीय अंचल के बारे में, वहां के विकास के बारे में, वहां के जन प्रतिनिधियों में जो शंका है वह पूरी होने वाली है । हमें आज विकास के सिद्धान्त को मानना पड़ेगा । पहले अखरोट युग था, उसके बाद चारागाह युग आया, फिर कृषि युग आया और उसके बाद औद्योगिक युग आया । हमारा विकास क्रम से हुआ है ।

उत्तराखण्ड के विकास के लिए सामाजिक विकास के सिद्धान्त को मानकर चलिये । वहां की जो आवश्यकतायें हैं उनके अनुसार वहां का विकास होना चाहिए । जब तक वहां पर प्रशासनिक इकाइयां नहीं बनायी जायेंगी, विकास खण्डों का सृजन नहीं किया जायगा तब तक वहां का विकास नहीं होगा । आज वहां से लगातार यह मांग आ रही है कि वहां पर नये जिलों को बनाया जाय । वहां पर नये जिले और नये विकास खण्डों का सृजन किया जाय । पिछली सरकार ने उत्तराखण्ड की डुगडुगी बजायी और दिल्ली में वह एक खुनखुना भी नहीं बजा पाये लेकिन यह जो सरकार है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम एक ड्रम बजाया । मैं चाहता हूं कि इससे बड़ा ड्रम वह दिल्ली में बजायें और उसके पहले उत्तराखण्ड में प्राथमिक इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां और विकास खण्डों, नये जिलों का सृजन करें । आज बागेश्वर, कोटद्वार के लोग अपनी समस्याओं को लेकर चिन्तित हैं, उनकी जो समस्यायें हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सदन में घोषणा करें । वहां के लोगों की शंकाओं के अनुरूप वहां पर प्रशासनिक इकाइयों के बनाने की घोषणा करें । मान्यवर, पर्यटन के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजट यहां पर दिया गया है । प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं, जब आप पर्यटन के विकास की बात करते हैं तो वहां की जो स्थानीय जरूरतें हैं, जैसे सीवर लाइन, पेयजल इस ओर भी सबसे पहले ध्यान देना चाहिए । पिथौरागढ़ में अभी 23 जनवरी को उद्घाटन भी किया गया वहां पर हवाई अड्डे की बात की जाती है परन्तु खेद के साथ मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि वह एक छोटा सा नगर है जिसकी आबादी 30 हजार है वहां पर आज तक कोई सीवर लाइन नहीं है ।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

8 करोड़ की लिफ्ट पेयजल योजना बनी थी, उसमें लोगों को एक घण्टे भी पानी नहीं मिल रहा है । वहां का जन-मानस पानी पीने के लिए त्रस्त है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसी बजट सत्र में ऐसा पर्वतीय जनपदों में जहां पर पेयजल की कठिनाइयां हैं, उन्हें पूरा करें और इसी सत्र में पूरा करने की घोषणा कर दें ।

मेरे जनपद के गंगोली हाट विकास खण्ड में जहां पानी के लिए लोग त्रस्त हैं, वहां पर लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जहां पर एस० डी० एम० हेडक्वार्टर्स भी हैं, जल निगम के दफ्तर भी हैं, जल निगम के अधिकारी भी बैठते हैं, वहां पर लोग पेयजल के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं । वहां पर आधे घण्टे के लिए भी पानी नहीं मिलता है, तो इस तरह से पर्यटन का बढ़ावा कैसे होगा ? जहां पर पर्यटकों के लिए आधे घण्टे के लिए भी पानी नहीं मिलता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि आज पूर्व मंत्री और सम्मानित सदस्य श्री बची सिंह रावत जी ने कहा मुझे भी कहते कष्ट हो रहा है ।

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सड़कों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ और क्या मानक था ? क्योंकि मेरी सूची के अनुसार मुझे केवल 8 कि०मी० सड़क आवंटित की गयी, जबकि अन्य विधायकों को 15-30 कि०मी० तक सड़क आवंटित की गयी और मैं भी डेढ़ लाख लोगों का प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहा हूं और मुझे केवल 8 कि०मी० सड़क मेरी सूची के अनुसार स्वीकृत की गयी, यह कहां पर किसकी गलती है ? यह मुझे मालूम नहीं है, परन्तु मुझे मेरी सूची के अनुसार 8 कि०मी० सड़क मिली है, बल्कि वहां पर 20 कि०मी० और 30 किमी० की सड़कें स्वीकृत हुई हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के माध्यम से कोई ऐसी चीज नहीं है । पर्वतीय क्षेत्र की गरीब जनता के लिए मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर वहां के विकास की घोषणायें भी की थी और पूरा भी किया । मान्यवर, जो बजट पेश किया गया जो उसकी आर्थिक नीति से उसके अनुसार आर्थिक लाभ पर्वतीय अंचल को नहीं मिल पायेगा, क्योंकि हमारे यहां कोई उद्योग नहीं है, कोई कृषि का क्षेत्र भी नहीं है, जिसमें खेती हो सके । आज भी पर्वतीय अंचल में नियुक्तियों पर पाबन्दी लगी हुई है, प्रश्नकाल में प्रश्न उठते हैं कि जो नियुक्तियां रोक दी गयी हैं, उसे कब खोला जायगा ? पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिक नीति को देखते हुए, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि वहां की तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, उसे हटा दिया जाय । वहां पर रोजी-रोटी का आधार नौकरी ही है । वहां पर जो भी रिक्त स्थान हैं, उसे तुरन्त भरा जाय ।

* श्री रमेश पोखिरियाल निशंक'–

मान्यवर, मैं माननीय फोनिया जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है वह 455 करोड़ रुपये का पेश किया गया है । मान्यवर, 1993-94 में 408 रुपये का प्राविधान था और अन्त में यह 309 करोड़ पर सीमित रह गया है, जब कि इसे 485 करोड़ रुपये प्रस्तावित होना चाहिए । मान्यवर, यहां भी सभी सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं चुनौतीपूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि इतने महीनों के अन्दर यह सरकार यह बता दे कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में उसे एक काम भी नहीं किया है, जो अपने खाते में जमा करना चाहती है । मैं बताना चाहता हूं कि 3 जनवरी, 1994 की बैठक में मुख्य मंत्री जी ने कहा था पर्वतों का कुछ न कुछ विकास अवश्य होगा, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ किया था उतना भी यह सरकार नहीं कर पायी है ।

3 तारीख की बैठक में कहा गया था कि 30 तारीख तक तत्काल हिल कैडर लागू हो जायेगा और जब यह जानकारी हुई कि केवल 18 विभागों में ही हिल कैडर लागू हो पाया है, मैंने उस बैठक में कहा था कि सारे विभागों में हिलकैडर लागू हो और सभी कैडर में लागू हो । अतिरिक्त मुख्य सचिव की बात कही गयी थी, जिससे पहाड़ों का विकास हो सके । मैं कहना चाहता हूं कि यह विभाग पहले पर्वतीय क्षेत्र था, उसको बदल कर पर्वतीय विकास कर दिया गया और फिर उत्तरांचल विकास विभाग किया गया और अब उत्तरांचल विकास विभाग कर दिया गया है । केवल नाम बदल देने से उत्तरांचल का विकास नहीं होगा । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर गौर करें ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, कुछ तो न्याय कीजिये । 5 मिनट और दे दें । मान्यवर, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, पहले उनको पहाड़ पर भेजा जाये, तभी उत्तरांचल का विकास हो पायेगा । मान्यवर, उत्तरांचल विकास विभाग लखनऊ में है, क्यों है ? इसका लखनऊ में रहने का कोई औचित्य नहीं है । जब तक इनको वित्तीय अधिकार नहीं होंगे, प्रशासनिक अधिकार नहीं होंगे, तब तक पर्वतीय अंचलों का विकास नहीं हो सकता है । ऐसा कोई नयी व्यवस्था कर दी जाय, जिससे वित्त सचिव वहां पर बैठे, यदि ऐसा कर दिया जाये तो आधे से अधिक समस्यायें अपने आप समाप्त हो जायेंगी ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो शुरुआत की है । बड़ा महतवपूर्ण है । 2 मिनट और दे दें । अपर शिक्षा निदेशक को वहां पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा है ? स्कूलों में मुख्य विषयों के अध्यापक नहीं हैं । हजारों पदों को नहीं भरा जा रहा है और वहां के स्थानीय पढ़े लिखे बेकार हैं, अगर आप उन पदों को भर दें तो लोगों को रोजगार मिल जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

वहां के लोग सेना में चले जाते हैं और 80 प्रतिशत महिलायें ही वहां पर रही हैं। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और बी० टी० सी० आदि के तमाम पद रिक्त हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब काफी लोग बोल चुके हैं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, इस सरकार ने पर्यटन की दिशा में भी कोई ठोस प्रयास नहीं किया है, कोई व्यवस्थित योजना नहीं बनायी है।

श्री अधिष्ठाता–

आप फिर बोल लीजियेगा।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, 2-2 मिनट दे दें।

श्री बंशीधर–

मान्यवर, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, फोनिया जी ने कटौती का जो प्रस्ताव रखा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए बल देता हूं। मान्यवर, मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि पहाड़ों का जितना विकास कर रहे हैं वहां के विकास की बात तो हम सब मिल बैठकर कर लेंगे सीमान्त क्षेत्रों से देश की आजादी को खतरा पैदा हो गया है। खतरा इसलिए पैदा हो गया है कि क्षेत्र में घूमने पर वहां पर हमको वृद्ध ही मिलते हैं, महिलायें ही मिलती हैं, नौजवानों का वहां से पलायन हो गया है। बेरोजगारी की वजह से वहां नौजवान रहना नहीं चाहते हैं। बड़ी-बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके वहां के लोग होटलों पर नौकरी कर रहे हैं।

मान्यवर, विषय तो मेरा कुछ और था लेकिन माननीय महरा जी ने जो कहा है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोई डुगडुगी बजा रहा था कोई झुनझुना बजा रहा था, कोई ड्रम बजा रहा था, माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ड्रम बजा रहे थे मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। मान्यवर, जब निजी विधेयक के रूप में उत्तरांचल विषय पर मई, 93 में लोक सभा में विधेयक लाया गया था तो 118 में 98 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मतदान में भाग लिया था और कुछ लोग विदेश में थे और लोग बाहर थे उसकी जानकारी सभी को थी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के लोग तब कहा थे और यह सपा के लोग जो आज ड्रम बजा रहे हैं जब यह विधेयक आया था तो उन्होंने उसका बहिष्कार किया था। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक कहावत है–

सांप देखिबेर भ्यार हाथ, मछि देखि बेर भितेर हाथ।

यानि सांप को देखा तो हाथ बाहर निकाल लिया और मच्छी देखी तो हाथ अन्दर कर दिया । आज जब पूरे जनमानस पर उत्तरांचल की बात बैठ गयी है तब यह लोग उत्तरांचल का समर्थन करने वाले हुए हैं जब कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरांचल क्रांति दल से पूर्व ही इसकी घोषणा अल्मोड़ा के अधिवेशन में माननीय आडवानी जी द्वारा करवा चुकी है । मान्यवर, पहाड़ का 455 करोड़ का बजट सरकार ने स्वीकार किया जबकि हमारी जानकारी के अनुसार पिछली वर्ष जल संस्थान का बजट एक करोड़ पचास लाख रुपया था जिसको कम करके 75 लाख ही कर दिया गया है । जबकि पिछले वर्ष दैवी आपदाओं और अतिवृष्टि के कारण पहाड़ की सारी पेयजल लाइने ध्वस्त हो चुकी हैं जबकि इसका 30 लाख रुपया तो ब्लीचिंग पाउडर पर ही चला जाता है । इसके अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और वर्कचार्ज के कर्मचारियों को वेतन भी देना होता है तो इससे क्या होगा ।

* श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, जो उत्तराखण्ड का बजट रखा गया है उस पर हमारे साथियों ने चर्चा करी है । इस पर चर्चा करते हुए मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आना चाहता हूं । मान्यवर, चाहे इधर हुए बैठ हुए लोग हों चाहे उधर बैठे हुए लोग हों, दोनों लोग उत्तराखण्ड राज्य की बात कहते हैं । मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूंछना चाहता हूं कि जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर केन्द्र को भेज दिया लेकिन राज्य की स्थापना केन्द्र सरकार करेगी ।

मान्यवर, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । जो उत्तराखण्ड की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे एक लाइन का प्रस्ताव केन्द्र को भेज दिया । मान्यवर, अलग राज्य की स्थापना केन्द्र सरकार करेगी लेकिन राज्य सरकार का भी कुछ दायित्व है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उत्तराखण्ड के प्रति सरकार में बैठे हुए लोग वचनबद्ध हैं तो सबसे पहले जो अधिकार राज्य सरकार के हैं उन अधिकारों का पालन करें । पर्वतीय क्षेत्र में छोटे जनपदों की स्थापना करे, छोटे ब्लाकों व छोटी तहसीलों की स्थापना करे जो अधिकार और कार्य राज्य सरकार के हैं वह उन्हें पूर्ण करे उसके बाद केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि राज्य सरकार ने अपने कार्य को पूर्ण कर लिया है, एक राज्य के लिये ढांचा तैयार कर दिया गया है, केन्द्र सरकार से अलग राज्य बनाने के लिये हम भी कोशिश कर सकते हैं और सभी लोग प्रयास करें तो हम उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना में सफल होंगे ।

उत्तराखण्ड के विकास के लिये बहुत सारे मुद्दे हमारे साथियों ने उठाये । लेकिन इस बजट में जो मुख्य रूप से देखने को आया जितनी जल विद्युत परियोजनायें हैं उन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिये शासन द्वारा धन आवंटन नहीं किया गया है । जितनी जल विद्युत परियोजनायें पर्वतीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्षेत्र में हैं उनको पूर्ण करने के लिये अधिक धन मुहैय्या कराया जाय ताकि पर्वतीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्ण किया जा सके।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत बजट पर माननीय श्री केदार सिंह फोनिया जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तराखण्ड के विकास के संबंध में अपना बजट प्रस्तुत किया मान्यवर, प्रस्तुत बजट में कोई नई बात नहीं रखी गई हैं इन सब बातों का निष्कर्ष एक निकलता है कि जब तक पर्वतीय राज्य नहीं बनेगा तब तक उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। योजनायें जो इसमें गिनवायी गयी हैं यह योजनायें पहले भी थी इनमें कोई नयी नहीं हैं। परन्तु योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद की स्थापना की घोषणा की है परन्तु जब तक विभागाध्यक्षों को पूरे अधिकार नहीं दिये जायेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार हो सकता है। हमारी मुख्य समस्या बेरोजगारी है और बेरोजगारी का सीधा संबंध क्षेत्र के विकास से है बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। जहां हजारों की संख्या में शिक्षण संस्थाओं में और अन्य विभागों में पद रिक्त हैं उनमें किस प्रकार भर्ती की जायेगी भर्ती करने के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ? पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास के संबंध में यह कहना है कि वहां उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं स्थापित करेंगे, खनिज पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक क्षेत्र के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, नये सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो हम कैसे बोल पायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी पार्टी से जो नाम आये हैं मैंने सबको बुला लिया है।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। परन्तु शराब माफियाओं के माध्यम से शराब पूरी तरह सुलभ है। शराब के कारण क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मान्यवर, अगर वहां पर शराब माफियाओं पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तो वहां का विकास संभव नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, हमें भी दो मिनट का मौका दें । हम नये सदस्य हैं और हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी पार्टी के जो नाम आये हैं उनको बुलवा लिया है ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा । न्यायपालिका की बात आयी थी । मान्यवर, उत्तराखण्ड क्षेत्र में उच्च न्यायालय खण्ड पीठ की स्थापना किसी स्थान पर हो और श्रम विभाग के न्यायालय खण्ड पीठ की स्थापना हो ताकि वहां के लोगों को सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके । इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, हमें भी अवसर दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

पांच बज चुके हैं और अभी एजेन्डा के कई महत्वपूर्ण विषय बाकी हैं ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं केवल दो तीन बातें कहूंगा । पहला यह कि पर्यटन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है । पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को एक इण्डस्ट्री के रूप में विकसित किया जा सकता है । आज पहाड़ के साथ भारी अन्याय हो रहा है । स्विटजरलैंड में जिनेवा जैसे छोटे-छोटे स्थान जो 40-45 किलो मीटर के अन्दर हैं वहां लोग भ्रमण के लिए जाते हैं । मैं भी तीन-चार बार स्विटजरलैंड गया हूं और मैं यह मानता हूं कि स्विटजरलैंड हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से ज्यादा अच्छा नहीं है ।

मान्यवर, पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए छः हजार छः सौ पचास लाख रुपया दिया गया आठवीं पंचवर्षीय योजना में । मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें आप इस मद में 600 करोड़ रुपया आवंटित करायें और हम उसे 6 हजार करोड़ रुपये करके दिखायेंगे । मान्यवर, आज जड़ी बूटियों पर रिसर्च हो रही है और आयुर्वेदिक दवाएं भी काफी चल रही हैं । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र में मेडिसिनल प्लांट के ऊपर एक कमीशन बनाया जाना चाहिए जो सुगंधित और औषधीय पौधों के क्षेत्रों का पता लगायें और जैनेटिक इन्जीनियरिंग द्वारा उनके विकास के लिए उपाय बतायें । जड़ी बूटियों के शोध कार्य हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि उच्च

शिक्षा के लिये नेपाल बार्डर पर प्राइवेट मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं और वह पैसा कमा रहे हैं मगर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं है। तो मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वहां पर भी इस प्रकार के कालेजों को खोला जाये। अन्त में पेयजल की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। वर्ष 1993-94 में 487.10 लाख रुपया इस मद हेतु दिया गया था मगर यह अपर्याप्त है। यहां पर 2 हजार 756 पेयजल योजनाओं में से 1005 कामयाब रहे हैं और 848 आंशिक रूप से और बाकी नाकामयाब रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि लालकुआं और हल्द्वानी जो भांवर क्षेत्र है वहां पर पेयजल की कोई स्कीम नहीं है वहां पर कोई योजना बनायी जानी चाहिए।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, डिवेट से घिसी पिटी बातें ही सामने उभर कर आयीं, कोई नई बात नहीं आयी जिससे मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर अडिग हूं। एक बात मेरे संज्ञान में यह आयी कि उस साइड के कुछ माननीय सदस्यों ने मेरी राय से सहमति व्यक्त की। हमारे माननीय सदस्य श्री बर्फिया लाल जुवांठा जी तो दुविधा में थे कि किसकी तारीफ करूं बजट की या माननीय मुख्य मंत्री जी की। या तो वे समझ नहीं पाये या मैं समझ नहीं पाया कि कौन काबिले तारीफ है बजट या माननीय मुख्य मंत्री जी। लेकिन एक चीज मेरी समझ में आयी वह यह कि माननीय बर्फिया लाल जुवांठा बहुत भावावेश में आ गये और इसी भावावेश में उन्होंने एक कविता पढ़ दी। पूरी कविता तो मुझे याद नहीं है, उसकी अन्तिम पंक्ति याद है कि "विष भी अमृत हो जाय", यह बात तो मीराबाई ने भी कही थी, आज बरफिया लाल जी ने भी कह दी। मैंने तो यह कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तरांचल को मंत्री रहित बनाकर उत्तरांचल का अपमान किया है और उत्तरांचल की उपेक्षा की है। यह जो विष रूपी झटका माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तरांचल को दिया है, इसी को मा० बरफिया लाल जी ने अमृत समझकर घूंट लिया। यह तो इस बजट की कहानी है।

मैं इस बहस को यहीं पर अधूरा रहने देना नहीं चाहता हूं। कटौती का प्रस्ताव मैंने स्वयं पेश किया है और मैं तो यह पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियम क्या बने हैं, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा और बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा कि एक अतिरिक्त मुख्य सचिव की नियुक्ति की जायेगी, बहुत अच्छी बात है, इससे ओवरहेड्स बढ़ेंगे। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड विभाग को वन विन्डो विभाग बनना चाहिए ताकि काम जल्दी-जल्दी हो जाय, मामले जल्दी निपटाये जायें। आज जिस तरह से उद्योगों के लिये वन विन्डो सिस्टम की आप सिफारिश करते हैं, उसी प्रकार उत्तराखण्ड के विकास के लिये वन विन्डो पालिसी बननी चाहिए, तो उचित होगा। वन विन्डो पालिसी यदि बनती है तो सचिव रहे, या अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे, बात एक ही होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि उत्तराखण्ड विभाग को पूरे अधिकार दे दिये जायें, इसमें जो घुमावदार रास्ते हैं, उसको समाप्त कर जल्दी-जल्दी काम करने वाले विभाग में बदला जाय, इसी से उत्तराखण्ड की मुक्ति होगी।

हमारे बन्धु बरफिया लाल जी ने मुझे चैलेन्ज दिया कि आप तो पर्यटन मंत्री रहे हैं, आपका पर्यटन ग्रिड कहां गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पर्यटन ग्रिड कोई बिजली के ग्रिड की तरह नहीं है जो आपको बिजली के तारों की तरह दिखायी दे। पर्यटन ग्रिड एक कामों की श्रृंखला है। मैं उन्हें एक

उदाहरण देना चाहूंगा और साथ ही मा० बरफिया लाल जी को चैलेन्ज देता हूं कि जो काम पर्यटन के लिये मैंने और मेरी सरकार ने किया, वह काम इस सरकार से करवा कर दिखा दें, तो मैं उनका चैलेन्ज स्वीकार करता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा रोप वे प्रोजेक्ट विन्टर स्पोर्ट्स सेन्टर, औली के लिये साढ़े चार करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, हमारे माननीय कल्याण सिंह जी ने एक झटके में साढ़े चार करोड़ दे दिये थे। यदि श्री बरफिया लाल जी पर्यटन के लिये अपने मुख्य मंत्री जी से दो करोड़ भी एक प्रोजेक्ट के लिये दिला दें तो मैं उनके चैलेन्ज को स्वीकार करूंगा।

मान्यवर, मेरी एक और चिन्ता है और यह चिन्ता बहुत बड़ी चिन्ता है। बात 455 करोड़ के परिव्यय की है। यह किस तरह व्यय होगा, इसकी कोई चिन्ता माननीय पर्वतीय विकास मंत्री को नहीं है। 455 करोड़ रुपयों का उपयोग कैसे होगा ? विकास एक प्रक्रिया है, एक कार्यक्रम है, विकास एक भावना है और बजट एक विचार है, ये मेरी सोच है इस बजट में यदि सोच स्पष्ट नहीं है तो यह 455 करोड़ रुपये का उपयोग सही नहीं होगा और उत्तराखण्ड का दुर्भाग्य, दुर्भाग्य ही रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, माननीय कौशिक जी पूरे बहस का उत्तर दें, उसके पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। मेरा पहला बिन्दु है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र में अध्यापकों और डाक्टर्स की जो रिक्तियां चल रही हैं, उनको कितने समयावधि के अन्दर भर देंगे ? दूसरा बिन्दु है कि क्या सरकार के विचाराधीन नई तहसीलें अथवा नये जिले प्रत्येक क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि है, तो वह तहसीलें कहां-कहां पर बनेंगी और जिले कहां-कहां पर बनेंगे ? तीसरा बिन्दु है कि समस्त विभागों के सभी श्रेणियों के पदों को हिल-कैडर आप कब तक बना देंगे ? चौथा बिन्दु आप सहमत होंगे कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास प्रतिबंधित हो रहा है, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के द्वारा, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता, मुख्य मंत्री जी जानते हैं उसे। तो क्या मुख्य मंत्री जी ने इस वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में कोई जनोपयोगी संशोधन करने के लिये केन्द्र सरकार से कोई अप्रोच किया है या कोई संस्तुति की है और अन्तिम बिन्दु है कि इस विधान सभा में उत्तरांचल को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया जो केन्द्र में लम्बित है, उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये वर्तमान सरकार ने अब तक केन्द्र सरकार से क्या प्रयास किये हैं ?

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल के जो भी सुझाव हैं, उन पर विचार किया जायेगा। कौशिक जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट आ रही है, मुझे विश्वास है कि रिपोर्ट आने पर आपके कुछ सुझाव उसमें आ जायेंगे। आपने जो सुझाव दिये हैं मैं आपसे बात कर लूंगा और समय पर आपके सुझावों पर विचार किया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रमा शंकर कौशिक–

श्रीमन्, मैं बहुत आभारी हूं कि सम्मानित सदस्यों ने अपने बहुत बहुमूल्य सुझाव उत्तराखण्ड के विकास के संबंध में दिये हैं। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन उन सभी बहुमूल्य सुझावों पर गम्भीरता के साथ विचार करेगा और उनमें जो भी सम्भव हो पायेगा उनका समावेश भी करेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री फोनिया जी ने हमारे इस बजट का किसी न किसी रूप में समर्थन किया है क्योंकि जो उन्होंने उद्देश्यों के संबंध में बात कही है, जो नियमों की बात कही है, वह सारे के सारे इसमें समाविष्ट हैं।

आपने स्वयं ही कहा है कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, यद्यपि आपने बिना पढ़े मेरी बात को समझते हुए ही स्वयं खुलासा कर दिया है। उत्तराखण्ड प्रदेश के जहां तक गठन का प्रश्न है किसी प्रकार से भी कोई कमी उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा नहीं की जा रही है और हमने पूरी मेहनत करके उस प्रस्ताव को सम्पूर्ण रूप से प्रदान करने का प्रयास किया है ताकि केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या मंत्रीगण उस पर उंगली न उठा सके और यह शंका न करे कि किस प्रकार से इसका गठन हो और यह राज्य कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा ? इन सारे बिन्दुओं पर विचार किया है। जितना भी सम्भव हो सकता था उतने सुझाव लिये गये। बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, वकीलों, अध्यापकों एवं विभिन्न समुदायों के लोगों ने मिलकर उनके सुझावों को प्राप्त करने की कोशिश हमने की है जल्दी ही वह पूरी रिपोर्ट जो सम्पूर्ण प्रस्ताव के रूप में होगी, वह आ जायेगी और उसमें सारी बातें जिलों के संबंध में, तहसीलों के संबंध में और किसी तरह के विकास खण्डों की है और जो सभी हैं, उनके लिये हमारे वित्तीय संसाधन हैं उसमें उनका संवर्धन किया गया है। यह प्रश्न नहीं है इसे स्वीकार करते हैं कि आठ दिन का विलम्ब हो गया है, अब अन्तिम रूप से रिपोर्ट तैयार हो गयी है, 30 तारीख को बैठक है, उस बैठक में पारित किया जायेगा और आपके समक्ष बात आयेगी।

बागवानी के संबंध में हिमांचल प्रदेश के बारे में श्री फोनिया जी और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बागवानी के संरक्षण के जरिये ही पर्वतीय क्षेत्रों का अपेक्षित विकास सम्भव है, इस संबंध में हिमांचल प्रदेश ने बहुत बड़ा काम किया और इसमें सन्देह नहीं कि हम पूरे काम को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सही मायने में विपणन की व्यवस्था की जाय, पैदावार हमारे प्रदेश में भी होती है, उत्तराखण्ड में कम पैदावार नहीं है अगर वहां पर और भी सुविधायें दी जाय तो अच्छा उत्पादन हो सकता है, विपणन का जो मामला है हमारे यहां तरीके से नहीं हो पाया। हमारी कोशिश है कि रामगढ़ फैक्ट्री जो कई वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हुई है उसको सक्रिय किया जाय। हम विपणन के काम में तेजी से लगेंगे जिससे कि काफी उत्पादन हो, इसके लिये प्राविधान किया जा रहा है इसके बावजूद विपणन व्यवस्था और सुदृढ़ करने के अपेक्षित प्रयास किये जायेंगे। श्रीमन्, टिश्यू कल्चर, चाय उत्पादन ऐसे ही कार्यक्रम हैं, फलों के उद्यानीकरण की व्यवस्था की जा रही है।

प्राइमरी स्तर में शिक्षकों की भर्ती की गयी है, काफी प्राथमिकता के साथ हुई है, अन्य स्तरों पर कार्यवाही हो रही है। वन अधिनियम ऐक्ट के संबंध में जो बातें कही गयी हैं आप जानते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम केन्द्रीय सरकार का है, इसमें ऐसी कोई न कोई व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से कार्य करने के लिये व्यवस्था सुनिश्चित है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत

हमारी कोशिश है और चार-पांच माह में 109 मामले प्रयास करके स्वीकृत कराये गये हैं और अब जो लम्बित 350 के करीब हैं, वह भारत सरकार को भेजे गये हैं, इसमें संशोधन भारत सरकार करती है, इसमें एक कमेटी का गठन किया गया है जो भारत सरकार को और संशोधन सुझायेगी । वन विभाग के जरिये इन प्रयासों को जल्द से जल्द निपटाया जायेगा, इसमें तालमेल बनाये रखेगी, मैंने अपने वक्तव्य में माननीय फोनिया जी की बात को कहा है । इसके साथ-साथ लघु उद्योग, पर्यटन एवं उद्यान यह तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार युक्त अधिकारी मौजूद हैं और पदों के संबंध में बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की नियुक्ति की घोषणा की है । तात्पर्य यह है कि सभी कार्य त्वरित ढंग से हों क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव की आवश्यकता पड़ती है और आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही यह कदम उठाये जा रहे हैं । श्री फोनिया जी ने जैसा कि कहा, बेसिक विद्यालयों का सवाल है, कुल 15,796 स्थानों में से केवल 601 पद रिक्त हैं, चमोली में केवल 236 पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जायगा ताकि नये सत्र के प्रारम्भ होने पर किसी तरह की कठिनाई न आवे । हवाई पट्टी चिलाली सौढ़, उत्तरकाशी में भूमि अध्याप्ति करने की कार्यवाही लगभग पूरी हो गयी है ।

गोचर के लिये भी भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही काफी एडवान्स स्टेज में है । कोटद्वार में नेशनल ग्रिड का 132 के० वी० का सब स्टेशन बन रहा है, जिसका पैसा उत्तराखण्ड विकास के माध्यम से दिया जा रहा है, गत वर्ष 100 लाख रुपया दिया गया था, यह 6.41 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, इस पर व्यय होने पर शेष धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी, इसको गढ़वाल क्षेत्र नेशनल ग्रिड से जुड़ जायगा, कुमाऊं के लिये काठगोदाम–अल्मोड़ा ग्रिड के लिये विचार किया जा रहा है । यूनाइटेड फण्ड का उपयोग क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति के लिये किया जाता है । जो क्रिटिकल गैप्स है, उनको भर दिया जायेगा ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

इसके अतिरिक्त एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं दिया जाता है । इन शब्दों के साथ, माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये थे, उनका खुलासा किया । जैसा कि मैंने आश्वासन दिया है, जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उनका समावेश करने की हम कोशिश करेंगे । उत्तराखण्ड को बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है। हम सांस्कृतिक व भाषा की दृष्टि से उसे अलग नहीं मानते हैं परन्तु नियोजन की दृष्टि से उसे अलग करना आवश्यक है । क्योंकि उसकी विशिष्ट परिस्थितियां हैं । उसका विशिष्ट नियोजन होगा । इसके विकास के लिये भी हमारी प्रतिबद्धता है । मैं आशा करता हूं कि श्री फोनिया जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर इसे पास कराने में हमारा सहयोग करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री फोनिया जी आप क्या कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,38,660,2000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या–12 पुकारे जाने के मध्य)

जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत साढ़ में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राम स्वरूप यादव तथा श्री कल्लू साहू निवासीगण कानपुर (देहात) तथा जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत सिन्ध नदी का पीनी लिफ्ट करके घाटमपुर रजबहा में डाले जाने के संबंध में डा० देवी प्रसाद सचान एवं श्री राजीव सचान निवासीगण कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मेरी दो याचिकायें प्रस्तुत होनी हैं। माननीय अधिष्ठाता जी ने भी व्यवस्था दी थी कि जब यह मद पूरी हो जाय, तब अनुमति दी जायेगी। इसलिये मुझे याचिकायें रखने की अनुमति प्रदान करें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य की सभी याचिकाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

निम्न दो याचिकाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(निम्न याचिकायें पढ़ी हुई मान ली गयीं)

नोट :– † छापी नहीं गयी।

* श्री राकेश सचान–

। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत साढ़ में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राम स्वरूप यादव तथा श्री कल्लू साहू निवासीगण कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) तथा जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत सिन्ध नदी का पानी लिफ्ट करके घाटमपुर रजबहा में डाले जाने के संबंध में डा० देवी प्रसाद सचान एवं श्री राजीव सचान निवासीगण कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं। ।

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पर, विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में शान्ति सुरक्षा बल को गठित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। यह निर्णय लेने का लक्ष्य यह है कि उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। यहां समय-समय पर प्राकृतिक आपदायें आती रहती हैं, त्योहार भी समय-समय पर मनाये जाते हैं और इसके साथ ही साथ कहीं-कहीं पर अशान्ति की भी सम्भावनायें रहती हैं और दंगे भी होते हैं। ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से सुरक्षा बल मांगती है और मांगती रही है। कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि केन्द्र से सुरक्षा बल नहीं मिल पाते हैं। अभी कानपुर में जो केन्द्र सरकार की सुरक्षा बल थी, उनसे जब हमने मांगा तो उन्होंने मजबूरी दिखायी और सारी कम्पनियों को वापस बुला लिया। होली के त्यौहार पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में हमें मुश्किलें आयीं। इसी के साथ साथ जो भी केन्द्रीय सुरक्षा बल हम लेते हैं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये तो उसमें भी हमें भारी खर्चा सरकार पर पड़ता है। अभी 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और 6 करोड़ अभी भी शेष है। तो इस प्रकार से 30 करोड़ से अधिक केन्द्र सरकार को देना पड़ा है। इस दृष्टि से यह शांति सुरक्षा बल बनाया जा रहा है।

दूसरा यह संगठन जिसका गठन किया जा रहा है इसको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा, अनुशासित तरीके से जो अभी सी० आर० पी० एफ० या दूसरे केन्द्रीय बल हैं उनकी तरह से ही प्रशिक्षण दिया जायेगा और समय पर जहां इसकी आवश्यकता होगी भेजा जायेगा। विशेषकर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये और दैवी आपदाओं में प्रयोग किया जायेगा। इसी के साथ यह भी प्राविधान किया गया है जो हमारी नीति है, सरकार की नीति है कि हम प्रत्येक भारतीय भाषा का विकास करेंगे उसके अन्तर्गत जो हमारे उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिन्दी है उसके अतिरिक्त अन्य भारतीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भाषाओं के जानने वालों को अगर वह इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता देंगे । इस प्रकार केवल उत्तर के ही नहीं अगर दक्षिण या बंगाल या पंजाब के भी नौजवान इसमें आना चाहेंगे तो उनको प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जायेगा ।

इस शांति सुरक्षा बल या इस संगठन की जरूरत अभी से नहीं, पहले भी हुई थी । 1991 में इसके लिये हमने शुरुआत की थी लेकिन हाईकोर्ट से उसमें स्टे हो गया । हमारी सरकार के बाद दूसरी सरकार आयी, हाईकोर्ट का फैसला पक्ष में रहा लेकिन हमारे नेता विरोधी दल की सरकार आयी उन्होंने इसे कार्यान्वित करने के बजाय इसको खत्म कर दिया । इसके पहले भी जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय में भी इसके लिये भारत सरकार को लिखा था उन्होंने इसको विशेष शांति सुरक्षा बल नाम दिया । उन्होंने भी इसकी जरूरत महसूस की कि उत्तर प्रदेश में समय-समय पर सहायता के लिये सुरक्षा बल हो । जिस प्रकार हम अपनी पुलिस और पी० ए०सी० को ऐसे मौकों पर जनता के बचाव या सुरक्षा के लिये और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस्तेमाल करते हैं इसका भी इस्तेमाल करेंगे । हमारी सरकार वैसे ही केन्द्र सरकार को सुरक्षा बल मांगने पर खर्च देती है और समय-समय पर वह नहीं मिलते हैं और मिलते भी हैं तो हमको बगैर पूछे ही वापस बुला लेते हैं । तो ऐसे मौकों पर स्थिति बड़ी खराब हो जाती है । इसलिये हमेशा हमेशा के लिये शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तर प्रदेश शांति सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है । हमें पूरी उम्मीद है इसे सदन सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा । इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहां पर रखता हूं ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शांति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को 6 माह तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाय ।

श्रीमन्, मैंने इस विधेयक को आद्योपांत पढ़ा है । माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण भी इस विधेयक के संबंध में अभी सुना । संक्षेप में मैं 3 बिन्दु उठाना चाहता हूं ।

इस शांति सुरक्षा बल पर आवर्तक व्यय 37 करोड़ 50 लाख रुपया और अनावर्तक 75 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगा और उत्तर प्रदेश पर कुल मिलाकर 112करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय आकर पड़ेगा । मैं समझता हूं कि आज जिस वित्तीय संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है उसमें एक-एक नया पैसा महत्व रखता है उस एक-एक नये पैसे की उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिये या विकास करने के लिये, उसकी गति को तेज करने की आवश्यकता है उसमें मैं समझता हूं कि यह 112 करोड़ 50 लाख रुपये का जो व्यय होने जा रहा है वह आज की हमारी वित्तीय स्थिति के अनुकूल नहीं है । दूसरा बिन्दु यह है कि इस विधेयक में कहीं उल्लेख नहीं मिला कि यह सारी भर्ती नई की जायेंगी या पुरानी फोर्स, पुलिस या पी० ए० सी० में छांटकर समावेश किया जायेगा ? यदि नई भर्ती की जायेगी तो कितनी ? पुराने बल में से लेंगे तो कितनों को लिया जायेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, इस बिल को लाने के दो उद्देश्य बताये गये हैं ।पहला उद्देश्य है शांति भंग होने की घटना से निपटने के लिये शांति सुरक्षा बल चाहिए । दूसरा उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये शांति सुरक्षा बल चाहिए ।

श्रीमन् मैं यह भी बताना चाहता हूं कि क्या इस सरकार को वर्तमान सुरक्षा बल,जो है–पुलिस, पी० ए० सी० पर अविश्वास हो गया है ? क्या अपनी पुरानी फोर्स-पुलिस और पी० ए० सी० में और अधिक संख्या बढ़ाकर, उसको और अधिक सुदृढ़ करके, उसको और विशेष प्रशिक्षण देकर, उसको अधिकतम हथियारों से सुसज्जित करके, यही जो दो उद्देश्य बनाये गये है, उनकी क्या पूर्ति नहीं हो सकती थी ? इसका दुष्परिणाम होगा कि जो विशेष शांति सुरक्षा बल बनाने जा रहे हैं इससे आज जो वर्तमान सुरक्षा बल है पी० ए० सी० और पुलिस उसके समानान्तर एक संगठन और खड़ा हो जायेगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान पुलिस और पी० ए० सी० है उसके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

उनके मन में कहीं न कहीं हीनता और कुंठा पैदा होगी और एक ऐसा वातावरण बनेगा की वर्तमान फोर्स के ऊपर इस सरकार का विश्वास नहीं रह गया है इसलिये नये सिरे से एक और बल के गठन की बात की जा रही है । मैं कई बार सुन चुका हूं, कई बार पी० ए० सी० की आलोचना करते हैं और जब दंगा होता है तो उससे निपटने के लिये पी० ए० सी० को वहां लगाना पड़ता है और फिर पी० ए० सी० पर आरोप लगता है कि वह साम्प्रदायिक हो गयी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी० ए० सी० साम्प्रदायिक नहीं है । श्रीमन्, वह दंगा रोकने के लिये जूझते हैं किन्तु जब उन पर आरोप लगा दिया जाता है तो उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । जब यह शांति सुरक्षा बल बनेगा तो यह भावना और घर कर जायेगी कि पी० ए० सी० और पुलिस पर से सरकार का विश्वास उठ गया है, यह खतरनाक चीज होगी । मेरा कहना यह है कि शांति और कानून व्यवस्था कायम की जाती है राजनीतिक इच्छा शक्ति से, जो इस सरकार में राजनीतिक शक्ति का अभाव है । दंगों को रोकने के लिए शासन की संकल्प शक्ति चाहिए । हमें 17-18 महीने इस प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है लेकिन हमने कोई नये सिरे से कोई बल नहीं गठित किया था । वही पुलिस और पी० ए० सी० फोर्स थी लेकिन हमने उनमें एक भावना जगाया था और उन्होंने इस प्रदेश को दंगा रहित और भय-मुक्त समाज को बनाकर दिखा दिया ।

(व्यवधान)

इनकी आपत्ति को मैं समझ सकता हूं, मेरे शासनकाल में समाज भय मुक्त था और आपके शासन में अपराधी भयमुक्त हो गये हैं । मैंने उसी सुरक्षा बल के भरोसे पर पूरे प्रदेश में शांति स्थापित करके दिखा दी इसी के नाते जो आप नया सुरक्षा बल, समानान्तर सुरक्षा बल बनाने जा रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा । वर्तमान पुलिस और पी० ए० सी० पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा । विशेष रूप से इस विधेयक की अनुसूची का जो 'कथन' है, उसको पढ़ लीजिये, उसमें आपने कहा है कि बल में भर्ती होने वाले के लिये पहली शर्त यह होगी – 'उत्तर प्रदेश शांति सुरक्षा बल में अपनी सेवा की अवधि में किसी भी समय आप अपने स्वयं के निवेदन पर अपने सेवोन्मुक्ति के हकदार नहीं होंगे ।

श्रीमन्, मान लीजिये कोई भर्ती हो गया है और उसके परिवार में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है– भगवान करे ऐसा न हो जिससे उसे घर लौटना आवश्यक हो, तो आपने कह दिया कि आप वापस नहीं हो सकेंगे यानी आप सेवोन्मुक्ति के हकदार नहीं होंगे । अर्थात् वह त्याग पत्र देना चाहे पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों के आधार पर, तो उसको सेवान्मुक्त नहीं किया जायेगा । मैं ऐसा मानता हूं कि सेवा करना जहां एक नागरिक का दायित्व बनता है, वहीं पर उसकी पारिवारिक परिस्थितियां विषम बन गयीं हों तो वह वहां से त्याग-पत्र देकर सेवा मुक्त होना चाहिए, यानी उसको सेवा मुक्त होने का भी अधिकार होना चाहिए ।

इस प्रकार संविधान की भावना के प्रतिकूल उसको इसमें बांध दिया गया है । दूसरी शर्त– 'बल या वह कम्पनी जिसमें आप तत्समय तैनात हों के परिसमापन पर आप बल से सेवोन्मुक्त कर दिये जायेंगे' । कम्पनी बना रहे हैं, अवधि तो इसमें कुछ भी आपने नहीं रखी है साल भर रखेंगे या दो साल रखेंगे । लेकिन यह जरूर कह दिया कि जिस दिन वह बल या कम्पनी परिसमाप्त कर दी जाएगी, जिसमें वह भर्ती हुआ है, उसी दिन उससे उसकी सेवा मुक्ति कर दी जाएगी । सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी । एक और है – 'जब तक कि आप बल में पदग्रहण करने के पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्थायी सदस्य न रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी सेवोन्मुक्त कर दिये जायेंगे ।' स्थायी शब्द पर इसमें विशेष बल दिया गया है, स्थायी नहीं रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस से भी सेवोन्मुक्त कर दिये जायेंगे । मान लो पुलिस सेवाओं से आपने किसी को सुरक्षा बल में भर्ती किया और वह कम्पनी समाप्त हो गयी, जिसमें वह भर्ती हुआ था, तो उसकी वहां से भी सेवाएं समाप्त हो जायेंगी, क्योंकि जिस पुलिस सेवा से वह आया है उसमें वह स्थायी नहीं था । इस प्रकार जहां पहले स्थायी रूप से वह काम कर रहा था, वहां उसकी सेवाएं सुरक्षित थीं, किन्तु इसमें भर्ती होते ही उस पर अनिश्चितता की तलवार कच्चे धागे से लटक जायेगी ।

आगे इसमें आपने दिया है –"किन्तु आप उत्तर प्रदेश में पुनः भर्ती के हकदार होंगे ।" परन्तु इसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं दिया गया है कि उसकी सेवाओं का इसमें कान्टीन्यूवेशन माना जायेगा या नहीं और उसकी आयु उस समय क्या होगी ? मान लो जो इसमें भर्ती हुआ है, उसकी आयु सीमा पूरी हो गयी है या वह ओवर-एज हो गया है तो क्या वह इसके बावजूद सेवा में लिया जा सकेगा ? तो कुल मिलाकर विधेयक की अनुसूची का जो 'कथन' है, उसमें जितनी शर्तें हैं यह भर्ती होने वाले के ऊपर अनिश्चितता की तलवार लटका देते हैं । इसलिये श्रीमन्, मैं इस बिन्दु पर चाहता हूं कि इसको परिचालित 6 महीने के लिये नितान्त किया जाय । मेरे विरोध का अगला बिन्दु इस विषय पर है कि इस विधेयक के पृष्ठ–6 के खण्ड–17 पर कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे हिन्दी के साथ भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य भाषा का भी ज्ञान है, बल में भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा । मेरे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है ।

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है । हिन्दी का जानना, पढ़ना, लिखना समझना यह शांति सुरक्षा बल के लिये पर्याप्त होना चाहिए था । श्रीमन्, संविधान के भाग–4-क जहां पर मूल कर्तव्य लिखे हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह क ख ग घ और उसके बाद ङ है । उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो । मान्यवर, आप देखें विधेयक में यहां पर

हिन्दी के अतिरिक्त एक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक कहा गया है । मान्यवर, जो हिन्दी के अतिरिक्त भाषा जानता हो उसे वरीयता देंगे । मान्यवर, इसे मैं संविधान की भावना के प्रतिकूल मानता हूं क्योंकि संविधान की आठवीं अनुसूची में भी भाषा से संबंधित लिखा गया है ।

मान्यवर, अनुभव की बात होती तो कोई बात थी । किसी क्षेत्र में किसी का अनुभव हो और उसके आधार पर वरीयता मिले तो यह तो अलग बात है लेकिन मात्र इसलिये कि वह हिन्दी के अलावा किसी एक भाषा को जानता हो भर्ती में वरीयता दी जायेगी यह कुछ ठीक नहीं है । संविधान की आठवीं अनुसूची में पन्द्रह भाषाएं दी हैं । असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू और उर्दू है । यह बहुत ज्यादा है, इसमें उर्दू का समावेश किया गया है और श्रीमन्, इस आधार पर मेरा कहना है कि यह जो शांति सुरक्षा बल का गठन हो रहा है, यह साम्प्रदायिकता के आधार पर हो रहा है मैं और मेरी पार्टी इस तरह से सुरक्षा बल में भर्ती का कड़ा विरोध करती है । मैं नहीं समझता हूं कि कहीं दंगे या दैवी आपदा के समय यह उसका मुकाबला करने जायेंगे तो दैवी आपदा यह पूछेगी कि हिन्दी जानते हो कि नहीं उसके अलावा कोई भाषा जानते हो कि नहीं । नहीं तो वह नहीं रुकेगी ।

मान्यवर, इस तरह से मेरा कहना है कि राजनीति के आधार पर, साम्प्रदायिकता के आधार पर शांति सुरक्षा बल के गठन करने का प्राविधान किया जा रहा है, इसे प्रस्तुत किया जा रहा है और इसीलिये आज नहीं तो कल इस प्रदेश के अन्दर अगर साम्प्रदायिकता के आधार पर शांति सुरक्षा बल का गठन किया जायेगा तो हो सकता है कि आपको कुछ वोट ज्यादा मिल जायं लेकिन पूरे प्रदेश के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो जायेगा । पिछले समय में भी यह सरकार में थे और इस प्रकार का एक विधेयक लाया गया था हमने उसको निरस्त कर दिया था । हम कहते हैं कि आज आप इसे पास कर दीजिये हम फिर आयेंगे और साम्प्रदायिकता के आधार पर बने सुरक्षा बल को खतम कर देंगे । इसका हम कड़ा विरोध करते हैं । हमारी मातृभाषा हिन्दी, राष्ट्रभाषा हिन्दी है इसलिये किसी दूसरी भाषा का उल्लेख करना ठीक नहीं है । आज आसाम की स्थिति, बंगाल की स्थिति कौन नहीं जानता है । गुजरात की स्थिति नहीं जानते हैं । उत्तर प्रदेश के अन्दर नौजवान हैं पर्याप्त रूप से जानकारी होनी चाहिए । सीधे-सीधे सुरक्षा बल का साम्प्रदायिकता के साथ गठन किया जा रहा है । इन्हीं उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर मैं मांग करता हूं कि 6 महीने के लिये इसको जनता में परिचालित कराया जाये ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेशा शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह जो विधेयक लाया गया है यह प्रदेश के लिये आवश्यक नहीं है मान्यवर, इस गरीब प्रदेश के लिये यह अतिरिक्त व्यय भार उठाना बड़ा कठिन हो जायेगा । दो प्रकार के व्यय मान्यवर, होते हैं एक तो उत्पादक और दूसरा अनुत्पादक । अनुत्पादक व्यय का कोई वृद्धि करना प्रदेश के, राष्ट्र के हित में नहीं होता है । यह सरकार अनुत्पादक कार्यों पर व्यय करने में ज्यादा रुचि

रखती है और तथ्य यह है कि बार-बार हर प्रश्न के उत्तर में यह कहा करते थे कि जबसे यह सरकार अस्तित्व में आयी है तबसे कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है।

यह सारी बातें दृढ़तापूर्वक यह सरकार सदन में रखती आयी है। आपके प्रदेश में अपराधों की स्थिति नहीं बढ़ी है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, अपराध नहीं हो रहे हैं जातीय और साम्प्रदायिक दंगे होने की सम्भावना नहीं है तो नये बल किस लिये खड़े कर रहे हैं। मेरा सीधा-साधा आरोप है अभी-अभी पूर्व मुख्य मंत्री जी और वर्तमान नेता विरोधी दल ने आरोप लगाया है साम्प्रदायिकता के आधार पर अपने कुछ खास लोगों को बल में प्रतिष्ठित करने के लिये नये बल का प्रस्ताव ला रहे हैं। मान्यवर, खण्ड–18 देखें इसमें लिखा है "बल में भर्ती की प्रक्रिया में अभ्यर्थी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण शामिल होगा।" यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार से होगा अब तक सरकारी नौकरियों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं होता था। यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण के नाम पर मनचाहे लोगों की भर्ती करेंगे। इससे दुर्व्यवस्था पैदा हो जायेगी। मनमानी चलेगी। एक बात मान्यवर, और कहना चाहता हूं इसमें 21वें खंड के अन्त में लिखा है– "(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है अर्थात्– (तीन) वह रीति जिससे और व्यक्ति जिनको बल में भर्ती और नियुक्त किया जाए।" आपने नियम नहीं बनाये हैं लेकिन नियम बनाने का अधिकार अपने पास रखा है। सब आपकी मर्जी पर होगा।

आपने नियमों के द्वारा एक नया सुरक्षा बल गठित करना, यह सुरक्षा नहीं प्रदेश में असुरक्षा व्याप्त हो जायेगी। सरकार के प्रति सन्देह की स्थिति पैदा हो जायेगी। शान्ति सुरक्षा के प्रति भय व्याप्त हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

* श्री प्रमोद तिवारी–

अधिष्ठाता महोदय, शांति सुरक्षा बल के गठन के संदर्भ में जो विधेयक मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, सिद्धान्ततः मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिये करता हूं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य का विषय है। राज्य की किसी भी निर्वाचित सरकार को यह अधिकार है कि वह कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये उपाय करे। यदि मौजूदा सरकार यह समझती है कि यह शांति सुरक्षा बल का गठन कानून व्यवस्था बनाये रखने में मदद करेगा तो मैं समझता हूं कि यह उनका दृष्टिकोण है। इसका विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया जाना चाहिए। मैं बड़े गौर से सुन रहा था, नेता विरोधी दल के भाषण को। सम्भवतः वह ऐसे कई कारण बतायेंगे, जिसके बाद हम भी उनका समर्थन करें, यह मैं सोच रहा था। तीन कारण उन्होंने गिनाये। पहला कारण उन्होंने बताया कि इससे बोझ बढ़ेगा।

नये सुरक्षा बल का गठन होगा या पुलिस की नई भर्ती होगी, इससे बोझ तो बढ़ेगा ही। लेकिन इस पर कभी विचार किया गया है कि जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में पुलिस में भर्ती हुई है ? आज मौजूदा परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि पुलिस फोर्स को बढ़ाएं। अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

कोई स्पेशलाइज बल बनाया जाता है, तो यह सरकार को अधिकार है । मुझे आश्चर्य हुआ जब हम सब यहां बैठा करते थे, उस वक्त नेता सदन की सीट पर नेता विरोधी दल बैठा करते थे । उस वक्त नेता विरोधी दल भारत सरकार पर यह आरोप लगाया करते थे कि जितनी हम मांग करते हैं, उतना केन्द्र सुरक्षा बल नहीं प्रदान करता है । हमने उस समय प्रतिवाद किया था और कहा था कि जितनी आपकी मांग है, उससे ज्यादा दिया गया है । जब वहां से प्रति पक्ष में यह बैठ गये तो इनको सुरक्षा बलों के गठन से वित्तीय भार नजर आने लगा । जब नेता विरोधी दल महसूस करते थे कि सरकार चलाने के लिये प्रदेश चलाने के लिये केन्द्र पर सुरक्षा बलों के लिए निर्भर रहना पड़ता है, तो मौजूदा मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र पर अपनी निर्भरता कम करते हुए यदि पुलिस बल का गठन किया है, तो यह स्वागत योग्य कदम है । मैं समझता हूं कि यह ठीक किया जा रहा है । जब नेता विरोधी दल ने यह कहा कि जब उनकी सरकार आयेगी तो इसको हटा दिया जायेगा । इस विधेयक को निरस्त कर दिया जायेगा । तो हमें शेख-चिल्ली की कहानी याद आ गयी । नेता विरोधी दल का सिर मैं गौर से देख रहा था वह शेख चिल्ली की तरह हिला रहे थे ।

मा० कल्याण सिंह जी, इस प्रदेश की जनता अब दुबारा गलती करने वाली नहीं है । अब आप दुबारा सरकार में आने से रहे । आपको सरकार में न आने देने के लिये हम हर सम्भव कोशिश करेंगे। आपने एक बात और कही कि आपके सोलह सत्रह महीने के कार्यकाल में दंगे नहीं हुए । इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । एक बार हम ट्रेन से सफर कर रहे थे मेरे पास कई लोग आपस में बात चीत कर रहे थे कि श्री कल्याण सिंह के जमाने में दंगे इसलिये नहीं हो रहे हैं कि जो लोग दंगे कराते हैं, वह अब मंत्री बन गये हैं या फिर भाजपा सरकार में आ गये हैं । तो जब आप बेरोजगार होते हैं, आपको रोजगार मिल जाता है तो दंगे बंद हो जाते हैं और जब आपको नौकरी नहीं मिलती है, आप बेरोजगार हो जाते हैं, जैसें आजकल आप बेरोजगार हैं उसके नाते आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे होंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो शांति सुरक्षा बल का गठन होने जा रहा है उसमें ऐसे व्यक्तियों को लिया जाय जो साम्प्रदायिक लोगों के साथ मजबूती से पेश आयें, इस बात का जरूर ध्यान रखें । मान्यवर, मैं तो हमेशा कहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है ।

आपने शेड्यूल–8 का जिक्र किया । आप शेड्यूल–8 तेजी से पढ़ गये । तमिल, बंगला, कन्नड़, असमी आदि भाषाओं के नाम आपने पढ़े लेकिन संस्कृत का नाम आप भूल गये । अगर संविधान जो मैंने पढ़ा है और वही संविधान अगर आप पढ़ते हैं और उसी संविधान को मानते हैं तो आपको सरकार की नीयत पर शंका क्यों हो रही है ? हो सकता है कि मौजूदा सरकार संस्कृत को जानने वालों को इस बल में भर्ती में वरीयता दें । आपने उर्दू के बारे में कहा है, आप उर्दू को एक जाति बिरादरी की भाषा मानते हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई उर्दू जानता है तो कौन का गुनाह हो गया ? आपका नजरिया कौन सा है, आपको अपने नजरिये में फर्क करना चाहिए । उर्दू इस देश की तहजीब से जुड़ी हुई भाषा है इसको जानना और समझना गर्व का विषय है । इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए । लेकिन आपके साथ दिक्कत यह है कि आप एक सांचे मे ढले हैं और उस सांचे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं ।

मैं समझता हूं आठवें शेड्यूल को पढ़ते समय आपने जो संस्कृत को नहीं पढ़ा यह संस्कृत का अपमान आप कर रहे हैं । आप यह बात कहकर क्या साबित करना चाहते हैं यह आप बेहतर जानते

हैं। आपने कहा है कि पी० ए० सी० साम्प्रदायिक नहीं है । मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि साम्प्रदायिक नहीं है । लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आपको यह सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी ? यह सच है कि आपने सदैव कोशिश की है कि चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे कार्यकर्ता हों या चाहे पुलिस बल हो वह सारे के सारे साम्प्रदायिक बनें । लेकिन आप अगर उनको साम्प्रदायिक नहीं बना पाये, आप असफल हो गये तो आप अपनी असफलता को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं ? मेरा यह मानना है कि जो पुलिस बल है वह मेरिट के आधार पर है, जो पी० ए० सी० है वह मेरिट के आधार पर है । पी० ए० सी० का गठन स्ट्राइकिंग फोर्स के बतौर हुआ है । अगर कहीं दंगा-फसाद है, कहीं पर उसकी आवश्यकता है तो वह पहुंचे और काम खत्म होने पर वापस चली जाय लेकिन देखने की बात यह है कि जिस तरह से साम्प्रदायिकता बढ़ी है, तोड़फोड़ बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं उसको देखते हुए पी० ए० सी० आज सामान्य बल की तरह से हो गयी है । उसको सामान्य जीवन में घुलना मिलना पड़ता है, उसकी सेवाओं की सराहना होती है उसमें कमी नहीं है लेकिन यह उसके उपयोग पर भी निर्भर है ।

मैं कहना चाहता हूं कि दंगे दो तरह से होते हैं एक तो गलतफहमी से हो जाते हैं और दूसरे बहुत सोच समझ कर एक साजिश के तहत होते हैं । अगर इस पुलिस बल की भर्ती में मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने की बात कही गयी है तो उसमें क्या दिक्कत है ? अगर व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करा लिया जाय और पूरी सफाई के साथ यह बात सामने आ जाय कि भर्ती होने वाले व्यक्ति की धर्म निरपेक्षता में आस्था है तो इसमें कौन सी परेशानी है ? मैं समझता हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी के पेट में दर्द इसलिये हो रहा है कि यह बल धर्म निरपेक्ष लोगों से गठित होगा और उनकी जो मंशा है वह पूरी नहीं हो पायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अभी तो मैं विस्तार में आया ही नहीं अभी तो मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं । मान्यवर, संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा पुलिस बल हो, चाहे शांति सुरक्षा बल हो या भारत की सेनायें, हो हमें उन पर गर्व है । उनका उपयोग कैसे किया जायेगा यह मुख्य बात है । अगर आप उनका दुरुपयोग करेंगे तो दुरुपयोग होगा और अगर उनका सदुपयोग किया जायेगा तो सदुपयोग होगा । चाहे पुलिस बल हो, चाहे पी० ए० सी० हो या भारत की सेनायें हों जिस कसौटी पर वह कसी गयी हैं उसमें सदैव वह खरी उतरी हैं । एक अच्छी नीयत के साथ इस सुरक्षा बल का गठन होगा और इसका उपयोग बहुत सोच समझकर उचित तरीके से होगा । दैवी आपदा या दंगों के अवसर पर इसका समुचित उपयोग किया जायेगा । आखिर में, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह कहा गया कि इस पर बहुत खर्च आयेगा, मैं कहना चाहता हूं कि जब कमांडोज लगाये गये तो बड़े खर्च की बात कही गयी थी ।

नेता सदन के साथ तो कम कमांडोज चलते हैं उससे ज्यादा कहीं नेता विरोधी दल आपके साथ चलते हैं, रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है । कमांडो के गठन से भी आर्थिक बोझ आया है लेकिन

उनकी भी उपयोगिता है । प्रश्न सीधा और साफ है कि चाहे कोई बल हो उसका उपयोग कैसे किया जाय ? मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार जनता के विश्वास को लेकर आयी है, धर्म निरपेक्षता का संकल्प लेकर आयी है उसके शासनकाल में इसका उपयोग शांति और व्यवस्था बनाये रखने में, साम्प्रदायिकता को कुचलने के लिये होगा इसलिये मैं और मेरा दल इसका समर्थन करता है ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा जो संकल्प रखा गया है, "उ० प्र० शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को 6 माह तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाय, " मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । नेता कांग्रेस दल की मजबूरी मैं समझता हूं, ये समझ तो सब जाते हैं, लेकिन मुश्किल है कि कभी-कभी एक गांव में कहावत है कि दूसरों का असगुन करने के लिये अपनी नाक कटानी पड़ती है । मैं समझता हूं कि उन्होंने सुरक्षा बल का विरोध नहीं किया । उन्होंने तर्क यह रखा कि यह जो वर्तमान पी० ए० सी०, पुलिस पी० ए० सी० है, उसे बढ़ाया जाय, उसको प्रशिक्षण दिया जाय । इस सुरक्षा बल की बात का कारण तो अलग बताया था, उसे उपयोगी बनाया जाय, लेकिन जो स्थिति है, आपने कही कि नेता विरोधी दल तो लौट के वापस नहीं आयेंगे, तो दंगा नहीं होता है और बेरोजगार हो गये, तो दंगे बढ़ गये ।

मान्यवर, मैं दो-एक बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन बात को कंस्ट्रक्टिव ढंग से समझना पड़ता है । अभी चार दिन पहले माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कहा था कि हम प्रदेश में सुरक्षा बल बनायेंगे, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख समान रूप से रखे जायेंगे । मैंने इस बात को उठाया था और कहा था कि महत्वपूर्ण घोषणायें सदन के बाहर नहीं होनी चाहिये, तो माननीय सहकारिता मंत्री जी ने प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रकारान्तर में इसकी पुष्टि की थी कि हम समानान्तर रूप से हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख को एक समान रखेंगे । यह उर्दू मुसलमान की भाषा नहीं है, यह हमारी तहजीब से जुड़ी हुई है । माननीय सहकारिता मंत्री जी इसे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख को समानुपात से जोड़ने की बात कही, इससे मुझे शंका पैदा हो गयी । मुझे खुशी होती अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यह घोषणा करते कि उत्तर प्रदेश की सेवाओं में जितनी भी भर्तियां की जायेगी, उसमें इसका पालन करेंगे, चाहे चपरासी का पद हो या कोई भी पद हो । इस सुरक्षा बल के गठन के तरीके को देख कर मन में शंका पैदा होती है, उधर से आवाज आई कि पी० ए० सी० वाले साम्प्रदायिक हैं,

(व्यवधान)

श्री राम तेज–

उधर से आवाज आई थी, ऐसा इधर से कुछ नहीं कहा गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो मैं कह रहा था कि यह बात हमारे प्रदेश में बहुत दिनों से चली आ रही है कि पी० ए० सी० साम्प्रदायिक होती है, ऐसा करती है, वैसा करती है । यह मामला उठा, तो मैं कहना चाहता हूं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।'

2 मार्च, 1971 को अलीगढ़ नगर में हुए साम्प्रदायिक झगड़े की जांच के लिये गठित एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट है, उसमें क्या लिखा है ? उस रिपोर्ट के अनुच्छेद 16-12 को पढ़ना चाहता हूं" मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती–दूसरा सुझाव श्री फजलुर्रहमान द्वारा यह दिया गया है कि मुस्लिम अधिकारियों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाये जहां मुसलमानों का बहुमत हो या वे एक बड़ी संख्या में वहां रहते हों। आयोग के समझ में यह बात नहीं आती। यह सुझाव इस धारणा पर आधारित जान पड़ता है कि हिन्दू अधिकारी स्वभाव से साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के होते हैं या उनके द्वारा मुसलमानों पर ज्यादती किये जाने की संभावना रहती है।

इससे पहले के अध्यायों में की गयी विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि ऐसी धारणा अनुचित है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम क्षेत्र में किसी मुसलमान अधिकारी की तैनाती से अन्य क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों को किस प्रकार से लाभ होगा ? यदि अधिकारियों को तैनात करते समय प्रशासन एक बार धर्म को महत्व दे देता है तो स्वभावतः साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती है कि जो अधिकारी अन्यथा निष्पक्ष हैं वे भी धार्मिक भावनाओं से प्रभावित नहीं हो सकते। मुसलमान अधिकारियों द्वारा प्रशासित मुस्लिम क्षेत्रों को दूसरे सम्प्रदाय के लोग देश के भीतर विदेशी बस्तियां समझेंगे। इससे और भी अधिक कटुता उत्पन्न होगी और स्थिति और खराब हो जायेगी यहां तक कि 1947 में देश के विभाजन से पूर्व की स्थिति से भी अधिक खराब स्थिति हो जायेगी।"

मान्यवर, यह रिपोर्ट है। मान्यवर, यह नहीं बताया गया है कि उनकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी और किस भाषा को वेटेज दिया जायेगा, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है। मान्यवर, इसके नियम बनाने होंगे, वह नहीं बनाये गये हैं, सेवा शर्तें होगी, उनको तय करना होगा यह सारी चीजें अभी तय नहीं हैं, इसलिये भर्ती कर पाना संभव नहीं है, यह केवल साम्प्रदायिकता के माहौल को गरम करने के लिये किया गया है। यह जो खण्ड 17 है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और शांति सुरक्षा बल के गठन का विरोध करता हूं। एक बात तो कह दी गयी कि भर्ती कर दी जायेगी, लेकिन जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि अगर कोई नौकरी पा लेता है, तो उसको नौकरी छोड़ने का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिये आप किसी को पिथौरागढ़ भेज रहे हैं और उसकी स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वह वहां पर जा सके क्योंकि माता-पिता बीमार हैं, उसके बच्चे पढ़ते हैं तो वह नौकरी नहीं छोड़ सकता है।

मान्यवर, इस प्रकार से इसमें तमाम खामियां हैं। इससे पी० ए० सी० और पुलिस का मनोबल गिरेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम करने के लिये सरकार के जो भी कदम होंगे, हमारा उनसे समर्थन होगा, लेकिन अलग से भर्ती करना प्रदेश के हित में नहीं है। आप पुलिस को पी० ए० सी० को प्रशिक्षण दें, उनको आधुनिक हथियार दें, और उनसे लैस करें।उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होना चाहिये लेकिन भाषा के नाम पर धर्म का प्रवेश यह हमारे प्रदेश के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा करेगा जो कभी भी उचित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, आज जो विधेयक इस आदरणीय सदन के सम्मुख रखा गया है उसके समर्थन के लिये आपकी अनुज्ञा से खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने उप नेता भारतीय जनता पार्टी ने इस आदरणीय सदन में विधेयक के संबंध में जो विचार रखें, मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विधेयक की भावना का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने पहला बिन्दु रखा व्यय का तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता की सुख सुविधा के लिये खर्च करे और आवश्यक खर्च हो उसके लिये संशोधन जुटायें, यह देखे बिना व्यय बहुत ज्यादा अन्तर्ग्रस्त है इसलिये इस प्रकार के बल के गठन का विरोध किया जाय इसका कोई औचित्य नहीं है।

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल अपना पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने सम्भवतः इस बात का ध्यान नहीं किया कि जब माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया था तो उन्होंने यह विषय भी रखा था कि केन्द्र सरकार से जब बल आता है तो उस पर एक मोटी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को खर्च करनी होती है और नेता विरोधी दल ने और मा० गुप्ता जी ने जो खास तर्क रखा और वह यह रखा कि पुलिस और पी० ए० सी० की जो वर्तमान में व्यवस्था है उसको बढ़ाया जाय। जो यह 40-50 वर्षों में परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं इस संबंध में संविधान निर्माताओं को कल्पना नहीं रही होगी। न्यायालयों का कहना न मानना, खून खौलाने की बात कहना, हमले के लिये उत्साहित करना, विधि सम्मत और संविधान सम्मत जो संस्थायें हैं, उन पर हमला बोलना इस आदरणीय सदन में कुछ कहना और न्यायालय में कुछ कहना और राष्ट्रीय एकीकरण में कुछ कहना, जो हमारे आस्था के केन्द्र हैं उनको ध्वस्त कर देना जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी तो नये प्रकार के पुलिस बल की आवश्यकता महसूस होगी। अभी तक का जो हमारा पुलिस बल है यह पुलिस अधिनियम 1861 के तहत काम कर रहा है तब इस प्रकार की भावना नहीं रही होगी, अधिनियम बनाने वालों के सामने यह समस्यायें नहीं रही होंगी, उन्हें यह नहीं पता होगा कि साम्प्रदायिक शक्तियां एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होंगी और पूरे समाज को तोड़ने का काम करेंगी। आज उत्तर प्रदेश के सामने इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं कि राजनीतिक दल और उससे जुड़े तमाम संगठन सुसंठित रूप से साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं।

इन परिस्थितियों में यह विधेयक इस आदरणीय सदन में जो पेश हुआ है उसमें वह भावनायें भी आ सकती हैं अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि विधेयक के सभी प्राविधान पढ़े हैं लेकिन उन्होंने विधेयक की धारा 18 और 19 को छोड़ दिया है जिसमें कहा गया है कि बल में भर्ती की प्रक्रिया में अभ्यर्थी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण शामिल होगा यह 18 में कहा गया है और 19 में कहा गया है कि बल में भर्ती किये गये व्यक्तियों को ऐसी रीति से प्रशिक्षण दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय जिसमें उचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये विशेष मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण शामिल होगा तो जो वर्तमान पुलिस है उसका प्रशिक्षण इस प्रकार नहीं है कि साम्प्रदायिक विद्वेष से किस प्रकार निपटा जाय तो इस पुलिस बल को विशेष प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस करेंगे और सेक्यूलर मनोवैज्ञानिक दृष्टि देंगे इसलिये इसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका समर्थन करेंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक 1994 माननीय सदन के अन्दर प्रस्तुत किया हैं इसका मैं समर्थन करता हूं और यह सामयिक है और स्वागत योग्य है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) जो माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय उप नेता भाजपा ने बातें कहीं हैं, इस विधेयक को पूरा पढ़ने के बाद न कहीं इसमें मजहब का नाम है, न धर्म का नाम है, न पी० ए० सी० का नाम है, न यू० पी० पुलिस का नाम है। इसका उद्देश्य यह बताया गया है कि केन्द्रीय सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ती है, समय-समय पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये, दैवी आपदाओं के लिये, तो वह सुरक्षा बल समय पर उपलब्ध नहीं होता है। खर्चा भी होता है। इस वजह से प्रदेश के अन्दर एक सुरक्षा बल बने। उसमें खामियां नहीं हों, इसमें मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी किया जायेगा मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मान्यवर, मुझे ध्यान है माननीय नेता सदन को भी ध्यान होगा कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी दुखी होकर कहा करते थे कि जो उच्च पद पर आते हैं उनके मस्तिष्क का टेस्ट तो हो जाता है लेकिन उनकी भावनाओं का उनके हृदय का टेस्ट नहीं होता है कि गरीबों पिछड़ों अल्पसंख्यकों और असहायों के प्रति उन अधिकारियों की हमदर्दी है या तानाशाही है या अफसरशाही है, इसका टेस्ट नहीं होता है। तो यह तो बढ़िया बात है मैं तारीफ करता हूं कि सुरक्षा बल में जो भर्ती किये जायेंगे उनका टेस्ट होगा, उनकी हृदय की भावना कैसी है उनका मन कैसा है और उनके मन में प्रदेश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों और असहायों के प्रति प्रेम है या नफरत है। एक बात इस विधेयक में आयी है वह भी सामयिक और स्वागत योग्य है, माननीय कल्याण सिंह जी ने उसे मजहब से जोड़ दिया, 8वीं सूची संविधान की । उर्दू आते एक साथ उर्दू। जिस प्रदेश के वे मुख्य मंत्री रहे। आप सहकारिता मंत्री की बात कर रहे हैं, कभी आप अपना चेहरा भी दर्पण में देखें तो उनसे ज्यादा साम्प्रदायिक हैं।

यह त्रासदी है उर्दू का नाम आते ही उसे साम्प्रदायिकता से जोड़ दिया। मुझे याद है मैं छोटा था मेरे दादा उर्दू जानते थे हिन्दी नहीं जानते थे हिन्दू थे। मेरे पिता जी हिन्दी उर्दू दोनों जानते थे कहीं कोई साम्प्रदायिकता की बात नहीं हुई। आजादी के बाद भी अपने ही देश की भाषा को, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने, उर्दू को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसके विकास में ध्यान ही नहीं दिया गया। कुछ मुस्लिम पढ़ लें तो उनकी भाषा मान लेते हैं पहले सब लोग पढ़ते थे सीखते थे। उर्दू की बात आते ही यह कहा जाता है कि यह एक वर्ग विशेष सम्प्रदाय विशेष की बात है। उर्दू के विकास पर बल देना चाहिये। माननीय कल्याण सिंह के समय में इसका विकास तो नहीं हुआ, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया। एक बात के संबंध में माननीय कल्याण सिंह जी से सहमत हूं कि नेताओं की इच्छा शक्ति पर बहुत बड़ी बात डिपेन्ड करती है मेरी यह मान्यता है। हमारे सुरक्षा बलों को दोष दिया, हमारी सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया, पी० ए० सी० को साम्प्रदायिक कौन कह रहा है कौन कह रहा है साम्प्रदायिक दल है। यह सही है कि बहुत सारी बातें उनस्सर करती है। मैं मिसाल देना चाहता हूं इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है एक समय इस बात को अयोध्या की बात को मुद्दा बनाया गया। एक दल द्वारा मुद्दा बनाते-बनाते, प्रचार करते करते उसको इस देश की अस्मिता का सवाल बना दिया गया। (समय 6 बजकर 20 मिनट) और मान्यवर, इस देश में राज्य करने वाले नेताओं का इच्छा शक्ति के अभाव में इस मुद्दे को राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल बना दिया मैं माननीय कल्याण सिंह जी यह सवाल करना चाहता हूं कि यह बात सही है और आप भी इसमें दोषी हैं, अयोध्या का मसला ले लिया जाय, ताजा मसला है जब हम छोटे थे हमने तब भी नहीं सुना था और जब हम पढ़ते थे हमने तब भी नहीं सुना था। जब यह मसला पैदा हुआ तो हिन्दू और मुसलमान का विवाद पैदा हो गया। तब इस बात की जानकारी हुई। इस देश के मुसलमान का कहना था कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया और हिन्दुओं का यह कहना था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनायी गयी और इस संबंध में मुझे शहाबुद्दीन जी ने और तमिलनाडु के एक मुसलमान नेता ने मुझे पत्र भेजा कि अगर इस बात के प्रमाण मिल जाये

कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनायी गयी है तो वह स्थान हिन्दुओं को दे देंगे । लेकिन अगर नहीं बनायी गयी है तो वह स्थान हिन्दुओं को अपना नहीं मानना चाहिये और इस स्थान की मांग नहीं की जानी चाहिये । और यह न्याय की बात भी नही हो सकती है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इन नेताओं में इच्छा शक्ति होती तो यह सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट कराते लेकिन उन्होंने नहीं कराया क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति का अभाव था । अगर यह जजमेंट करा देते तो आज इतना बवंडर न उठता । मान्यवर इन्होंने पुलिस को दोष दिया है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली से सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, मैं माननीय कल्याण सिंह जी यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समस्या नहीं आपने कहा कि डिप्लायमेंट नहीं होगा क्या यह समस्या नहीं है । आप कहते हैं कि सुरक्षा बल नहीं दिये जा रहे हैं, कम दिये जा रहे हैं और अगर प्रदेश में आ गये तो डिप्लायमेंट करेंगे अपने हिसाब से उसका दुरुपयोग या सदुपयोग होगा । तो इस विधेयक में बुराई वाली कोई बात नहीं है । यह सामयिक है, स्वागत योग्य है । इसमें इस्टेब्लिशमेंट में खर्चा आयेगा, कोई ऐसी बात नहीं है वह तो हर चीज को बनाने में होता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और जो मैंने दो-तीन फीचर्स रखें हैं वह स्वागत योग्य हैं इसका समर्थन करते हुए इसे पास कर दिया जाये । (अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर और बोलने की अनुमति देने की बात कहे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें एक घंटे की चर्चा निर्धारित की थी । एक घंटे का समय समाप्त हो चुका है । क्या संसदीय कार्य मंत्री इसको बढ़ाने का प्रस्ताव करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इसमें जिन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और जिन्होंने अपने संशोधन दिये हैं उनको तो कम से कम सुन लिया जाये ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, जिनके हस्ताक्षर हैं उनको सुन लिया जाये ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है । यह एक विधेयक है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पर, जो माननीय नेता सदन द्वारा इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया है । उस पर मुझे आपने भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इन लोगों ने कहा कि इन्हें क्या सुनेंगे, अगर यह मुझे सुनेंगे नहीं, तो यह जबाव क्या देंगे ? मान्यवर, मैं तो केवल एक-दो बातें ही कहना चाहता हूं ।

आज जो शान्ति सुरक्षा बल विधेयक के बारे में यहां चर्चा हो रही है उसका पूरे देश और प्रदेश में सन्देश जायेगा । माननीय उप नेता गुप्त जी ने कहा कि हमारे शासनकाल में दंगे नहीं होते तो और आज केन्द्र में प्रधानमंत्री बनाकर सत्ता दे दी जाय तो कल पूरे देश में भी दंगे नहीं होंगे, यह जो उदाहरण राजेन्द्र गुप्त जी ने दिया है, उसके संबंध में मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो कोई दंगे नहीं हुए । अभी जैसा श्री प्रमोद तिवारी जी ने उल्लेख किया था कि यह केन्द्र में सत्ता में आ जाये, तो कोई दंगे नहीं होंगे । फिर तो इसका मतलब यह हुआ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि अगर आज प्रदेश में डकैतियां बढ़ रही हैं तो कल कोई डकैत यह कहे कि हमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिये तो डकैती नहीं बढ़ेंगी, मान्यवर, यह तो प्रदेश की जनता के साथ सीधे-सीधे ब्लैकमेलिंग है। अगर अपराध बढ़े हैं तो कोई अपराधी इस बात का दावा करे कि प्रदेश शासन की जिम्मेदारी हमें दे दीजिये तो अपराध नहीं होंगे, इस प्रकार की बात तो मान्यवर, वहीं होती हैं, जहां-जिन इलाकों में गैंगवार होती है, वहां इस तरह की बात चलती है कि हमको इतना टैक्स दो, नहीं तो हिंसा होगी, मान्यवर, यह इस देश की जनता के साथ कौन सा टैक्स वसूलना चाहते हैं ?

मान्यवर, आप इनकी मंशा देख लें, विधेयक पर आज चर्चा हो रही है, सदन अभी विधेयक पारित करने जा रहा है और इस विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष की बात यह आई कि अगर यह आज पारित हो जायेगा तो जब कभी भी हमारी सरकार आयेगी तो हम इनको निरस्त कर देंगे। मान्यवर, प्रायः इस सदन में जब विधेयक पारित करते हैं तो कोई भी लोकप्रिय सरकार हो, पहले इसका कानून बनता है, फिर लागू होता है। मेरा कहना यही है कि उद्देश्य जो है, कारण जो है, उसके आधार पर इसका गठन होने दीजिये, परिणाम तो आने दीजिये, कुछ दिन अनुभव तो देखिये। 6 महीने या साल भर बाद आप यह बात कहते कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे तो इसको निरस्त करेंगे। आज ही यह बात कहना कि हम इसको समाप्त/निरस्त करेंगे, यह साम्प्रदायिकता को बढ़ाने का संकेत है, जो आज नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। विधेयक जब पारित होता है, यदि उसमें कोई कमियां होती हैं तो न्यायालय उसकी आलोचना करता है, विवेचना करता है। यह विधेयक जब पिछली बार पारित होना था, तो यह उच्च न्यायालय में गया, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह ठीक है। तो या तो इन लोगों को न्यायालय में विश्वास नहीं है। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश सरकार इस बल का गठन करने जा रही थी, उस समय न्यायालय ने इसे उचित माना था, यह लोग कह दें कि हम उस निर्णय को नहीं मानते। मान्यवर, अयोध्या के मामले में माननीय न्यायालय ने जो सीमायें लगाई, एन० आई० सी० की, लोकसभा की बात भी इन्होंने नहीं मानी।

जिस तरह से आज इन्होंने इसे निरस्त करने की बात कही है, यह इस बात का संकेत है कि आज राजनीति में इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता बढ़ाने की बात हो, या साम्प्रदायिकता को हवा देने की बात हो, प्रदेश के जनमानस में, राजनीति में धर्म और साम्प्रदायिकता का समावेश केवल वोट की खातिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, जिसके कारण आज इस बल को बनाने की आवश्यकता पड़ी। आज से 10 साल पहले इस बल के गठन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।

मान्यवर, उर्दू के संबंध में कुछ बातें कही गयीं। जब माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, उस समय मैं शिक्षा राज्य मंत्री था, हम लोगों ने उर्दू डाइरेक्टरेट बनाया था और जब इनका डेढ़ साल का कार्यकाल रहा, तो इन्होंने किसी को भी उर्दू डायरेक्टर नहीं नियुक्त किया शासन में रह करके आपने संविधान की कसम खाई थी कि हम पक्षपातपूर्ण शासन नहीं करेंगे। मंत्री और मुख्यमंत्री यही शपथ लेते हैं कि हम सरकार में रहते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सरकार में रहने के बाद आपने कुछ भाषाओं के साथ पक्षपात किया, जो संविधान के विपरीत है।

श्री अधिष्ठाता–

पाल जी अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर कहीं दंगे होते हैं और उन दंगों के बाद में जब हम लोग जाते हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग जाते हैं, या कोई सामाजिक संगठन के लोग जाते हैं और वह कहते है कि जहां दंगा हुआ है, वहां से पी० ए० सी० हटा दें, वहां मिलिटरी भेजें। जब पी० ए० सी० और पुलिस को हटाने की बात की जाती है और मिलिटरी की मांग करते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रदेश सरकार के लिये एक आक्षेप होता है। इसके गठन में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की बात नहीं है। जो उर्दू की बात कही गयी। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय बहुगुणा जी ने उर्दू के विकास के लिये उर्दू अकादमी का गठन किया, उर्दू टीचर्स की भर्ती की।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आज इनके (भाजपा) दल के लोग आर० एस० एस०, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग यह कह रहे हैं कि किसी दिन जाकर हम अयोध्या पर कब्जा कर लेंगे, रोज बयान आ रहे हैं, खण्डन नहीं आ रहा है। आज जिस तरह से साम्प्रदायिकता भड़काने की बात कही जा रही है, ऐसे समय में ऐसे बल की आवश्यकता है जिसको प्रशिक्षित किया जाय, उसे मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित किया जाये और इनके मन्सूबों का पर्दाफाश किया जाय। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

शोर के मध्य

श्री सत्य प्रकाश विकल–

श्रीमन्, जिनके संशोधन प्रस्ताव में हस्ताक्षर हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा के लिये एक घंटे का समय था और अब समय समाप्त हो चुका है। माननीय नेता विरोधी दल अपना उत्तर भाषण दें।

श्री कल्याण सिंह–

मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया और मैंने जरूर यह कहा था कि अपनी वर्तमान पुलिस और पी० ए० सी० में संख्या बढ़ाकर, उसी को ट्रेनिंग देकर और आधुनिक हथियार से सुसज्जित करके, जो उद्देश्य इस बिल के अन्दर दिये गये हैं उनको पूरा किया जा सकता है। मैं उन सभी चीजों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि इस प्रकार से जो गठन हो रहा है इससे समानान्तर व्यवस्था को बल मिलेगा और वर्तमान पुलिस और पी० ए० सी० के अन्दर इससे कुण्ठा पैदा होगी। मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि इसमें जो हिन्दी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा को अधियान देने की बात कही गयी है यह एक प्रकार से हिन्दी भाषा का अपमान है, चूंकि हिन्दी राजभाषा है और अधिमान भाषा के आधार पर शान्ति सुरक्षा बल की भर्ती का औचित्य नहीं मानता हूं। श्रीमन् मैं दोहराना चाहता हूं कि इस तरह साम्प्रदायिकता के

आधार पर गठित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है, असामाजिक है और यह राजनीति से प्रेरित है। मैं दो-तीन बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। नेता, कांग्रेस दल और उप नेता कांग्रेस दल की बातों को सुनता रहा हूं, नेता, जनता दल का भाषण सुना, सच तो यह है मान्यवर, कि उत्तर प्रदेश में अनोखी स्थिति पैदा हो गयी है। एक तो अकेला यह विपक्षी दल है बाकी सरकारी दल हैं। सरकारी दल की बात है, कारपोरेशन की तरह सरकार चलती है, सपा-बसपा की मिली जुली सरकार मान ली जाती है, बाकी विपक्षी दल हैं। विपक्षी दल है सिर्फ भाजपा, बाकी सभी दल तो सरकारी दल हैं, चाहे कांग्रेस दल हो जनता दल हो या अन्य दल, सभी सरकारी दल में ही आते हैं क्योंकि इन्होंने समर्थन दे रखा है और सरकारी दल के नाते ही वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। श्रीमन् कई बार माननीय.....

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

"बफसरा दूसरों से किया कीजिये,
आईना सामने रख लिया कीजिये।"

श्री कल्याण सिंह–

कांग्रेस, जनता दल और आप सभी को आइना की जरुरत पड़ेगी, आप अपने पास एक आइना जरूर रखिये। मान्यवर, मैं सदन के लिये एक आइना रख सकता हूं किन्तु माननीय गौरीशंकर जी के लिये कितने आइने रखें, इन्होंने कोई भी दल ऐसा नहीं बचा जो छोड़ा न हो, ऐसे लोगों के लिये भाजपा के दरवाजे बन्द हैं, कोई भी पार्टी इन्होंने नहीं छोड़ी, इसलिये इनके लिये आइना रखना मजबूरी है। इन्हें अब मंत्री बनने का चान्स नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, जनता दल के एक माननीय सदस्य ने श्री शहाबुद्दीन के एक पत्र का हवाला दिया कि पत्र में यह बात कही गयी है कि यदि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनायी गयी है तो हम वह स्थान हिन्दुओं को देने के लिये तैयार है लेकिन यदि वहां पर मस्जिद थी तो हिन्दुओं को वह स्थान नहीं मांगना चाहिये। क्या आपके इतना कहने पर और श्री शहाबुद्दीन के खत के मुताबिक उसको छोड़ दें। श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि असत्य बोलने के लिये सीमा होती है, वहां पर मूर्तियां निकली है, वहां पर शिलालेख मिले हैं और अवशेष अभी तक मौजूद हैं।

(एक सदस्य के बीच में बोलने पर)

जो लोग चोरी करते हैं, उन्हें चोरी करने की आदत होती है, तो वह वही बात कहते हैं। श्रीमन, मुझे याद है कि जब केन्द्र सरकार के गृह मंत्री जी, चव्हाण साहब वहां पर गये थे और वहां पर दर्शन किये, जब वह वहां से निकलने लगे तब उनके साथ जो अधिकारी लगे हुए थे उनसे कहा कि मुझे वह ढांचा दिखाओ, तब उन्होंने कहा कि जिस स्थान से हम आ रहे हैं वही रामलला का मंदिर है और यही ढांचा है। तब उन्होंने ही कहा था कि इसे मस्ज़िद कहते हैं, यह मस्जिद कैसे हो सकती है। जनता दल के वी० पी० सिंह जी का कहना है और बातचीत के दौरान उन्होंने साफ-साफ कहा है कि यहां पर मस्जिद है ही कहां ? आप घोषणा की बात करते हैं।

मान्यवर, इसी तरह अयोध्या के प्रश्न पर बार-बार इस सदन में चर्चा होती है और आरोप लगाये जाते हैं तथा कहा जाता है कि राष्ट्रीयता, अस्मिता का सवाल बना दिया है। अयोध्या का मसला हिन्दू मसला है, राष्ट्रीय मसला है; राम के मंदिर का सवाल है, अयोध्या की राष्ट्रीयता, अस्मिता का सवाल है, गौरव का सवाल, गरिमा का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, सम्मान का सवाल है, पहचान का सवाल है और इसे हम राष्ट्रीयता अस्मिता का सवाल मानते हैं। मान्यवर, कई बार कांग्रेस के लोगों ने साम्प्रदायिकता की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आपके ही कांग्रेस पार्टी ने साम्प्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने टेक कर इस देश का बंटवारा कराया। मिजोरम के असेम्बली के चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही कि ईसाइयों आप हमें वोट दो, हम बाइबिल के अनुसार सरकार चलायेंगे तो क्या यह साम्प्रदायिकता नहीं है ? केरल में मुस्लिम लीग से मिल करके कांग्रेस ने क्या साम्प्रदायिक पार्टियों के सामने घुटे नहीं टेके ? जिस मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। कांग्रेस के लोग संविधान की बड़ी दुहाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के केस में जब निर्णय दिया था कि पत्नी-पत्नी का जब तलाक हो जाता है तो वह बेचारी सड़कों पर न आने पाये, उसे गुज़ारा भत्ता मिलना चाहिये, तो उस समय वोटों के लालच में कांग्रेस पार्टी ने साम्प्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने टेक कर संविधान को नहीं तोड़ा। आज ये हमको बतायेंगे कि साम्प्रदायिकता क्या है और राष्ट्रीयता क्या है ? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है।

भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति से काम नहीं करती बल्कि हमेशा राष्ट्र के हित में काम करती है। श्री प्रमोद तिवारी जी ने बड़े ही दर्द भरे स्वर में कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में नहीं आयेगी। मैं बताना चाहता हूं कि बी० जे० पी० आयेगी परन्तु प्रदेश से कांग्रेस का नाम मिट्टी में मिल जायेगा। जनता दल के बारे में क्या कहूं ? वह तो मरणासन्न हो चुका है। दल-बदल को बढ़ावा देकर, पूरे जनता दल को तोड़ दिया है। बाकी जो लोग बचे हैं, पता नहीं वह कब पहुंच जायं।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैंने बड़े ही धैर्य से इनकी बातें सुनी। इन्होंने जो आरोप लगाये, उनका मैंने जबाब दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, आपकी अनुमति से इनसे कहना चाहता हूं "जिक्र जो छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक"। यहां पर बात सुरक्षा बल विधेयक की थी लेकिन बात कहां पहुंच गयी ?

मान्यवर, मुझे ध्यान है परसों की बात है माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महाबीर प्रसाद जी ने दुख प्रकट किया है उन्होंने कहा है कि हमारा काम केवल सत्ता की चमचागिरी तक रह गया है जिसके कारण हमारे दल की आज बड़ी दयनीय स्थिति हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

यह सारी बातें आ गयी है, कोई नयी बात कहनी है तो कहें।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मेरा अनुमान ठीक है चारो तरफ से बातें आयी हैं कि इस बल की कोई आवश्यकता नहीं थी। शासन ने स्वयं कहा है कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत कर रखा है, पुलिस बल को सुदृढ़ कर रखा है अब कोई जातीय दंगे या साम्प्रदायिक दंगे नहीं होंगे। तो फिर इस बल की क्या आवश्यकता है ? पी० ए० सी० को बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं है। एक और दूसरा बल बनाने से खां-म-खां विवाद की स्थिति पैदा होगी। अभी तो इसके नियम भी ठीक से नहीं बने हैं। इसके लिये नियम, उपनियम के संबंध में काफी शंका प्रकट की गयी है। इसलिये आज की परिस्थिति में इस नये बल का गठन उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, जब भी कोई उद्धरण दिया जाता है तो वह किसी आदर्श को सामने रख दिया जाता है (व्यवधान) मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं उन्होंने जो भी उद्धरण दिये हैं जिनकी तस्वीर झूठ बोलने वाले लोगों में से है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, राष्ट्रीय एकता परिषद् में झूठ बोला, इस विधान सभा में झूठ बोला, इसलिये जिसकी तस्वीर झूठ बोलने वालों में है, ऐसी पार्टी के कथन का संज्ञान सदन में नहीं लेना चाहिये। मान्यवर, देश का इतिहास साक्षी है (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी और आर० एस० एस० के लोगों ने [x x x] था, यह वह दल है जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को [x x x] और ब्रतानियां हुकूमत की चमाचागिरी की थी (व्यवधान) मान्यवर, यह वह लोग हैं जिन्होंने इस देश को तोड़ा है और दुबारा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम इन्हें देश तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

यह इसी प्रकार साम्प्रदायिकता भड़काते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता कांग्रेस, नेता जनता दल और माननीय जगदम्बिका पाल जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों का इस तरह का भाषण होता रहा तो उनको ब्लड प्रेशर हो जायेगा।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री रमेश कान्त लवानियां–

व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नेता सदन बोल रहे हैं, इसलिये आप बैठ जाएं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, पता नहीं नेता विरोधी दल और उनके सदस्यों को पहले तो मुसलमानों से नफरत थी लेकिन अब श्री प्रमोद तिवारी से है क्योंकि जैसे ही वह बोलने के लिये खड़े होते हैं वैसे ही भाजपा के लोग शोर करने लगते हैं। (व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, जहां तक नेता विरोधी दल ने जो शांति सुरक्षा बल के गठन से प्रदेश सरकार पर और जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा कहा तो ऐसा नहीं है। हमने जब बिल पेश किया था तो कहा था कि इसमें 31 करोड़ रुपये भारत सरकार को देना है और भवन या प्रशिक्षण जो दिया जायेगा वह बाद में एक वर्ष में होगा।

दूसरे इसमें सीधी भर्ती से और प्रतिनियुक्ति पर लोग लिये जायेंगे। तीसरे जो आशंका रूल्स के संबंध में व्यक्त की गयी है वह ठीक नहीं है क्योंकि भर्ती के संबंध में तो रूल्स बनेंगे ही।

मान्यवर, बहुत कुछ बातें तो मैंने शुरू में ही कह दिया था और अन्य सभी बातों के संबंध में नेता कांग्रेस और नेता जनता दल ने कह दी हैं जिनके लिये मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, एक बात यह भी कही गयी कि सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ०, जो केन्द्रीय बल हैं, उसके जो रुल्स हैं, उसी ऐक्ट के आधार पर इसको बनया गया है। हमारी कोशिश है कि सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० का जो केन्द्रिय सुरक्षा बल है उसी के आधार पर यह भी अनुशासित हो, इसलिये अनुशासन का विशेष ध्यान इसमें दिया गया है और साम्प्रदायिकता का इसमें कहीं नाम नहीं है। कहीं हिन्दू या मुसलमान का इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन आप लोग घूम फिर कर अयोध्या पर आ जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपको भय क्यों है ? यदि साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संगठन बनेगा तो आपको क्यों डर है ? साम्प्रदायिक नहीं हैं तो डर क्यों है ? वोट या राजनीति या साम्प्रदायिकता के आधार पर इसका गठन नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रदेश की शान्ति और सुरक्षा के आधार पर इसका गठन किया जा रहा है। जैसा कि कांग्रेस दल के नेता ने कहा आज इसकी बहुत हमें आवश्यकता है। इस दृष्टि से कि इसके माध्यम से हम इस दिशा में आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

हर प्रदेश में आज इस बात की चर्चा हो रही है और सब जगह इसके लिये प्रयास हो रहा है। जब भारत के प्रधान मंत्री मा० चन्द्रशेखर जी थे तो उस समय भी एक सन्दर्भ में उनके द्वारा सदन में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गयी है और अन्य प्रदेशों में भी इसकी शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। इससे जो केन्द्रीय सुरक्षा बल को पहले परेशानी होती थी, केन्द्र सरकार को दिक्कतें आती थी कि किस-किस राज्य में वह इन्हें भेजे, क्योंकि इनकी भी एक सीमा थी। आवश्यकता पड़ने पर हमें केन्द्र के भरोसे रहना पड़ता था। अब इसके गठन के बाद इस प्रदेश को किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने भरोसे हम हो जायेंगे। इस दिशा में आत्मनिर्भर बन जायेंगे। आपने कहा कि पी० ए० सी० बल में हमारा विश्वास नहीं है, पता नहीं कैसे कह दिया। अयोध्या में आज भी हमारी पी० ए० सी० लगी हुई है, आपके समय में भी थी।

कश्मीर में भी पुलिस और पी० ए० सी० दोनों लगी हुई हैं, पंजाब में भी दोनों हैं और दिल्ली में भी पी० ए० सी० और पुलिस दोनों तैनात हैं। दोनों साथ-साथ काम कर रही हैं। जितने भी माननीय सदस्य हैं, आज किसी ने भी पी० ए० सी० को साम्प्रदायिक नहीं कहा है, उसको और भी संगठित करने का हमारा प्रयास है। अधिक पुलिस और पी० ए० सी० में भर्ती करने की जरूरत है, उसका भी हम प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें आधुनिकतम प्रशिक्षण देने की जरूरत है, इस कार्य को भी करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन जब उसको किसी ने साम्प्रदायिक नहीं कहा है तो आप गुप्त जी क्यों ऐसी बात कहते हैं ? आज भी जब कानपुर में केन्द्रीय सुरक्षा बल नहीं था तो स्थिति को किसने सम्भाला ? पी० ए० सी० ने सम्भाला और उसने पूरी मुस्तैदी से सम्भाला है। पी० ए० सी० में किसी प्रकार की न अव्यवस्था है न हम उस पर किसी प्रकार का अविश्वास करते हैं। हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं और हमें उस पर गर्व है। हम उसको और मजबूत करेंगे और उनकी तादात बढ़ाने की ओर भी हमारा प्रयास होगा। उसका मनोबल गिराने का कोई सवाल नहीं है। आपने जहां तक यह कहा है कि जब हम सरकार में आयेंगे तो इस विधेयक को निस्त्त कर देंगे। इसको हमने अपने घोषणा पत्र में पूरा-पूरा दिया

है, हम चोरी करके तो सरकार में आये नहीं हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर हमारी सरकार आयेगी तो हम सुरक्षा बल का गठन करेंगे। आप तो वैसे भी बेनकाब हो गये हैं, हमारे सुरक्षा बल की बात को जनता ने स्वीकार किया है.....

श्री कल्याण सिंह–

इसीलिये हम 176 और आप 174 और

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

असल में ऐसा है, जब आपका बहुमत नहीं रहता है, तो आप पहले कहते थे कि 34 परसेंट वोट मिले हैं और जब 31 परसेंट मिले हैं तो कहते हैं..... (व्यवधान) यह परसेन्टेज बढ़ा है। इधर बैठे हुए लोग आज भी 66 परसेंट हैं। आप 34 परसेंट भी हैं तो आपके खिलाफ 66 परसेंट वोट–लोग हैं। जहां तक आपने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था सभी नौकरियों में कर दें। अभी तो आप शान्ति सुरक्षा बल में ही परेशान हैं, सभी में कर देंगे तो आप उस कुर्सी पर भी नहीं बैठेंगे, उछल-उछल पड़ेंगे नहीं स्वीकार करेंगे। अगर करेंगे तो मैं इसके लिये तैयार हूं। हम सभी नौकरियों पर भारतीय भाषा के आधार पर नियुक्तियां देंगे। उर्दू भाषा भारतीय भाषा है और जैसा कि श्री किरन पाल सिंह जी ने कहा कि उनके पिताजी और पिताजी के पिताजी सभी उर्दू जानते थे। हमारे यहां भी पुराने लोग सब उर्दू जानते हैं। ज्यादा उर्दू जानते हैं। हिन्दी तो बहुत कम जानते थे। जो भारतीय भाषा की बात करते हैं, आपको हिन्दी की ही बात नहीं करनी चाहिए हिन्दी के साथ उर्दू भी भारतीय भाषा है। केवल हिन्दी की बात करने वाले हिन्दी के दुश्मन हैं।

जो भारतीय भाषा की बात करते हैं उन्हें पहले हिन्दी का समर्थन करना चाहिए। इसीलिये हम विदेशी भाषा अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं। अंग्रेजी भाषा हटाये जायेगी तो हिन्दी भारतीय भाषा तो स्वयं ही अपना स्थान ले लेगी। इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा हिन्दी से उर्दू का बहन का रिश्ता है। जिस तरह से दो सगी बहनों का होता है। छोटी बहिन और बड़ी बहिन। उर्दू छोटी बहिन है और हिन्दी बड़ी बहिन है। उसे उसका बड़ी बहन की तरह आदर करना चाहिए और उसी तरह से उसे उर्दू को छोटी बहन की तरह प्यार करना होगा। यह हमारी नीति है। हम शांति सुरक्षा बल का गठन प्रदेश के हित के लिये कर रहे हैं। ताकि प्रदेश का अपने सुरक्षा बल पर आत्म बल बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि आप अपने संशोधनों को वापस लेंगे और सर्वसम्मति से इसे पास कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को 6 माह तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(सदन की लाइट चले जाने पर बी० जे० पी० की ओर से एक आवाज–यह अशुभ संकेत है)

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शांति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत किया)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शांति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2

परिभाषाएं 2–इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो :—

(क) "बन्द गिरफ्तारी" का अर्थ बल या बल की किसी टुकड़ी या क्वार्टर गार्ड चौकी के भवन या गार्ड के प्रभार के अधीन तम्बू के अन्तर्गत परिरोध से है ;

(ख) "कमाण्डेन्ट", "सहायक कमाण्डेन्ट" और एडजुटेन्ट" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो राज्य सरकार द्वारा बल के उक्त पदों पर नियुक्त किये गये हों ;

(ग) "बल" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश शांति सुरक्षा बल से है ;

(घ) "बल का अधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त व्यक्ति से हैं जिसने इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में अनुसूची में दिये गये प्रारूप में एक कथन हस्ताक्षरित किया है ;

(ङ) "खुली गिरफ्तारी" का तात्पर्य बल के किसी भाग के तत्समय अध्यासन में किसी बैरक के परिसर, लाइन्स या कैम्प में परिरुद्ध करने से है ;

(च) "अधीनस्थ अधिकारी" का तात्पर्य बल के किसी सदस्य से है जो सूबेदार-मेजर, सूबेदार, प्लाटून-कमाण्डर या उप-निरीक्षक की श्रेणी का हो ;

(छ) बल के किसी अधिकारी के संबंध में "वरिष्ठ अधिकारी" का तात्पर्य ऐसी श्रेणी के किसी अधिकारी से जैसा विहित किया जाय, जो ऐसे अधिकारी से उच्चतर श्रेणी का हो ;

(ज) पद "आपराधिक बल" और "हमला" का अर्थ वही होगा जो उनके लिये क्रमशः भारतीय दण्ड संहित में दिये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–3

बल का गठन

3–राज्य सरकार द्वारा एक बल जिसे उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल कहा जायेगा को समुत्थापित किया जायेगा और उसे बनाये रखा जायेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए गठित किया जायेगा जैसा विहित किया जाय ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शान्ति-सुरक्षा बल विधेयक के वर्तमान खण्ड–3 को उसके उपखण्ड (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात्

निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय,

"(2) बल पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।"

यह धारा–3 में जो व्यवस्था की गई है उसमें यह है कि राज्य सरकार द्वारा एक बल जिसे उत्तर प्रदेश शांति सुरक्षा बल कहा जायेगा को समुत्थापित किया जायेगा और उसे बनाये रखा जायेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए गठित किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा । इसमें यह व्यवस्था नहीं की गई है कि इस पर कन्ट्रोल कौन करेगा तो कन्ट्रोल के लिये पुलिस महानिदेशक को किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आपको स्वीकृत है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह स्वीकृत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 3 को उसके उपखण्ड (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय,

(2) बल पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4 व खण्ड 5

बल के अधिकारियों का अभ्यावेशन और उन्मोचन

4–किसी व्यक्ति की बल के अधिकारी के रूप में नियुक्ति के पूर्व चाहे वह पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पहले से अभ्यावेशित हो या इस प्रकार अभ्यावेशित न हो, अनुसूची में उल्लिखित कथन पढ़ा जायेगा और यदि आवश्यक हो तो, किसी मजिस्ट्रेट, कमाण्डेन्ट या असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट द्वारा उसे समझाया जायेगा और उसके बाद उसे इस प्रकार पढ़कर सुनाये गये और समझाये जाने की अभिस्वीकृति में उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और यथास्थिति मजिस्ट्रेट कमाण्डेन्ट या असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट द्वारा साक्ष्यांकित किया जायेगा।

बल के सदस्य पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे

5–धारा 6,7 और 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बल का प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति पर और जब तक वह उसका सदस्य बना रहे तब तक पुलिस अधिकारी समझा जायेगा और ऐसे किसी निबन्धनों, शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित किये जायं उसे सभी शक्तियां, विशेषाधिकार, दायित्व, शास्ति, दण्ड और संरक्षण, जहां तक वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम से असंगत न हों, होंगे या वह उनके अधीन होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाये गये नियमों का विनियमों के अधीन अभ्यावेशित किसी पुलिस अधिकारी को हो।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–4 व खण्ड–5 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 व खण्ड 5 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–6

6–बल का कोई अधिकारी, जो–	अधिक जघन्य अपराध

(क) किसी विद्रोह या राजद्रोह को प्रारम्भ करता है, उकसाता है, कराता है या उसमें शामिल होता है या किसी विद्रोह या राज-दोद्र पर उपस्थित रहते हुए भी उसको दबाने के लिए अपने सर्वाधिक प्रयत्नों का उपयोग नहीं करता या किसी विद्रोह के अस्तित्व की जानकारी होते हुए या उसे उसके अस्तित्व के संबंध में विश्वास करने का कारण होते हुए या विद्रोह के आशय की जानकारी होते हुये, बिना विलम्ब उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को नहीं देता है, या

(ख) चाहे वह अपनी ड्यूटी पर हो या न हो, अपने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसका प्रयत्न करता है या उस पर हमला करता है,

(ग) किसी चौकी या गारद को जो उसके प्रभार में है या जिसकी प्रतिरक्षा करना उसका कर्तव्य है, छोड़ देता है या सौंप देता है, या

(घ) प्रत्यक्षतः या अप्रयत्यक्षतः राज्य के विरुद्ध या प्रतिकूल किसी सशस्त्र व्यक्ति से पत्र-व्यवहार करता है या उसकी सहायता करता है या उसे भार-मुक्त करता है या ऐसे किसी पत्र-व्यवहार की उसे जानकारी होने पर वह तुरन्त अपने वरिष्ठ अधिकारी पर उसे प्रकट करने का लोप करता है, या

(ङ) बल का अभित्यजन करता है, या

(च) किसी व्यक्ति के, जो कैम्प या क्वार्टर्स पर रसद या अन्य आवश्यक वस्तुएं ला रहा हो, विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या उस पर हमला करता है, या संरक्षण गारद का अतिक्रमण करता है, या किसी गृह या अन्य स्थान में लूटपाट के लिए अनधिकृत प्रवेश करता है या किसी प्रकार की सम्पत्ति की लूटपाट करता है या नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है,

दोष सिद्ध पर आजीवन कारावास से या 14 वर्ष तक की किसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

श्री विक्रम सिंह यादव–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 6 में, उपखण्ड (क) में शब्द "या किसी गृह या अन्य स्थान में लूटपाट के लिए अनाधिकृत प्रवेश करता है" निकाल दिये जायें ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–6 में, उपखण्ड (च) में शब्द "या किसी गृह या अन्य स्थान में लूटपाट के लिए अनिधकृत प्रवेश करता है" निकाल दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ)

खण्ड–7

7–बल का कोई अधिकारी, जो–

कम जघन्य अपराध

(क) किसी सन्तरी को मारता है या उस पर हमला करता है, या

(ख) अपने वरिष्ठ अधिकारी के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करता है, या

(ग) एक सन्तरी होते हुए, अपनी चौकी पर सोता है या बिना नियमित रूप से भारमुक्त हुए या बिना अनुमति के छोड़ देता है, या

(घ) अपने कमाण्ड अधिकारी, या अपनी चौकी या दल को, लूटपाट की तलाश में जाने के लिए, छोड़ देता है, या

(ङ) अपने गार्ड, पिकेट, दल या पेट्रोल को बिना नियमित रूप से भारमुक्त हुये या बिना अनुमति के छोड़कर चला जाता है, या

(च) संघर्ष के दौरान या कैम्प, गैरोजन या क्वार्टर्स में जानबूझकर झूठा अलार्म पैदा करता है या फैलाता है, या

(छ) अपने कर्तव्य पालन में कायरता दिखाता है, या

(ज) गिरफ्तारी में या परिरोध में होने पर गिरफ्तारी या परिरोध से निकल भागता है, या

(झ) अपने कर्तव्य पालन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अत्यधिक अनधीन या धृष्ट हो, या

(ञ) बल के किसी अधिकारी को जो उससे अधीनस्थ श्रेणी या पद का हो आघात पहुंचाता है या उसके साथ दुर्भावना से बुरा वर्ताव करता है, या

(ट) कर्तव्य से बचने के लिये रोग का बहाना करता है या ढोंग करता है या अपने आप में कोई रोग या अंग-शैथिल्य उत्पन्न करता है या जानबूझकर स्वस्थ होने में देरी लगाता है या अपने रोग या अंग-शैथिल्य को बढ़ाता है, या

(ठ) किसी ड्यूटी या परेड या मार्च की लाइन पर या चेतावनी दिये जाने पर भी नशे की हालत में रहता है, या

(ड) किसी गार्ड, पिकेट या पेट्रोल के कमान में होने पर किसी कैदी या व्यक्ति को जो सम्यक रूप से उसके प्रभार में दिया हो, लेने से इन्कार करता है या बिना उचित प्राधिकार के उसके प्रभार में रखे गये किसी व्यक्ति या कैदी को निर्मुक्त कर देता है या ऐसे किसी व्यक्ति का कैदी को भागने देता है, दोषसिद्ध पर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 7 में वर्तमान उपखण्ड (ड), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) और (ड) को क्रमशः उपखण्ड (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) (ठ) (ड) और (ढ) के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जाय और निम्नलिखित को खण्ड (ड) के रूप में जोड़ दिया जाय ।–(ड) किसी गृह या अन्य स्थान में लूटपाट के लिए अनधिकृत प्रवेश करता है,''

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में वर्तमान उपखण्ड (ड),(च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) और (ड) को क्रमशः उपखण्ड (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) (ठ) (ड) और (ढ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाय और निम्नलिखित को खण्ड

(ङ) के रूप में जोड़ दिया जाय ।–(ङ) किसी गृह या अन्य स्थान में लूटपाट के लिए अनधिकृत प्रवेश करता है,या''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 7 इस विधेयक का अंग माना जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ)

खण्ड 8 से 10 तक

लघु दण्ड

8–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, कमाण्डेण्ट या कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी जो विहित किया जाय, बल के किसी सदस्य को जिसे वह अवज्ञा, कर्तव्य उपेक्षा, कर्तव्य के निर्वहन में असावधानी या बल के सदस्य के रूप में उसकी हैसियत से अन्य अवचार का दोषी समझे, निलम्बन या पदच्युति के स्थान पर, या उसके अतिरिक्त, निम्नलिखित में से काई एक या अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात्–

(क) पंक्तिच्युति,

(ख) एक मास के वेतन और भत्तों से अनधिक धनराशि, का जुर्माना,

(ग) एक मास से अनधिक की अवधि के लिए क्वार्टर, लाइन्स या कैम्प में परिरोध,

(घ) दण्ड ड्रिल या अतिरिक्त गार्ड, फटीग या अन्य ड्यूटी के साथ, या उसके बिना, क्वार्टर गार्ड में अट्ठाइस में अनधिक दिन के लिए परिरोध,

(ङ) बल में विशिष्टता के या विशेष परिलब्धियों के किसी पद से हटाना ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा, जब वह मुख्यालय से बाहर बल की किसी टुकड़ी के कमान में हो, दिया जा सकता है यदि उसे कमाण्डेण्ट द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।

(3) सहायक कमाण्डेण्ट, कोई कम्पनी अधिकारी या कोई अधीनस्थ अधिकारी, जो सूबेदार या निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो और जो किसी पृथक टुकड़ी या

चौकी की कमान में हो या बल के मुख्यालय पर अस्थायी कमान में हो, बल के किसी सदस्य को जो तत्समय उसके प्राधिकार के अधीन हो, अनुशासन के विरुद्ध किये गये ऐसे किसी छोटे अपराध के लिए जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो या जो ऐसी पर्याप्त गंभीर प्रकृति का न हो जिसके लिए किसी दण्ड न्यायालय में अभियोजन अपेक्षित हो, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड का अधि-निर्णय दे सकता है, अर्थात्––

(क) क्वार्टर गार्ड या ऐसे अन्य स्थान में जो उपयुक्त समझा जाय, सात से अनधिक दिन के लिए परिरोध के साथ उसके जारी रहने की अवधि में समस्त वेतन और भत्तों का समपहरण,

(ख) क्वार्टर्स लाइन्स या कैम्प में परिरोध के साथ या उसके बिना, तीस से अनधिक दिनों के लिये दण्ड ड्रिल, या अतिरिक्त गार्ड फटीग या अन्य ड्यूटी,

(ग) निन्दा या घोर निन्दा, किन्तु या दण्ड केवल कमाण्डेण्ट द्वारा ही किसी अधीनस्थ अधिकारी को दिया जा सकता है ।

(4) कोई प्लाटून कमाण्डर या कोई उप-निरीक्षक जो किसी टुकड़ी या चौकी के कमान में अस्थायी रूप से हो, उसी रीति से और उसी प्रकार से किसी अपराध के लिये बल के किसी सदस्य को जो तत्समय उसके प्राधिकार के अधीन हो, उपधारा (3) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट में से कोई दण्ड पन्द्रह से अनधिक दिन के लिये दे सकेगा ।

वेतन और भत्तों से कटौती

9–बल के किसी सदस्य के वेतन और भत्तों से, उसके कम्पनी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शास्तिक कटौतियां की जा सकती हैं, अर्थात्–

(क) अभित्यजन या बिना छुट्टी लिये अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिये और किसी दण्ड न्यायालय द्वारा दिये गये कारावास या धारा 8 के अधीन परिरोध के प्रत्येक दिन के लिये समस्त वेतन और भत्ते,

(ख) प्रत्येक दिन के लिये जब वह ऐसे किसी आरोप के लिये अभिरक्षा में हो जिसके लिये वह

वाद में सिद्धदोष ठहराया जाय, समस्त वेतन और भत्ते,

(ग) ऐसे प्रत्येक दिन के लिये सम्पूर्ण वेतन और भत्ते जब वह ऐसी रूग्णता के कारण अस्पताल में हो रहा हो जिसके संबंध में उसकी देखभाल करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा किये गये किसी अपराध के कारण हुई,

(घ) धारा 8 के अधीन समपहरण के लिये आदेशित समस्त वेतन और भत्ते,

(ङ) बल के सदस्य द्वारा कारित व्यय या बल के किसी शस्त्र, गोला बारूद, उपस्कर, वस्त्र, उपकरण, अलंकरण या किसी भवन या सम्पत्ति को हानि, नुकसान या नष्ट करने के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिये ऐसी धनराशि जो कमाण्डेन्ट या सहायक कमाण्डेन्ट द्वारा आदेशित की जाय ।

10–(1) बल के किसी अधिकारी द्वारा बल के किसी सदस्य को जो धारा 6 या धारा 7 में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करता है खुली या बन्द गिरफ्तारी में रखा जा सकता है ।

गिरफ्तारी

(2) जहां कोई अधीनस्थ अधिकारी उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारी का आदेश दे वह अपनी कम्पनी या टुकड़ी के कमाण्डर को तुरन्त या सर्वप्रथम अवसर पर गिरफ्तारी की सूचना देगा जो मामले का अन्वेषण करने के उपरान्त, गिरफ्तार किये गये बल के सदस्य को निर्मुक्त करने या गिरफ्तारी में रखे रहने का आदेश देगा ।

(3) इस धारा के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 से खण्ड 10 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–11

11–पुलिस अधिनियम, 1861 या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी बल का कोई सदस्य बल से सेवोन्मुक्ति का हकदार न होगा । — बल से सैवोन्मुक्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 11 की द्वितीय पंक्ति के अन्त में प्रयुक्त शब्द "का हकदार न होगा" के स्थान पर शब्द" उन्हीं शर्तों के अधीन हो सकेगा जैसा कि तय किया जाए" रख दिये जायें ?

मैंने अपने भाषण में यह कहा था कि बल का गठन होने के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है वह जवान सर्विस से मुक्त होना चाहता है और हम यह कह दें कि पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बल से सेवा मुक्ति का हकदार नहीं होगा तो उसका मन काम में नहीं लगेगा । रूल्स बनाने का अधिकार आपको दिया है ।

श्री किरनपाल सिंह–

फौज के नियम मालूम हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उन्हीं शर्तों के अधीन हो सकेगा जैसा तय किया जाय । रूल्स ऐसे बनाये जाने चाहिए कि वह अपरिहार्य परिस्थिति में इस्तीफा दे सके । यह सामाजिक अधिकार के पक्ष में है कि कोई परिस्थिति सामने आती है तो वह बल से हट जाए ।

उसके परिवार की और अपनी निजी परिस्थितियां देखकर आपको इस सदन में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यह मैंने प्रस्तुत किया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

पहले से परिस्थिति देखकर ही वह इसमें भरती होगा । उसको मंजूर होगा, तो वह इसमें शामिल होगा । नहीं तो नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 ख में प्रयुक्त शब्द" का हकदार न होगा" के स्थान पर शब्द उन्हीं शर्तों के अधीन हो सकेगा । जैसा कि तय किया जाय" रख दिए जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 12 से खण्ड 16 तक

प्रतिवर्तन

12–धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, कमाण्डेण्ट या कोई सहायक कमाण्डेण्ट किसी भी समय बल के किसी अधिकारी को जो पुलिस बल से भेजा गया हो उत्तर प्रदेश पुलिस को लौटा सकता है ।

कारावास का स्थान

13–(1) कोई व्यक्ति जिसे हम अधिनियम के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए कारावास से दण्डादेशित किया गया हो पुलिस अधिनियम, 1861 में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पुलिस से और बल से पद्च्युत समझा जायेगा और उसे निकटतम या ऐसे अन्य कारावास में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित कर, कारावासित किया जायेगा ।

कारावास का स्थान

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन तीन मास से अनधिक अवधि के लिए दण्डादेशित किया गया हो वह, यदि कमाण्डेण्ट या उसके नियंत्रणाधीन कोई सहायक कमाण्डेण्ट ऐसा निदेशित करे, क्वार्टर गार्ड में या ऐसे अन्य स्थान में जो कमाण्डेण्ट या सहायक कमाण्डेण्ट उपयुक्त समझे, परिरुद्ध किया जायेगा ।

अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति

14–इस अधिनियम की कोई बात पुलिस अधिनियम, 1861 या उसके अधीन दिये गये आदेशों या बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन दण्डनीय किसी कृत्य या लोप के लिए अभियोजन से या यदि इस प्रकार अभियोजित किया जाय तो अधिनियम द्वारा उस कृत्य या लोप के लिये उपबन्धित किसी अन्य या उच्चतरदायित्व से बाधित नहीं करेगी :

परन्तु कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जायेगा ।

बल से संबंधित अधिकारियों से भिन्न बल के कमाण्डेण्ट और सहायक कमाण्डेण्ट की अनुशासनिक और अन्य शक्तियां

15–ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाये किसी कमाण्डेण्ट या सहायक कमाण्डेण्ट को पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध जो बल के अधिकारी नहीं हैं, वही अनुशासनिक शक्तियां होंगी जो किसी जिले के पुलिस अधीक्षक को उनके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन हैं ।

भंग करना और पुनर्गठन

16–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा बल को या उसकी किसी कम्पनी को भंग कर सकती है या उसका पुनर्गठन कर सकती है।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन बल या उसकी कोई कम्पनी भंग की जाय या उसका पुनर्गठन किया जाय, राज्य सरकार के लिये ऐसे भंग करने या पुनर्गठन के लिये इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित में किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जांय, बल के किसी अधिकारी को सेवोन्मुक्त करना और यदि वह पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन अभ्यावेशित है और उसे स्थायी नहीं किया गया है, तो उसे पुलिस बल से भी सेवोन्मुक्त करना विधिपूर्ण होगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 से खण्ड 16 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 17

अधिमानी अर्हता

17–ऐसे अभ्यर्थी को जिसे हिन्दी के साथ भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य भाषा का भी ज्ञान है, बल में भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अधिष्ठाता महोदय, खण्ड 17 निकाल दिया जाय, इस सम्बद्ध में, मैं कुछ संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। हमने स्वयं कहा है कि किसी भाषा को मजहब के साथ जोड़ने के हम पक्षधर नहीं हैं। अगर हम ऊर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ेगें तो यह उचित नहीं है। उर्दू पढ़ने वालों की संख्या एक प्रतिशत से कम है। मुसलमानों से भिन्न धर्म के लोग भी उर्दू जानने वाले हैं। मैं इस सम्बद्ध में जब सदन में बोल रहा था, तो माननीय सहकारिता मंत्री जी का नाम लिया था। सहकारिता मंत्री जी संयोग से इस सदन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई समान रूप से भरती किए जाएंगे। यह भाषा के नाम पर भाषा का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

(कई सदस्यों के साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 निकाल दिया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् हमारी सबसे ज्यादा आपत्ति इसी खण्ड 17 पर है । साम्प्रदायिकता के आधार पर भरती करने का फैसला किया जा रहा है, इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में बर्हिगमन करता है ।

(मा० कल्याण सिंह अपने दल सहित सदन से चले गए)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 18 से खण्ड 21

मनोवैज्ञानिक परीक्षण के सम्बन्ध में

18–बल में भर्ती की प्रक्रिया में अभ्यर्थी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण शामिल होगा ।

प्रशिक्षण

19–बल में भर्ती किये गये व्यक्तियों को ऐसी रीति से प्रशिक्षण दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय जिसमें उचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये विशेष मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण शामिल होगा ।

आरक्षण

20–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण उत्तर प्रदेश अधिनियमितियों और राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

नियम बनाने की शक्ति

21–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्–

(एक) गठित की जाने वाली कम्पनियों की संख्या,

(दो) बल के सदस्यों के वर्ग और श्रेणियों का वेतन, पेंशन और अन्य पारिश्रमिक का विनियमन और बल में उनकी सेवा-शर्तें,

(तीन) व रीति जिससे और व्यक्ति जिनको बल में भर्ती और नियुक्त किया जाय,

(चार) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिये अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनियमन,

(पांच) बल के सदस्यों के लिये सेवा की अवधि का विनियमन,

(छः) धारा 8 के अधीन दिये गये लघु दण्ड का विनियमन और उक्त, धारा के अधीन आदेशों के सम्बन्ध में अपील या उनका पुनरीक्षण और उक्त धारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना का परिहार और धारा 9 के अधीन की गई कटौतियों का परिहार,

(सात) इस अधिनियम के अधीन उद्भूत आपराधिक मामलों के निस्तारण की रीति,

(आठ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना हो या किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 से 21 तक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल के गठन और विनियमन के लिये

विधेयक

चूंकि राज्य सरकार को राज्य में समय-समय पर विधि और व्यवस्था और अन्य समस्याओं से निपटने के लिये केन्द्रीय सुरक्षा बलों की अध्यपेक्षा करनी पड़ती है;

और, चूंकि, ऐसी अध्यपेक्षा की दशा में कभी-कभी प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के कारण यथासमय सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती और ऐसी अध्यपेक्षा खर्चीली भी है;

और, चूंकि, परिशान्ति भंग से सम्बन्धित आपतन को निपटाने के लिये, और प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी, राज्य में आधुनिक उपस्करों से सज्जित एक सम्यक् रूप से प्रशिक्षित बल की आवश्यकता है:

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल नाम से एक बल का गठन और विनियमन करने का उपबन्ध करना समीचीन है, अतः भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अनुसूची

कथन

(धारा 2 और 4 देखें)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल में अपनी सेवा की अवधि में किसी भी समय आप अपने स्वयं के निवेदन पर अपने सेवोन्मुक्ति के हकदार नहीं होंगे । बल या वह कम्पनी जिसमें आप तत्समय तैनात हों के परिसमापन पर आप बल से सेवोन्मुक्त कर दिये जायेंगे और जब तक कि आप बल में पदग्रहण करने के पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्थायी सदस्य न रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी सेवोन्मुक्त कर दिये जायेंगे और जब तक कि आप बल में पदग्रहण करने के पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्थायी सदस्य न रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी सेवोन्मुक्त कर दिये जायेंगे । किन्तु आप उत्तर प्रदेश पुलिस में पुनः भर्ती के हकदार होंगे । आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में बने रहने की दशा में या पुनः भर्ती की दशा में बल में की गई आपकी सेवायें उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोन्नति और पेंशन के लिए गिनी जायेंगी ।

पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर इसकी
अभिस्वीकृति में कि उपर्युक्त को
पढ़कर उसे सुना दिया गया है ।

मेरी उपस्थिति में, मेरे यह अभिनिश्चित करने के बाद कि . . . . . .
. . . . ने इस पर हस्ताक्षर करने का आशय समझ लिया है, हस्ताक्षरित किया गया ।

मजिस्ट्रेट, कमाण्डेण्ट, सहायक कमाण्डेण्ट

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुख्य मंत्री जी कई तरह के अवार्ड देते हैं । मैं चाहता हूं कि एक पुरस्कार सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले को दिया जाए । इसमें मैं श्री कल्याण सिंह के नाम की सिफारिश करता हूं । यह पुरस्कार उनको जरूर दे दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 जैसा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 जैसा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय किरन पाल जी, आप अपना संशोधन रखें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, इस विधेयक को माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा, इसी को ध्यान में रखते हुये मैंने यह सिफारिश की है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जहां पर इसके ऊपर विचार-विमर्श होगा और उसमें सभी दलों के नेता, सदस्य होंगे और वहां विचार होने के पश्चात् अमेंड करने के बाद इसको पास करा लिया जाय तो मैं समझता हूं कि उचित होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय जनता दल ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, माननीय गुप्ता जी का संशोधन था लेकिन वह चले गये हैं। मान्यवर, यह एक औपचारिक संशोधन विधेयक है जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, उसके अन्तर्गत जो जिला रजिस्ट्रार होता है ए० डी० एम० (आर) उनके पास तमाम काम होते हैं। इसीलिये एक अलग से अपर रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जायगी जिससे वह पूर्णकालिक तरीके से कार्य को देख सकेंगे। इसी तरह से इसमें एक व्यवस्था यह की गयी है कि जहां पर विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति है, वहां पर जो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय है, उस क्षेत्र से संबंधित जो सब रजिस्ट्रार है वहीं उसी सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो सकेगी। अभी तक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली में जाकर लोग रजिस्ट्री करा लेते थे जिससे हमारे रेवेन्यू का लास होता था। अब उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति की रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश में जिस सब रजिस्ट्रार के क्षेत्र में वह सम्पत्ति है वहीं पर उसकी रजिस्ट्री होगी। यह संशोधन पूरी तरह से प्रदेश के हित में हैं और इससे हमारे राजस्व में वृद्धि होगी इसलिये मैं नेता जनता दल से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसे पास होने दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय किरनपाल जी, आप अपना संशोधन वापस लेते हैं।

(माननीय किरनपाल सिंह के खड़े न होने पर।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 6, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 में नयी धारा 6-क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

अपर रजिस्ट्रार

"6-क–राज्य सरकार, आदेश द्वारा रजिस्ट्रार या आदेश में, विनिर्दिष्ट किन्हीं दो या अधिक रजिस्ट्रारों की सहायता करने के लिये किसी लोक आफिसर को अपर रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है और ऐसे अपर रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है ।"

धारा 28 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) शब्द "वह सब सम्पत्ति या उसका कोई भाग" के स्थान पर शब्द "वह सम्पत्ति" रख दिये जायेंगे,

(ख) निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु पंचाट, विनिमय, दान, बन्धक, विभाजन, व्यवस्थापन और न्यास का दस्तावेज, जहां तक ऐसी दस्तावेज स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव डालती है, उस उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित किया जायेगा जिसके उप जिले में वह सब सम्पत्ति या उसका अधिकांश भाग या आधा भाग स्थित है, जिससे ऐसी दस्तावेज सम्बन्धित है ।"

4–मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) निकाल दी जायगी । धारा 30 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 32-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–– नयी धारा 32-ख का बढ़ाया जाना

"32-ख (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायं, हर दस्तावेज और धारा 19 में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज के अनुवाद के साथ जिसे रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित किया जाय, उसकी सही प्रति उपस्थापित की जायेगी । सही प्रतियों का पटलीकरण (लैमिनेशन)

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रति––

(क) कार्बन प्रति नहीं होगी

(ख) ऐसे आकार के कागज पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, केवल एक ओर स्वच्छ और सुपाठ्य रूप से मुद्रित, अश्य मुद्रित (लिथोग्राफ्ड) टंकित या अन्यथा तैयार की गयी होगी,

(ग) में धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित रीति से यह घोषणा होगी कि वह, यथास्थिति, दस्तावेज या अनुवाद की सही प्रति है ।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता, आफिसर, रजिस्ट्रीकरण के लिये उसे उपस्थापित किया गया किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा, जब तक कि ऐसे दस्तावेज के साथ उपधारा (1) में यथा उपबन्धित उसकी सही प्रति न हो ।

(4) प्रति––

(क) का मिलान और सत्यापन ऐसे पदधारी द्वारा किया जायगा जैसा रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा निदेश दिया जाय,

(ख) अलग-अलग पटलीकृत और जिल्दबन्द की जायगी और उसे ऐसी रीति से जैसी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाय, स्थायी रूप से रखा जायेगा ।

(5) ऐसे क्षेत्रों में, जो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किये गये हों, धारा 32-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे :

परन्तु उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पूर्व जो फोटोस्टेट प्रति दाखिल की गयी हो और विनियोजित पुस्तक में उसकी नकल न की गयी हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिये सही प्रति समझी जायगी और इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पटलीकृत की जायगी,

परन्तु यह और कि यदि पहले से दाखिल की गयी फोटोस्टेट प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से सम्बन्धित पक्ष से यह अपेक्षा करेगा कि वह पटलीकरण के लिये उसकी प्रति तैयार करने के लिये, दस्तावेज उसे दे दें और यदि सम्बन्धित पक्ष उसको यह सूचित करता है कि दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है तो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध फोटो स्टेट प्रति की विनियोजित पुस्तक में नकल जायगी ।

(6) जहां इस धारा के उपबन्ध लागू होते हैं वहां नीचे उल्लिखित धाराओं को निम्नलिखित प्रकार से उपान्तरित समझा जायगा,—

(क) धारा 52 में, उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "ऐसी हर दस्तावेज" के पश्चात् शब्द "और उसके साथ इसकी सही प्रति" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) धारा 62 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, हर सही प्रति का, रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण किये गये दस्तावेज से, अनावश्यक विलम्ब के बिना, सत्यापन किया जायेगा, उसे पटलीकृत किया जायगा और उसे रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण किये गये दस्तावेज के लिये नियोजित पुस्तक में स्थायी रूप से ग्रहण के क्रमानुसार रखने के लिये और जिल्दबन्दी के लिये समुचित पुस्तक में रखा जायेगा ।"

(ख) धारा 55में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(7) इस धारा के अधीन तैयार की गयी अनुक्रमणिकाओं (इन्डेक्सेज) को ऐसी रीति से पटलीकृत और जिल्दबन्द किया जायगा जैसी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाय ।"

(ग) धारा 58 में, उपधारा (1) में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण के लिये गृहीत हर दस्तावेज" के पश्चात् शब्द "और उसकी सही प्रति" बढ़ा दिये जायेंगे,

(घ) धारा 60 में, उपधारा (1) में, शब्द, "उस दस्तावेज की नकल की गयी है" के स्थान पर शब्द "उसकी पटलीकृत जिल्दबन्द की गयी है और रखी गयी है" रख दिये जायेंगे,

(ङ) धारा 62 में, उपधारा (1) में, शब्द, तब वह अनुवाद उसके मूल की प्रकृति वाली दस्तावेजों के रजिस्टर में उतार लिया जायेगा" के स्थान पर शब्द "तब अनुवाद की सही प्रति पटलीकृत की जायेगी और

उसके मूल की प्रकृति वाली दस्तावेजों के रजिस्टर में जिल्दबन्द की जायेगी और रखी जायेगी", रख दिये जायेंगे,

(च) धारा 69 में, खण्ड (जज-2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्––

"(जज-3) उस रीति का जिसमें दस्तावेज की और धारा 19 के अधीन अनुवाद की सही प्रति तैयार की जायगी और धारा 32-ख की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित घोषणा के प्रारूप का विनियमन करने वाले,

(जज-4) सही प्रतियों का पटलीकरण करने की रीति और प्रक्रिया, पुस्तकें, जिनमें वे अभिलेख के लिये रखी जायगी, ऐसे अभिलेख को रखने और उनका परिरक्षण करने, पटलीकरण के लिये लाइसेन्स देने और उससे सम्बन्धित विषयों को जिसके अन्तर्गत प्रतियों का पटलीकरण करने के लिये फीस की दर और लाइसेन्सधारियों के लिये बैठने का प्रबन्ध भी है, का विनियमन करने वाले"

6–मूल अधिनियम की धारा 67 निकाल दी जायगी। धारा 67 का निकाला जाना

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 21-4-94 को नियम 51 के अन्तर्गत 23 सूचनाएं प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री हृदय नारायण की, जनपद उन्नाव में जल स्तर के गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया ।

दूसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की, जनपद हरदोई से जारी होने वाले शस्त्र लाइसेंसों की वैधता एरिया को बढ़ाये जाने के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया ।

तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की, जनपद गाजीपुर के रेवतीपुर विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम सभा बसुको में ताजिया निकाले जाने को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

चौथी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की, गाजियाबाद शहर में ट्रैफिक के संचालन की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

पांचवीं सूचना श्री मातबर सिंह कंडारी की टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग विकास खण्ड के ग्राम सभा भरपूर पट्टी में बने इन्दिरा आवासों में धन के दुरुपयोग के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

छठीं सूचना श्री रमेश कान्त लवानिया की, नागरिक आपूर्ति विभाग, आगरा में राशन कार्डों की अनुपलब्धता के कारण नागरिकों को रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

नियम 51 में प्राप्त सातवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) की, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में बाबा संगत ट्रस्ट की जमीन को बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

आठवीं सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की, होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद प्रशिक्षण हेतु प्रवेश न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

शेष सूचनाएं निरस्त की जा रही हैं ।

जनपद पीलीभीत के कारागार में टाडा बन्दियों द्वारा आमरण अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेन्शन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कारागार.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री अवधेश प्रसाद–

[पीलीभीत में दिनांक 25-3-1994 से 15-4-1994 तक कुल 73 टाडा बंदी आमरण अनशन पर थे, जिनमें से एक टाडा बंदी ने अनशन समाप्त कर दिया है और 72 टाडा बंदी अनशन पर हैं। इनमें से 10 बन्दियों को बरेली कारागार स्थानान्तरित किया जा चुका है। चिकित्सक द्वारा दो बन्दियों के स्वास्थ्य में गिरावट का आना बताया गया था। जेल स्टाफ द्वारा समस्त बंदियों को फोर्स फीडिंग द्वारा दूध/जूस पिलाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी नियमित रूप से कराया जा रहा है।

2–टाडा बंदियों की मुख्य मांगें हैं कि उनके केसेज की शीघ्र सुनवाई की जाय और मुकदमों की सुनवाई हेतु लम्बी-लम्बी तारीखें न दी जायं तथा पेशी पर जज साहब के समक्ष अवश्य पेश किया जाय तथा उनको जमानत पर अवश्य मुक्त किया जाय।

अभिहित न्यायालय, पीलीभीत में 97 केसेज लम्बित हैं, जिनमें 140 टाडा बंदी अंतर्ग्रस्त हैं। इनके त्वरित निस्तारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समीक्षा की गयी थी। यह निर्णय लिया गया था कि केवल टाडा केसेज की सुनवाई हेतु एक और अभिहित न्यायालय पीलीभीत में स्थापित कर दिया जाय। शासन ने टाडा केसेज को त्वरित गति से निस्तारित करने हेतु अभिहित न्यायालय के न्यायाधीशो को आदेश निर्गत करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अनुरोध किया जा चुका है।

सामान्यतया टाडा बंदियों के केसेज की सुनवाई हेतु 15 दिन से लगाकर दो माह तक की तारीखें लगायी जाती हैं। टाडा बंदियों के केसेज की सुनवाई हेतु तारीखें लगाने तथा बंदियों को जमानत पर छोड़ने का काम अभिहित न्यायालय के न्यायाधीशों के विवेक का है तथा उनके कार्यक्षेत्र का है।

प्रशासन की ओर से आमरण अनशन समाप्त कराने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा अनशनकारियों को समझाया जा रहा है तथा उनसे निरन्तर सम्पर्क करके उनकी समस्याओं की सुनवाई की जा रही है।]

* श्री हरीश कुमार गंगवार–

मान्यवर, जिला कारगार, पीलीभीत में टाडा बन्दी दिनांक 25-3-94 से अब तक आमरण अनशन पर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कौन अफसर वहां पर उनसे बात करने के लिये गया और अगर नहीं गया, तो क्यों नहीं गया। जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर कोई भी अधिकारी जेल के अन्दर नहीं गया, क्योंकि अभियुक्त जेल के अन्दर हैं, अपनी बात वे कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति की घोषणा हुई थी कि जिन टाडा बन्दियों पर सहायता देने, भोजन कराने आदि के छोटे आरोप हैं और जिनका कोई एक्टिव रोल नहीं दिखाया गया है, उन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया जायगा, तो उनको जमानत पर क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है ? इस संबंध में, मैं आपका ध्यान एक मुकदमें की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं, जो अपराध संख्या 257/91 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302 व 3/4/6 टाडा एक्ट में थाना न्युरिया, जिला पीलीभीत में रजिस्टर्ड हुआ और केस नम्बर 67/92 के रूप में पीलीभीत के जज साहब के यहां चल रहा है, जिसमें 29-4-93 को पांच गवाह होस्टाइल घोषित हो चुके हैं, तो उपरोक्त मुकदमों के अभियुक्तों रक्षपाल सिंह पुत्र गुरु बक्श सिंह और लखवेन्द्र सिह पुत्र बचन सिंह को जमानत पर रिहा करने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे और जो पोरशन न्यायालय से संबंधित है, न्यायालय के परव्यु के अन्दर है, उसमें तो नहीं, और जेल के अन्दर ऐसी कोई बात होगी, तो उसको हम दिखवा लेंगे ।

जनपद पीलीभीत के प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर.....

श्री अधिष्ठाता–

यह पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री अवधेश प्रसाद–

[पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण मा० उच्च न्यायालय का है फिर भी चूंकि जनपद में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व शासन का है अतः इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद जिला जज पीलीभीत तथा जिलाधिकारी पीलीभीत से आख्या मांगी गयी है ।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । जिला जज पीलीभीत ने सूचित किया है कि उन्होंने श्री जे० के० संत, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत तथा श्री ए० ए० समदानी मुंसिफ मजि० के न्यायालयों के आवश्यक तथा रुटीन मामलों को बार एसोसियेशन पीलीभीत के अनुरोध पर अन्य दो अधिकारियों को आवंटित कर दिया है तथा इस प्रकार न्यायिक कार्य में कोई व्यवधान नहीं है । जिला अधिकारी, पीलीभीत ने सूचित किया है कि अधिवक्ताओं द्वारा मात्र उपर्युक्त दोनों अधिकारियों के न्यायालयों का बहिष्कार किया जा रहा है तथा अन्य न्यायिक एवं राजस्व न्यायालयों में विधिवत् कार्य हो रहा है । इस मुद्दे को लेकर जनपद में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति अब तक उत्पन्न नहीं हुई है । जिला प्रशासन द्वारा इस पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है । विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है । उक्त मुद्दा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का है जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तर से निर्णय लिया जाना है । मा० उच्च नयायालय इलाहाबाद का निर्णय/रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।]

श्री राम सरन वर्मा–

वक्तव्य के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों पर अधिवक्ताओं के जो आरोप हैं, उनका इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अधिवक्ता हड़ताल पर हैं । पीलीभीत में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदो में भी अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है, बार काउन्सिल इलाहाबाद ने भी सम्भवतः हड़ताल का निर्णय लिया है जिसके कारण समपूर्ण प्रदेश में हड़ताल होने की आशंका है । इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह हाई कोर्ट को उत्पन्न स्थिति से अवगत कराकर इस प्रकरण को समाप्त करने की कोई तुरन्त कार्यवाही करेगी ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह न्यायालय के अधिकारी का मामला है । पीलीभीत के अधिवक्ताओं ने न्यायालय का बहिष्कार किया था । मान्यवर, यह न्यायालय का मामला है और न्यायालय की अपनी स्वतंत्र गरिमा है। इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा गया और पीलीभीत के जिला जज को भी लिखा गया । जिला जज की रिपोर्ट आयी है और उसमें उल्लेख है कि वहां पर कोई बहिष्कार नहीं है । सारी अदालतें सामान्य रूप से चल रही हैं और इस मामले की जांच हो रही है । इसलिये मान्यवर, इस विषय में कुछ अधिक कहना ठीक नहीं है । जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, वह ठीक है और सामान्य है । न्यायालयों में मुकदमें हो रहे हैं । जिस न्यायालय की बात कही गयी, उस अदालत के मुकदमें दूसरी अदालत को दिये जा रहे हैं और काम सामान्य रूप से हो रहा है । जिला जज की रिपोर्ट हमारे पास है ।

जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस संरक्षण में फर्जी नोटों के चलन के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, उपर्युक्त सूचना पर प्रकरण की प्रारम्भिक.....

श्री अधिष्ठाता–

यह पढ़ा हुआ माना गया ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री बाबू राम यादव–

[जांच से यह पाया गया कि श्री दाताराम आजाद, थानाध्यक्ष खतौली दिनांक 19-3-94 को अपनी बचत खाते की पास बुक मेरठ से स्थानान्तरित कराने हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया खतौली शाखा में गये थे उनके साथ उनका भाई जगदीश सिंह, जो घर से मोटर साइकिल खरीदने हेतु पैसे लेकर आया था, परन्तु मोटर साइकिल न खरीदने पर उनके 30,000 रुपये के नोट पांच-पांच सौ के नोटों में परिवर्तित कराने हेतु साथ में गये थे । इसके अतिरिक्त उन दोनों के साथ उप निरीक्षक श्री रामचन्द्र सिंह भी बैंक गये थे । बैंक में शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क किया गया तथा श्री दाताराम आजाद ने अपना खाता संख्या मेरठ से स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही की तथा उनके भाई ने नोट चेंज कराने हेतु शाखा प्रबन्धक/कैशियर से सम्पर्क किया तथा रु० 20,000 के नोट पांच-पांच सौ के नोटों में परिवर्तित कराये । शेष रु० 10,000 के नोटों की गड्डी में एक नोट खराब होना बताया गया । फलस्वरूप उक्त 10,000 रुपये के नोट परिवर्तित नहीं हो पाये उनका भाई उन सभी नोटों को लेकर चला गया था । बाद में जब यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई कि बैंक द्वारा अस्वीकृत नोट जाली थे तो श्री दाताराम आजाद थानाध्यक्ष ने अपने भाई के आने पर नोटों के बारे में पूछ-ताछ की जिसने बताया कि वह नोट तो चल गया है । बैंक के प्रबन्धक द्वारा थानाध्यक्ष अथवा उनके भाई से यह बात नहीं कही थी कि नोट जाली है केवल खराब होने की बात कही थी इस प्रकार जाली नोट होने की बात प्रकाश में नहीं आयी । पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ने गोपनीय रूप से बैंक मैनेजर से इस संबंध में जांच करायी तो आरोप गलत पाया गया तथापि इस प्रकरण में अभी विस्तृत जांच जारी है और जांचोपरान्त यथापेक्षित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैंने 21 अप्रैल को सूचना दी थी, यह सूचना नियम 56 में दी थी और जो उसका उत्तर आया है वह बड़ा ही हास्यास्पद है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इसको पढ़ लें। वक्तव्य में लिखा है कि मोटर साइकिल खरीदने के लिये आया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि खतौली में कोई मोटर साइकिल की दुकान नहीं है, कोई एजेन्सी नहीं है। वहां के क्षेत्रीय विधायक बैठे हैं, उनसे जानकारी कर लें। 30 हजार रुपया निकाला गया है। वक्तव्य में कहा गया है कि एक नोट खराब था, तो क्या एक नोट के खराब होने से सारे नोट वापस कर दिये। मान्यवर, यह पुलिस, एस० पी० और उच्च अधिकारियों की साजिश है। डेढ़ लाख रुपये बदलने का मामला था और आप वक्तव्य का अन्तिम पैरा पढ़ लें, जिसमें लिखा है कि जांच जारी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि बिजिलेंस से जांच करा दें और वह बैंक मैनेजर को धमकाये नहीं थ्रेटनिंग न करें इसके लिये इन अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दें। तो मैं फिर स्पष्ट किये देता हूं कि एक तो मेरा सवाल यह है कि क्या खतौली में कोई मोटर साइकिल की एजेंसी थी, किस खाते से रुपये निकाले गये, क्या 10 हजार रुपये वापस किये गये तो वह दरोगा और वह एस० पी० जिस पर यह आरोप है क्या उसके विरुद्ध जांच होगी क्या सीधे-सीधे इसमें न्यायिक जांच का आदेश करेंगे ?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इसकी जांच पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं, फर्जी नोटों की बात नहीं पायी गयी।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मैं आपके सामने इससे सम्बन्धित कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और सूचना देना चाहता हूं। 7 तारीख को श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) जी ने नियम 56 में इसे रखा था।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी स्पष्ट जानकारी है कि 30 हजार रुपयों के नोट लेकर दाता राम आजाद जो कि सीनियर सब इंसपेक्टर हैं वह स्टेट बैंक की शाखा में गये थे और 10 हजार रुपये के नोट उनको वापस किये गये इस संबंध में विगत 4 दिनों की छुट्टियों में, मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक से मिला था और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया था।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें, चर्चा नहीं हो रही है और इसकी जांच तो हो ही रही है, यह उत्तर आ चुका है।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, इस बात की लगातार चर्चा है कि लगातार इस तरह का कार्य किया जा रहा है और इसमें जो गैंग लीडर शामिल है मैं उसका नाम बताये देता हूं उसका नाम है राजवीर उर्फ टीटू। मैं आपके माध्यम से दो बातें पूछना चाहता हूं कि क्या दाता राम आजाद ने उस दिन बैंक में अपना खाता स्थानान्तरित करने की कोई कार्यवाही की थी। इसको दिखवा लें और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि चूंकि इसकी जांच चल रही है तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए इसकी मैं उच्च स्तरीय जांच कराने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मांग करता हूं और साथ ही इस वक्तव्य द्वारा भ्रामक तथ्य सदन में प्रस्तुत करने के विरोध में नियम 49 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

इसकी अन्तिम पंक्ति आप पढ़ लें इसमें लिखा है कि आरोप गलत पाये गये तथापि इस प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है तो निष्कर्ष भी आ गया और जांच भी जारी है यह कैसे हो गया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, प्रागदर्शन में आरोप गलत पाये गये और जाली नोटो की विस्तृत जांच चल रही है।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने उत्तर में तो कह ही दिया है कि जांच चल रही है जो आपने बिन्दु उठाये हैं उसका परीक्षण भी कर लिया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, दोषी व्यक्ति इसकी जांच कर रहा है तो क्या इसकी जांच विजिलेंस से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह गम्भीर मामला है जिस पर हमने आरोप लगाया वहीं जांच कर रहा है तो जांच का औचित्य क्या है तो क्या इसकी जांच किसी दूसरे अधिकारी से करायेंगे विजिलेंस या सी० आई० डी० से ? तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि क्या इसकी सी० आई० डी०, विजिलेंस या पुलिस महानिरीक्षक से जांच करवायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कोई आवश्यकता नहीं है।

पुलिस अधीक्षक जांच कर रहे हैं।

(मद संख्या 20 पुकारे जाने पर)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, इन फर्जी नोटों के संबंध में सरकार हमारी कोई बात नहीं मान रही है, सरकार के इस निठल्लेपन के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

आगरा जनपद के जमालपुर गांव में किसानों पर की गयी पुलिस फायरिंग में एक किसान की मृत्यु तथा दर्जनों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

जनपद आगरा.....

श्री अधिष्ठाता–

यह पढ़ा हुआ माना गया।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री बाबू राम यादव–

। दिनांक 5-4-94 और पुनः दिनांक 6-4-94 को आयी आंधी, तूफान एवं ओलावृष्टि एवं ओलावृष्टि से लगभग 256 गांव प्रभावित हुए । इनमें से 56 गांव 75 प्रतिशत से अधिक तथा 77 गांव 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुए । इस आंधी, तूफान व ओलावृष्टि से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 59 छोटे तथा बड़े पशु मारे गये और लगभग 19000 हेक्टेयर की खेती प्रभावित हुई । जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित गांवों में त्वरित राहत प्रदान करने की कार्यवाही की गई । प्रभावित ग्रामों का सघन सर्वेक्षण दिनांक 5-4-94 की रात से आरम्भ कर दिया गया तथा क्षति का आंकलन किया गया । जिलाधिकारी ने स्वयं 70 ग्रामों का भ्रमण किया तथा मौके की स्थिति का जायजा लिया । ओलावृष्टि के कारण मरने वालों को रुपये 25000 प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह धनराशि दी गई तथा पशुओं एवं घरों की क्षतिपूर्ति हेतु अलग से अनुदान दिया गया । इसके अतिरिक्त प्रभावित खेती के लिए राहत हेतु शासनादेश में प्राविधानित रुपये 300 प्रति एकड़ की दर से धनराशि वितरित करायी जा रही है । अब तक खेती की क्षतिपूर्ति हेतु रुपये 43.65 लाख का वितरण नकद किया जा चुका है ।

इस विकट प्राकृतिक आपदा से उद्वेलित होकर जन सामान्य ने अपना आक्रोश व्यक्त किया तथा रास्ता जाम करने का प्रयास किया । इसी क्रम में दिनांक 7-4-94 को प्रातः 10.30 बजे बरहन के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व अन्य व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के सम्बन्ध में बरहन थाने के अन्तर्गत रास्ता जाम किया गया तथा चमरौला के आस-पास के ग्राम के कुछ लोग (संख्या 800–900) चमरौला व बरहन रेलवे स्टेशन के बीच गेट नम्बर–81 पर रेलवे क्रासिंग फाटक बन्द कर दिया तथा तार तोड़ दिया । रेलवे की सम्पत्ति उठा ले गये और सड़क की ट्राफिक व गेट के बीच बैठकर रेल का आवागमन अवरुद्ध कर दिया । मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं परगनाधिकारी, एत्मादपुर व थानाध्यक्ष, बरहन मौजूद थे । जनता को काफी समझाया-बुझाया गया किन्तु उनके द्वारा रास्ता साफ नहीं किया गया । पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र तथा अपर जिलाधिकारी मौके पर मय फोर्स के आ गये तथा उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया लेकिन आन्दोलनरत व्यक्तियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा वे लोग उत्तेजित होकर रेलवें लाइन के पास पड़े ईंट पत्थर उठाकर पुलिसबल पर मारने लगे तथा भीड़ की तरफ से पुलिस पर फायर भी किया गया । पुलिस ने बचाव में थोड़ा बल प्रयोग किया और दो-तीन हवाई फायर किये । इसके पश्चात ही रास्ता कुछ साफ हुआ । इसी बीच मौके पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गये । इस अवरोध के कारण महानंदा एक्सप्रेस, कालिका मेल, मगध एक्सप्रेस तथा गोमती एक्सप्रेस प्रभावित हुई किन्तु किसी भी गाड़ी व यात्री को कोई नुकसान व चोटें नहीं पहुंची ।

उक्त घटना में जन सामान्य की ओर से पथराव के कारण क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र व अन्य पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आयी हैं । पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र के गनर को गम्भीर चोट आयी है तथा दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई है । इस घटना में किताब सिंह यादव नामक एक जनता के व्यक्ति जो नगला अमर सिंह ग्राम जमालनगर का रहने वाला था को काफी गम्भीर फायर की चोटें लगी थीं । वह घायल हो गया था । उसे एस० एन० मेडिकल कालेज में उपचार हेतु भेजा गया, जहां, 15.25 बजे उसकी मृत्यु हो गयी । उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक किताब सिंह की मृत्यु गनशाट से हुई थी । उसके जिगर व पेट से 12 बोर के 6 छर्रे

बरामद हुए हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसकी मृत्यु जनता द्वारा की गयी फायरिंग से हुई है । मृतक के आश्रितों को जिलाधिकारी द्वारा तत्काल रुपये एक लाख की अनुग्रह धनराशि दी जा चुकी है । मृतक का शव पोस्टमार्टम के पश्चात उसके परिजनों को दे दिया गया । इस प्रकरण में थाना बरहन जनपद आगरा पर मुकदमा अपराध संख्या–60/94 धारा 395/332/342/427 भा० द० वि० रेलवे एक्ट तथा मुकदमा अपराध संख्या–61/94 धारा 147/148/149/307/342/427 भा० द० वि० एवं 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट एवं रेलवे ऐक्ट का पंजीकृत किया गया ।

पुलिस द्वारा बल प्रयोग के कारण किसी व्यक्ति का घायल होना अब तक प्रकाश में नहीं आया है । मौके पर स्थिति सामान्य है । जिला प्रशासन राहत कार्य में लगा है ।।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा जनपद में हुई घटना में किताब सिंह यादव जी की जो मृत्यु हुई उस मृत्यु के विषय में इस वक्तव्य में बताया गया है कि यह मृत्यु जनता के द्वारा 12 बोर के छरे दागने पर हुई है जबकि मान्यवर, किताब सिंह जी के पुत्र बागेश्वर और मुनीश कुमार द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया गया है कि उनके पिता के शव को उतारा गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न करें ।

श्री बदन सिंह–

महाबीर नाम के सिपाही ने 12 बोर के छर्रे लगाये । उसके पुत्रों द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है जोकि उस वक्त मौजूद थे पिता के साथ में उनकी प्रार्थना पर जिलाधिकारी ने क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो उसके क्या कारण हैं ?

* श्री बाबू राम यादव–

मैं स्वयं मौके पर गया और मैं स्वयं किताब सिंह जी के घर पर गया था उनके पुत्रों से मिला जिलाधिकारी एस० एस० पी० मेरे साथ और लोग भी थे काफी लोग इलाके के भी थे । यह तथ्य बिल्कुल सही नहीं है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया । जब लोगों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, आम किसान ने हमला नहीं किया, कुछ पार्टी के लोग थे, उन्होंने हमला करना शुरू किया, पत्थर फेंके फायरिंग की तो पुलिस ने हवा में फायरिंग किया । उसमें किताब सिंह जैसे लोग नहीं थे उन लोगों ने फायर नहीं किया, पार्टी के कुछ लोग थे उन्होंने फायरिंग किया । पुलिस को जब चोटें आयीं तो पुलिस ने हवा में फायरिंग किया । मैंने स्वयं लोगों से पूछताछ की लोगों के मन में बिलकुल किसी प्रकार का गुस्सा नहीं था यह सारे अधिकारी हमारे साथ थे मैं घर भी गया लड़कों से पूछा हो सकता है पार्टी बन्दी के आधार पर उन लड़कों से किसी ने दस्तखत करा लिये हों । पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो

नोट:–।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही की है उससे वे संतुष्ट थे । सारे गांव के लोग इकट्ठा हुई गांव के लोगों ने सरकार की कार्यवाही की सराहना की आभार व्यक्त किया ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जो वक्तव्य आया है माननीय राजस्व मंत्री जी हमें पता है वहां गये थे, बहुत अच्छी बात है । एक लाख रु० देने की बात हुई, आपने उसके जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश की है । आपके पूरे इस वक्तव्य को पढ़ा तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने जो कहानी गढ़ी है आपने उसको पढ़कर सुना दिया । "उसके जिगर व पेट से 12 बोर के 6 छर्रे बरामद हुए हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसकी मृत्यु जनता द्वारा की गयी फायरिंग से हुई है ।" आपने भी क्या इसे सच मान लिया ? आज इस पुष्टि के लिए न तो कोई जांच हुई और न ही किसी ने बताया । आपने कहा कि जनता के द्वारा फायरिंग हुई परन्तु उस फायरिंग में न तो जनता का और न ही पुलिस का कोई आदमी घायल हुआ । तो जनता ने फायर किया किताब सिंह पर किया । तो यह आप यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं । अब इससे संदेह यह पैदा हो गया है कि उसकी मृत्यु या हत्या पुलिस के महावीर नामक सिपाही की गोली से हुई क्या इस तथ्य की जांच कराने के लिए आश्वासन देंगे ?

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जहां तक विकल जी का प्रश्न है उन्होंने यह कहा कि आपने यह वक्तव्य पुलिस के कहने पर लिखा दिया तो न तो पुलिस की रिपोर्ट है । यह तो पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की रिपोर्ट है और उसके शरीर से छर्रे निकले उसकी रिपोर्ट है और जहां तक जांच का विषय है मुकदमा कायम है इसकी पूरी तफ्तीश की जा रही है और इसमें अलग से जांच करने का कोई औचित्य नही प्रतीत होता है ।

* श्री रंगनाथ–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसके शरीर से 12 बोर के छर्रे निकले हैं जिससे यह साबित हुआ है कि वह पुलिस की गोली से नहीं मरा है । मान्यवर, ऐसी ही घटना बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में हुई वहां पर भी लड़कों के छर्रे लगे थे तो वहां भी यह कह दिया कि लड़कों ने गोली चलायी थी । आजकल यह देखा गया है कि जितने भी सिपाही हैं उनको 12 बोर की बन्दूकें जारी की गयी हैं क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो 12 बोर की बन्दूकें पुलिस को दी जाती है उस पर प्रतिबन्ध लगायेंगे और दूसरा यह कि बनारस में भी ओलावृष्टि हुई है और मैंने यह मामला उठाया भी था । कल मैं क्षेत्र में गया भी था मगर वहां पर कोई राहत का कार्य अभी तक नहीं पहुंच पाया है तो क्या इसके भी आदेश देंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, बनारस के बारे में माननीय सदस्य अलग से पूछ लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह जो पोस्टमार्टम किया गया है यह जिलाधिकारी द्वारा अपनी कोठी पर बुलाकर किया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच न्यायिक जांच होनी चाहिए।

लखनऊ की सभी सब्जी मण्डियों को पूर्व आदेशानुसार हरदोई रोड स्थित सब्जी मण्डी परिषद् में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक दि० 9 मार्च, 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (घ) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, नियम–49 के अन्तर्गत मैंने और माननीय श्री शुक्ला जी ने एक चर्चा उठायी थी और आपने कृपापूर्वक मुझे अनुमति इस पर बोलने के लिए दी। मान्यवर, मैं इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह दुबग्गा की मण्डी है। यह हरदोई रोड पर स्थित है और यह फल पट्टी की एक मात्र मण्डी है। इसका उद्घाटन सन् 1991 में हुआ था और आपने भी देखा होगा क्योंकि आप भी उसी रोड से आते हैं जो यह सब्जी मण्डी बनी हुई है उसमें पूरी सुविधा का ख्याल रखा गया है, इस दृष्टि से की फल पट्टी के आम और सब्जी यहां पर आयेगी और इससे किसानों का लाभ भी होगा। सन् 1991 में इसका उद्घाटन हुआ था और चुनाव के समय में सी० आर० पी० एफ० के लोगों को टेम्पोरेरी इसमें रख दिया तब से उनका कब्जा है। जो किसान है, फल पट्टी क्षेत्र के लोग हैं उनको दिक्कत होती है। वह चौक मण्डी में अपना सामान ले जाते हैं और नीबूं पार्क से रिक्शा में सब्जी और फल ले जाते हैं तो उनको कितनी असुविधा होती है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 20–25 लाख रुपये का मंडी शुल्क उस फल पट्टी क्षेत्र से आता है, श्रीमन् उन किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाना जरूरी है। श्रीमन् दशहरी आम के बारे में, उसके स्वाद को सभी जानते हैं। आज यह सारा आम दिल्ली चला जाता है, इससे जो पैसा यहां मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता। इसलिये मान्यवर, जो मण्डी स्थल बना है, सब्जी मंडी के लिये, जिस पर वर्तमान में सी० आर० पी० एफ० का कब्जा है, उसे उनके कब्जे से छुड़वाकर फल पट्टी क्षेत्र के लिये दिया जाय। मान्यवर, इस मामले पर माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्रावली पर आर्डर भी किये हुये हैं साथ ही मण्डी निदेशक और कृषि विभाग के समक्ष वार्ता भी हो चुकी है, ए० पी०सी० के समक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भी बात हो चुकी है। यह बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि मंडी जिस परपज के लिये बनी है, उसे उसके लिये दे दिया जाय, सी०आर०पी०एफ० का वहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में आदेश तो कदाचित हैं, लेकिन एक बार मन बनाकर सख्ती के साथ सी०आर०पी०एफ० को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय, ताकि फल पट्टी क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। मान्यवर, यह 20–25 लाख के मण्डी शुल्क का मामला है। मण्डी स्थानान्तरित न होने से वहां के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, साथ ही मण्डी शुल्क भी देना पड़ता है, दिल्ली जब आम ले जाते हैं तो रास्ते में कहीं आम में जरा सा दाग लग जाता है तो आम सड़ जाता है और उसकी कीमत 50 प्रतिशत रह जाती है। कुल मिलाकर 5 प्रतिशत आम विदेश जा पाता है, जिससे 200–250 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अगर यह आम यहां की मण्डी में सुरक्षित रहे तो 10–15 प्रतिशत आम बाहर जा सकता है, जिससे 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हम अर्जित कर सकते हैं और इससे उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू की प्राप्ति

होगी । मण्डी का स्थानान्तरित होना बहुत ही आवश्यक है आप कृपा करके इस संबंध में निर्देश दें और माननीय मंत्री जी भी आश्वस्त कर दें कि सी०आर०पी०एफ० को वहां से हटाकर मण्डी फल पट्टी वालों को सौंप दी जायेगी । मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं, जिन्होंने मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है । मान्यवर, दशहरी आम की मिठास को मस्तिष्क में रखते हुये मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि यद्यपि इस बार बहुत सी फसल क्षतिग्रस्त हुयी है, फिर भी जो कुछ है, वह आपको समर्पित रहेगा । लेकिन आप उसको मण्डी स्थल में अवश्य ले आयें, इसका इन्तजाम आप जरूर करा दीजिये । मान्यवर, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं और मेरा आपसे अनुरोध भी है कि आप कृपा करते हुये सी०आर०पी०एफ० को वहां से हटवा दें, जिससे उसका लाभ किसानों को मिल सके । दशहरी आम जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसकी बिक्री से यह प्रदेश समृद्ध और खुशहाल हो, यह मेरी आकांक्षा है ।

* श्री राम कुमार शुक्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो चौक की सब्जी मण्डी है, वह नवाबों के समय में बहुत छोटी सी मण्डी बनी थी,, तब से शहर की आबादी 20 गुना बढ़ गयी । यह मण्डी गढ्ढे में बनी हुयी है और बरसात के दिनों में यहां पूरा नरक वाला दृश्य उपस्थित हो जाता है, पूरी मण्डी में कीचड़, कूड़ा-करकट हो जाता है, इससे व्यापारियों को बड़ी असुविधा हो रही है । जो भी किसान इस मण्डी में आता है, यह सब उसके लिये नरक समान है । इसके अतिरिक्त बाहर जो मण्डी लगती है, वह सड़क नेशनल हाईवे है और सबेरे 8 बजे से शाम 8 बजे तक कोई भी ट्रक उधर नहीं जा सकता है, इस तरह की असुविधा को देखते हुये कभी यह निर्णय लिया गया होगा कि एक विशाल मण्डी बने और उसमें यह फल मण्डी, सब्जी मण्डी स्थानान्तरित हो जाय । इस तरह का प्रश्न तो बार-बार उठता रहा है और आश्वासन भी होता रहा है, वर्ष 91 से लगातार कोशिश जारी है । मान्यवर, मण्डी स्थानान्तरित न होने से मण्डी परिषद् को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, किराया भी नहीं मिल रहा है, जनता को, किसानों को भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, साथ ही सरकार को भी करोड़ों को चुना लग रहा है, इसलिये आपसे निवेदन है कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये शीघ्रतिशीघ्र मण्डी को स्थानान्तरित करा दें ; जिससे जनता को, किसानों को, सरकार को इसका लाभ मिल सके ।

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, आदरणीय गौरीशंकर जी ने और शुक्ल जी ने जिस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उससे सहमत हूं और यह सही बात है कि जिन उद्देश्यों के लिये फल और सब्जी मण्डी का निर्माण कराया था उसका उपयोग उसके लिये नहीं हो पा रहा है । वर्ष 1991 से ही शहर के बीच की छोटी-छोटी मण्डियां है, या दुकानें हैं इनको यहां केन्द्रित करके एक व्यवस्था देने का लक्ष्य जो था वह सी०आर०पी० के रहने के कारण बाधित है । सी०आर०पी० को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिये स्थान भी ढूढें जा रहे हैं, इसके लिये हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं । जैसा कि माननीय गौरीशंकर जी ने अवगत कराया कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मसले को स्वयं हल करने का प्रयास कर रहे हैं । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस समस्या का निदान बहुत निकट में ढूंढ़ लिया जायेगा और जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उद्देश्य से फल मण्डी का निर्माण हुआ है, उसके काम में लाया जायेगा । इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको वरीयता से दिखवा लीजियेगा ।

अब हम उठते हैं, कल (22-04-94) पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

21 अप्रैल, 1994

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी–एल० 122 विधान सभा (184)–1994–813 (डी०टी०पी०) ।